खण्ड–514, अंक–03
गुरुवार, 28 श्रावण, शक संवत् 1943
(19 अगस्त, 2021 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, वर्ष 2021)

(खण्ड 514 में 03 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-50
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक बजट पर चर्चा (जारी) ...	50-60
टोकियो ओलम्पिक खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में उपस्थित होने हेतु अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा हेतु दलीय नेताओं के लिये समय निर्धारित किये जाने का अनुरोध ...	60
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक बजट पर चर्चा	61-91
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर अनुदान संख्या-07, 09, 11, 13 लगायत 15, 19, 24, 26, 35, 39, 41, लगायत 42, 49, 67, 71, 84, 86 तथा 92	91-92
अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	92
अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	92
अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	92
अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	92
अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	92
अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	92
अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	93
अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ...	93
अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	93
अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ...	93
अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग (स्वीकृत)	93
अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	93
अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग (स्वीकृत)	93
अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	93
अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	94
अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	94

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	94
अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग (स्वीकृत)	94
अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	94
उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित एवं पारित)	94-97
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	97-102
कानपुर नगर पुलिस बादशाहीनाका की सांठगांठ से क्षेत्र कुली बाजार, गुलियाना, बादशाहीनाका में संचालित चट्टों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102-103
प्रदेश के सहकारिता विभाग के जिला सहकारी बैंकों में कैडर अथॉरिटी के अधिकारियों की विभिन्न वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103-104
जनपद आजमगढ़ के नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ..	104
जनपद वाराणसी विकास, खण्ड हरहुआ अन्तर्गत पूरबपुर रेलवे फाटक से पट्टी पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद बरेली में आई0टी0 पार्क (इलेक्ट्रानिक्स) की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
भारत-नेपाल सीमा की भूमि पर अवैध कब्जे को मुक्त कराये जाने एवं एकीकृत जाँच केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105-106
जनपद हरदोई के कृषि विश्वविद्यालय में अध्यापकों एवं स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर अन्तर्गत शहर के बीचो-बीच पड़े पनकी रेलवे स्टेशन को विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106-107
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र अयाहशाह अन्तर्गत गाजीपुर-विजयीपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत ग्राम दिनरा मिर्जापुर चौराहे से कस्बा शाही भिटौरा बहेड़ी तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के महाल मंझरिया घाघरा नदी पर पीपापुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	107-108
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर अन्तर्गत हरैया फीडर से चौधरीडीह शिवपुर ललिया मथुरा क्षेत्र तक विद्युत तार जर्जर एवं पुराने होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	108
जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	108
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोनिकपुर में सैनिक स्कूल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में आमी नदी पर तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	109
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेवता अन्तर्गत फायर स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	109
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज अन्तर्गत ऐली परसौली/घाघरा नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में मनरेगा योजना में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर अन्तर्गत ग्राम नंगला कबूलपुर से मंदिर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर अन्तर्गत बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	111
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी में रोडवेज बस स्टेशन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111-112

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन अन्तर्गत मिनी स्टेडियम की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	112
जनपद बदायूँ के विकास खण्ड दातागंज एवं विकास खण्ड समरेर में कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत अधिवक्ताओं के स्थायी व पक्के चैम्बर बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34(91) का लालकुआं-गाजियाबाद से बुलन्दशहर तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत विकास कार्यों में करोड़ों रुपयों के घोटालों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	113-114
जनपद झांसी के मोंठ तहसील में धान की कटाई-मढ़ाई मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	114
डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कर्मियों की वेतन विसंगति दूर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	114-115
जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जैतीपुर अन्तर्गत ग्राम परौर एवं ग्राम-सुनौरा रमपुरा तक आवंटित विद्युत उपकेन्द्र को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सांगीपुर अन्तर्गत घुईसरनाथ धाम में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115-116
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज अन्तर्गत महिला चिकित्सालय सेवरही में समुचित स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों एवं कर्मियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117

विषय	पृष्ठ-संख्या
जिलाधिकारी कार्यालय सीतापुर में लम्बित शस्त्र लाइसेंस से सम्बन्धित पत्रावलियों का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117-118
प्रदेश में कोविड-19 के कारण दिवंगत हुए लोगों के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	118
जनपद जौनपुर निवासिनी श्रीमती स्वाती सिंह को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत लांव मोड़ से पारा तक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं नालियों तथा सीवर लाइनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद चन्दौली के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119-120
प्रदेश के अन्तर्गत आर0टी0ई0 से सम्बन्धित गरीब बच्चों की शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए स्कूलों का बकाया शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद बाराबंकी के ग्राम सभा रघई मुबारकपुर के अन्तर्गत बनाई गई सी0सी0 सड़कों में लोक निर्माण विभाग द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	120-121
जनपद अम्बेडकर नगर में वरासत के आधार पर वासियों के शस्त्र लाइसेंस जारी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	121
जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज अन्तर्गत ग्राम दौदामऊ में पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद बस्ती में गौरव इण्टरप्राइजेज परशुरामपुर एवं अमित ट्रेडर्स बड़े वन बस्ती के द्वारा कृषि विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी बिल वाउचर की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122

विषय	पृष्ठ-संख्या
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्थानान्तरण में हुई अनियमितता की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद अन्तर्गत ग्राम सलेमपुर भट्ठा के आबादी भाग में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर-इल्तिफातगंज प्रमुख मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज में कतिपय ग्रामों के क्षतिग्रस्त मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124-125
जनपद उन्नाव के नगर पालिका बांगरमऊ में स्व0 पं0 विश्म्भर दयालु त्रिपाठी की स्मृति में पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125
परिवहन विभाग, आजमगढ़ में क्षेत्रीय प्रबन्धक की जाँच स्वतंत्र एजेंसी से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	125-126
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	126
जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर अन्तर्गत भोगी सागर तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126-127
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में औद्योगिक केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	127
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत सलेमपुर पावर हाउस में लगे जर्जर तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127-128
जनपद जौनपुर के ग्राम वाहिदपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ के जानकीपुरम स्थित पंचवटी पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128
जनपद अमेठी के विकास खण्ड भादर अन्तर्गत अयोध्या-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से भागीपुर तक मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली जर्जर सड़कों के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	129-130
जनपद मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी में महिला इंस्पेक्टर की तैनाती तथा पुलिस कर्मियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आवास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	130
जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130-131
जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड निगोहीं के ग्राम बरेचा में कतिपय व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा संयुक्त सचिव लेखा पद पर कुछ अधिकारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग में तैनात किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	133
जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मलिहाबाद व माल अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	133-134
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत अन्तर्गत चंदवक बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ..	134
वर्ष 2005 से सभी विभागों में स्थायी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना स्थगित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जौनपुर में ग्राम इजरी (धरहटा) अन्तर्गत शहीद स्व0 जिलाजीत के सम्मान में शासन द्वारा की गई घोषणाओं को सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सैयदराजा अन्तर्गत कमालपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135-136
बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा किये गये अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136
लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठता क्रम में सहायक अभियंताओं की पदोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	136
जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड कोन के जगापट्टी गाँव में खमरिया टाउन एरिया के गंदे पानी का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137
जनपद आजमगढ़ के प्रहलाद नगर कालोनी (सदर तहसील) में जल निकासी हेतु नाली व सीवेज की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137
जनपद लखनऊ के ग्राम सरसवां अर्जुनगंज में ग्राम समाज की जमीन व सरकारी नाले पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137-138
उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन लिमिटेड की 39वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2018-2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	138
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ का वर्ष 2013-2014 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा (लेखा परिशिष्ट) (सदन के पटल पर रखा गया)	138
उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 के गठित) के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2020-2021 (सदन के पटल पर रखा गयी)	139
वर्ष (2019-2020) का सचिवालय प्रशासन विभाग का सैंतालीसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	139

विषय	पृष्ठ-संख्या
वर्ष (2019-2020) का उच्च शिक्षा विभाग का अड़तालीसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	139
कार्य-सूची की सभी याचिकाओं को प्रस्तुत किया हुआ माने जाने के सम्बन्ध में	139-140
श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से संबंधित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	140
श्री श्याम धनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर एवं जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक-एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	141
श्री कारिंदा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित 05 याचिकायें (उपस्थित की हुई मानी गईं)	141
श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से संबंधित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	141
श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से संबंधित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	141-142
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से संबंधित 13 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	142-143
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 01 याचिका, जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 01 याचिका, जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद बरेली से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	143-144
श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल से संबंधित 03 याचिकाएं एवं जनपद मुरादाबाद से संबंधित 28 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	144-147
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से संबंधित 01 याचिका एवं जनपद रायबरेली से संबंधित 16 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	147-149
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से संबंधित 15 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	149-150
श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से संबंधित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	150

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से संबंधित 05 याचिकाएं, जनपद कानपुर देहात से संबंधित 02 याचिकाएं एवं जनपद लखनऊ से संबंधित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	151
श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्ध नगर से संबंधित 21 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	151-153
श्री पंकज गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से संबंधित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	153
श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से संबंधित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	153-154
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से संबंधित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	154
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से संबंधित 10 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)	154-155
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से संबंधित 01 याचिका, जनपद बस्ती से संबंधित 01 याचिका एवं जनपद श्रावस्ती से संबंधित 09 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं) ...	155-156
श्री राम चन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से संबंधित 16 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	156-158
श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से संबंधित 09 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	158-159
श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ से संबंधित 07 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं) ...	159-160
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से संबंधित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	160
श्री ज्ञान तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से संबंधित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	160
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से संबंधित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	160-161

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री सुभाष पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से संबंधित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	161
श्री सुभाष राय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से संबंधित 10 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	161-162
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से संबंधित 06 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	162-163
श्री उपेन्द्र नाथ पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से संबंधित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	163
श्री बिरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से संबंधित 06 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	163-164
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से संबंधित 01 याचिका एवं जनपद आजमगढ़ से संबंधित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	164
श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से संबंधित 01 याचिका एवं जनपद सीतापुर से संबंधित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	164
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से संबंधित 01 याचिका, जनपद कानपुर से संबंधित 01 याचिका एवं जनपद इटावा से संबंधित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	164
श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से संबंधित 09 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	165-166
श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से संबंधित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	166
श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से संबंधित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	166-167
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से संबंधित 03 याचिकाएं एवं जनपद चन्दौली से संबंधित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	167
डॉ0 सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से संबंधित 07 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	167-168

विषय	पृष्ठ-संख्या
डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से संबंधित 18 याचिकाएं, जनपद मऊ से संबंधित 01 याचिका, जनपद मिर्जापुर से संबंधित 01 याचिका एवं जनपद सिद्धार्थनगर से संबंधित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	168-170
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के विशेषाधिकार समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन पर पुनर्विचार का प्रस्ताव (स्वीकृत)	170-171
उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (जारी)	171-173
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं ...	173
श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार, खनिज अधिकारी, जनपद महोबा के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	174-175
श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा डॉ0 सीमा सिंह प्राचार्य, फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय महाविद्यालय, जनपद-सीतापुर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	175-177
उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	177-179
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित) ...	179
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित) ...	179
आज सदन में पुरःस्थापित सभी विधेयकों के विचार एवं पारण की मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव	179-180
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 के अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत)	180-181
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित) ...	181-183
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत)	183-185

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित) ...	185-186
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-1 (सदन के पटल पर रखा गया)	186
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर पर 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन सं0-2 वर्ष 2021 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	187
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	187-192
जनपद सहारनपुर में जहरीली शराब के सेवन से मृतकों के परिवारीजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	192-194
जनपद हरदोई में निर्मित ट्रामा सेन्टर में चिकित्सकों की नियुक्ति एवं क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ...	194-196
सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन प्रस्ताव (जारी)	196-197
बिकरू काण्ड की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में ...	197
सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	197
राष्ट्रगान	198
नत्थियाँ	199-212

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 19 अगस्त, 2021 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-320

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार सिंह "अजय सिंह", श्री — बस्ती
3. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
4. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
5. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
6. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
7. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
8. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
9. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
10. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
11. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
12. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
13. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
14. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
15. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
16. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
17. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
18. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
19. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
20. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
21. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
22. अरुण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
23. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
24. अवधेश सिंह, प्रो0 (डॉ0) — वाराणसी
25. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
26. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
27. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
28. असलम अली, श्री — हापुड़
29. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
30. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
31. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
32. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
33. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
34. आशुतोष टण्डन "गोपाल जी", श्री — लखनऊ
35. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
36. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
37. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
38. उज्जवल रमण सिंह, श्री — प्रयागराज
39. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
40. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
41. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री — कानपुर नगर
42. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
43. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
44. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
45. ओमकुमार, श्री — बिजनौर
46. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
47. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
48. कमल सिंह मलिक, श्री — हापुड़
49. कमलेश शुक्ल, श्री — देवरिया
50. कमलेश सैनी, श्रीमती — बिजनौर
51. करण सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर

52. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
53. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
54. काली प्रसाद, श्री देवरिया
55. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
56. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
57. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
58. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
59. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
60. गंगा, श्री कुशीनगर
61. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
62. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
63. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
64. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
65. गौरी शंकर, श्री जालौन
66. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
67. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
68. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
69. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
70. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 प्रयागराज
71. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
72. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
73. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
74. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
75. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
76. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
77. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
78. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
79. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
80. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
81. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
82. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
83. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
84. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
85. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
86. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
87. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
88. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
89. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
90. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
91. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
92. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
93. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
94. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
95. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
96. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
97. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
98. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
99. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री प्रयागराज
100. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
101. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
102. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
103. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
104. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
105. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
106. नाहिद हसन, श्री शामली
107. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
108. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
109. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
110. नीलकण्ठ तिवारी, श्री वाराणसी
111. नील रतन सिंह पटेल "नीलू", श्री वाराणसी
112. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
113. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
114. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
115. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा

116. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
117. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
118. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
119. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
120. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
121. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
122. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
123. प्रवीण कुमार सिंह, श्री प्रयागराज
124. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
125. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
126. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
127. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
128. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
129. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
130. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
131. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
132. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
133. बावन सिंह, श्री गोण्डा
134. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
135. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
136. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
137. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
138. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
139. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
140. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
141. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
142. बृजेश पाठक, श्री लखनऊ
143. बृजेश श्री सहारनपुर
144. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
145. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
146. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
147. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
148. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
149. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
150. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
151. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
152. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
153. महबूब अली, श्री अमरोहा
154. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
155. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
156. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
157. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
158. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
159. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
160. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
161. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहाँपुर
162. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
163. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
164. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
165. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री प्रयागराज
166. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
167. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
168. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
169. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
170. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
171. योगेश धामा, श्री बागपत
172. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
173. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
174. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
175. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
176. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
177. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
178. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
179. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
180. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती

181. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
182. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
183. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
184. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
185. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
186. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
187. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
188. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
189. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
190. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
191. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
192. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
193. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
194. राजमणि कोल, श्री प्रयागराज
195. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
196. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
197. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
198. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
199. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
200. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
201. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
202. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूँ
203. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
204. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
205. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
206. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
207. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
208. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
209. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
210. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
211. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
212. राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
213. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
214. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
215. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
216. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
217. लकी यादव, श्री जौनपुर
218. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
219. लाखन सिंह, श्री औरैया
220. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
221. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
222. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
223. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
224. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
225. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
226. विक्रमाजीत मौर्य, श्री प्रयागराज
227. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
228. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
229. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
230. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
231. विनय शाक्य, श्री औरैया
232. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
233. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
234. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
235. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
236. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
237. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
238. वीरेन्द्र, श्री एटा
239. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
240. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
241. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
242. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
243. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
244. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली श्री, आजमगढ़
245. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा

246. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
247. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
248. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
249. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
250. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
251. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
252. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
253. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
254. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
255. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
256. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
257. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
258. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
259. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
260. संगीता चौहान, श्रीमती अमरोहा
261. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
262. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
263. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
264. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
265. संजय यादव, श्री बलिया
266. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
267. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
268. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
269. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
270. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
271. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
272. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
273. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
274. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
275. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
276. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, डॉ0 देवरिया
277. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
278. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
279. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
280. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
281. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
282. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
283. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
284. सुचि, श्रीमती बिजनौर
285. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
286. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
287. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
288. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
289. सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
290. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
291. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
292. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
293. सुरेश कुमार, श्री शामली
294. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
295. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
296. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
297. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
298. सुरेश राही, श्री सीतापुर
299. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
300. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
301. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
302. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
303. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
304. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
305. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
306. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
307. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
308. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
309. सौरभ सिंह, श्री खीरी
310. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
311. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर

312. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0	सीतापुर	316. हरीराम, श्री	सोनभद्र
313. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी	317. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर
314. हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद	318. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
315. हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस	319. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा
		320. हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव

नोट :-माननीय मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), लोक निर्माण, खाद प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम, उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) तथा जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह) भी सदन में उपस्थित थे।

नत्थी (क)
तारांकित प्रश्न

***1-हाजी इरफान सोलंकी-**

(3-सोमवार के तारां0 प्र0सं0-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश में जिलावार जनसंख्या के हिसाब से अनाज एवं सब्जी मण्डियों की संख्या बढ़ाने विषयक

***2-श्री संजय गर्ग-**

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिलावार कुल कितने अनाज और सब्जी की मण्डी हैं तथा उनमें से कितनी मण्डी ई-मण्डी से जुड़ी हैं और कितनी शेष हैं ? क्या सरकार शहरों में जनसंख्या के अनुपात में अनाज एवं सब्जी मण्डी की संख्या बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीराम चौहान)-

मण्डी की स्थापना उस क्षेत्र के लाइसेंसियों की संख्या तथा उस क्षेत्र से होने वाली आय के आधार पर किया जाता है, किन्तु 05 जून, 2020 द्वारा पारित अध्यादेश/अधिनियम के प्रकाश में बदली हुई परिस्थितियों में परिसर के बाहर मण्डी शुल्क की देयता नहीं रह गयी है, जिसके फलस्वरूप मण्डी की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तत्क्रम में नवीन मण्डी स्थलों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में संचालक मण्डल की 158वीं बैठक दिनांक 13-06-220 में निर्णय लिया गया है कि बदली हुई परिस्थितियों में नवीन निर्माण के स्थान पर पूर्व से सृजित अवस्थापना सुविधाओं की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण पर बल प्रदान किया जाये, ताकि कृषि विपणन की व्यवस्था मजबूत हो सके, तदनुसार नवीन मण्डी स्थलों के निर्माण कार्य को वर्तमान में स्थगित रखा गया है।

251 अधिसूचित मण्डी समितियों में से 220 मण्डी परिसर निर्मित हैं, जहाँ कारोबार संचालित है। इनमें से 125 मण्डी समितियाँ ई-नाम परियोजना से आच्छादित हैं। जिलेवार खाद्यान्न एवं सब्जी मण्डी की सूची संलग्न† है।

उपरोक्तानुसार।

***3-श्री आजाद अरिमर्दन-**

(काल्पनिक प्रस्थापन के आधार पर निरस्त)

समाज कल्याण प्रदेश में मु0मं0 सामूहिक विवाह योजना में पंजीकृत व लॉकडाउन के कारण विवाह सम्पन्न न होने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने विषयक

***4-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जिन इच्छुक जोड़ों ने ब्लाक/नगर में पंजीकरण करा लिया है किन्तु

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या-199 पर।

लॉकडाउन के कारण विवाह सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं उन पंजीकृत जोड़ों को निर्धारित 51 हजार की प्रोत्साहन धनराशि सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

जी हाँ।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जिन इच्छुक जोड़ों ने ब्लाक/नगर में पंजीकरण करा लिया है किन्तु लॉकडाउन के कारण विवाह सम्पन्न नहीं हो पाया है, ऐसे पंजीकृत जोड़ों के सत्यापन कराने के बाद वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत बजट की सीमा तक सामूहिक विवाह आयोजन में सम्मिलित होने वाले अर्ह/पात्र जोड़ों को शत-प्रतिशत अनुदान की धनराशि प्रदान की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उद्योग लगाने व प्रशिक्षणोपरान्त युवाओं को रोजगार प्रदान करने विषयक

***5-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत उद्योग लगाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-2017, 2017-2018, 2018-19 तथा 2019-20 में कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए। उक्त से कितने स्वीकृत हुए तथा कितने युवाओं को प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार प्रदान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत उद्योग लगाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-2017, 2017-2018, 2018-19 तथा 2019-20 में प्राप्त/बैंकों को संस्तुत/स्वीकृत एवं प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार सृजन का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	प्राप्त प्रस्ताव	बैंकों को संस्तुति	स्वीकृत	वितरण	रोजगार सृजन
2016-17	46235	11565	4873	3766	38433
2017-18	23405	31656	7373	6009	48072
2018-19	24432	7165	2142	3827	30616
2019-20	59096	29211	6320	5976	47808
योग	**153168**	**79597**	**20708**	**19578**	**164929**

हां। विवरण उपर्युक्तानुसार अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

***6-श्री नाहिद हसन-**

(9-सोमवार के तारां0प्र0सं0-01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश में जिला स्तर पर व्यवसाय करने में आसानी व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में

***7-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला स्तर पर व्यवसाय करने में आसानी तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ाने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

व्यवसाय में सुगमता हेतु डिजिटल सिंगल विण्डो निवेश मित्र के माध्यम से समयबद्ध स्वीकृतियां प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गयी हैं। श्रम कानून, निरीक्षण प्रणाली, भूमि आवंटन, सम्पत्ति रजिस्ट्रेशन, कर भुगतान तथा पर्यावरणीय अनुमोदन आदि से सम्बन्धित लगभग 500 व्यवसाय सुधार लागू किये गये हैं। जनपद स्तरीय व्यवसाय सुधार कार्य योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है तथा महत्वपूर्ण सेवाओं को जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

उक्त कार्यवाहियों के फलस्वरूप उ0प्र0 ने व्यवसाय में सुगमता उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से अभूतपूर्व प्रगति करते हुए 03 वर्षों में 12वें स्थान से देश में द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया है।

अनुपालन भार को न्यूनतम किये जाने के उद्देश्य से चिन्हित किये गये 1260 अनुपालन भार को समाप्त कर दिया गया है।

औद्योगिक विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अतिरिक्त क्षेत्र विशिष्ट-21 नीतियां जारी की गयी हैं और इनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में 1 जनवरी, 2020 से 28 दिसम्बर, 2020 के मध्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की पुत्रियों की शादी के अनुदान की जानकारी संबंधी

***8-श्री मोहम्मद फईम इरफान-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 जनवरी 2020 से 28 दिसम्बर, 2020 के मध्य बेटियों की शादी के लिए जिलेवार कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा

उनमें से कितने लोगों को इस अवधि में अनुदान धनराशि दी गई ? क्या अवशेष आवेदकों को भी अनुदान धनराशि जारी सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत 01 जनवरी, 2020 से 28 दिसम्बर, 2020 के मध्य जनपदवार कुल 88359 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा प्राप्त आवेदन-पत्रों के सापेक्ष कुल 39310 लाभार्थियों को अनुदान प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन-पत्रों एवं उक्त अवधि में लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नवत् है :-

01 जनवरी, 2020 से 28 दिसम्बर, 2020 के मध्य शादी अनुदान योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अनुदान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या-

क्रमांक	जनपद का नाम	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	अनुदान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या
1	अलीगढ़	750	185
2	एटा	414	204
3	हाथरस	638	402
4	कासगंज	402	195
5	आगरा	676	676
6	फिरोजाबाद	2102	836
7	मथुरा	1869	1080
8	मैनपुरी	1026	498
9	आजमगढ़	1442	402
10	बलिया	370	99
11	मऊ	392	262
12	प्रयागराज	1595	198
13	कौशाम्बी	1084	367
14	प्रतापगढ़	5024	2857
15	फतेहपुर	553	479
16	इटावा	532	151

क्रमांक	जनपद का नाम	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	अनुदान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या
17	औरैया	841	476
18	कन्नौज	1414	498
19	कानपुर नगर	648	437
20	फर्रुखाबाद	1063	484
21	कानपुर देहात	1968	1185
22	कुशीनगर	1548	1246
23	गोरखपुर	780	780
24	देवरिया	370	106
25	महराजगंज	325	306
26	चित्रकूट	473	147
27	बांदा	984	525
28	महोबा	710	180
29	हमीरपुर	569	527
30	झांसी	1048	308
31	जालौन	885	522
32	ललितपुर	715	715
33	गोण्डा	1096	476
34	बलरामपुर	1379	938
35	बहराइच	327	213
36	श्रावस्ती	126	93
37	अम्बेडकरनगर	1497	664
38	अमेठी	1466	668
39	अयोध्या	1109	198
40	बाराबंकी	1069	198
41	सुल्तानपुर	1527	632

क्रमांक	जनपद का नाम	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	अनुदान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या
42	पीलीभीत	1382	1285
43	बदायूँ	1009	662
44	बरेली	365	165
45	शाहजहाँपुर	13214	498
46	बस्ती	1421	577
47	सिद्धार्थनगर	1467	1300
48	संतकबीर नगर	376	99
49	अमरोहा	531	484
50	बिजनौर	1572	290
51	मुरादाबाद	1429	692
52	रामपुर	1964	332
53	सम्भल	234	136
54	गाजियाबाद	363	331
55	गौतमबुद्धनगर	307	289
56	बागपत	742	193
57	बुलन्दशहर	805	791
58	मेरठ	669	324
59	हापुड़	363	353
60	उन्नाव	2501	293
61	लखीमपुर खीरी	227	224
62	रायबरेली	1703	404
63	लखनऊ	1269	871
64	सीतापुर	2289	1462
65	हरदोई	1451	965
66	गाजीपुर	628	535

क्रमांक	जनपद का नाम	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	अनुदान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या
67	चंदौली	1006	597
68	जौनपुर	429	359
69	वाराणसी	629	431
70	मिर्जापुर	1011	474
71	संत रविदास नगर	414	297
72	सोनभद्र	766	706
73	सहारनपुर	1352	498
74	मुजफ्फर नगर	1175	655
75	शामली	490	325
योग		**88359**	**39310**

शासनादेश दिनांक 10-06-2016 के अनुसार 'प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धांत' के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा अति पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु अध्यादेश लाने विषयक

***9-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अति पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कोई ठोस कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु कक्षा-09 और 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, कक्षा-10 से उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शादी अनुदान योजना, 'ओ' लेवल तथा 'सी0सी0सी0' कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के आवासन हेतु छात्रावास निर्माण योजना संचालित है। पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति

योजना तथा शादी अनुदान योजनायें प्रदेश के अन्य पिछड़ वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के लिए तथा 'ओ' लेवल तथा 'सी0सी0सी0' कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना प्रदेश के समस्त अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों हेतु संचालित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी बीज गोदामों में हाइब्रिड धान बीज की बिक्री के सम्बन्ध में

***10-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी बीज गोदामों से हाइब्रिड धान के बीज की बिक्री की जाती है ? यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि प्रदेश में हाइब्रिड धान की खरीद नहीं की जाती है ? यदि हाँ, तो उक्त हाइब्रिड धान के बीज की बिक्री के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

जी हाँ।

राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर अधिकृत संकर बीज कम्पनियों द्वारा अपने स्टाल लगाकर कृषकों को अनुदान पर संकर बीज का वितरण/बिक्री किया जाता है। अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

प्रदेश में हाइब्रिड धान की खरीद की जाती है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में शासन द्वारा जारी धान क्रय नीति के प्रस्तर संख्या-19.2 में व्यवस्था है कि जिलाधिकारी जनपद खरीद के लक्ष्य का अधिकतम 35 प्रतिशत हाइब्रिड धान जनपद में क्रय करा सकेंगे।

हाइब्रिड धान की प्रजातियाँ सामान्य प्रजातियों से अधिक उत्पादन देने के कारण कृषकों के मध्य इसकी मांग अधिक है।

प्रदेश के कबूतरा समाज को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रदेश की आबकारी नीति के तहत अंग्रेजी व देशी शराब व बीयर की दुकानों के आवंटन में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में

***11-श्री राजीव सिंह 'पारीछा'-**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निवासरत कबूतरा समुदाय समाज को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रदेश की आबकारी नीति के तहत अंग्रेजी शराब, देशी शराब व बीयर की दुकानों के आवंटन में 05 प्रतिशत आरक्षण देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री रामनरेश अग्निहोत्री)-

जी नहीं।

भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या-2 की प्रविष्टि संख्या-8 के अन्तर्गत राज्य सरकार को पेय मदिरा के उत्पादन, वितरण व व्यापार पर एकांतिक विशेषाधिकार

प्राप्त है। राज्य सरकार इस अधिकार को जनसामान्य को हस्तान्तरित करती है और इस हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपभोग राज्य की विकास योजनाओं को संचालित किये जाने में किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष हेतु मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त आबकारी नीति जारी करती है और इसी के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश की आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन कराया जाता है।

आबकारी विभाग की दुकानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां एवं विमुक्त जाति अथवा अन्य किसी को आरक्षण दिया जाना व्यवहारिक, सामाजिक, संवैधानिक दृष्टि से तथा प्रदेश के व्यापक राजस्व हित में औचित्यपूर्ण नहीं है।

दिव्यांगों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजना विषयक

***12-श्री सुरेश राही-**

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगों के कल्याण हेतु कौन-कौन योजनायें वर्तमान में संचालित की जा रही हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनहित की उक्त योजनाओं के संचालन के बाद भी कतिपय दिव्यांग इससे वंचित रह जा रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी दिव्यांगों को उक्त योजनाओं का लाभ दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु वर्तमान में निम्न महत्वपूर्ण योजनायें संचालित की जा रही हैं :-

1-दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना।

2-कुष्ठावस्था पेंशन योजना।

3- दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने की योजना।

4-दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।

5-दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना।

6-दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा योजना।

7-शल्य चिकित्सा अनुदान योजना।

उक्त योजनाओं की पृथक-पृथक कार्य योजनायें प्रचलित हैं, जिनमें दिये गये प्राविधानों के अनुसार दिव्यांगजन पात्रता की शर्तें पूर्ण कर उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

उपरोक्त उल्लिखित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न समाचार-पत्रों, विज्ञप्तियों एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। योजनाओं में दिव्यांगजन द्वारा पात्र होते ही आवेदन कर उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जाता है, जो एक अनवरत् चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में अभियान चलाते हुए विकास खण्डवार, तहसीलवार शिविर/कैम्प का आयोजन कर दिव्यांगजनों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्यमियों को संरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

***13-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-09-2020 जो केन्द्र सरकार के मेक-इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं में प्रदेश के लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्यमियों को संरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हाँ।

लागू नहीं।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे दोनों परियोजनाओं का निर्माण ई0पी0सी0 पद्धति पर कराया जा रहा है। उपरोक्त दोनों परियोजनाओं में निर्माणकर्ता एजेंसियों के साथ गठित एवं माननीय मंत्रि-परिषद् से अनुमोदित अनुबंधों में यह प्राविधान है कि परियोजना में प्रयुक्त होने वाले बिटुमन एवं इमल्शन की आपूर्ति भारत सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी से ही प्राप्त की जायेगी, तद्नुसार ही परियोजना के सभी पैकेजों में इमल्शन की आपूर्ति हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन एवं मेसर्स कोलास लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम मेसर्स हिनकाल से ली जा रही है।

प्रदेश में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने हेतु लागत आधारित फार्मूले को लागू करने पर विचार करने विषयक

***14-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की विभिन्न कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का आधार क्या है तथा किन सूचकांकों के आधार पर फसलों की कीमत तय की जाती है ? क्या सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए लागत आधारित फार्मूले को लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा भारत सरकार स्तर पर गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर की जाती है।

सहाय्य मूल्यों का आंकलन लागत मदों यथा मानव श्रम, पशु श्रम, बीज का मूल्य, सिंचाई का मूल्य, उर्वरक का मूल्य, कीटनाशक का मूल्य, फसल बीमा का प्रीमियम, फसली ऋण हेतु ब्याज की धनराशि, भूमि के किराये पर हुए व्यय के सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी/निजी अस्पतालों व अन्य लोगों को आक्सीजन प्लांट लगाने हेतु छूट, ब्याज माफी, लोन सुविधा आदि प्रदान किये जाने विषयक

***15-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइवेट (निजी)/सरकारी अस्पतालों को तथा ऐसे व्यक्तियों को जो प्रदेश में आक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं की स्थापना हेतु सरकार 50 प्रतिशत की छूट सहित ब्याज माफी, आसान लोन सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में ही कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री यथा आक्सीजन प्लांट, आक्सीजन सिलेण्डर, वेंटीलेटर, हॉस्पिटल बेड आदि के विनिर्माण हेतु शासनादेश संख्या-13/2021/251/18-2-2021-19(1)/21, दिनांक 17-05-2021 द्वारा उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत निम्नवत् लाभ अनुमन्य हैं :-

1-योजना के अन्तर्गत आक्सीजन प्लांट के स्थापनार्थ हुए व्यय का 25 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रुपये 10 करोड़, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता पूंजी उपादान के रूप में प्रतिपूर्ति किये जाने का प्राविधान है।

2-योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक इकाई द्वारा किसी अधिसूचित बैंक अथवा सिडबी में आवेदन करना होगा।

शासनादेश दिनांक 17-05-2021 की प्रति पटल पर रखी जा रही है।†

उपरोक्तानुसार।

---

† देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या-200-203 पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों हेतु बीज किट व कीटनाशक दवाओं को अधिकारियों की मिलीभगत से दुकानदारों को बेच दिये जाने विषयक

***16-श्री मोहम्मद असलम 'राईनी' (एडवोकेट)-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को बीज किट एवं कीटनाशक दवाइयां मुहैया करायी जाती हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि कृषि विभाग के जोन, मण्डल, जनपद स्तर के कतिपय अधिकारियों द्वारा बीज किट दुकानदारों को बेच दिये जाने के कारण किसानों को उक्त का 100 प्रतिशत लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी (ग)

अतारांकित प्रश्न

नोएडा के बहुमंजिला इमारतों वाले सेक्टर-75 के रुके हुए विकास कार्यों को जल्द करवाने के सम्बन्ध में

1-श्री पंकज सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा में बहुमंजिला इमारतों वाले सेक्टर-75 के रुके हुए विकास कार्यों को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा में बहुमंजिला इमारतों वाले सेक्टर-75 का समस्त आन्तरिक विकास कार्य मे0 एम्स मैक्स गार्निया प्रा0लि0 द्वारा कराये जाने का दायित्व निर्धारित है, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित बिल्डर्स को समय-समय पर निर्देशित किया जाता रहा है तथा सेक्टर-75 से सम्बन्धित बिल्डर्स एवं निवासियों की बैठक में समस्त विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से करने के आदेश प्राधिकरण स्तर से दिये जाते रहे हैं।

राजकीय औद्योगिक संस्थान, फिरोजाबाद की आन्तरिक सड़कों की स्ट्रेंथनिंग, नाली, पुलिया की मरम्मत, उच्चीकरण, फुटपाथों पर इण्टरलॉकिंग के कार्यों में खराब गुणवत्ता का कार्य कराने के सम्बन्ध में यू0पी0एस0आई0सी0, कानपुर के अधिशासी अभियन्ता के द्वारा पत्रांक 1262/उपसिक/निर्माण/2020-21, दिनांक 25-01-2021 के द्वारा जारी चेतावनी पत्र के आधार पर कोई जाँच करायी गयी एवं सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी एवं कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

2-श्री मनीष असीजा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय औद्योगिक संस्थान, फिरोजाबाद की आन्तरिक सड़कों की स्ट्रेंथनिंग, नाली, पुलिया की मरम्मत, उच्चीकरण, फुटपाथों पर इण्टरलॉकिंग के कार्यों में खराब गुणवत्ता का कार्य कराये जाने की जांच विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा यू0पी0एस0आई0सी0, कानपुर के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित करने के क्रम में यू0पी0एस0आई0सी0, कानपुर के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक : 1262/उपसिक/निर्माण/2020-21, दिनांक 25-01-2021 के आधार पर कोई जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हाँ, तो उक्त का क्या विवरण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक : 1262/उपसिक/निर्माण/2020-21, दिनांक 25-01-2021 के आधार पर ठेकेदार मेसर्स तिरुपति ट्रेडर्स, कानपुर को नोटिस जारी की गयी थी। विभागीय अवर अभियन्ताओं द्वारा जिन स्थानों पर इण्टरलॉकिंग टाइल्स बैठ गई थी, उसे तुड़वाकर दुबारा से कार्य कराया गया है एवं खराब नाली को तुड़वाकर नई नाली का निर्माण कराया गया है। प्रश्नगत कार्य को पूर्व में खराब गुणवत्ता से कराये जाने हेतु ठेकेदार मेसर्स तिरुपति ट्रेडर्स, कानपुर को दोषी मानते हुए काली सूची में डाल दिया गया है तथा निगम में भविष्य में कार्य करने से ठेकेदार मेसर्स तिरुपति ट्रेडर्स, कानपुर को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति भविष्य में न हो, इस हेतु सम्बन्धित अभियन्ताओं को चेतावनी निर्गत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

3-श्री तसलीम अहमद-

(2-मंगलवार के अता0प्र0सं0-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम राहतपुर खुर्द में निर्मित राजकीय आई0टी0आई0 कालेज में शिक्षण कार्य कराने विषयक

4-श्री तसलीम अहमद-

क्या व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम राहतपुर खुर्द में निर्मित राजकीय आई0टी0आई0 कालेज में शिक्षण कार्य प्रारम्भ न होने से हजारों छात्र-छात्राएं शिक्षा से वंचित हो रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्तमान वर्ष 2021 में उपरोक्त कालेज में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कपिल देव अग्रवाल)-

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम राहतपुर खुर्द में कोई भी राजकीय आई0टी0आई0 निर्मित नहीं है।

जैसा कि ऊपर वर्णित है।

जैसा कि ऊपर वर्णित है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद फिरोजाबाद में खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत खेल अवसंरचना के स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी

5-श्री मनीष असीजा-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत खेल अवसंरचना के कितने प्रस्ताव स्वीकृत होकर निर्माण कार्य आरम्भ करा दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त ग्राम-उसायनी, विकास खण्ड-फिरोजाबाद, जनपद फिरोजाबाद एवं ग्राम देवा, विकास खण्ड एका, जनपद फिरोजाबाद के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये, परन्तु उक्त प्रस्ताव भारत सरकार से स्वीकृत नहीं हुए हैं।

भारत सरकार द्वारा संचालित खेलो इण्डिया योजना के सम्बन्ध में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2021 में निम्न निर्देश प्रदान किये गये हैं :-

"The undersigned is directed to state that the Khelo India Scheme, which was launched in 2016-2017, is ending on 31-03-2021 and the Scheme is expected to be renewed with New Operational Guidelines which will be issued subsequently---."

अतः उक्त के दृष्टिगत सम्प्रति प्रकरण में कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय वजीरपुर जेहलपुर/पैंढ़त में सेवा प्रदाता के माध्यम से कर्मचारियों के मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

6-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय वजीरपुर जेहलपुर/पैंढ़त में संचालन हेतु निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 से नामित एजेंसी के द्वारा उक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर आपरेटर, चपरासी, स्वीपर कम चौकीदार आदि कार्मिकों की तैनाती की गयी है ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त कार्मिकों का 10 माह का वेतन बकाया सेवा प्रदाता के माध्यम से योजित कर्मचारियों के मानदेय भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक संख्या 2145-47 दिनांक 26-07-2019, पत्रांक 5642-44 दिनांक 24-02-2020, पत्रांक 6416-18 दिनांक 27-03-2020, पत्रांकः 58-60 दिनांक 17-04-2020, पत्रांक 227-29 दिनांक 30-05-2020, पत्रांक 1924-26 दिनांक 17-09-2020, पत्रांक 2818-20 दिनांक 10-11-2020 एवं पत्रांक 3547 दिनांक 01-01-2021 प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय वजीरपुर जेहलपुर एवं पैंढ़त, फिरोजाबाद में एक-एक कम्प्यूटर आपरेटर एवं पांच-पांच स्वीपर कम चौकीदार सेवा प्रदाता के माध्यम से निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा योजित किये गये हैं, जिसमें राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय वजीरपुर में कम्प्यूटर आपरेटर श्री अमजद खान, स्वीपर कम चौकीदार श्री अरविन्द कुमार, श्री राम बहादुर, श्री सुधीर कुमार, श्री भूपेन्द्र कुमार, श्री अर्जुन कुमार एवं श्री हरि सिंह तथा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पैंढ़त में कम्प्यूटर आपरेटर श्री सुनील कुमार यादव, स्वीपर कम चौकीदार श्री सोमेन्द्र कुमार, श्री दीपक कुमार, श्री संजय सिंह एवं श्री अमन कुमार सेवा प्रदाता द्वारा कार्यरत हैं। जी हां। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय वजीरपुर में कम्प्यूटर आपरेटर श्री अमजद खान, स्वीपर कम चौकीदार श्री अरविन्द कुमार, श्री राम बहादुर,

श्री सुधीर कुमार, श्री भूपेन्द्र कुमार, श्री अर्जुन कुमार एवं श्री हरि सिंह तथा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पैंढ़त में कम्प्यूटर आपरेटर श्री सुनील कुमार यादव, स्वीपर कम चौकीदार श्री सोमेन्द्र कुमार, श्री दीपक कुमार, श्री संजय सिंह एवं श्री अमन कुमार का मानदेय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 का भुगतान सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जा चुका है एवं माह जून एवं जुलाई, 2021 का मानदेय भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

विमुक्त एवं घुमन्तू समुदाय के छात्रों को शिक्षा व छात्रवृत्ति हेतु निदेशक, समाज कल्याण के प्रेषित पत्र सं0 1892-93/स0क0/शिक्षा-अ/03, दिनांक 22-08-2019 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

7-डॉ0 मुकेश वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विमुक्त एवं घुमन्तू विकास परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 30-06-2019 को महामहिम राज्यपाल को प्रेषित ज्ञापन में विमुक्त एवं घुमन्तू समुदाय के छात्रों को शिक्षा में प्रवेश व छात्रवृत्ति हेतु अन्य श्रेणियों की तरह कोड संख्या पोर्टल पर अपलोड करने के आग्रह पर कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 06-08-2019 को प्रमुख सचिव, समाज कल्याण को प्रेषित है, के क्रम में निदेशक, समाज कल्याण को भेजे पत्र संख्याः 1892-93/स0क0/शिक्षा-अ/03, दिनांक 22-08-2019 पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

प्रदेश के विमुक्त एवं घुमन्तू जातियों की सूची में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य वर्ग की जातियां सूचीबद्ध हैं, जिन्हें उनके जातियों के अनुरूप अनुमन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

विमुक्त एवं घुमन्तू समुदाय के छात्रों को शिक्षा में प्रवेश व छात्रवृत्ति हेतु अन्य श्रेणियों की तरह कोड संख्या प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विमुक्त एवं घुमन्तू समुदाय कल्याण विकास बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में

8-डॉ0 मुकेश वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादा भीकू राम जी इदाते की अध्यक्षता में डी0सी0डी0एन0टी0 आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त एवं

घुमन्तू कल्याण विकास बोर्ड स्थापित कर राज्य सरकारों को विकास बोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो प्रदेश में उक्त विकास बोर्ड स्थापित करने की योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन करने हेतु आबकारी की नई नीति लाने के सम्बन्ध में

9-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन हेतु आबकारी विभाग कोई नई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामनरेश अग्निहोत्री-

जी नहीं।

भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या-2 की प्रविष्टि संख्या-8 के अन्तर्गत राज्य सरकार को पेय मदिरा के उत्पादन, वितरण व व्यापार पर एकान्तिक विशेषाधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार इस अधिकार को जनसामान्य को हस्तान्तरित करती है और इस हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपभोग राज्य की विकास योजनाओं को संचालित किये जाने में किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष हेतु मा0 मंत्रि-परिषद् के अनुमोदनोपरान्त आबकारी नीति जारी करती है और इसी के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश की आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन कराया जाता है।

आबकारी दुकानों के आवंटन के परिप्रेक्ष्य में आबकारी विभाग द्वारा किसी प्रकार का रोजगार सृजन नहीं किया जाता है। अतः किसी वर्ग विशेष हेतु भी आबकारी विभाग द्वारा रोजगार सृजन करने पर विचार किये जाने का कोई अवसर नहीं है।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में बने गांधी आश्रम के भवन की मरम्मत कराने विषयक

10-श्री सुभाष पासी-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में सैदपुर गांधी आश्रम का भवन जर्जर है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवन का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सैदपुर गांधी आश्रम का भवन क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम सैदपुर, गाजीपुर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत वित्तपोषित स्वयंसेवी संस्था है, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है। अतः उक्त संस्था के जर्जर भवन का पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्य उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

जनपद कुशीनगर, विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर से खेलो इंडिया योजनान्तर्गत कुडवा दिलीप नगर व साड़ी खुर्द में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने विषयक

11-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में खेलो इंडिया योजना के अन्तर्गत कुडवा-दिलीप नगर व साड़ी खुर्द में उपलब्ध भूमि पर मिनी स्टेडियम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खेलो इंडिया योजना के सम्बन्ध में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-7-1/एमवाईएएस/एमडी एस डी/2019 (पीटी-1), दिनांक 13 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित है :-

"The undersigned is directed to state that the Khelo India Scheme, which was launched in 2016-2017, is ending on 31-03-2021 and the Scheme is expected to be renewed with New Operational Guidelines which will be issued subsequently---."

अतः उक्त के दृष्टिगत सम्प्रति प्रकरण में कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

विमुक्त जाति को आरक्षण सुविधा अनुमन्य न होने के शासनादेश संख्या-22 सी0एम0/26-3-2013 की जानकारी के सम्बन्ध में

12-डॉ0 मुकेश वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-22 सी0एम0/26-3-2013, दिनांक जून, 2013 के बिन्दु संख्या-4 में विमुक्त जातियों को विमुक्त

जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है ? यदि हाँ, तो उक्त वाक्यांश किस विधिक प्रक्रिया/सदन के प्रस्ताव/विधेयक द्वारा अंकित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

शासन द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या-22 सी0एम0/26-3-2013, दिनाक 10 जून, 2013 निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विमुक्त जाति/जनजातियों के छात्र-छात्राओं को शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में

13-डॉ0 मुकेश वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या : 899/26-700(5)/1959, दिनांक 12 मई 1961 एवं शासनादेश संख्या : एम-27/26-3-01(14)/81, दिनांक 17 सितम्बर, 1981 का परिपालन करते हुए विमुक्त जाति के छात्र-छात्राओं को शिक्षा हेतु अनुसूचित जनजाति के साथ 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो इसके लिए कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है अपितु विमुक्त जातियों की सूची में सम्मिलित अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत जातियों को तद्नुरूप आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है।

प्रदेश में दिव्यांगजनों की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के कोटे में आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन निर्धारित समय-सीमा में करने के सम्बन्ध में

15-श्री रवि शर्मा-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, दिनांक 19-04-2017 प्रदेश में लागू है ? यदि हाँ, तो क्या दिव्यांगजनों की

सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के कोटे में आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन निर्धारित समय-सीमा में करने के लिए सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु पदों के चिन्हांकन विषयक शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99 टी0सी0, दिनांक 30 जुलाई, 2021 निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

15-श्री रवि शर्मा-

(1-बुधवार के अता0प्र0सं0-190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

तहसील बीसलपुर जनपद पीलीभीत में वृद्धाश्रम के संचालन व निवासी वृद्धों के नाम पते सहित पूर्ण विवरण तथा आश्रम को स्वीकृत धनराशि का पूर्ण विवरण दिये जाने विषयक

16-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-पीलीभीत के तहसील बीसलपुर में वृद्धा आश्रम, किस तिथि से संचालित है तथा वर्तमान में कितने वृद्ध निवास करते हैं ? क्या सरकार उनके नाम पते सहित पूर्ण सूची उपलब्ध करायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी की उपरोक्त आश्रम को दिनांक 01-04-2018 से दिनांक 18-02-2021 तक कितनी धनराशि कब दी गयी है का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद-पीलीभीत के तहसील बीसलपुर में स्वैच्छिक संस्था सूर्या चैरिटैबुल एण्ड वेलफेयर सोसायटी नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01-04-2017 से वृद्धा आश्रम का संचालन किया जा रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी पीलीभीत के पत्र दिनांक 13-08-2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में वृद्धा आश्रम में कुल 61 (महिला/पुरुष) पंजीकृत/निवासरत हैं।

जी हां, सूची संलग्न है।†

उक्त संस्था को वृद्धा आश्रम में निवासरत संवासियों के भोजन, औषधि, मनोरंजन, पर्सनल केयर इत्यादि आवर्तक मद में दिनांक 01-04-2018 से दिनांक 18-02-2021 तक

† देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 204-206 पर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, पीलीभीत द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रत्येक द्विमासिक रिपोर्ट के आधार पर धनराशि रु0 2,13,01,405/-(रु0 दो करोड़ तेरह लाख एक हजार चार सौ पांच मात्र) उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विमुक्त एवं घुमन्तू जनजातियों के प्रमाण-पत्र शीर्षक में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में

17-डॉ0 मुकेश वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निवासरत् विमुक्त एवं घुमन्तू जनजातियों के कल्याण हेतु जारी शासनादेश संख्या-0899/26-700(5)/1959, दिनांक 12 मई, 1961 के मूल विषय में अंकित वेलफेयर स्कीम फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब्स एण्ड वैगरेन्ट ट्राइब्स (विमुक्त एवं घुमन्तू जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजना) के अनुसार जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र प्रारूप का शीर्षक "विमुक्त जनजातियों के लिए प्रमाण-पत्र" के स्थान पर विमुक्त जाति अंकित किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार विमुक्त जनजातियों के जाति प्रमाण-पत्र शीर्षक में संशोधन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश के विमुक्त जाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु शासनादेश संख्या-753/26-3-99-3(2)/80, दिनांक 14-10-1999 द्वारा उत्तर प्रदेश की विमुक्त जातियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को निर्गत किया जा चुका है।

जनपद फिरोजाबाद में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार प्राप्त युवाओं के विवरण के सम्बन्ध में

18-डॉ0 मुकेश वर्मा-

क्या व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में कुल कितने युवाओं को प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार प्रदान किया गया है ? क्या सरकार उक्त के नाम व पते का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2017-18 में 345 तथा वर्ष 2018-19 में 1150 युवाओं को प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार प्रदान किया गया है।

जी हां। अपेक्षित विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत तहसील फिरोजाबाद के ग्राम लालऊ में 50 छात्रों के लिए छात्रावास हेतु चिन्हित भूमि हस्तान्तरण करने एवं आगणन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में

19-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत तहसील फिरोजाबाद के ग्राम लालऊ में 50 छात्रों के लिए छात्रावास हेतु चिन्हित भूमि हस्तान्तरण करने एवं आगणन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 2662-63 दिनांक 28-10-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम लालऊ में 50 छात्र क्षमता के छात्रावास का निर्माण बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजनान्तर्गत कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कनावनी, जनपद गाजियाबाद में गांव से जल निकासी हेतु पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से निर्माणाधीन नाले का निर्माण कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में

20-श्री पंकज सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कनावनी, जनपद गाजियाबाद में गांव से जल निकासी हेतु पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से निर्माणाधीन नाले का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

बाढ़काल के कारण वर्तमान में कार्य बंद है। बाढ़काल के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

नोएडा विकास प्राधिकरण व ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा गांवों की विस्तारित आबादी क्षेत्र में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में

21-श्री पंकज सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा विकास प्राधिकरण व ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के द्वारा नोएडा विधान सभा क्षेत्र में उपस्थित गांवों की विस्तारित आबादी क्षेत्र (गांवों की कालोनियां) में ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, सीवर, नाली, पानी की लाइन व स्ट्रीट लाइट आदि विकास कार्य सरकार करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा विकास प्राधिकरण व ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के द्वारा नोएडा विधान सभा क्षेत्र में उपस्थित गांवों की विस्तारित आबादी क्षेत्र (गांवों की कालोनियां) में ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, सीवर, नाली, पानी की लाइन व स्ट्रीट लाइट आदि प्राधिकरण की नीति के अनुसार विकास कार्य सम्पादित कराये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन अन्तर्गत राधाकुण्ड बाईपास पर खेलकूद हेतु मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में

22-श्री कारिन्दा सिंह-

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राधाकुण्ड बाईपास पर खेलकूद के लिए मिनी स्टेडियम सरकार बनवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राधाकुण्ड बाईपास पर खेलकूद के लिए मिनी स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मिनी स्टेडियम निर्माण की योजना, सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-10(4)/35-आ-1/2011-97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ड्रॉप कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा संचालित खेलो इण्डिया योजना के सम्बन्ध में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2021 में निम्न निर्देश प्रदान किये गये हैं :-

"The undersigned is directed to state that the Khelo India Scheme, which was launched in 2016-2017, is ending on 31-03-2021 and the Scheme is expected to be renewed with New Operational Guidelines which will be issued subsequently---."

अतः उक्त के दृष्टिगत सम्प्रति प्रकरण में कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद में कुशल एवं अकुशल कर्मचारियों के सहयोग से संचालित कांच उद्योगों को तकनीकी रूप से उन्नत करने हेतु एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में

23-श्री मनीष असीजा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक नगर जनपद-फिरोजाबाद के कांच उद्योग को ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत चयनित करा गया है ? क्या सरकार इन औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कुशल एवं अकुशल एच0आर0 (कर्मचारियों) के सहयोग से संचालित कांच उद्योगों को तकनीकी रूप से उन्नत करने हेतु एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद से कांच उत्पाद को ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद के रूप में चयनित किया गया है।

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना से सम्बन्धी विभाग के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उल्लेखनीय है कि जनपद फिरोजाबाद में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कांच उद्योग विकास केन्द्र स्थापित है, जिसके द्वारा कारीगरों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण एवं कांच उद्योग में नई तकनीक विकसित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में कांच उद्योग कारीगरों को 10 दिवसीय कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्नत टूलकिट उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजनान्तर्गत अब तक 474 कांच उद्योग के कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए निःशुल्क उन्नत टूलकिट उपलब्ध कराई जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त जनपद फिरोजाबाद में ओ0डी0ओ0पी0 वित्त पोषण योजनान्तर्गत अद्यतन रुपये 3025.70 लाख परियोजना लागत की इकाइयां स्थापित की गयी हैं, जिनके द्वारा 3024 लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 व 2017-18 में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में

24-श्री सुभाष पासी-

क्या व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कुल कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा कितने युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है ? क्या सरकार उनके नाम व पते सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 213 व 2017-18 में 394 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनके सापेक्ष क्रमशः 78 व 196 युवाओं को सेवायोजित कराया गया है।

जी हां। अपेक्षित विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 व 2017-18 में चयनित लाभार्थियों के सम्बन्ध में

25-श्री सुभाष पासी-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, विकास खण्ड देवकली, सैदपुर, सादात के आंशिक भाग में प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कुल कितने लाभार्थियों का चयन किया गया है ? क्या सभी लाभार्थियों की परियोजनायें स्थापित करा दी गयी हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, विकास खण्ड देवकली, सैदपुर एवं सादात के आंशिक भाग में प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 04 तथा वर्ष 2017-18 में 16 लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यदल समिति द्वारा किया गया।

---

† छापी नहीं गयी।

जी नहीं।

वर्ष 2016-17 में जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड सैदपुर में 02, सादात एवं देवकली में 01-01 (कुल 04) लाभार्थियों का चयन किया गया। उक्त चयनित लाभार्थियों के ऋण आवेदन-पत्र बैंकों को प्रेषित किये गये थे। बैंकों द्वारा 02 लाभार्थियों की परियोजना उपयुक्त न होने एवं 02 लाभार्थी बैंक शाखा के सेवा क्षेत्र से बाहर होने के कारण किसी भी लाभार्थी को ऋण स्वीकृत नहीं किया गया, जिसके कारण कोई इकाई स्थापित नहीं हो सकी।

वर्ष 2017-18 में जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड सैदपुर एवं सादात में 05-05 एवं देवकली में 06 (कुल 16) लाभार्थियों का चयन किया गया। उक्त चयनित लाभार्थियों के सापेक्ष 07 लाभार्थियों को बैंकों से ऋण स्वीकृत/वितरित कराते हुए 07 इकाइयों की स्थापना कराई गई है। शेष लाभार्थियों की परियोजनाएं बैंकों द्वारा वाइबल न पाये जाने के कारण वित्तपोषित नहीं हो पाया था।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में माटीकला की परम्परागत कला एवं कारीगरों को मिट्टी खनन के पट्टे प्रदान किये जाने विषयक

26-श्री मनीष असीजा-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माटीकला की परम्परागत कला एवं कारीगरों को मिट्टी खनन के पट्टे देने की सरकार की योजना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद में माटीकला की परम्परागत कला एवं कारीगरों को चिन्हीकृत कराये जाने एवं उन्हें मिट्टी खनन के पट्टे प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

उ0प्र0 शासन राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-569/एक-2-2019-25 (सामान्य)/2018, दिनांक 26 जून, 2019 के अनुसार जनपद फिरोजाबाद में माटीकला के परम्परागत कारीगरों को तालाबों से मिट्टी खोदने के पट्टे प्रदान किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। राजस्व परिषद् द्वारा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए पट्टे प्रदान किये जा रहे हैं। अब तक कुल 99 परम्परागत माटीकला कारीगरों को पट्टे प्रदान किये जा चुके हैं। इस कार्य को सतत् आगे बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद फिरोजाबाद में कुम्हारी कला के 24 स्थलों के पट्टे आवंटित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सामान्य महिला, आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने के विवरण की जानकारी

27-श्री मनीष असीजा-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने की योजना में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में कितने पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार को उक्त कार्यवाही में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो उक्त पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में विगत तीन वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार वर्षवार ऋण वितरित कराया गया है :-

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	पात्र लाभार्थियों की संख्या, जिन्होंने ऋण प्राप्त किया है
1	2018-19	809
2	2019-20	396
3	2020-21	943

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में शिक्षित युवा रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में शिक्षित युवा बेरोजगारों को उक्त योजना का लाभ दिये जाने की जानकारी

28-श्री मनीष असीजा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षित युवा रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में कितने शिक्षित युवा बेरोजगारों को उक्त योजना का लाभ दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त आवेदनों/आवंटनों के सम्बन्ध में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पर नियमानुसार कार्यवाही कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

विभाग में शिक्षित युवा स्वरोजगार योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं है। विभाग में मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2018-19 में 102, वर्ष 2019-20 में 84 व वर्ष 2020-21 में 108 लाभार्थियों को उक्त योजना का लाभ दिया गया।

जी हां, उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के कांच उद्योग के प्रोत्साहन हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की कमेटी का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में

29-श्री मनीष असीजा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के कांच उद्योग को इस योजना के अन्तर्गत क्या कार्यवाही करी गयी एवं इसके फलस्वरूप कितने रोजगार के अवसर सृजित करे गये ? क्या सरकार ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत फिरोजाबाद के कांच उद्योग की प्रगति एवं प्रोत्साहन के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की कमेटी का गठन कराये जाने एवं धरातलीय परिस्थितियों का आंकलन कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

'एक जनपद एक उत्पाद' (ओ0डी0ओ0पी0) योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद से कांच उत्पाद को ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद के रूप में चयनित किया गया है। योजनान्तर्गत कांच उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनायें चलायी जा रही हैं :-

1-एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना-

योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा उद्योगों हेतु वित्त पोषण किया जा रहा है तथा प्राप्त दावों के सापेक्ष मार्जिन मनी की निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है-

परियोजना लागत	देय मार्जिन मनी
रुपये 25.00 लाख तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रुपये 6.25 लाख, जो भी कम हो।
रुपये 25.00 लाख से अधिक एवं रुपये 50.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अधिकतम रुपये 6.25 लाख, जो भी अधिक हो।
रुपये 50.00 लाख से अधिक एवं रुपये 150.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रुपये 10.00 लाख, जो भी अधिक हो।
रुपये 150.00 लाख से अधिक की परियोजना	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रुपये 20.00 लाख, जो भी कम हो।

2-सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत जनपद के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवयवों जैसे कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधाओं हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है। कुल 15 करोड़ रुपये तक के लागत की परियोजनाएं योजनान्तर्गत स्थापित की जा सकती हैं। उक्त हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राज्य सरकार के अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

3-एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित उत्पादों को एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेला प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने तथा ई-मार्केटिंग के माध्यम से विपणन हेतु सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है। उक्त के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक कामर्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से किये गये व्यवसाय में हुए व्यय का 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

4-प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किये गये ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के निर्माण हेतु चिन्हित उत्पाद की विधा में उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराकर उत्पाद की गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ कम श्रम, लागत एवं कम समय में गुणात्मक उत्पादन सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई।

ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में सृजित रोजगार के अवसर

1-जनपद फिरोजाबाद में ओ0डी0ओ0पी0 वित्त पोषण योजनान्तर्गत अद्यतन रुपये 3025.70 लाख परियोजना लागत की इकाइयां स्थापित की गयी हैं, जिनके द्वारा 3024 लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

2-ओ0डी0ओ0पी0 प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजनान्तर्गत जनपद-फिरोजाबाद के 474 कारीगरों को 10 दिवासीय प्रशिक्षण प्रदान करते हुये उन्हें निःशुल्क टूलकिट उपलब्ध कराया गया है।

ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत फिरोजाबाद के चयनित उत्पाद के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु त्रि-स्तरीय समिति (जनपद, राज्य एवं शासन स्तर पर) का गठन शासनादेश दिनांक 23-05-2018 द्वारा किया गया है। फिरोजाबाद के कांच उद्योग के प्रोडक्ट इको सिस्टम एवं क्लस्टर का अध्ययन कर डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट (डी0एस0आर0) बनवायी गयी है, जो कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित की गयी है। गठित समिति में उद्योग विभाग, जिला बैंक प्रबन्धक, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, हथकरघा/रेशम/खादी ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारियों तथा सम्बन्धित उत्पाद से जुड़े उद्यमियों एवं प्रमुख औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में कुष्ठ रोगियों हेतु सहायता राशि प्रदान किये जाने एवं उनके पुनर्वासन हेतु व्यापक जागरुकता अभिमान चलाये जाने के सम्बन्ध में

30-श्री मनीष असीजा-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कुष्ठ रोग से पीड़ित दिव्यांगजनों की कितनी संख्या है एवं इनमें से कितनों को रुपया 2500 प्रतिमाह की सहायता धनराशि वर्तमान में प्रदान की जा रही है ? क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद में कुष्ठ रोग से पीड़ित दिव्यांगजनों को पुनर्वासित करने एवं उनका जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाते हुए पीड़ितों को चिन्हीकृत कराने एवं उन्हें योजना का लाभ दिलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जनपद फिरोजाबाद में कुष्ठ रोग से दिव्यांग हुए दिव्यांगजनों की संख्या 27 है। उक्त 27 दिव्यांगजन को कुष्ठावस्था पेंशन योजनान्तर्गत रुपया 2500 प्रतिमाह की दर से लाभान्वित किया जा रहा है।

दिव्यांगजन के कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न समाचार-पत्रों, विज्ञप्तियों एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें जनपद फिरोजाबाद भी सम्मिलित है। कुष्ठ रोग से दिव्यांग हुए दिव्यांगजन को कुष्ठावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाता है, जो ऑनलाइन संचालित है। उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदकों से आनलाइन आवेदन प्राप्त कर पात्र आवेदकों को इस योजना से लाभान्वित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग प्रदेश में पात्र वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 1000/- प्रतिमाह कराये जाने के सम्बन्ध में

31-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 1000/-प्रतिमाह किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 1000/- प्रतिमाह किये जाने का कोई प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी में वर्ष 2020-21 में किसानों को सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल हेतु आवश्यक उपकरण वितरित करवाने विषयक

32-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में वर्ष 2021 में किसानों द्वारा निर्धारित धनराशि जमा करने पर भी सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल हेतु आवश्यक उपकरण वितरित नहीं किये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों को सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल हेतु आवश्यक उपकरण वितरित करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद में निर्धारित 315 लक्ष्य के सापेक्ष 315 पात्र कृषकों के बोरिंग आदि का सत्यापन पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा 315 सोलर पम्पों की आपूर्ति कर 252 सोलर पम्पों की कृषकों के प्रक्षेत्रों पर स्थापना करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फिरोजाबाद की सदर शिकोहाबाद व जसराना तहसील में विमुक्त जाति प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने का प्रकरण

33-डॉ0 मुकेश वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की सदर शिकोहाबाद तथा जसराना तहसील में विमुक्त जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हाँ, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त तहसीलों में आवेदकों को विमुक्त जाति के प्रमाण-पत्र निर्गत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद फिरोजाबाद की तहसील सदर, शिकोहाबाद एवं जसराना में प्राप्त आवेदन-पत्रों का गुण-दोष के आधार पर जांच-पड़ताल/परीक्षण उपरान्त नियमानुसार विमुक्त जाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-97/2021/1898/26-3-2021 दिनांक 06-08-2021, द्वारा प्रदेश की 29 विमुक्त जातियों को परीक्षणोपरान्त विमुक्त जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने के निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में स्थापित स्टेडियम में रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में

34-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में स्थापित स्टेडियम में ट्रेनर व अन्य स्टाफ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में स्थापित स्टेडियम में (क्रीड़ाधिकारी 01 पद, सहायक प्रशिक्षक तैराकी 01 पद, सहायक लेखाकार 01 पद, कनिष्ठ सहायक 01 पद एवं जीवन रक्षक 01 पद) कुल स्वीकृत 05 पद के सापेक्ष क्रीड़ाधिकारी, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक एवं जीवन रक्षक के पद भरे हुए हैं।

सहायक प्रशिक्षक तैराकी का 01 पद रिक्त है।

जी हां।

सहायक प्रशिक्षक तैराकी के 01 पद पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की शिकोहाबाद एवं फिरोजाबाद मण्डी समितियों में बिचौलियों द्वारा गेहूं खरीद जाने का प्रकरण

35-डॉ0 मुकेश वर्मा-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में गेहूँ क्रय केन्द्र शिकोहाबाद मण्डी समिति एवं फिरोजाबाद मण्डी समिति में वर्ष 2021 दिनांक 12-05-2021

तक में कितना गेहूँ किसानों से क्रय किया गया है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त केन्द्रों पर तैनात तत्कालीन एम0आई0 द्वारा बिचौलियों से गेहूँ खरीद कर किसानों का नाम फर्जी दर्शाकर मण्डी समितियों में घोटाला किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तौल केन्द्र पर की गयी गेहूँ खरीद की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जनपद फिरोजाबाद की मण्डी समिति शिकोहाबाद एवं फिरोजाबाद में मण्डी परिषद् अथवा एफ0पी0ओ0 का कोई क्रय केन्द्र संचालित नहीं है। शिकोहाबाद एवं फिरोजाबाद में अन्य शासकीय क्रय एजेंसियों के क्रय केन्द्र संचालित हैं, जो मण्डी समिति के नियंत्रणाधीन न होने के कारण मण्डी परिषद् से संबंधित नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

36-श्री हाकिम लाल बिन्द-

(मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया)

जनपद फिरोजाबाद, विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नगला श्रोती में स्थित देशी, विदेशी मदिरा एवं बीयर के ठेके किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने विषयक

37-डॉ0 मुकेश वर्मा-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नगला श्रोती में सरकारी विद्यालय तथा अन्य गैर सरकारी विद्यालय के मध्य में देशी, विदेशी शराब के ठेके व एक बीयर की दुकान एक साथ स्थित है, जिसके कारण वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों, स्कूली बच्चों, छात्र-छात्राओं व महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तीनों ठेकों को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामनरेश अग्निहोत्री-

जी नहीं।

अवगत कराना है कि प्रश्नगत गांव नगला श्रोती में गांव के बाहर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर दुकान संचालित है, जो सिविल लाइन डबरई में नगला श्रोती ग्राम को जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। प्रनगत दुकानें राजकीय राजमार्ग से 220 मीटर दूर वर्ष 2017 से अनवरत् एवं बिना किसी विरोध के संचालित हैं। संविलियन स्कूल सिविल लाइन डबरई फिरोजाबाद

(सरकारी) से उक्त तीनों शराब की दुकानें 200 मीटर से अधिक दूरी पर हैं, जबकि दूसरा प्राइवेट स्कूल उक्त तीनों दुकानों से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है। उक्त प्राइवेट स्कूल 02 वर्ष पूर्व बनवाया गया है।

उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 यथा संशोधित 2008 नियमावली के बिन्दु-5 के उपबिन्दु-4(क) के अनुसार किसी सार्वजनिक पूजा स्थल अथवा विद्यालय अथवा चिकित्सालय अथवा आवासीय कालोनी के नगर निगम के मामले में 50 मीटर की दूरी के भीतर, नगर पालिका परिसर व नगर पंचायत में होने के मामले में 75 मीटर की दूरी के भीतर व प्रदेश के अन्य क्षेत्र में होने के मामले में 100 मीटर की दूरी के भीतर दुकान या उपदुकान को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा, परन्तु यदि कोई सार्वजनिक पूजा स्थल, विद्यालय, चिकित्सालय, आवासीय कालोनी, दुकान या उपदुकान के स्थापना के उपरान्त अस्तित्व में आती है, तो इस नियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

उपरोक्त तीनों दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं तथा सम्बन्धित स्कूलों से कम से कम लगभग 200 मीटर की दूरी पर अवस्थित हैं। अतः नियमावली के आलोक में दुकानें नियमानुसार संचालित होने के कारण इनके स्थानान्तरण का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में पुलिस विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में शराब तस्करी में बरामद शराब के संरक्षण का विवरण पटल पर रखे जाने विषयक

38-डॉ0 मुकेश वर्मा-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में पुलिस विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में तस्करी की कितनी शराब बरामद की गयी तथा उक्त बरामद शराब को कहाँ संरक्षित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामनरेश अग्निहोत्री-

जनपद फिरोजाबाद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में तस्करी के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों की संख्या-584 है, जिसमें बरामद हुई कुल अवैध शराब 23,178 ली0 है, जिसको सम्बन्धित थानों के मालखानों में सुरक्षित रखा गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद, विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने विषयक

39-डॉ0 मुकेश वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लागू होने की तिथि तक कुल कितने वृद्धजनों को इस योजना का लाभ दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर वंचित, असहाय पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिलायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की आख्यानुसार जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 9,293 वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया है।

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनरों का विवरण विभागीय वेबसाइट http://sspy-up.gov.in पर उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

शासनादेश संख्या-3/2016/579/26-2-2016-100(02)/2007, दिनांक 29 फरवरी, 2016 द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने का प्राविधान है, जिसमें आवेदक द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त जांचोपरान्त पात्र वृद्धजनों को समय से पेंशन का लाभ दिये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण/पंजीकरण कर ट्राइसाइकिल दिलाने विषयक

40-डॉ0 मुकेश वर्मा-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में वर्तमान में कुल कितने दिव्यांगजन पंजीकृत हैं एवं इनमें से कितनों को ट्राइसाइकिल का वितरण कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल देगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 2959 दिव्यांगजन पंजीकृत हैं। उक्त पंजीकृत

2959 दिव्यांगजन में से कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत ट्राइसाइकिल प्रदान किये जाने हेतु 101 दिव्यांगजन पात्र पाये गये, जिनमें से 67 पात्र लाभार्थियों को ट्राइसाइकिल प्रदान की जा चुकी है। अवशेष 34 पात्र दिव्यांगजन को ट्राइसाइकिल दिये जाने हेतु ट्राइसाइकिल का क्रय कर लिया गया है, किन्तु कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के कारण उन्हें अभी ट्राइसाइकिल प्रदान नहीं की जा सकी है, जिसे शीघ्र ही प्रदान कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में मक्खनपुर से शिकोहाबाद तक गैस पाइपलाइन का विस्तार कराने के सम्बन्ध में

41-डॉ0 मुकेश वर्मा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के कांच उद्योग को बढ़ावा दिलाने के दृष्टिगत टी0टी0 जोन से आगे मक्खनपुर से शिकोहाबाद तक गैस की सप्लाई (पाइपलाइन विस्तार) कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

राज्य सरकार के सहयोग से गैस पाइपलाइन विस्तार के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है और न ही कोई प्रस्ताव लम्बित है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र, 2020-21 की छात्रवृत्ति दिये जाने सम्बन्धी

42-श्री मोहम्मद फईम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 2020-21 की अवधि हेतु प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति करने की योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो कब तक उक्त की प्रतिपूर्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति किये जाने सम्बन्धी योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत गत वर्षों की भांति शिक्षा सत्र, 2020-21 में भी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर, विधान सभा क्षेत्र पुवायां में शराब व बीयर की दुकानों का विवरण तथा मिलावटी शराब की बिक्री की जांच कराने विषयक

43-श्री चेतराम-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में अंग्रेजी शराब, देशी शराब तथा बीयर की कितनी दुकानें हैं ? क्या सरकार लाइसेंस धारकों के नाम, पते सहित पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त शराब की दुकानों पर मिलावटी शराब अधिक मात्रा में बिक रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की खुफिया जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामनरेश अग्निहोत्री-

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में दुकानों की संख्या निम्नलिखित है :-

क्र0-सं0	दुकान	दुकानों की संख्या
1	अंग्रेजी शराब	08
2	देशी शराब	31
3	बीयर	04

लाइसेंस धारकों के नाम व पते से सम्बन्धित सूची संलग्न है।†

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की दुकानों पर मिलावटी शराब बेचे जाने की कोई शिकायत/सूचना नहीं है।

जिले में तैनात आबकारी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मदिरा की दुकानों की चेकिंग की जाती है। विभाग के अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा भी दुकानों की चेकिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन के निर्देश पर राजस्व, पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीमें बनाकर आबकारी दुकानों की चेकिंग की जाती है।

पुवायां विधान सभा क्षेत्र स्थित आबकारी दुकानों पर मिलावटी शराब बेचे जाने का कोई प्रकरण नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

44-श्री चेतराम

(2-बुधवार के अता0प्र0सं0-199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

† देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या 207-209 पर।

जनपद शाहजहाँपुर में उप कृषि निदेशक कार्यालय में दिनांक 01-04-2018 से 01-07-2021 तक यंत्र वितरण हेतु किसानों से धनराशि लिये जाने का विवरण विषयक

45-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के उप कृषि निदेशक कार्यालय में दिनांक 01-04-2018 से 01-07-2021 तक सरकार से कितने व कौन से यंत्र किसानों से धनराशि लेकर वितरण के लिए कार्यालय को प्राप्त हुए तथा कुल कितने कृषि यंत्रों का वितरण किन कृषकों को कब, कितनी धनराशि जमा कराकर किया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद शाहजहाँपुर में उक्त अवधि में कुल 1713 कृषि यंत्रों का क्रय किसानों द्वारा किया गया, जिसका अनुदान कृषकों को दिया गया तथा कुल रुपये 43,35,000/- की धनराशि टोकन मनी के रूप में जमा की गई।

विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू.यूपीएग्रीकल्चर.कॉम पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भीख मांगने हेतु मानक निर्धारित कर हट्टे-कट्टे लोगों का भीख मांगना प्रतिबंधित करने के सम्बन्ध में

हाजी इरफान सोलंकी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हट्टे-कट्टे लोगों में भीख मांगने की बढ़ती प्रथा को रोकने हेतु भिखारियों को भीख मांगने की अनुमति हेतु मानक निर्धारित करने की योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रदेश में उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 लागू है जिसमें भिक्षावृत्ति को बढ़ावा न देने तथा इस कार्य में लिप्त व्यक्तियों को पुनर्वासित कर रोजगारपरक् बनाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है। साथ ही भिक्षावृत्ति का प्रतिषेध और निराश्रितों की सहायता करने का विस्तृत प्राविधान किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में राजकीय आईटीआई की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

47-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या व्यवसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय आईटीआई की स्थापना सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद भी वर्तमान तक उक्त का शिलान्यास नहीं कराया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त आईटीआई का शिलान्यास करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय आईटीआई की स्थापना सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं। अतः अभी भवन का शिलान्यास नहीं हुआ है।

जी हां।

औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय आईटीआई की स्थापना हेतु तहसील सदर, जनपद लखनऊ के मोहल्ला/ग्राम इरादतनगर, परगना, तहसील व जिला लखनऊ के खसरा नं0-330 रकबा-2-17-10-4 एवं खसरा सख्या-331 रकबा 2-7-12-19 चिन्हित है। उक्त भूमि जिलाधिकारी, लखनऊ के आदेश दिनांक 09-04-2019 द्वारा व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को आवंटित है। संस्थान के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है तथा रुपये 250.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है। अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के अलीगंज स्थित शीतगृह वाटिका का नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में

48-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के अलीगंज स्थित शीतगृह वाटिका का नामकरण किये जाने संबंधी कार्यवाही वर्ष 2017 से लम्बित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रश्नगत वाटिका का नामकरण तथा लम्बित कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान विभाग के उद्यानों/शीतगृह परिसर में विद्यमान वाटिका आदि के नामकरण की कोई विभागीय योजना/नीति विद्यमान नहीं है।

जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत बौद्ध परिपथ नेशनल हाई-वे स्थित कस्बा इकौना में मण्डी परिषद् स्थापित करने विषयक

49-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत बौद्ध परिपथ नेशनल हाई-वे पर स्थित कस्बा इकौना में मण्डी परिषद् स्थापित न होने के कारण

किसानों की कठिनाई के दृष्टिगत मण्डी परिषद् की इकाई की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी नहीं।

जनपद श्रावस्ती के (भिनगा) में नवीन मण्डी स्थल निर्माणाधीन है तथा इस स्थान से इकौना कस्बे की दूरी लगभग 25 कि0मी0 है। भिन्गा में मण्डी स्थल निर्मित हो जाने पर इकौना क्षेत्र के कृषक भी लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में इकौना क्षेत्र पयागपुर मण्डी समिति, बहराइच के निकटतम है, जिसकी दूरी 25 कि0मी0 है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

50-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

(2-शुक्रवार के अता0प्र0सं0-45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित स्टेडियम के अधिग्रहण के सम्बन्ध में

51-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अलीगंज में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित स्टेडियम के अधिग्रहण की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हाँ तो स्टेडियम अधिग्रहण में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

वर्तमान में नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्तमान में प्रकरण प्रक्रियाधीन न होने के कारण।

जनपद लखनऊ में यूपीसीडा को लॉजिस्टिकस क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2021-22 में प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में

52-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में यूपीसीडा को वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2021-22 में लॉजिस्टिकस क्षेत्र में प्रस्ताव प्राप्त हुए

हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त में प्राप्त, स्वीकृत तथा अस्वीकृत होने वाले प्रस्तावों का कारण सहित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जनपद लखनऊ में यूपीसीडा को लॉजिस्टिकस क्षेत्र में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 08 प्रस्ताव प्राप्त हुए। 02 प्रस्ताव प्राधिकार प्राप्त समिति की बैठक में संस्तुति सहित लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है। 06 प्रस्ताव कमियों के निराकरण हेतु आवेदक स्तर पर लम्बित।

विवरण संलग्न है।†

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हाथरस की विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिसार में निर्माणाधीन आई0टी0आई0 कालेज के सम्बन्ध में

53-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस की विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिसार में निर्माणाधीन आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा भुगतान न किये जाने के कारण रोक दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार धनराशि अवमुक्त कर उक्त आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

राजकीय आई0टी0आई0, सादाबाद जो ग्राम पंचायत बिसार में निर्माणधीन है, के निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड कार्यदायी संस्था नामित है। कार्यदायी संस्था को भवन की मूल्यांकित लागत रुपये 676.99 लाख के सापेक्ष अब तक कुल धनराशि रुपये 538.62 लाख अवमुक्त की जा चुकी है तथा रुपये 138.37 लाख दिया जाना अवशेष है जिसे कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड) द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र, गुणवत्ता प्रमाण-पत्र, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट, टास्क फोर्स रिपोर्ट एवं अद्यतन फोटोग्राफ्स के प्राप्त होने के पश्चात् ही जारी करने के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्पन्न हो पायेगी। निर्माण कार्य कोविड-19 महामारी के कारण बीच में बन्द था, किन्तु वर्तमान में कार्य प्रगतिमान है।

† देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ संख्या 210-212 पर।

उपरोक्तानुसार प्रपत्र प्राप्त होते ही अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

कार्यदायी संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात्।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र-317, सिसवां के सिसवां बाजार में मण्डी समिति के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री प्रेमसागर पटेल-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र-317, सिसवां के सिसवां बाजार में मण्डी समिति की स्वीकृति की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त हेतु आवश्यक निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जनपद महाराजगंज के सिसवां बाजार कृषि उत्पादन मण्डी समिति गडौरा ऐट निचलौल का उपमण्डी स्थल पूर्व से घोषित है।

भारत सरकार द्वारा कृषि एवं विपणन के क्षेत्र में लागू किये गये कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्द्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 के फलस्वरूप मण्डी का क्षेत्राधिकार केवल निर्मित मण्डी एवं उप मण्डी स्थलों के अन्तर्गत सीमित हो गया है। मण्डी स्थलों के बाहर व्यापार को मण्डी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। कृषकों के व्यापक हित को देखते हुए कृषि जिंसों का व्यापार मण्डी परिसर के बाहर करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। मण्डी परिसर के अन्दर कृषि उत्पादों के व्यापार पर मण्डी शुल्क घटाकर 2 प्रतिशत से 1 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे सिसवां बाजार से मण्डी समिति को मण्डी शुल्क में आय न होना स्वाभाविक है।

संचालक मण्डल की 158वीं बैठक दिनांक 13-06-2020 में यह निर्णय लिया गया है कि जिन पूर्व घोषित मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थलों के सापेक्ष भूमि चयनित कर परिषद् को प्राप्त नहीं हो सकी है, उन पर प्रस्तावित स्थलों पर भूमि अधिग्रहण/नवनिर्माण की कार्यवाही को अग्रेतर निर्देशों तक स्थगित रखा जाये।

अतः उप मण्डी स्थल, सिसवां का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

55-श्री रामचन्द्र यादव

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

प्रदेश के मुखिया के निधन के पश्चात् पारिवारिक लाभ योजना के संचालन तथा जनपद अयोध्या में इस योजना से सम्बन्धित विषयक

56-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिवार के मुखिया के निधन के पश्चात् आश्रितों के लाभार्थ पारिवारिक लाभ दिये जाने की योजना संचालित है ? यदि हाँ, तो उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद अयोध्या में दिनांक 28-07-2021 तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं एवं कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत जनपद अयोध्या में वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 28-07-2021 तक 388 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा चुका है एवं 487 आवेदक शेष हैं, जिनका सत्यापन कराया जा रहा है, जिसकी सूचना समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में सरकारी मण्डी के समकक्ष बसई ताजगंज, आगरा में अवैध तरीके से चलने वाली मण्डी के उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्यवाही विषयक

57-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के बसई ताजगंज क्षेत्र में अवैध सब्जी मण्डी के संचालन से अधिकृत सरकारी सब्जी मण्डी में आवंटित व्यवसायियों को व्यापारिक हानि हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अवैध मण्डी को बन्द करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी नहीं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 संख्या-46, दिनांक 27 सितम्बर, 2020 के लागू होने के उपरान्त कृषकों को अपनी उपज कहीं भी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर बेचने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है।

शासन के पत्र दिनांक 24-6-2021 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 एवं मण्डी परिषद् के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अधिसूचित मण्डी परिसर के बाहर नगर निकायों, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों में फल, सब्जी अथवा गल्ला मण्डी से संबंधित उनके उपनियमों के विपरीत, अनियमित अथवा

अवैधानिक थोक व्यापार पर जनहित में कड़ाई से रोक लगाई जानी आवश्यक है, ताकि यह व्यापार नियंत्रित/नियमित रूप से मण्डी परिसर में संचालित हो सके।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में औरंगाबाद, जारचा, दादरी, गौतमबुद्ध नगर की भूमि संख्या-330 व 332 का अधिग्रहण औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मुआवजा दिये जाने विषयक

58-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जारचा (औरंगाबाद), दादरी, गौतमबुद्ध नगर की भूमि संख्या-330 रकबा 3.1790 हे0 व 332 रकबा 1.0880 हे0 का अधिग्रहण औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

प्रश्नगत भूमि ग्राम-जारचा की न होकर ग्राम-औरंगाबाद की है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम बैरंगपुर उर्फ नई बस्ती से जारचा होती हुई प्रस्तावित 105 मी0 चौड़ी सड़क के संरेखण में आ रही ग्राम औरंगाबाद, जारचा व अन्य ग्रामों की भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 2013-14 में की गयी थी।

प्रश्न में उल्लिखित भूमि ग्राम-जारचा की न होकर ग्राम औरंगाबाद की है। वर्ष 2013-14 में ग्राम औरंगाबाद की अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि में खसरा सं0-330, क्षेत्र 3.1790 हे0 तथा खसरा सं0-332, क्षेत्र 1.0880 हे0 भूमि भी सम्मिलित थी।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावित अर्जन दिनांक 18-10-2016 को व्यपगत कर दिया गया, अतः मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक बजट पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

अब हम लोग सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा करेंगे।

***नेता, विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमें सप्लीमेंट्री बजट पर अपनी बात रखने का मौका दिया। कल कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई लेकिन विधान भवन, लखनऊ दिनांक 18-08-2021 को जो कार्य-सूची आपने भिजवाई है इसमें 24 तारीख तक कार्यक्रम है और आज 19 तारीख है। 23 तारीख सोमवार को विधायी कार्य, अन्य कार्य, यदि कोई हो। 24 तारीख को विधायी कार्य, अन्य कार्य, यदि कोई हों। जो कार्य-सूची कल आई थी उसमें जब 24 तारीख तक था तो 24 तारीख वाला मद आज लेने का कोई औचित्य नहीं था। मान्यवर, आपको याद होगा जब नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी पहली दफा इस सदन में आये थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ और सुनता हूँ कि यहाँ विधान सभा चलती ही नहीं है। मैं नियमावली में विधान सभा चलाने के जितने नियम हैं उनसे अधिक विधान सभा चलवाकर दिखवाऊँगा।

मान्यवर, हमारे मित्र माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हंस भी रहे हैं इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि यह जान रहे हैं कि गलती पर गलती हम लोग किये जा रहे हैं और वादा खिलाफी बार-बार कर रहे हैं। पिछली बार आपने जो कार्य-सूची तैयार कर हमें भेजी केवल 2 दिन के बाद ये उठ कर भाग चले और इस बार जो 24 तारीख तक कार्य-सूची दी आज ही भागने के मूड में हैं। चुनाव नजदीक है। हमारे जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं। सबको अपने-अपने क्षेत्र की बात कहनी चाहिए। ये नहीं है कि सत्ता पक्ष के लोग अपनी बात नहीं कह सकते हैं। सरकार के खिलाफ नहीं कह सकते हैं मैं मानता हूँ लेकिन अपने क्षेत्र की बात तो कह ही सकते हैं। लेकिन जनता की बात नहीं कहेंगे तो अपने क्षेत्र में जाकर क्या कहेंगे। हम लोगों को आपके सामने रहते ही इतनी कठिनाई है तो जनता को कितनी होती होगी। महँगाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हम तो यही कहेंगे कि सरकार के सामने हमने महंगाई और बेरोजगारी की बात रखी है। अनुपूरक बजट माननीय मंत्री जी ने रखा जिसकी लम्बी लाइन है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2021-22 अनुपूरक मांगों में 730151.58 लाख है। केन्द्र से जो प्राप्त धनराशि है वो 12494.12 लाख है। शुद्ध व्ययभार जो है 717657.46 लाख है। यह बार-बार क्यों आता है। बजट आया अनुपूरक आया, अब ये एक लेखा भी लेकर आयेंगे। सरकार ने पूंजी मद में भी 70655.27 लाख रुपया लिया जबकि पिछले बजट में पूंजी में जो मद लिया था इस महीने तक माननीय मंत्री जी 18.7 प्रतिशत ही स्वीकृतियां हो पायी हैं। पूंजीगत मद जो विकास कार्यों का मद होता है, उसमें 21 अगस्त तक कुल बजट का 18.7 प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करना यह स्पष्ट करता है कि भाजपा सरकार की विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं है। पूंजीगत बजट में अब तक जारी स्वीकृतियां पंचायती राज शून्य प्रतिशत, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन शून्य प्रतिशत, बाल विकास पुष्टाहार, जिसका आप ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने गर्भवती

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महिलाओं और गरीब महिलाओं को पुष्टाहार खिलाकर पहलवान बना दिया। पशुपालन जो कि किसानों की आय का मुख्य स्रोत है, वह भी शून्य प्रतिशत है। आयुष विभाग जो कि सस्ती कीमतों में लोगों को दवा देता है, वह भी शून्य प्रतिशत है। आवास एवं शहरी विकास 0.05 प्रतिशत, बेसिक शिक्षा 1.31 प्रतिशत, कृषि 1.57 प्रतिशत एवं नगर विकास 2 प्रतिशत है।

नगर विकास विभाग 2 प्रतिशत, नियोजन विभाग 2.25 प्रतिशत, न्याय विभाग 4.7 प्रतिशत, राजस्व विभाग 4.7 प्रतिशत, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग 6.81 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा विभाग 7.26 प्रतिशत, लोक निर्माण विभाग 12.85 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग 18.44 प्रतिशत, ग्राम्य विकास विभाग 19.95 प्रतिशत। आपने जो बजट पास कराया है उसमें आपके अधिकारियों ने यह स्वीकृति की है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यदि मैं सभी विभागों का उल्लेख करूँगा तो बहुत समय लगेगा। सरकार विकास कार्य को कराने का दम भरती है लेकिन अखबार में, चैनल में, सोशल मीडिया में और पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगवाकर सरकार ने अब तक पिछले बजट का 225 करोड़ रुपये से भी अधिक धन केवल झूठा प्रचार करने के लिए खर्च किया है। आपने अनुदान संख्या-86 के लेखा शीर्षक 2220 में विज्ञापन बिक्री और विज्ञापन व्यय के लिए 45 हजार लाख रुपये लिये हैं। यह बड़ी धनराशि किसके लिए ली गई है। यह झूठा प्रचार करने के लिए ली गई है कि हमने इतने बेरोजगारों को नौकरी दे दी। हमने किसानों को मालामाल कर दिया, हमने बेरोजगारी को खत्म कर दिया। इसी पैसे से आप झूठा प्रचार करते हैं। अगर आप इतना पैसा बेरोजगारी दूर करने के लिए खर्च कर देते तो हमारे नौजवान इतने अधिक बेरोजगार नहीं रहते। पिछले 41 वर्ष के अन्दर इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं आई है। यह सारा धन जनता का है जो विकास पर खर्च होना चाहिए लेकिन आप इसे झूठा प्रचार पर खर्च करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, एक होर्डिंग लगी है गली-गली में, हर पेट्रोल पम्प पर, हर गांव में, हर चौराहे पर मुफ्त वैक्सीन, बधाई हो मोदी जी। नीचे मुख्य मंत्री जी का फोटो है और वह ऐसे हंस रहे हैं कि जैसे चिढ़ा रहे हों जनता को। जब तीन हिस्सा लोगों ने वैक्सीन खरीद कर लगवा ली और केवल एक चौथाई लोग बचे तब आप मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ कहा गया यह झूठ है, यह झूठ है)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप विद्वान हैं, इतिहास के जानकार हैं, आपने वेदों को पढ़ा है और वेदों को परिभाषित भी किया है, आप जानते हैं कि इसी देश में प्लेग की बहुत बड़ी बीमारी आई थी। हमारे देश में उस समय इतने संसाधन नहीं थे लेकिन उसका भी जो टीका लगा था वह फ्री में लगा था। हैजा की बीमारी फैली, जिसमें लाखों लोग मर गये लेकिन उसका

भी जो टीका लगा था वह फ्री में लगा, चेचक की बीमारी आई उसमें भी लाखों लोग मरे लेकिन उसका भी जो टीका लगा था फ्री में लगा। बच्चों को जो पोलियो की बूंद पिलाई गई वह भी फ्री में ही पिलाई गई। वर्तमान समय में जब तीन हिस्सा आबादी ने टीका लगवा लिया और थोड़े लोग बचे तो आपने होर्डिंग लगवा दी बधाई हो मोदी जी।

मान्यवर, टीवी चैनलों पर केवल विकास और नौकरी। कल टीवी चैनल पर मैंने देखा कि बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए बजट में इतना प्राविधान किया गया है ? कितना झूठ, लेकिन वह सफेद झूठ है। मान्यवर, प्रदेश का शिक्षित बेरोजगार नवयुवक इस अनुपूरक बजट से बड़ी आस लगाये थे। उनको बड़ी आशा थी कि सरकार घोषणा करेगी। हम आपके झूठ का एक-एक पर्दाफाश करेंगे। मान्यवर, इनके संकल्प-पत्र में था कि जब हमारी सरकार आयेगी तो 90 दिन के अन्दर जितनी भी नियुक्तियां सभी विभागों में हैं, उन सभी पदों पर नियुक्ति करके भर देंगे। दिसम्बर, 2020 में सरकार ने घोषणा किया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 50 हजार भर्तियां की जायेंगी। लेखपाल 7882, बेसिक शिक्षा 1055, माध्यमिक शिक्षा 500, विभिन्न विभागों में लिपिक सात हजार, लेखा परीक्षक 1303, ग्राम विकास 1658, परिवार कल्याण 9222, बाल विकास पुष्टाहार 3448, नगर विकास 383 पद रिक्त हैं और 10 हजार से अधिक संशोधित प्रस्ताव मंगाये गये थे। 2021 में प्रारम्भिक परीक्षा कराई जाएगी यह अखबार में आया और चैनलों में भी आया, सोशल मीडिया में भी आया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भर्ती न कराई जाये इसके लिए आपने लम्बी प्रक्रिया रखी। पहले प्रारम्भिक परीक्षा फिर मुख्य परीक्षा उसके बाद वेरीफिकेशन तब नियुक्ति यह लम्बी प्रक्रिया इसलिए कि प्रचार से तो सब जान गये नौकरी मिल गयी, लेकिन वह नौकरी न मिलने पाये। आप बेरोजगारों के दुश्मन हैं। नौजवानों के दुश्मन हैं। चुनाव तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायेगी क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2016 से लेकर 2019 तक केवल 24 भर्तियों का विज्ञापन दिया, जिसमें 22 भर्तियां अब भी अटकी हैं। वह होने वाली नहीं हैं। 2016 की नियुक्तियां भी अभी तक प्रक्रियाधीन हैं। 2014-15 की अधियाचित प्रवक्ता तथा सहायक अध्यापकों की सरकारी भर्ती करने में आपको पूरे पांच वर्ष लग गये। प्रदेश में नर्स के 9465 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 3937 पद रिक्त हैं। लगभग 40.59 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुए हैं। वर्ष 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने नियुक्तियां की थीं तबसे आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है। अस्पतालों की संख्या बढ़ी, नर्सिंग होम्स की संख्या बढ़ी। न कोई पद सृजित हुआ न कोई भर्ती हुई। आशा थी कि सरकार रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था करके शिक्षित नवयुवकों को नौकरी अवश्य देगी लेकिन सरकार ने इस अनुपूरक बजट में शिक्षकों, शिक्षा मित्रों दोनों के लिए लिखा है कि नियुक्ति में अनुदान संख्या-071, लेखा शीर्षक 8902 में रुपया 2851 लाख का प्राविधान आपने किया है। जबकि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति बन्द हो गयी है, उसको भी आप ले आये हैं। महाधिवक्ता कार्यालय में आउटसोर्सिंग भर्ती है तो अनुदान संख्या-052 के लेखा शीर्षक 2014 में रुपया 1.83 लाख और प्रदेश के युवाओं को डिजिटल सक्षम बनाये जाने हेतु

अनुदान संख्या-007 के लेखा शीर्षक 2852 उद्योग विभाग में रुपया तीन सौ हजार लाख का प्राविधान किया है। डिजिटल ट्रेनिंग को ही आपने चैनल में चलवा दिया कि मैंने इतना नौकरी दिया है। ट्रेनिंग देने के लिए यह पैसे का प्राविधान है और उसके बाद आप कहेंगे कि लोन लो और अपना उद्योग लगाओ। मा0 वित्त मंत्री जी, हमारे जितने भी मा0 सदस्य बैठे हैं, हर आदमी किसी न किसी बैंक मैनेजर को फोन करता है कि यह लड़का बेरोजगार है, यह ट्रेंड है। यह उद्योग लगाना चाहता है, इसको लोन दो। लोन देने में और उसको लोन लेने में छठी का दूध यद आ जाता है लेकिन लोन नहीं मिलता है। वह बैठ जाता है, बेरोजगार हो जाता है। कौशल विकास नौकरी नहीं है बल्कि ट्रेनिंग है। भाजपा सरकार का उच्च शिक्षा से भी कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, बेरोजगार नौजवान त्राहि-त्राहि कर रहा है। कोई इको गार्डेन में बैठा है, कोई किसी मंत्री के दरवाजे पर जाता है तो लाठी मारकर, पीटकर हाथ तोड़ देते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम रोक न सकोगे तूफान, बनकर आयेगा हर गुनाह, हर सितम का अंजाम, होश में आ जाओ साहब, पहले एक अखिलेश था अब हर युवा अखिलेश बनकर आयेगा।

(कई सदस्यों के टोकाटाकी करने पर)

आपके नेताजी बैठे हैं इनकी तो इज्जत करिये। नेता सबके हैं, सदन के नेता हैं तो हमारे भी हैं और आपके भी हैं।

श्री अध्यक्ष-

बैठे-बैठे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, सरकार ने अभी तक किसानों की फसलों का पूरा भुगतान भी नहीं किया है। केवल यह बताते हैं कि हमने गन्ना का इतना भुगतान किया है। कितना बाकी है यह नहीं बताते हैं। यह कहते हैं कि जितना पूर्व की सरकारों ने नहीं किया, उससे अधिक हमने किया है। चाहे मुख्य मंत्री जी बतायें, चाहे वित्त मंत्री जी बतायें, चाहे कोई मंत्री जी बतायें। सरकार वर्ष 2020-21 का अब तक कुल गन्ना मूल्य का 78.53 प्रतिशत भुगतान कर सकी है।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 का सम्पूर्ण गन्ना भुगतान नहीं हो पाया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अनुदान संख्या-024 के शीर्षक 6860 में सहकारी चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु जो 20 हजार लाख रुपया लिया जा रहा है, इस पैसे से सम्पूर्ण गन्ना किसानों का बकाया भुगतान हो जाये। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे और वह कहेंगे कि हमने देश में सबसे अधिक इतने मीट्रिक टन गेहूँ खरीद लिया है। किसी केन्द्र पर तो जाते नहीं हैं। हम लोगों का केन्द्रों पर फोन करते-करते गला सूख गया, जो केन्द्र का अधिकारी है वह अपने घर पर है, केन्द्र बन्द है। ट्रैक्टर-ट्रक एवं बैलगाड़ी पर किसान गेहूँ लेकर खड़ा है, उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। कितना गेहूँ बरसात में सड़

गया और बिचौलियों ने कौड़ी के मूल्य यानी 12-13 रुपये प्रति क्विंटल खरीदकर उसी केन्द्र पर कमीशन देकर सरकारी रेट पर बेचने का काम किया है। किसान लुट गया और बिचौलिया मालामाल हो गया और केन्द्र वाला भी मालामाल हो गया। यही स्थिति धान की खरीद में भी हुई है। इसीलिए देश का किसान आज आठ महीने से दिल्ली के चारों तरफ बैठा है कि साहब एम0एस0पी0 का कानून बना दीजिये और यह कानून बनाइये कि जो सरकार रेट तय करे, केन्द्र पर खरीदे या बिचौलिया खरीदे, उस तय रेट से कम पर खरीदेगा तो कठोरतम सजा दी जायेगी, जेल की सजा दी जायेगी और उस पर फाइन भी लगाया जायेगा। इससे किसान का अनाज कोई भी रेट से कम पर खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन आप कानून नहीं बनायेंगे क्योंकि यह पूंजीपतियों के पोषक लोग हैं। इनको किसान, गरीब, बेबस एवं लाचार से कोई भी लेना-देना नहीं है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जबसे यह सरकार आई है, गरीब, गरीब होता गया और देश के चन्द पूंजीपति मालामाल होते गये। श्रीमन् सरकार केवल पेपरबाजी, भाषणबाजी एवं विज्ञापनबाजी से ही अपना काम चला रही है। वाह, वाह, वाह। लेकिन धरती पर कुछ नहीं है। विकास, सपने में भी विकास, जगने पर भी विकास, काम करने में विकास और विकास भाई को ढूंढिये तो कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि लखनऊ हेडक्वार्टर है, यहाँ पर भाजपा ने कौन-सा काम किया है, लगभग पाँच साल होने जा रहे हैं। स्वाभिमानी नेता माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पार्टी से ऊपर थे, राजनीति के एक प्रखर नेता थे जिनकी श्री जवाहर लाल नेहरू जी प्रतिष्ठा एवं इज्जत करते थे। लोक भवन को पूर्व मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया और वहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगायी गयी। यह एक विकास हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम, लखनऊ को पूर्व मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया। नाम बदला इन्होंने, यह विकास है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनवाया मा0 अखिलेश जी ने, जे0पी0 सेंटर बनवाया मा0 अखिलेश जी ने, पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया मा0 अखिलेश जी ने, 100 नम्बर बनवाया मा0 अखिलेश जी ने और मेट्रो चलवाया मा0 अखिलेश जी ने (विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं), बिजली का खम्भा लगा मा0 अखिलेश जी के जमाने में, उसका एक भी पाया आपने बढ़ाने का काम नहीं किया। इनके विकास भइया कहाँ हैं ? मैं केवल लखनऊ की बात कर रहा हूँ। (कुछ मा0 सदस्यों के बैठे-बैठे टोकाटाकी करने पर) बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष-

बैठे-बैठे टीका-टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

उनके लोग अपनी बात कह लेंगे, आप अपनी बात कह दीजियेगा। आप भी बताइयेगा कि आपने क्या-क्या बनवाया, हम कोई आप लोगों को रोके थोड़े हैं। हमने जो बनवाया उसे बता रहे हैं, आपने जो बनाया है उसे बता दीजियेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह बात केवल

भाषणबाजी और पेपरबाजी की है। कोरोना आया तो कर्मचारियों का डी0ए0 उसके कारण फ्रीज कर दिया गया, केन्द्र सरकार ने भी फ्रीज किया लेकिन उसने अब डी0ए0 दे दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी घोषणा की कि हम कर्मचारियों को डी0ए0 देंगे, फ्रीज के टाइम से देंगे लेकिन आज तक एक भी पैसा नहीं मिला। पेपर में आ गया, चैनल में आ गया, होर्डिंग में आ गया लेकिन डी0ए0 मिला नहीं और अभी तक नहीं मिला। श्रीमन्, जनता को तो ठग ही रहे हैं, बेरोजगारों को तो ठग ही रहे हैं, नौजवानों को तो ठग ही रहे हैं, छात्रों को तो ठग ही रहे हैं जो प्रभुत्व वर्ग का आदमी है, जो महाधिवक्ता तक है उसको भी ठगने का काम इन्होंने किया है। कल जो मा0 वित्त मंत्री जी ने बजटीय किताब पढ़ी उसमें लिखा है उसमें अनुदान संख्या-042 के लेखा शीर्षक 200 में रुपया 9 हजार लाख है, सामाजिक सुरक्षा निधि योजना से 5 लाख रुपये का प्राविधान अधिवक्ताओं के लिए किया है, अब तो हर अधिवक्ता कूद रहा होगा कि सरकार तो हमको 5 लाख रुपया देगी लेकिन शर्त यह रखी कि 30 वर्ष जिनकी प्रैक्टिस पूरी हो जायेगी (हंसी)। इसका मतलब जो डंडा लेकर धसक कर चल रहा होगा (हंसी)। उस अधिवक्ता को तो लाभ मिल जायेगा लेकिन जो नौजवान महँगी पढ़ाई पढ़कर गये होंगे उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, उनको भी ठगने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी, हम अपने को गाय से जोड़ते हैं, आप तो गौशाला बनाये हैं, हम तो आदिकाल से गौशाला की सेवा कर रहे हैं। आज भले ही हम लोगों के पास खेती और नौकरी हो गयी हो, कुछ भी हो गया हो लेकिन हमारा तो पुराना धंधा ही गाय माता को चराना और खिलाना रहा है और सबके घरों में दूध देकर उनके बेटा और बेटी को पुष्ट बनाना है। यह मेरा काम रहा है और गौ माता के असली वारिस हम रहे हैं और नकली वारिस ये हैं (कुछ सदस्यों के बैठे-बैठे टोकाटाकी करने पर) पता नहीं, हम तो गाय भी चराये हैं और भैंस भी चराये हैं। जब हम पढ़ते थे और छुट्टी होती थी तो हम गाय-भैंस चराने चले जाते थे। हमारा तो आदिकाल से पुरखों का यह काम रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, जो पहले बुन्देलखण्ड में अन्ना पशु कहलाते थे और जब मुख्य मंत्री जी हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो अन्ना पशु जो केवल बुन्देलखण्ड में थे, इनकी कृपा से अन्ना पशु पूरे प्रदेश में हो गये और जो भी किसान बोये, उसको पशु गटक जाये। वह जब काटने के समय जाये तो खेत में कुछ है ही नहीं, काटेगा क्या ? तो इन्होंने कहा कि ना हम गौशाला बनायेंगे और सारे ना पशुओं को उसी गौशाला में रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक हो तो जरा गाड़ी से आधे प्रदेश का ही भ्रमण कर लीजिये। हर रोड पर आपको सौ, पचास, दो सौ, तीन सौ पशु हर एक किलोमीटर पर मिल जायेंगे और जिनको इन्होंने ठेका दिया है, गौशाला वाले लोगों को, वह झूठा रजिस्टर मेनटेन करके पैसा सरकार से ले रहे हैं। पशु है सड़क पर, कागज में है गौशाला में। मैंने पहले भी अपने बजट भाषण में कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बाराबंकी का क्यों उदाहरण दिया था ? बाराबंकी में एक ग्राम बहलौलपुर गौशाला है, सिगरौली, गौसपुर ब्लाक इस्लाम नगर,

ठाकुरपुर, भरथई और थालघूट की गौशालाओं की स्थिति से मैंने अवगत कराया था लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, जस का तस है। आप कड़ाई कर देंगे, एक-दो को सस्पेंड कर देंगे, लेकिन इसकी लत पड़ी हुई है। अभी नया, आपके बगल में बहराइच में जो नेपाल के बार्डर पर है, जून महीने में ब्लाक नवाबगंज स्थित 03 गौशालाओं में पचपकरी, सिसया, बाबागंज की गौशाला में जून माह में भूखे-प्यासे तमाम गौवंश मर गये। रजिस्टरों में जो गौवंश हैं, जितनी संख्या दिखाई गयी है और वर्तमान में आप जाकर गौवंश को देखिये, जमीन-आसमान का अन्तर है। आखिर उसकी जाँच क्यों नहीं हुई कि वह गौवंश गये कहाँ हैं ? अगर मान लीजिये कि वह 1000 रखे हैं और हैं 50 तो 950 क्या हो गये ? वह मर गये। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार जबसे आयी है, जनता की जान पर आ गयी है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े होंगे तो कहेंगे, अरे, हमने इतना अनाज दे दिया, इतने शौचालय बना दिया, इतने के खाते में एक-एक हजार रुपया भेज दिया, इतने लोगों को फ्री में 5-5 किलो अनाज दे दिया। कौन अनाज-गेहूँ। 60-70 रुपया का गेहूँ, डेढ़-पौने दो सौ रुपया का थैला। माननीय अध्यक्ष जी, पशु को छोड़ करके कोई मानव गेहूँ मुँह से खाता है ? गेहूँ के साथ में आपने न दाल दिया, न आपने सब्जी दिया, न आपने कड़वा तेल दिया, न खाद्य पदार्थ का तेल दिया, तो गेहूँ चबायेगा गरीब ? उसकी गरीबी की मजाक ही न उड़ा रहे हैं ? यदि दे रहे हैं तो सम्पूर्ण भोजन दीजिए, जैसे हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने बुन्देलखण्ड में, महोबा में आटा दिया, चावल दिया, घी दिया, मसाला दिया, तेल दिया, नमक दिया। शुद्ध घी, डालडा नहीं, रिफाइण्ड नहीं, देशी घी दिया। आटा दिया, चावल दिया, चीनी दिया, तेल दिया, मसाला दिया और आपने क्या दिया, 70 रुपया का गेहूँ, चबाओ इसे। गेहूँ चबा लीजिये।

मान्यवर, अब जनता भरमाने वाली नहीं है। मैंने शुरू में पहले से ही कहा था कि यह भाजपा वाले आपकी प्रतिष्ठा रखेंगे नहीं, आप सतर्क रहिये, लेकिन आप सतर्क नहीं हुए और आपको लेकर यह लोग पूरी नदी में डूब गये। इससे हम लोग आहत हैं, प्रदेश की दशा से तो आपका व्यक्तित्व आहत है ही, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी कर्मठता जिन लोगों ने डुबा दी है, उससे भी हम लोग आहत हैं। अभी कहेंगे मा0 मुख्य मंत्री जी कि पहले जो कोरोना लहर आई, उसको मैंने कंट्रोल किया और दूसरी जो लहर आई, उसको मैंने निगल लिया। जब दूसरी कोरोना की लहर आई तो ईश्वर ने हमको तो बचा लिया, लेकिन इनको पकड़ लिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी पकड़ लिया। इतनी भयावह स्थिति थी प्रदेश में कि हर आदमी सोचता था कि हम भी कल मर जायेंगे। पूरा प्रदेश श्मशान और कब्रिस्तान बन गया था। जिधर भी देखिये, आग की लपटें उठ रही थीं और लकड़ी खत्म हो गई थी इसलिए लोग लाशों को नदियों में फेंकने लगे थे। जब अखबारों और चैनलों में आया तो सरकार उसका कफन नुचवाने लगी। न ऑक्सीजन मिला, न बेड मिला, न वेंटीलेटर मिला। दवाई इतनी महंगी कि पाँच-पाँच लाख रुपया लिया जा रहा था। मैं एक बात सही कहता हूँ कि मैं उस टाइम बलिया में था तो कई पत्रकारों ने हमको फोन किया कि हमको हास्पिटल में बेड दिलवा दीजिये। सी0एम0ओ0 को

फोन किया गया तो वह फोन नहीं उठा रहे थे। अस्पताल में फोन किया तो वह कह रहे थे कि सी0एम0ओ0 भर्ती करेंगे। मैंने किसी तरह सहारा हास्पिटल में फोन किया और मैंने प्रार्थना की तो उन लोगों ने कहा कि कल अगर बेड खाली हुआ तो मैं भर्ती कर लूंगा, तब तक उस पत्रकार के पिता का स्वर्गवास हो गया। अब ऐसे समय में मा0 मुख्य मंत्री जी और अधिकांश मंत्रीगण बंगाल में जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे और यहाँ लोग मर रहे थे। जब मुख्य मंत्री जी को पता चला कि अब प्रदेश तो गया, तब यह लौटकर आये तब तक आधी जनसंख्या मर गई थी। अब जब हमारे कहने से सदन में हँसी छूट रही है। हमारा परिवार मरा, हमारी माँ विधवा, हमारी बहन विधवा, हमारी बेटी विधवा और हमारा बाप मर गया और यह लोग हँस रहे हैं।

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह कार्यवाही से निकलवा दें कि आधी जनसंख्या मर गई थी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप तो सक्षम हैं कि कुछ भी निकलवा दीजिए। हम ही लोगों को निकलवा दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

श्रीमन, आधी जनसंख्या मर गई, यह कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

तो निकलवा दीजिये न। आप तो सक्षम हैं, कुछ भी निकलवा दीजिये। हम लोगों को ही निकलवा दीजिये (सदन में हँसी) आप का हुकुम हो तो हम लोग जाएँ। आपकी आज्ञा हो तो हम लोग जाएँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आने वाले लोग ये कार्यवाही में पढ़ेंगे, आने वाले लोग इसे कार्यवाही में पढ़ेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जो निकलवाना हो, वो निकलवा दीजिये। हमको कहने दीजिये, आप निकलवाते रहिये, हम कहते रहेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आने वाले लोग कार्यवाही में पढ़ेंगे क्या ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप निकाल दीजिये, कौन रोक रहा है ? आप हमको ही निकलवा दीजिये। हम आपकी बात नहीं मानते तब न, हम तो जो आप कहते हैं, वही मान लेते हैं। चौबीस तक सदन चलता था, आपने कहा कल ही खत्म कर दो तो हम कहे चलो खत्म कर दो। मैं आपकी कोई बात मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल, आपके मुँह से बोलते समय फ्लो में निकला है कि प्रदेश की आधी जनसंख्या, आपके मुँह से आधी जनसंख्या निकला है। मैं यह कह रहा था कि आप जब अपना भाषण दे रहे थे तो आपके मुँह से निकला कि लौटे तो आधी जनसंख्या समाप्त हो गई थी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

उसमें जितनी हुई हो आप उतना जोड़ लीजिये (सदन में हँसी) अगर आपको गिनती याद हो तो उतना ही लिख लीजिए और जो निकालना हो, निकाल दीजिए। आप जितना भी जानते हों कि इतने लोगों की मौत कोरोना से हो गई, उतना ही लिख दीजए। जो प्रभावित हुए, वे मरे। हमने जो कह दिया, वह उसमें पड़ गया। आप उसको घटा दीजियेगा, आप यही लिख दीजियेगा। भई, केन्द्र सरकार ने तो कह दिया न कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं तो मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कोरोना काल में कितने लोग आक्सीजन की कमी से मरे हैं, कितने लोग बेड न मिलने के कारण से मरे हैं, कितने लोग वेंटीलेटर न मिलने से मरे हैं, कितने लोग दवाई न मिलने से मरे हैं, कितने लोग हास्पिटल में जगह न मिलने से मरे हैं, यह दुःखद घटना थी। इसलिए चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि तीन बजे खत्म करना है।

श्री अध्यक्ष-

यह आपकी और इनकी कोई गोपनीय चर्चा हुई थी क्या ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

कल इन्होंने कहा था। इनकी तो हम हर बात मानते हैं लेकिन ये हमारी कोई बात मानते ही नहीं हैं। हमारी बात मुख्य मंत्री जी मान लेते हैं। मैंने इनसे आग्रह किया कि हमारे क्षेत्र में एक गैस प्लांट लगवा दीजिये तो इन्होंने लिखा कि 15 दिन के अंदर मंजूर हो जाना चाहिए, हो गया लेकिन लगा नहीं। (सदन में जोरदार हँसी) मंजूर हो गया, इतनी कड़ी कार्यवाही हुई कि मंजूर हो गया। एजेंसी को पैसा चला गया लेकिन लगा नहीं। मैंने अपनी निधि से दिया तो वह भी नहीं लगा। अब सुन रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, डराए हुए हैं कि तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी। ये तो लोगों को जीने ही नहीं देंगे। पहली आई, दूसरी आई और दूसरी से अभी कुछ ही निजात मिली तो बोल दिया कि अब तीसरी आएगी। मा0 अध्यक्ष जी, ये तो लोगों को हादसे में मार दिये इसलिए अब कोई योग क्रिया मा0 मुख्य मंत्री जी ही कराएँ कि इस आपदा से गला छूटे लेकिन कैसे कराएंगे ? मा0 अध्यक्ष जी, जब आदमी चारों तरफ से थक जाता है दवा करा करके, ओझैती करा करके, सोखैती करा करके तो आदमी ईश्वर की शरण में जाता है मंदिर में, चाहे राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, दुर्गा का मंदिर हो, ब्रह्म बाबा हों, कोई बाबा हों, कोई धाम हो, लोग वहाँ जाते हैं

और कहते हैं कि महाराज अब आप ही रक्षा करो। अब कोरोना में गैस के अभाव से तो लोग मरे ही और इन्होंने मदिर के कपाट भी बंद करा दिये कि तुमको वहाँ भी जाने नहीं देंगे कि मरो, हम तुमको भगवान के मंदिर में भी माथा नहीं टेकने देंगे, इसलिए मरो। अध्यक्ष जी, आप तो जानते होंगे कि सावन मास में ही समुद्र का मंथन हुआ था और शंकर जी ने विष का पान किया था और देवताओं ने उनको जल से स्नान कराकर उनकी गर्मी खत्म करने का प्रयास किया तबसे पूरे सावन मास में भगवान शंकर को जल चढ़ाने का प्राविधान है। कांवर बंद, शिव जी के मंदिर बंद, जल गिराना है उनके सिर पर लेकिन गिराओ द्वार पर तो द्वार पर जो जल गिरेगा वह शिव जी के मस्तक पर कैसे जायेगा और उनकी गर्मी कैसे खत्म होगी ? न इलाज, न वेंटीलेटर, न आक्सीजन, न बेड, न दवाई और ईश्वर का दरवाजा भी बंद, मरने के लिए आप फ्री हो, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ (मेजों की थपथपाहट)। मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि मा0 मुख्य मंत्री जी को बोलना है, वह नेता सदन हैं और मैं नेता विरोधी दल हूँ। मैं अधिक कुछ न कहकर यह कहना चाहता हूँ कि इस अनुपरक बजट से जनता को कोई लाभ नहीं है, यह बजट गरीब, किसान, दलित, मजदूर, युवा वर्ग और शिक्षित बेरोजगार, नवयुवक एवं प्रबुद्ध वर्ग को हताश और निराश करने वाला है। अंत में हम, आप और जनता को इस सदन के बाहर है, उसके लिए दो पंक्तियाँ कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ-

हम मजबूर हैं कि देख नहीं सकते ये जुल्म-ओ-सितम
वह मजबूर हैं कि कमबख्त पत्थर दिल मानता नहीं,
जरा करवट बदल करके तो देखो आइना दिखाने के लिए।

मा0 अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।

टोकियो ओलम्पिक खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में उपस्थित होने हेतु अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा हेतु दलीय नेताओं के लिए समय निर्धारित किये जाने का अनुरोध

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे एक अनुरोध है, जैसा कि मा0 नेता विपक्ष ने इस बात को इंगित भी किया है कि आज ओलम्पिक के खिलाड़ियों का सम्मान होना है। इस सदन के जितने मा0 सदस्य हैं, उसमें सभी लोग सादर आमंत्रित किये गये हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि कार्य इस प्रकार से हो कि 2 बजे तक यह समाप्त हो जाये। मेरा आपसे अनुरोध है कि दलीय नेताओं के बोलने हेतु यदि आप कोई समय निर्धारित कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 शाह आलम जी, आप पाँच मिनट में अपनी बात कह दीजिये।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

मा0 अध्यक्ष जी, पाँच मिनट तो बहुत कम समय हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रयास करिये और देखिये कितना विषय आ जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक बजट पर चर्चा (क्रमागत)

***श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-**

ठीक है, अध्यक्ष जी, हम कम समय में ही अपनी बात कह लेंगे। धन्यवाद मा0 अध्यक्ष महोदय कि आपने इस अनुपरक बजट पर चर्चा करने के लिए मुझे अनुमति दी। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको मा0 नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कही गयी बातों से सम्बद्ध करता हूँ, चूँकि उन्होंने बहुत डीटेल और आंकड़ों के साथ चर्चा की है और उनकी बातों से, केवल उनकी बातों से ही नहीं बल्कि ऑन रिकार्ड मैं भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस अनुपरक बजट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले जो आप इतना भारी-भरकम बजट ले आये और आपने उसे सेंक्शन कराया, अभी वही पूरा खर्च नहीं हो पाया है। अभी जैसे मा0 नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे उन्होंने दर्जनों विभाग गिनाये जिसमें शून्य खर्च हुआ है उसके बाद और भी बहुत सारे विभाग हैं। यदि ऊपरी तौर पर ही आंकड़ों को देख लें और मैंने विवरण निकालने की भी कोशिश की तो कुछ ऐसे विभाग हैं, जहाँ पर खर्च के आंकड़े कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं वरना बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनमें बहुत बड़ी राशि अभी खर्च ही नहीं हुई है और न वहाँ पर गई है और सच्चाई यह है मा0 अध्यक्ष महोदय, चूँकि आपने कहा है कि अपनी बात कम समय में कहना तो मैं उसी लाइन पर चल रहा हूँ। मैं आंकड़ों पर बहुत बात न करके कुछ जमीनी हकीकत की बात करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। मैं बहुत पुराना नहीं हूँ लेकिन दूसरी बार चुनकर आया हूँ। हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं। यह बात बिलकुल सही है, बिलकुल सत्य है कि जमीन पर हर आदमी परेशान है। पूरे प्रदेश की जनता हताश और निराश है, सच्चाई यही है। अक्सर जो लोग सत्ता में रहते हैं, वह इसे मानते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि विपक्ष जो बात कह रहा है सिर्फ विरोध करने के लिए कह रहा है। मुझे याद है और शायद मुझे नहीं कहना चाहिए कि जब वर्ष 2012 का वक्त था, हमारे इधर के साथी वहाँ बैठते थे। कभी-कभी कुछ बातें जब हम लोग कहते थे तो वह बड़ा नाराज भी होते थे और बड़े अग्रेसिव हो जाते थे। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिन बाद चुनाव हुआ और आज हमारे वह साथी यहाँ हैं। आप 2022 में देखियेगा और मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर इस चुनाव में जनता जरा भी सूझबूझ से होगी और मेरिट के आधार पर चुनाव होगा तो आपके लिए 50 सीटें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जीतना भी मुश्किल हो जायेगा। आप देख लीजियेगा। अध्यक्ष जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, मैं यह दुख के साथ कह रहा हूँ। हम इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम यह विकास कर रहे हैं, हम वह विकास कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं लेकिन इसी प्रदेश में, इसी देश में सारी जनता कहती रही कि हम मर रहे हैं। सारे हास्पिटल चिल्ला-चिल्ला कर सरकार से कहते रहे कि हमारी मदद करिये और यह बात आन रिकार्ड है। वह कहते रहे कि हमारे पास 2-4 घंटे का वक्त है और 2-4 घंटे का आक्सीजन है, यदि सरकार ने हमारी मदद नहीं की तो बीसों लोग मर जायेंगे, पचासों लोग मर जायेंगे। इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है कि हम उनकी इतनी भी मदद नहीं कर पाये और लोग मर गये। यही हकीकत है, हम चाहे कुछ भी कहें। बेरोजगारी की हम बात करते हैं। जहाँ आप लोग कहते हैं कि हम यह बजट रोजगार के लिए ला रहे हैं, अरे भाई ! 5 साल आपके पास थे। आप इतना बड़ा बजट भी ले आये तो हम लोग खुश थे कि इतना बड़ा बजट आ रहा है, कुछ भला हो जायेगा लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इतनी बेरोजगारी इस देश में कभी नहीं थी। चूंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो अक्सर हमारे पास लोग आते हैं। एम0टेक0, पी0एच0डी0 किये हुए लड़के हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि भईया! अगर हमें 5-10 हजार रुपये में कुछ भी मिल जाये तो हम लोगों को कहीं लगवा दो। अध्यक्ष जी, यही हकीकत है। कभी-कभी तो बहुत अफसोस होता है। यदि हम जनप्रतिनिधि, सरकार और नेता लोग थोड़ा-सा अपने अंदर बदलाव ले आयें कि हम लोग मेरिट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आई ऐम सारी, यही इस देश की बीमारी है कि हम चुनाव धर्म और जाति के आधार पर ही लड़ रहे हैं। हम मेरिट पर नहीं आये हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि हमने यह विकास किया है इसलिए हमें वोट दें।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक पर बोल लीजिये।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

अध्यक्ष जी, हम अनुपूरक पर ही बोल रहे हैं, यह सब उसी का हिस्सा है।

श्री अध्यक्ष-

आप चुनाव बता रहे थे कि जाति, धर्म पर चलता है तो अनुपूरक पर थोड़ा-सा बोल लीजिए।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

अध्यक्ष जी, यह बेरोजगारी उसी का हिस्सा है। मैं कह रहा था कि चूंकि अनुपूरक पर पैसे की डिमाण्ड की गयी है कि नौजवानों के लिए हम यह ला रहे हैं और यह धन हमें चाहिए तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बेसिक शिक्षा जिसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, उसमें ही आप देखिये। हमारी सिंसियेरिटी यह है कि जिसको हम बुनियादी एजुकेशन कहते हैं, उसमें हमने पूरा धन खर्च नहीं किया है और हम मांग रहे हैं। सवाल यह है कि हम कितने

सिन्सियर हैं। विद्युत की बात हो रही है तो मैं एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में पिचरी एक जगह है, जहाँ इब्राहिमपुर ग्राम सभा है। वर्ष 2011 में जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो इसी प्रदेश का धन और जनता का धन जिसे मैं बार-बार कहता हूँ कि यह जनता का धन है, इसमें 3 करोड़ रुपये लगाकर सरकार ने वहाँ पर एक विद्युत उपकेन्द्र बनाया जिसका उद्घाटन भी हो गया लेकिन यह दुर्भाग्य है और हमारी सिन्सियेरिटी का लेवल क्या है कि आज तक वह चल नहीं पाया। यह उपकेन्द्र 1 एकड़ में फैला हुआ है। आज वहाँ मशीनें सड़ रही हैं। 5-7 करोड़ रुपये लगाकर वहीं मुबारकपुर में सपा की सरकार में बस अड्डा बना, परन्तु आज तक नहीं चल पाया। सड़कों का हाल आप देख लीजिए। नेता विरोधी दल सही कह रहे थे कि आप कहीं भी चले जाओ और किसी भी रोड पर चलकर देख लीजिए। हम लाख दावे करें, परन्तु जमीनी हकीकत क्या है ? माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं और मैं हाथ जोड़कर इनसे निवेदन करूँगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी कभी एक बार अपना दौरा आजमगढ़ लगा लीजिए और जो हमारा सदर अस्पताल है, मेन सिटी का जो कलेक्ट्रेट है, उस रोड पर कृपया करके आप चले जाइये तो शायद आपको पता चल जायेगा कि हकीकत क्या है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये, आपका विषय आ गया है।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी विकास की बात हो रही थी। अभी हमारे भाई भी कह रहे थे कि नाम बदल दिया, मैं तो बहुत गर्व से इस बात को कहना चाहता हूँ और सच्चाई यह है कि इस लखनऊ को हमने भी देखा है और हमसे ज्यादा आप सबने देखा है। जितनी ईमानदारी से विकास हमारी सरकार और माननीय बहन जी के शासन में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। नाम तो आपने भी बदला ये जो जनेश्वर मिश्र पार्क है इसे कांशीराम जी के नाम पर माननीय बहन जी ने बनवाया था। सहारनपुर डेन्टल कालेज की बात हो रही, वह माननीय बहन जी ने बनवाया था।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

अध्यक्ष जी, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, वह तो जैसा लोग करेंगे उनको वैसा फल मिलेगा। आज इस प्रदेश की जनता बहुत दुःखी है। जिस तरह से सारे समाज को ले करके शासन माननीय बहन जी ने चलाया, आप देखियेगा कि वो दिन दूर नहीं है कि ये भी भाई इधर आयेंगे। अब ये तो इधर आ ही चुके हैं अब हमारा नम्बर है उधर जाने

का। माननीय बहन जी आयेंगी तभी इस प्रदेश का भला हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।

***श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा कि ओलम्पिक में जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो एक निमंत्रण दिया गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन की प्रापर्टी है, हमको यहाँ से मिला है। जिन खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाना है। सदन की तरफ से उन सबको शुभकामनाएं। मैं आपके माध्यम से क्योंकि आप यहाँ हमारे संरक्षक हैं, सब कुछ हैं। यह हाउस, प्रापर्टी हमको यहाँ दिया गया निमंत्रण पत्र है। इस निमंत्रण पत्र में महामहिम राज्यपाल जी का नाम है, माननीय मुख्य मंत्री जी का है, हमारे दोनों डिप्टी सी0एम0 का है, मा0 खन्ना जी का है, श्री उपेन्द्र जी का है। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस हाउस में 403 एम0एल0ए0 यहाँ हैं, बाकी एम0एल0ए0 की उपस्थिति वहाँ किस हैसियत से होगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह कोई विषय नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह हाउस प्रापर्टी है। आपने मुझे दिया है। इस पर आप निर्णय कर दीजिये। यह हमारे केबिन में मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी विनती सुन लीजिये, इसमें कोई दोषपूर्ण बात नहीं है। कार्ड में महामहिम हो गये, माननीय मुख्य मंत्री जी, मंत्री-परिषद् हो गयी, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष-

यह बताइये कि आप निमंत्रण में जा रहे हैं या नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आप फैसला कर दीजिये। इस पर अगर अध्यक्ष, विधान सभा का नाम होता, अध्यक्ष, विधान परिषद् का नाम होता, नेता प्रतिपक्ष का नाम होता, नेता विधान परिषद् प्रतिपक्ष का नाम होता हमें कोई आपत्ति न होती लेकिन एक माननीय सदस्य का नाम लिखा जाना श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सदस्य, विधान परिषद्, बाकी हम विधान सभा के लोग वहाँ पर किस हैसियत से जायेंगे ? हमारी वहाँ पर गरिमामय उपस्थिति होगी या नहीं होगी ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति होगी या नहीं होगी ? कार्यक्रम है खेलकूद विभाग का, प्रमुख सचिव, होम का इसमें नाम आया, होना चाहिए था चीफ सेक्रेटरी का, निश्चित तौर पर आपसे हमारा अनुरोध है, विनती है कि आप व्यवस्था दे दीजिये कि वहाँ पर बाकी विधायकों की हैसियत क्या होगी ? गरिमामय उपस्थिति होगी या नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष-

आप जायेंगे तो गरिमामय रहेगी।

(श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह के खड़े होकर बोलने का प्रयास किया गया)

(सदन में व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नरेन्द्र जी, बैठिये, आगे से आपको कोई निमंत्रण देगा आपके जिले में भी तो सावधान रहेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

हम तो चाहेंगे कि आप व्यवस्था दे दें। यह शेष सदस्यों के साथ अपमान हो रहा है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

नहीं जाइये, नहीं जायेंगे हम लोग, कोई नहीं जा रहा वैसे भी।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिये, बहुत संक्षेप में बोल दीजिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, शुरू करें या लिख दें, इसको कार्यवाही में लिखा दीजियेगा फिर बोलने की आवश्यकता क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं, बोलने की आवश्यकता है, लेकिन समय के भीतर।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने आपको माननीय नेता विपक्ष ने जो बातें कहीं, उससे सम्बद्ध करती हूँ। कल बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में रुपये 7,300 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। अगर बजट को पढ़ा जाय, देखा जाय तो मैं यही कहूँगी कि ये खानापूर्ति है बजट की, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनुपूरक बजट जनहित के लिए होता है। यह राजनीतिक हित

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए नहीं, स्वयं हित के लिए नहीं और प्रचार-प्रसार के लिए नहीं होता है। इस बजट को अगर पढ़ें तो इसमें जनहित की कोई भी बात दिखाई नहीं दे रही है।

आपकी सरकार के 5 साल का लगभग यह अन्तिम सत्र होना चाहिए। यही समय था कि जब आप प्रावधान कर सकते थे, जिसका आपने संकल्प किया था, पर उसका कोई भी जिक्र इस बजट में नहीं है। इससे साफ दिखाई देता है कि सरकार की न नीति है और न ही नीयत है। केन्द्र सरकार की तरह यह भी एक जुमला है, जो इस बजट में लिखा गया है। खोखले दावे और हवाई घोषणाओं के अलावा बजट में और कुछ भी नहीं है। बहुत विस्तार से हमारे माननीय विपक्ष के नेता ने सारे आँकड़ों को रखा है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहती हूँ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि 3 हजार करोड़ रुपये युवाओं के रोजगार पर खर्च किये जायेंगे। पिछले 4 वर्ष में रोजगार की चाहत में घूम रहे और दर-दर भटक रहे नौजवानों को अगर कुछ मिला है तो केवल और केवल पुलिस की लाठियाँ मिली हैं। हर साल 70 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात सरकार ने की थी, रोजगार तो नहीं दे पाई, पर जो रोजगार था भी, वह छिन गया और जब सरकार से जवाब मांगा गया तो सरकार यह नहीं बता पाई कि यह जो 4 लाख को रोजगार देने की बात सरकार ने की थी, जिसका प्रचार-प्रसार हो रहा है, वह कहाँ दिया गया, किनको दिया गया और कब दिया गया ? कुप्रबन्धन पर भाजपा सरकार चरम पर है और हकीकत कुछ और दिखाई देती है। नौजवानों को रोजगार तो नहीं दे पाई, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कम से कम सरकार बेरोजगारी भत्ता जरूर देगी, पर भविष्य को अंधकार में डालकर नौजवानों से उनका यह हक भी सरकार ने छीन लिया। नारी उत्पीड़न की बात करते हैं। प्रदेश में आयेदिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, अध्यक्ष जी, वह किसी से छिपी नहीं हैं। मुझे उम्मीद थी और मैं पुनः अनुरोध करूँगी, माननीय मुख्य मंत्री जी से कि इस बजट में नारी उत्पीड़न फण्ड की घोषणा की जाये, ताकि उन महिलाओं को मदद मिल सके। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ हाथरस गई थी। मैंने उस परिवार को देखा कि उसको क्या समस्या है। अगर नारी उत्पीड़न फण्ड की घोषणा होगी तो ऐसी महिलाओं और उसके परिवारों को कुछ मदद मिल सकती है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा समस्याएं महिलाओं के सामने खड़ी हुईं। मैं भी एक गृहणी हूँ, जिस तरह से एक परिवार को चलाने के लिए, अपनी रसोई को चलाने के लिए, जब बेरोजगारी आई, गरीबी आई तो सबसे ज्यादा महिलाओं को समस्या हुई, 900 रुपये से ऊपर सिलेण्डर पहुँच गया। घर का खर्च और चूल्हा जलाना असम्भव हो गया। किसानों की बात करते हैं। मैंने सोचा था कि सरकार का यह अंतिम बजट है। कम से कम किसानों के हर तरह के कर्ज को माफ करने की घोषणा सरकार करेगी, पर उसका भी कोई उल्लेख इस बजट में नहीं है। आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा उत्पीड़न और अपमान किसानों का हुआ है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस सरकार में हुआ है। केवल और केवल इस अनुपूरक बजट में 66.50 लाख का प्रावधान किसानों के लिए किया गया है और वह किसान जो बारिश, बाढ़, आवारा पशु के

आतंक से, महँगे डीजल से, अध्यक्ष जी, क्या-क्या गिनाऊँ, इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ गये हैं। आज पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये के ऊपर पहुँच गया है। क्या सरकार सेस/टैक्स को घटा नहीं सकती है, जिससे आम आदमी को, मध्यम वर्ग को और किसानों को राहत मिल सके ? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, एक बड़ी ही गलत नीति है कि जब किसी भी किसान को क्षति पहुँचती है, दैवीय आपदा होती है या कोई क्षति होती है तो जब तक 50 प्रतिशत क्षति नहीं होती है, बीमा कम्पनी उसको लाभ नहीं देती है, यह एक गलत नीति है। बीमा कम्पनी तो मुनाफा कमा रही है पर किसान मर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यह जो कैम्पिंग है 50 प्रतिशत क्षति की, इस पर आप विचार करें और यह समाप्त होनी आवश्यक है। गन्ना किसानों के लिए बीस हजार लाख का प्रावधान किया गया है। 14 दिन में भुगतान की बात की गई थी।

4 साल के ऊपर बीत चुके हैं। कभी आपने छोटे व्यापारियों के बारे में सोचा, सार्वजनिक रूप से कोरोना की मार अगर किसी पर पड़ी है तो वह छोटे व्यापारियों पर पड़ी है। रोजगार बन्द हो गये, उनके परिवार भुखमरी की कगार पर पहुँच गये, उद्योग क्षेत्र के लिए इस सरकार ने 300001 लाख का प्राविधान इस सरकार ने किया है। क्या सरकार दिल पर हाथ रखकर बता सकती है कि अभी तक निवेश की बात तो बहुत करी, पर कितना निवेश हुआ।

ऊर्जा के क्षेत्र में 150000 लाख रुपये खर्च करने की योजना है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो घोषणा की थी, क्या 18 घंटे बिजली गांव में, 24 घण्टे बिजली शहर में आ रही है, क्या योजना है सरकार की, क्या रोड मैप है ? पूरे देश भर ने देखा कि चिकित्सा व्यवस्था के चरमराने से कोरोना की क्या महामारी हुई। माननीय नेता ने हमारे पूरे विस्तार से बताया मैं उसको दोहराऊंगी नहीं, पर क्या केवल 12 हजार 978 लाख रुपये का प्राविधान पर्याप्त है। मैं मानती हूँ कि अपर्याप्त है। माँ गंगा में तैरती हुई लाशें हमने देखी। पूरे प्रदेश की इससे मानवता आहत हुई है। मैं अनुरोध करूँगी कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है, उनके परिवारों को 25-25 लाख की अनुदान राशि सरकार को देनी चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि इस बजट में उसका प्राविधान जरूर होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, तदर्थ शिक्षकों के संबंध में मुझे पूरी उम्मीद है फिर से निवेदन करूँगी कि उनके लिए आप घोषणा कर दीजिये। जिन्होंने अपना पूरा जीवन अध्यापन कार्य में बिताया है, 5 साल, 7 साल, 8 साल की नौकरी बची हुई है, अगर आप उनको कम से कम इतनी घोषणा कर दें कि उनके सेवाकाल तक रहते उनको भुगतान वेतन का होगा और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, वह कहीं से भी अलग नहीं होती। 180 दिन की संविदा पर जो कर्मी रहे हैं, उनका विनियमितीकरण करना। मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए और मुझे उम्मीद भी थी कि आप इन संविदा कर्मियों के बारे में जरूर सोचेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की बात करती है सरकार, मुझे दुख है कि जो छात्र हमारा भविष्य है। आज उनकी छात्रवृत्ति उन

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इसमें कोई प्राविधान नहीं है, पिछले कई वर्षों से रुकी है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, बलिया लिंक रोड एक्सप्रेस-वे यह बड़ी-बड़ी घोषणाएं थीं, पर यह पूरी होतीं साढ़े चार साल में सरकार की योजना नहीं दिखाई दे रही है। बड़ी महत्वाकांक्षी योजनायें यह जो सरकार ने घोषणाएं कीं थी, आखिर यह पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, योजनाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जो इस सरकार में दिखाई नहीं देती। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रानिक मीडिया हो, देश में समाचार क्रांति है। पत्रकारिता से जुड़े लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी तब उन्होंने पत्रकारपुरम् की स्थापना की थी। इसी तरह इस सरकार को भी नये पत्रकारपुरम् की घोषणा करनी चाहिए और इसको इस बजट में रखना चाहिए। मुझे उम्मीद भी थी। थोड़ा सा अनुरोध आपसे करना चाहती हूँ। जितने हमारे 403 विधायक हैं। हम सब चुनाव वर्ष में इस बार जा रहे हैं और यहाँ से क्या लेकर जायेंगे, आप तो हमेशा दान-पुण्य करते रहते हैं। यह सभी साथी हैं हमारे। कुछ आप हम सबको दे दीजिये, हम अपने क्षेत्र में क्षेत्र की जनता के लिए लेकर जायें। मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि 2-2 सौ हैण्डपम्प और सोलर लाइट, मिल जायें तो कम से कम हम सब 403 विधायक कुछ अपने क्षेत्र की जनता के लिए लेकर जाते। यह आपसे अनुरोध है। अन्त में इतना ही कहूँगी कि हम सबकी इच्छा भी एक है।

मुझे उम्मीद है कि जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तब फिर सदन में जवाबदेही से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब यही चाहते हैं कि सदन चले और हम सब अपने क्षेत्र की समस्याएं ले करके यहाँ आयें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

***श्रीमती लीना तिवारी-**

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट पर अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र को जीवन्त बनाने वाला यह उत्तर प्रदेश माननीय मुख्य मंत्री परमपूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश बन गया है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी प्रत्येक सरकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुँचाया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने जो 7,301 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है, वह स्वागत योग्य है। इस बजट में तीन हजार करोड़ रुपये युवाओं के लिए रोजगार पर खर्च होंगे। इस बजट में आशा वर्कर, चौकीदारों, ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, प्रान्तीय रक्षक दल, रसोइया समेत विभिन्न सम्भाग में काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ाने का जो जिक्र किया गया है उससे ग्राम स्तर पर तैनात कर्मचारियों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। अधिवक्ताओं के लिए भी स्पेशल बजट लाया जा रहा है। गन्ना किसानों के बकाये का भी भुगतान किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदन को मैं यह बताना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहूँगी कि वैश्विक महामारी कोविड के बाद यह अनुपूरक बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है वह आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि मानसून सत्र में प्रस्तुत इस अनुपूरक बजट में माँ विन्ध्यवासिनी धाम, अयोध्या और वाराणसी में धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण के साथ-साथ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गयी है।

सम्मानित सदन और समूचा उत्तर प्रदेश इस बात से अवगत है कि कोरोना वायरस के कारण हुई मौत से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना, निराश्रित विधवाओं की मिशन शक्ति जैसी योजनाओं से पंक्ति में खड़े हुए अन्तिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने का जो काम किया गया है वह अपने आप में एक मिसाल है। बजट में अधूरी योजनाओं को आगे बढ़ाने व पूरा कराने के लिए सरकार ने जो खजाना खोला है वह काबिल-ए-तारीफ है। माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुआयामी व्यक्तित्व उनके कठिन परिश्रम और चिन्तन को दर्शाता है और उनका चिन्तन हमेशा प्रदेश के जनजीवन को प्रकाश की ओर ले जा रहा है। मैं अपनी पार्टी अपना दल (एस) की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जिस तरह से आपने अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से प्रदेश की सभी सम्मानित जनता को भयमुक्त करने का कार्य किया है वह उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसी उत्कृष्ट सोच और सबके सहयोग से प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य योजना बनायी है वह आने वाले समय में सभी के लिए आदर्श और प्रेरणास्रोत बनेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री और उनके मंत्रि-मण्डल को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और अगर मैंने ये धन्यवाद नहीं कहा तो मैं और मेरी पूरी पार्टी स्वार्थी कही जायेगी। सबसे पहले मैं कोरोना से शुरुआत करती हूँ। कोरोना के वैश्विक दौर में जब पूरे देश और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय हमारे अभिभावक, हमारे मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रि-मण्डल के कुछ सदस्य तथा उनकी टीम के कुछ सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गये थे, फिर भी आइसोलेटेड होने के बावजूद भी उन्होंने प्रदेश के जन-जन की चिन्ता की, और उन्हें किस तरह से राहत पहुँचायी जाये, इस विषय में भी वह गम्भीर नजर आये।

पूरे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग हुई, राशन वितरण किये गये, सबसे ज्यादा दवाइयों की व्यवस्था की गयी, हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने दवाई की पैकेट प्रत्येक घर में पहुँचाने का कार्य किया है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हमारे प्रदेश में हुआ है। हमारे प्रदेश का रिकवरी रेट भी सबसे ज्यादा रहा है। ये सब हमारे मा0 मुख्य मंत्री और उनकी टीम की सूझबूझ और गम्भीरता से सम्भव हो पाया है। मैं प्रशंसनीय कार्य के लिए आपको सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपसे ही प्रेरणा लेकर हम सभी विधायकगण अपने-अपने क्षेत्र में आक्सीजन प्लांट लगवाया है। अब हम कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह

से तैयार हैं। अब आक्सीजन की कमी से किसी के भी प्राण नहीं जायेंगे। हमारी सरकार में पक्ष-विपक्ष के सभी विधायकगण को प्राथमिकता दी गयी है। पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया गया है। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। मैं इसके लिए उप मुख्य मंत्री और आदरणीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका हो गया। अपनी बात समाप्त करिए।

श्रीमती लीना तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूँ। पहले एक-एक हफ्ते बिजली नहीं रहती थी, अब ऐसा नहीं है। अब अगर दो घंटे गाँव में बिजली चली जाती है, तो हमारे पास ग्रामवासियों के फोन आने लगते हैं। पूरे प्रदेश में लगातार विद्युतीकरण की क्षमता में वृद्धि हो रही है। अभी कल ही ऊर्जा मंत्री जी ने जन्माष्टमी की बधाई देने के साथ-साथ विभिन्न योजनाएं हम तक पहुँचायी है। मैं इसके लिए मा0 ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ। पर्यटन संवर्धन के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन की व्यवस्था की गयी है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, चाहे मातृ सुरक्षा माह हो, दिव्यांगों को साइकिल देने की व्यवस्था हो, गाँवों के समूह को खेलकूद किट का वितरण करना हो, गाँवों में खेलकूद के मैदान का निर्माण कराना हो या फिर प्रत्येक गाँवों के तालाब का सौन्दर्यीकरण या अटल मनरेगा पार्क का निर्माण कराना हो, इन सभी योजनाओं को कोरोना कालखण्ड में भी संचालित किया गया है। आपके ही सरकार के द्वारा गरीबों के इलाज के लिए मुफ्त पैसा दिया गया है। आयुष्मान कार्ड का वितरण करना एक स्नेही अभिभावक का परिचय देता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्रीमती लीना तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूँ। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में 69000 शिक्षकों की भर्ती के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। राजकीय विद्यालय में उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से जनपदवार नियुक्ति-पत्र वितरण कर आपने जो मिसाल पेश किया है, वह कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। मैं इसके लिए अपनी पार्टी, अपना दल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ।

हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीदों की शहादत को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित परिवारों को अमृत महोत्सव के माध्यम से जो सम्मान दिया है, वह इतिहास में

स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। मैं स्वयं अपने को सम्मानित महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं0 राज किशोर तिवारी जी की पौत्र वधू हूँ, जो चार बार इस सदन के सदस्य भी रह चुके हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन में आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि मेरे 370, मड़ियाहूँ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पाली बुकवन मार्ग के रेलवे ट्रैक पर मानव रहित क्रासिंग है, जिस पर आयेदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहाँ पर रेलवे फाटक बनाया जाना अति आवश्यक है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री ओम प्रकाश राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता कांग्रेस जो बात आप लोगों ने कही है, हम 99 प्रतिशत बातों से सहमत हैं लेकिन 1 प्रतिशत सहमत नहीं हैं। उसको मैं बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने कहा कि सरकार ने कोई विकास नहीं किया है इन लोगों को पता नहीं है लेकिन जानते हैं, बताते नहीं हैं। चुनावी प्रक्रिया में 70 साल में महंगाई में 1 नम्बर पर पहुँच गई है और गैस सिलेण्डर 400 से 900 पहुँचा दिया है और डीजल 55 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति लीटर हो गया है। प्रदेश में बेरोजगारी एक नम्बर, गरीबों को शिक्षा दिलाने में एक नम्बर, प्रमुखी के चुनाव में चीरहरण में एक नम्बर, आप देखिये कहाँ-कहाँ विकास हुआ है। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता अपना दल, ये तो सत्ता के लोग हैं, सत्ता के गीत गाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में पिछले चार वर्षों से कर्मचारी सरकार से महँगाई एक तमाम तरह की मुश्किलों का हवाला देकर पारिश्रमिक बढ़ाने की गुहार लगा रहे थे, तब सरकार ने नहीं सुना, अब चुनाव नजदीक आते ही सरकार ने अनुपूरक बजट को पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगकर चुनाव जीतने का दावा किया है। अनुपूरक बजट का पूरा फोकस चुनाव में मानदेय पर काम करने वालों को खुश करने का बजट है। फील्ड कर्मियों को खुश करने का बजट है। बजट में जो व्यवस्था है। मैं एक वेबसाइट पर खोज रहा था और दो पन्ने मैंने वेबसाइट से निकाला है और हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है और इन्होंने प्रयास किया है कि सरकार बन जाये। मान्यवर, 2020 और 2021 पिछड़े वर्ग के साथ अनुदान 125 करोड़ रुपया कम कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गरीब पिछड़े वर्ग अप्रैल-मई में शादी करते हैं इस नाते शादी-अनुदान कम हो गया है क्योंकि चुनावी समय में शादी नहीं है। मान्यवर, अनुदान 125 करोड़ कम हो गया है।

मान्यवर, आगे इसी में 2020 और 2021 में अनुसूचित जनजाति को 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति मिलती है और सामान्य वर्ग को लगभग 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति जितने बच्चे थे वह मिल गये, 20 लाख 302 बच्चे पिछड़ी जाति के हैं, इनको 12 लाख 3476 लगभग 8 हजार बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसके लिए कोई बजट का प्राविधान नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय वित्त मंत्री जी इसको दिखवा लीजिए 8 लाख बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति से वंचित हैं। अब आगे मान्यवर पिछड़े वर्ग के समाज के लिए सरकार ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना चला रखी है उसमें मान्यवर एक भी पैसे की वृद्धि नहीं हुई है जो आपका बजट 2019-2020 में था वही बजट 2020-2021 में है। इस बजट में उसमें वृद्धि का कोई प्राविधान नहीं है।

यह जो मैंने वेबसाइट से निकाला और पढ़ा है, इस नाते आपको अवगत करा रहा हूँ और मजे की बात है शुल्क प्रतिपूर्ति में पिछली बार 2019-2020 में 999.69 करोड़ रुपये का बजट था, इस बार 2020-2021 में जो बजट का प्राविधान किया गया है, जो मैंने इस बुकलेट में पढ़ा है 905.03 करोड़ रुपया है अर्थात् 94.66 करोड़ रुपया शुल्क प्रतिपूर्ति में ही कम कर दिया गया है और इस बजट में शुल्क प्रतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है। हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इस पर विचार होना चाहिए।

सरकार ने अनुपूरक बजट में चुनावी प्रचार के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो मैंने पढ़ा, सुना और देखा है। वहीं पिछड़े समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं कितना कहूँ, चूँकि समय की बाध्यता है। माननीय वित्त मंत्री जी का जो अनुपूरक बजट है, उसको मैंने पढ़ा है। उसमें प्रान्तीय रक्षक दल की मानदेय बढ़ाने की बात आपने कही है। यह अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन प्रान्तीय रक्षक दल और होमगार्ड को एक ही विभाग चलाता है। प्रान्तीय रक्षक दल को 375 रुपये प्रतिदिन मिलता है वहीं होमगार्ड को 700 रुपया मिलता है तो इतना विभेद नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही थाने में वे दोनों ड्यूटी करते हैं। मान्यवर, इसको आप दिखवा लीजियेगा। चौकीदार जो थाने पर रहता है वह महीने भर ड्यूटी करता है। पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो इन्होंने 1500 रुपये बढ़ा दिया था और वह 2500 रुपया हो गया था। मैं चाहूँगा कि चौकीदार के मानदेय को भी बढ़ाया जाये क्योंकि दिहाड़ी मजदूर को जो मजदूरी दी जाती है उस हिसाब से चौकीदार को भी महीने भर की तनख्वाह दी जाये। अगर ज्यादा नहीं दी जा सकती है तो 10 हजार रुपया महीना कराने की व्यवस्था करें। माननीय मुख्य मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं और बिना उनके निर्देश पर वित्त मंत्री जी कुछ करने वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी तो वित्त मंत्री जी से डायरेक्ट दोस्ती रही है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह अनुपूरक बजट आगामी चुनाव को देखते हुए रखा गया है। हर सरकार यही करती है, यह कोई नया काम नहीं है। हर सरकार

को हमने पढ़ा, धीरे-धीरे देखा है। जो उधर (सत्तापक्ष की तरफ) बैठते हैं और अंतिम चरण आता है तो यही काम होता है।

यह अनुपूरक बजट पूर्णरूप से चुनावी बजट है, लोगों को छलने व गुमराह करने का बजट है। इसी के साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद। यह अच्छा अवसर है कि आज माननीय प्रतिपक्षी दल के नेताओं ने जो कुछ कहा उस दरम्यान पूरे समय माननीय नेता (माननीय मुख्य मंत्री) सदन में उपस्थित रहे। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह अपनी बात रखें।

(मुख्य मंत्री जी के खड़े होने पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि प्रदेश सरकार के इस अनुपूरक बजट को जिसे मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया था, उस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता अपना दल (एस), माननीय नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा जो अपने विचार रखे गये हैं मैं उन सबका स्वागत करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2021-22 का बजट इस सदन में फरवरी माह में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था। उस समय उन सभी बातों को ध्यान में रखकर, जिसे ले करके 2017 में हम लोग जनता के सामने आये थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के उन सभी संकल्पों को ध्यान में रखकर बजट प्रस्तुत किया गया था। पिछले 16-17 महीनों से न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेल रही है। इस महामारी से जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए जो प्रयास प्रारम्भ हुए और अलग-अलग तबके के लोगों ने जो अपना योगदान किया, उसके कल्याण के लिए जो कार्यक्रम केन्द्र और प्रदेश सरकार ने प्रारम्भ किये हैं, उसके बीच में कुछ ऐसी मदें थीं, जिन पर मानसून सत्र में इस अनुपूरक बजट के साथ हमारी सरकार को फिर से सदन में आना पड़ा है। कोरोना महामारी को मात देते हुए हमारे सभी माननीय सदस्यगण इस सदन में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनन्दन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।

मैं इस बात से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार ने 2017 में अपना पहला बजट प्रस्तुत करते समय जो बात कही थी, उस समय मैंने अन्त्योदय के प्रणेता महान विचारक, चिन्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कुछ पंक्तियां इस सदन में रखी थीं और उस समय मैंने इस बात को कहा था कि अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, उसे सबके विश्वास के साथ जोड़ते हैं तो यह अचानक नहीं है। यह हमारा भाव है, दर्शन है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है और यह हमारी कार्य पद्धति

में पग-पग पर झलकेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही बात कही थी कि आर्थिक योजनाओं और आर्थिक प्रगति की माप समाज की ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से होगी और शासन ने बिना किसी भेदभाव के अपनी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है और उसके परिणाम भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अन्दर बजट का दायरा लगभग दोगुना हुआ है। 2015-16 में लगभग ढाई लाख करोड़ का बजट आया था, 19 करोड़ की आबादी का राज्य था। 2016-17 में 3 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का बजट आया था और आज हम लगभग 6 लाख करोड़ रुपये तक बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल हुए हैं यानी बड़ी सोच, बड़े कार्य तो बजट का दायरा भी बड़ा होगा।

24 करोड़ की आबादी और प्रदेश का बजट दो लाख तीन लाख करोड़ का हो तो ऊँट के मुंह में जीरा और यह पहले संकीर्ण सोच थी तो संकीर्ण सोच से विराटता की कल्पना नहीं की जा सकती थी लेकिन प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के न जाति न मत न मजहब न क्षेत्र न भाषा बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस भाव के साथ जो कार्यक्रम किये उसका परिणाम यह हुआ कि विकास का दायरा बढ़ा। पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी हुई है। 1947 से लेकर 2017 तक प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय में जितनी वृद्धि हुई, विगत पांच वर्ष के दौरान प्रदेश की इस विकास यात्रा में हम प्रति व्यक्ति आय को वहां तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रदेश की जी0एस0टी0 पांच वर्ष पहले 10 लाख 11 लाख करोड़ के आस-पास थी आज हम इसे 20-21 लाख करोड़ तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था कोई आता था देश के सामने, दुनिया के सामने और हमें जब प्रदेश के प्रजेन्टेशन को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता था तो एक बात आती थी कि उत्तर प्रदेश देश में आबादी में सबसे बड़ा राज्य है लेकिन अर्थव्यवस्था में हम कहाँ हैं क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं वह अर्थव्यवस्था प्रधान युग है। इसमें हम कहां हैं 2015-16 में देश की छठी अर्थव्यवस्था थी। आबादी में नम्बर एक थे। दंगों में नम्बर एक पर थे। जातीय दंगे होते थे। साम्प्रदायिक दंगे होते थे। भ्रष्टाचार में नम्बर एक थे। विकास में सबसे पीछे थे। गरीब कल्याण की कोई बात ही नहीं करता था। अर्थव्यवस्था में 6 नम्बर पर थे मात्र साढ़े चार वर्षों के दौरान जो परिश्रम हुआ है उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश की नम्बर दो की अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

ईज ऑफ डुइंग बिजनेस व्यवसाय की सुगमता रोजगार की बड़ी-बड़ी चर्चा कर रहे थे। मुझे आश्चर्य होता है कि रोजगार सरकारी नौकरी के साथ-साथ निजी क्षेत्र में नौजवानों के पसंदीदा कार्य उनको मिल सकें। उस प्रकार के अवसर उन्हें प्राप्त हो सकें इसके लिए हमें देश और दुनिया के निवेश को आमंत्रित करने का अवसर देना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था रिफार्म परफार्म एण्ड ट्रांसफार्म तीन मंत्र दिये थे उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे अक्षरशः यहां लागू किया है। जो रिफार्म किये गये उसके परिणाम सामने आये। सरकार ने जो परफार्म किया आज

उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस व्यवसायिक सुगमता क्या होनी चाहिए व्यापक संशोधन किये उस प्रकार की नीतियां बनाई गईं, आज परिणाम है कि अगर दुनिया के अंदर भारत निवेश का सबसे अच्छा गन्तव्य है तो देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गन्तव्य बना है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में 2015-16 में उत्तर प्रदेश 16वें नम्बर पर था। आज उत्तर प्रदेश नम्बर दो पर आ गया है। टूरिज्म में गंगा मैया की कृपा उत्तर प्रदेश पर बरसती है। महाराज भागीरथ गंगा को लेकर इसी उत्तर प्रदेश में आये थे। भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश में है। तमाम शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में हैं। देश की स्वाधीनता आन्दोलन का केन्द्र बिन्दु उत्तर प्रदेश है।

आध्यात्मिक पर्यटन का हो या फिर उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म का, हैरिटेज टूरिज्म का हो या फिर इस देश के अंदर देश की स्वाधीनता आन्दोलन को नई दिशा देने वाला कार्य, उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका रही है। इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया, केवल अपने नाम के स्मारक बनाये गये हैं। अपने नाम को महिमा मंडित करने के प्रयास जरूर हुए, अयोध्या की तरफ लोग झांकते तक नहीं थे लेकिन आज हर व्यक्ति कह रहा है कि राम तो हमारे भी हैं। काशी की तंग गलियां, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में दुनिया के अंदर भारत के पौराणिक वैभव को प्रस्तुत करने जा रहा है, किससे छिपा हुआ है ? पुरातन काया में नये कलेवर के साथ काशी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद् भगवान कृष्ण की लीला, बहुत लोग दावा कर रहे थे। 2017 के पहले लोग क्या कहते थे कि हम कंस की मूर्ति लगायेंगे। जब हमने मानसिकता चेंज की, आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद् के माध्यम से ब्रज क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है, सभी स्थल तीर्थ घोषित हो चुके हैं। सभी लोगों को मौका मिला था यह काम करने का, यह भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। पहले राम, कृष्ण, शंकर ये सभी उनके लिए साम्प्रदायिक दृष्टि थी और आज जब लगता है कि अब यह वृहद् समाज माफ नहीं करने वाला है तो सब लोग दण्डवत होकर कहते हैं कि साहब हम भी राम के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी शंकर के भक्त हैं। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गईं) ये चेंज, ये विचारधारा की जीत है और मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों के लिए यह सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम कहते थे आज वह कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति लाइन में लगा है, होड़ लगी है। कुम्भ कैसे होना चाहिए ? प्रयागराज, 10 हजार वर्षों से अधिक का लिखित इतिहास जिसका है, दुनिया का पहला गुरूकुल जिसे महर्षि भरद्वाज ने प्रयागराज में स्थापित किया था, आखिर बहुत सारे लोगों को कुम्भ का आयोजन करने का अवसर मिला, प्रदेश में सत्ता में रहने का, कुछ लोगों को दशकों तक मिला, कुछ लोगों को कई बार मिला, बार-बार मिला, वे भी कर सकते थे लेकिन ऐसी सोच नहीं थी क्योंकि कुम्भ का मतलब उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुम्भ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पायेंगे। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गईं) आज सबकी

टोपियां उतर गयी हैं, आज सब गायब हो गये हैं, क्योंकि कुम्भ ने सबको ढक दिया है, सबको डायल्यूट कर लिया है। वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज कुम्भ और माँ गंगा की कृपा ऐसी, इतना सुन्दर, इतना सुरक्षित, इतना सुव्यवस्थित आयोजन 24 करोड़ श्रद्धालु एक जगह, एक स्थान पर आ करके इसमें सहभागी बनें, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। यह श्रेय भी उत्तर प्रदेश को जाता है।

आज पर्यटन में उत्तर प्रदेश, हम लोग जब 2017 में आये थे चौथे, पांचवे स्थान पर थे आज नम्बर एक पर हैं। सबसे अधिक टूरिस्ट अगर कहीं आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। हर व्यक्ति यहाँ आता है और इसके बहुत सारे कारण हैं। सरकार की सुविधायें हैं, सरकार के द्वारा किये जा रहे प्रयास हैं, सुरक्षा है, सरकार के द्वारा जो नये-नये प्रयास किये गये हैं, आज वह परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर और ईज ऑफ लिविंग में लोगों के जीवन की सुगमता है। यह सुगमता हर एक फील्ड में है।

निवेशकों को सुरक्षा का माहौल देना, सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से उनको निवेश के लिए प्रदेश के अंदर इस प्रकार का वातावरण देना एक कॉमन मैन के लिए उस प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर देना और एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए किसी को आवास की सुविधा देना, किसी को शौचालय की सुविधा देना, किसी को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा देना, किसी को रोड कनेक्टिविटी कर देना, किसी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उसको राशन कार्ड उपलब्ध करा देना। महोदय हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं दुनिया के अंदर जितनी भी महामारी आयी, भगवान करे कि यह महामारी कहीं न आये।

लेकिन महामारी की अपनी त्रासदी रही है। महामारी बीमारी से लोग मरते रहे हैं और बीमारी से ज्यादा भूख से मौतें हुई हैं। 1918 से लेकर 1926-1927 तक स्पेनिश फ्लू के कारण दुनिया के अंदर सर्वाधिक मौतें होने के अब तक रिकार्ड हैं। मैं भी उन आंकड़ों में आऊंगा। अगर आप देखेंगे सन्यासी विद्रोह जिस पर बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय को वंदेमारतम लिखना पड़ा था। आखिर यह क्या है ? यह उस समय की महामारी की त्रासदी के बीच सरकारी संवेदनहीनता का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। लोग उस समय भीषण अकाल में भूखे मर रहे थे। सरकारें संवेदनहीन थीं और हम आभार व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का उन्होंने कोरोना महामारी के बावजूद जीवन को भी बचाया और जीविका को बचाने के हरसंभव प्रयास हुए और हर एक गरीब को फ्री में अन्न उपलब्ध कराने का कार्य भी किया गया। गरीब को अन्न उपलब्ध हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष को यह बुरा लग रहा है। यानी किसी को फ्री में चावल, गेहूँ, अन्य सुविधाएं मिल रही हैं तो मुझे लगता है यह बुरा नहीं और फ्री में ले जाने के लिए बैग भी दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों नेता प्रतिपक्ष को यह चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं ? महोदय इन लोगों को तब भी बुरा लगा था जब हम लोगों ने मुख्य मंत्री

सामूहिक विवाह योजना चलाई थी, यही सदन है। हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत भोले-भाले हैं, बाद में अपनी बात भूल भी जाते हैं। उन्होंने तब भी कहा था कि यह गरीबों का अपमान है और मैं इस सदन को अवगत करा रहा हूँ कि पिछले चार-साढ़े चार वर्ष के दौरान एक लाख बावन हजार कन्याओं की शादी मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना से हुई है। आखिर वह किसी की बहन और बेटी है। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से शादी-ब्याह हो रहा है और वह एक नये जीवन में प्रवेश कर रही है। यह सरकार को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हमारे जन-प्रतिनिधियों को सौभाग्य प्राप्त होता है कि वे वहां जाकर कन्यादान कर सकें। इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है और इसका भी विपक्ष ने विरोध किया था, यह गरीबों का विरोध है यानी यह दिखाता है कि हमारे विपक्ष के मित्र जमीन पर चलने के आदी नहीं हैं। अगर जमीन पर चलने के आदी होते तो ये गरीब की पीड़ा को सुन रहे होते। अगर गरीब की पीड़ा को इन्होंने सुना होता तो संभवतः ईज ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रारम्भ किया था उसको पिछली सरकारें भी अच्छे ढंग से लागू कर पातीं। अगर ईज ऑफ लिविंग के मुद्दे पर मैं शौचालय की बात करूँ प्रदेश के अंदर 02 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लागू हुआ था 2014 से लेकर मार्च, 2017 तक प्रदेश के अंदर कुल सत्ताइस लाख अड़सठ हजार शौचालय बन पाये थे और महोदय हम लोगों ने मार्च, 2017 से लेकर 02 अक्टूबर 2019 तक प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाये हैं। गरीबों के लिए ही बनाये हैं। वो गांव का गरीब था। हाँ, हमने किसी की जाति नहीं देखी। हमने किसी का क्षेत्र, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा।

आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारम्भ होने से लेकर मार्च, 2017 तक मात्र 10 हजार लोगों के आवास स्वीकृत हो पाये थे। महोदय आज मैं सदन को अवगत करा रहा हूँ कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमारी सरकार अब तक 40 लाख लोगों को एक-एक आवास दे चुकी है।

2 करोड़ 94 लाख से अधिक लोगों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराये जा चुके हैं। इसके लिए बिजली इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। जिन गांवों ने कभी बिजली नहीं देखी वहां पर भी बिजली पहुंचाने का काम किया है। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत बिजली कार्यक्रम को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। इस कार्य में कोई जाति का भेदभाव नहीं हुआ है। कोई हमारा समर्थक था या नहीं था। समस्त उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है। हमारी ऐसी कोई सोच नहीं है कि हम एक परिवार को साथ लेकर चलें। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ही परिवार है और विकास भी सबके लिए होगा। 1947 से 2016 तक कुल 2 करोड़ 47 लाख लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले थे। उसके बाद 3 करोड़ 94 लाख लोगों को अब तक रसोई गैस के कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करा चुके हैं जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाया जा सके। सरकार के द्वारा इस दिशा में प्रयास किये गये हैं। उन प्रयासों के परिणाम आज जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल खंड

के दौरान 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध कराया गया था। अप्रैल, 2020 से नवम्बर 2020 तक और 2021 में मई, जून, जुलाई, अगस्त का खाद्यान्न राज्य सरकार ने अपने स्तर से सभी गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य किया है। यह पहली महामारी है जिसमें एक भी गरीब भूखा नहीं मरा है। हमें महामारी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम बीमारी ही स्वीकार नहीं करेंगे तो बीमारी से बचाव के लिए अभियान आगे कैसे चलायेंगे। अतः हमें बीमारी को स्वीकार करना ही होगा। हमको महामारी से बचाव के लिए जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। यहां पर नेता प्रतिपक्ष अपने कुछ नये आंकड़ों के साथ आये थे। नेता प्रतिपक्ष आंकड़ों के साथ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आंकड़े उनके सब गलत साबित हो जाते हैं। जनता जानती है इस बात को। इसलिए नेता प्रतिपक्ष में मैं तो दौड़ कर आया था। मैंने सोचा कि इतना हल्ला क्यों हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष इतनी जोर से बोल रहे थे। वैसे वह बहुत अच्छे वक्ता भी हैं पर कभी-कभी अपनी बातों को भूल जाते हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह महामारी है और महामारी में प्रत्येक व्यक्ति को बचाव के उपाय करने चाहिए जिससे कि हम प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचा सकें।

किसी व्यक्ति की लड़ाई है, प्रदेश की लड़ाई है, देश को सुरक्षित करने की लड़ाई है, इस महामारी से बचाव की लड़ाई है। जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस समर्पण भाव के साथ, प्रदेश इस लड़ाई को लड़ रहा है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब उसका हिस्सा बनें। इस महामारी के दौरान जो कार्य किये गये वह सबके सामने हैं। किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप कह रहे थे कि हम आंकड़ें जानना चाहते हैं तो मैं आंकड़े लेकर ही आपके बीच आया हूँ। आपके बताने के लिए मैं देश के आंकड़े भी लेकर आया हूँ, दुनिया के आंकड़े भी लेकर आया हूँ और उन राज्यों के भी लेकर आया हूँ जहां पर आपके मित्रों की सरकार है। पहले मैं दुनिया में कोरोना के आंकड़े बताता हूँ। दुनिया की कुल आबादी आज के दिन पर लगभग पौने आठ अरब है, यानि 775 करोड़ के आस-पास दुनिया की पूरी आबादी है जिसमें कोरोना के कुल केस 21 करोड़ से ज्यादा हैं। दुनिया में कोरोना से मौतें हुई हैं 44 लाख से ज्यादा और रिकवरी रेट 89.57 प्रतिशत है। अब दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतों की मैं बात करता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका माना जाता है। यह माना जाता है कि उसके पास अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर है और वहां पर हर व्यक्ति का फ्री में उपचार हो रहा है। जब कोरोना की दूसरी लहर उत्तर प्रदेश और देश के अंदर थी तो हमारे कई मित्र कहते थे कि वहां के मॉडल को अपनाना चाहिये। वहाँ का मॉडल अच्छा होगा, उन्होंने इतने लोगों को वैक्सीन दे दी है। अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ है और वहां पर कुल केस 3 करोड़ 80 लाख हैं। आप लोग नोट करते जाइये और गुड्डू जमाली जी आप भी नोट कर लीजिये। आप पढ़े-लिखे हैं और आप याद रखते हैं। अमेरिका में मौतें हुई हैं 6 लाख 41 हजार और रिकवरी रेट 79.73 प्रतिशत के हैं। एक और देश जहां आप लोग अक्सर जाने की ख्वाहिश पाले रहते हैं वह है इंग्लैण्ड। इंग्लैण्ड की कुल आबादी 6.7 करोड़ है और केस 63 लाख हैं। वहाँ पर कुल

मृत्यु हुई है 1 लाख 31 हजार और रिकवरी रेट 77.1 प्रतिशत है। अब हम ब्राजील पर आते हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और ब्राजील की आबादी लगभग बराबर है। ब्राजील में कुल केस हैं 2 करोड़ जिसमें मौत हुई हैं 5 लाख 70 हजार, रिकवरी रेट 92.5 प्रतिशत है। अब मैं आता हूँ महाराष्ट्र राज्य पर। कहते हैं कि देश के अंदर महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था में नम्बर एक पर है। महाराष्ट्र की आबादी उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के बराबर है। लगभग 12 करोड़ की आबादी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के अंदर कुल केस 64 लाख हैं, मौत हुई हैं 1 लाख 39 हजार, रिकवरी रेट 96 परसेण्ट है। यह माना जाता है कि देश के अंदर सबसे पढ़ा-लिखा राज्य केरल है। केरल की आबादी 3 करोड़ 46 लाख, कुल केस 37 लाख हैं। 18743 कुल मौतें हुई हैं यानी केरल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग आठवां हिस्सा है और रिकवरी रेट 97.5 फीसदी है। अब मैं भारत के अंदर आता हूँ। देश की कुल आबादी 130 करोड़ है। कुल केस 3.23 करोड़ हैं। कुल डेथ 4 लाख 33 हजार हुई है। रिकवरी रेट 97.5 फीसदी है। अब मैं उत्तर प्रदेश पर आ रहा हूँ। यहां की आबादी 24 करोड़ है। यहां के कुल केस 17 लाख 8 हजार मार्च से लेकर अब तक के हैं। कुल मौतें 22 हजार 783 हुई हैं। रिकवरी रेट 98.6 फीसदी है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मैंने दुनिया का भी दिखाया है और देश का भी दिखाया है। देश के अंदर सबसे पढ़े लिखे राज्य का भी दिखाया है और सबसे प्रगतिशील राज्य का भी दिखाया है। अब आपको अपनी उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है तो गलती मेरी नहीं है, आपकी है। यह आंकड़े पब्लिक पोर्टल पर हैं और यह आंकड़े भारत सरकार के पोर्टल पर भी हैं। इसमें सरकार की कम और संस्थाओं के द्वारा किये जाने वाले योगदान ज्यादा होते हैं। आई0सी0एम0आर0 इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसमें देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान देश के लिए वैक्सीन बनाने में योगदान दिया है। इसलिए वैज्ञानिकों का सम्मान करने की हमारी आदत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वह देश के लिए काम कर रहे हैं। उनका काम आंकड़े छिपाने से नहीं चलता है। आंकड़ों को जितना प्रकाशित करेंगे वह उनके होमवर्क को उतना ही आगे बढ़ायेगा। देश के अंदर आप हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी क्या उपलब्धि थी ? जब कोरोना आया था तब उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग के एक भी लैब नहीं थे। देश के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पहले से है। पुणे में इसकी जांच हो रही थी। जब पहला केस आया तो हमने इसकी जांच पुणे में भेजी थी। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में चार लाख टेस्टिंग करने की क्षमता अर्जित कर ली है (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)। आपके बलिया में भी टेस्ट होना शुरू हो गये हैं। मैं बलिया होकर आया हूँ। मैं वहाँ पर बाढ़ क्षेत्र का भी भ्रमण करके आया हूँ। मैं जमीन पर भी गया था। राहत भी बांट कर आया हूँ। अब तक 7 करोड़ टेस्ट उत्तर प्रदेश में पूरे हो चुके होंगे। 6 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री वैक्सीन दी जा चुकी है। सबको वैक्सीन फ्री वैक्सीन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे सबको दिया है। रिकवरी रेट

सबसे अच्छी है। पॉजिटिविटी रेट सबसे कम 0.01 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु दर सबसे कम और आबादी सबसे ज्यादा है। यह हमारे आंकड़े हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सदैव वहां बैठे रहें और वर्ष 2022 में भी आपको वहां बैठने का अवसर मिले। यह मेरी कामना है क्योंकि आपके खिलाफ भाजपा का प्रत्याशी लड़ेगा तो मुझे प्रचार में जाना है और परिणाम क्या होगा यह भी आप जानते हैं। लेकिन सदन में आपके लिए कामना तो कर ही सकता हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं यह भी जानता हूँ कि आप जायेंगे और मुझे जिताने की अपील करके आयेंगे।

श्री योगी आदित्यनाथ-

महोदय, गरीब को राशन की बात कर रहे थे। यह 60 रुपये का खाद्यान्न और डेढ़ सौ रुपये का बैग की बात कह रहे थे। बैग डेढ़ सौ रुपये का नहीं है। कुल 45-48 रुपये का बैग है। बैग 15 किलो का भी है और 25 किलो का भी है। मजबूत बैग है, वाटरप्रूफ बैग है और खाद्यान्न आसानी से उसमें जा सकता है। लाभार्थियों को यह इसलिए दिया जा रहा है कि बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनके पास बैग नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि गरीब को नहीं मिलना चाहिए तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार बार-बार इन गरीबों का समर्थन करेगी, उनको हर प्रकार की सुविधा देगी। हम लोग उसी के लिए आये हैं। महोदय, इस दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हर तबके को लाभ दिया है। अभी कांग्रेस की नेत्री ने यहाँ पर बहुत सारी बातें कहीं। मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना, कोरोना से जो बच्चे अनाथ हो गये थे सरकार उनके लिए यह योजना लेकर आयी है। उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार है जिसने यह योजना लागू की है। उन गरीब बच्चों को अटल आवासीय विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ उन बच्चों के लिए 4 हजार रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी सरकार ने घोषित की है और उसकी पहली तीन माह की किस्त उन बच्चों को दे भी दी गयी है। निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी हम एक योजना लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्द हम उसको लांच करने जा रहे हैं। कोरोना काल खण्ड के अंदर जिन लोगों का अमूल्य जीवन समाप्त हुआ है, उनके परिवार में भी कोई बच्चे इस प्रकार के होंगे उनके भी आच्छादन के लिए हम योजना लेकर आये हैं। उनको भी हम कवर कर रहे हैं। हर तबके के लिए सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और उसको आगे बढ़ाने के अपने लक्ष्य को लेकर चल रही है। महोदय, मुझे इस अवसर पर कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं अगर उसी के साथ हम चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बेरोजगारी की बात जो हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अपने शुरुआती भाषण में कही गयी थी और कांग्रेस की नेत्री कह रही थीं कि नौकरी कहाँ लगी है। मुझे लगता है कि वह मेरी बात को नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा और

आप लोग भी अपने भाषण में कह सकेंगे कि इस सरकार ने इतने लोगों को नौकरी दी है। देखिये, हम लोगों ने डेढ़ लाख शिक्षक भर्ती किये हैं। 01 लाख 26 हजार के आस-पास हमने बेसिक शिक्षा परिषद् में, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का मिला लें तो डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। पुलिस आरक्षी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एस0पी0 आदि की जो नियुक्ति प्रक्रिया हुई है, उसमें डेढ़ लाख से अधिक की भर्ती हुई है। तीन लाख तो यही दो विभागों का मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी अन्य सभी विभागों को अगर आप देखेंगे तो जिसमें विद्युत विभाग, जलशक्ति विभाग और अन्य सभी विभागों की नियुक्तियों को मिला लें तो साढ़े चार लाख बनती है। साढ़े चार लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और भर्ती की प्रक्रिया निरन्तर चल रही है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर कानून-व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए किये गये रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर हुए निजी निवेश, सरकारी निवेश के कारण 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को वहाँ पर नौकरी और रोजगार से जोड़ने का कार्य भी हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 60 लाख से अधिक नौजवानों को स्वतः रोजगार से जोड़ने का काम किया है और मैं तो यह सोचता था कि कांग्रेस नेत्री महिला होने के नाते मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देंगी कि पुलिस भर्ती में 20 हजार से अधिक महिला आरक्षी की भर्ती हुई है और आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए था कि अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें 33 फीसदी महिला आरक्षण है, अगर आप देखेंगे कि प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं समिति के सदस्यों में 46 फीसदी जीती हैं, ब्लाक प्रमुख में 56 फीसदी जीती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष में तो और भी ज्यादा जीती हैं। अब इतनी अधिक संख्या महिलाओं की है, इनको महिलाओं से भय हो सकता है, आपको भले ही भय न हो लेकिन हम तो कर रहे हैं। (विपक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर) आप आरक्षण लेकर आयेंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। वहाँ पर महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, अफगानिस्तान में बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किये जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। इन सभी के चेहरे समाज के सामने एक्सपोज किये जाने चाहिए। वह लोग महिला कल्याण की बात कर रहे हैं जो एक दुर्दान्त माफिया को अपने राज्य में शरण देकर प्रोटेक्ट कर रहे थे। उस दुर्दान्त माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए होड़ लगी हुई थी और अभी भी होड़ लगेगी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेकर जायेगा, उसको मालूम है कि उसके बाद पीछे-पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जायेगा। अब परिस्थितियां बदली हैं। हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की अवैध सम्पत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। राज्य की सम्पत्ति थी, गरीब लोगों की सम्पत्ति थी और हम तो आवासीय योजना बना रहे हैं, इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, उनका ध्वस्तीकरण

करके, वहां पर गरीबों के लिए आवास बनेंगे। वहां पर एक गरीब रहेगा, दलित रहेगा। यह सामाजिक न्याय है। हमारी सरकार इन माफियाओं, अपराधियों को सिर पर ढोकर नहीं चली है। इन माफियाओं को ढोने वाले लोग प्रदेश के पूरे परसेप्शन को खराब कर रहे थे। पहचान का संकट आया था और जहाँ तक आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कोरोना कालखण्ड ने साबित किया है कि उत्तर प्रदेश में दम है और उत्तर प्रदेश की दमदार सरकार वह कार्य करके दिखायेगी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 में 17.5 फीसदी से अधिक बेरोजगारी दर थी और आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 05 फीसदी से नीचे आई है (विपक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर) थोड़ा पढ़ने की भी आदत डाला करिये, जमीन पर रहने की आदत डालेंगे तभी कुछ सीखेंगे और लोगों को अच्छे भाषण दे पायेंगे। जब आप मंचों पर गलत भाषण देकर आते हैं तो उस समय पब्लिक भले ही कुछ न बोले, लेकिन पीछे कहती है कि झूठ बोलकर चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, तथ्यों पर बोला जाना चाहिए, आंकड़ों पर बोला जाना चाहिए और मजबूती के साथ बोला जाना चाहिए तभी हम सही बात बोल पायेंगे। आज का नौजवान स्मार्ट हो चुका है, बहुत तेज हो चुका है वह हर एक चीज का ध्यान रखता है। वह टेलीविजन नहीं देखता होगा लेकिन उसको जानकारी है कि कौन-कहाँ पर क्या कर रहा है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि आप लोगों की हरकतें उसको पसन्द नहीं आती हैं और यह जो अनुपूरक बजट आया है इसीलिए आपको सावधान करने के लिए हम लोग आये हैं।

आप सावधान हो जाइये। हमने बिजली इसीलिए पहले घर-घर तक पहुंचा दी है कि अब नौजवान को अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा, हर घर तक बिजली पहुंचा दी गयी है। मैं तो कांग्रेस की नेता से भी कहूंगा कि थोड़ा क्षेत्र में भी ध्यान दिया करें क्योंकि मालूम ही नहीं कि गांव में 16 से 18 घंटे बिजली मिल रही है। नगरीय क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मिल रही है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 मुख्य मंत्री जी, पता करा लीजिये, जितना मैं क्षेत्र में रहती हूँ, शायद ही कोई जन-प्रतिनिधि रहता होगा।

श्री योगी आदित्यनाथ-

श्रीमन, बिना भेदभाव के सभी लोगों को बिजली दी जा रही है, 16 से 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में, 18 से 20 घंटे तहसील मुख्यालय में और 23 से 24 घंटे तक जिला मुख्यालयों पर बिजली दे रहे हैं और 2017 से दे रहे हैं। यह सरकार की गाँव के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, नीति का हिस्सा है। हम इसे कर रहे हैं, हमें गरीब के घर में रोशनी अच्छी लगती है, आपको अंधेरा अच्छा लगता था, आपने वह काम किया। कुछ लोगों को अपने स्वयं के स्मारक बनाने में रुचि होती है, कुछ लोगों को देश के महापुरुषों के स्मारक बनाने में अच्छा लगता है, हम लोगों ने यह काम किया। हम लोगों को देश के महापुरुषों, वीर योद्धाओं या

अपने पौराणिक एवं ऐतिहासिक परम्परा से जुड़े जो स्थल थे उनके सौन्दर्यीकरण के कार्य अच्छे लगे, हम वह काम कर रहे हैं, हम माँ विन्ध्यवासिनी धाम के सुंदरीकरण का काम कर रहे हैं। हर एक की अपनी पसंद होती है, हम वही काम कर रहे हैं और इसीलिए कोरोना जैसी महामारी में बिना लापरवाही बरते हम लोगों ने लगातार काम किया। हर एक व्यक्ति ने काम किया और अपने स्तर पर काम किया। उस दौरान भी उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे नये प्रयास किये, नये मॉडल यू0पी0 ने दिये, जैसे निगरानी समितियों का मॉडल है जिसकी डब्लू0एच0ओ0 और नीति आयोग ने सराहना की। ऑक्सीजन ऑडिट का मॉडल हम लोगों ने दिया, 24 करोड़ की आबादी में 700 मीट्रिक टन से हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे थे। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमें वायुसेना के विमान उपलब्ध कराये, ऑक्सीजन एक्सप्रेस उपलब्ध कराई, टैंकर्स उपलब्ध कराये, ऑक्सीजन की आपूर्ति में बहुत आसानी हुई और बाद में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाकर हम लोग 1000 मीट्रिक टन तक ले गये। लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश पी0एम0 केयर्स के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी निधि से, आप सब लोगों ने अपनी निधि से योगदान किया। आज हम लोग 560 के आस-पास ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें 300 से अधिक स्थापित हो चुके हैं।

हम लोगों ने जीवन को भी बचाने का पूरा प्रयास किया और जीविका को भी बचाने का पूरा प्रयास किया। कोई भी उद्योग-धंधा बंद नहीं होने दिया। जहाँ पर उद्योग-धंधे स्थापित थे वहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाये, वहाँ पर हम लोगों ने कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की, लेकिन हमारे कार्यक्रम निरन्तर चलते रहे। निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, नगरीय क्षेत्रों के पार्षदों ने बहुत सराहनीय काम किया। मैं उन सभी का अभिनन्दन करता हूँ, कोरोना वारियर्स ने बहुत सराहनीय काम किया, उन सभी का अभिनन्दन करता हूँ। लेकिन विभिन्न विभागों के लिए स्वीकृतियां जारी करने में कोई कोताही नहीं की गयी। कोरोना के बावजूद, अप्रैल, मई, जून, तीनों महीनों में प्रदेश सेकेण्ड वेव की चपेट में था, उसके बावजूद भी स्वीकृतियां जारी की गईं। चाहे वह चिकित्सा शिक्षा 9141 करोड़ रुपये में से 4262 करोड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 10,840 करोड़ में से 7850 करोड़, परिवार कल्याण में 10,351 करोड़ में से 10,130 करोड़, भारी एवं मध्यम उद्योग में 14,987 में से 5989 करोड़, लोक निर्माण मे 22,582 करोड़ में से 3729 करोड़, सिंचाई में 18,899 करोड़ में से 5329 करोड़ जारी किया गया। इन विभागों में स्वीकृतियां जारी करने में भी तेजी लाई गई और बेहतर तरीके से इन सभी कामों को सरकार आगे बढ़ा रही है और इन चीजों को तेजी के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है।

हमारे स्कूल, कालेजेस, 9वीं क्लास से लेकर ऊपर की सभी संस्थाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं। 23 अगस्त से हम लोग छठी से लेकर आठवीं तक की क्लासेज प्रारम्भ कर रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, पहली सितम्बर से हमारा प्रयास है कि हम बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूल खोल दें। कोरोना पर हमारी नजर है और आज कोरोना प्रदेश के अंदर भी नियंत्रण

में है। आज अगर देखेंगे तो केवल 32 केस प्रदेश के अंदर हैं और एक्टिव केस अगर आप देखेंगे तो 400 केस हैं। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण, लेकिन साथ-साथ सावधानी और पूरी सतर्कता बरतने का प्रयास सरकार के स्तर पर चल रहा है और उस दौरान हर एक गतिविधि को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है।

महोदय, 7301.52 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस अनुपूरक बजट में की गयी है और इस वर्ष का यह प्रथम अनुपूरक है। इस मामले में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, पहला बजट 2017 में हम लोगों ने देश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। देश के अन्नदाता किसान ने देश की प्रगति में योगदान देने के लिए, कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का जो कार्य किया और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, ऋण-माफी से ले करके प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रोक्योरमेंट की योजना। प्रोक्योरमेंट, एम0एस0पी0 तो हम लोगों ने किसानों को दिया और एम0एस0पी0 का लाभ, लागत का डेढ़ गुना लाभ पहली बार मिला और एम0एस0पी0 बेमानी है, जब तक आप किसान की उपज को खरीदते नहीं हैं। किसान की उपज को खरीदने का कार्य हमारी सरकार ने किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया। नेता प्रतिपक्ष, आप हमारी बात को नोट कर लेते, अच्छा होता। हम लोगों ने गेहूँ का क्रय रिकार्ड मात्रा में किया। हमारे पास 2016 के भी आंकड़े हैं। 2016 में समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी। इसे आप नोट कर लीजिये अच्छा रहेगा, आप अपने भाषण में कह ही चुके हैं। महोदय, 6 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का प्रोक्योरमेंट आढ़तियों के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने 2016 में किया था और हम लोगों ने इस वर्ष कोरोना महामारी के बावजूद 56 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का क्रय किया। कोरोना काल खण्ड में हमारी सरकार ने 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय प्रदेश के अंदर किसानों से सीधे किया और पैसा डी0बी0टी0 के माध्यम से किसान के खाते में गया है। गन्ना किसानों की बात कर रहे थे। जब हम 2017 में आये थे, 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। तमाम चीनी मिलें बंद हो चुकी थीं, किसानों में निराशा थी, हताशा थी। हम लोगों ने गन्ना मूल्य के भुगतान का और चीनी मिलों को चलाने का जो अभियान चलाया, आज प्रदेश के अंदर 119 चीनी मिलें हम लोगों ने कोरोना कालखण्ड में भी चलायी हैं और अब तक 01 लाख 41 हजार करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया हैं। 81 फीसदी से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है, जो गन्ना मूल्य का भुगतान शेष है, एक्सपोर्ट खोलने के साथ ही हम लोग चीनी बेचने का काम करेंगे, क्योंकि वह सब चीनी सरकार के कब्जे में है, चीनी बिकेगी, हम गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे, लेकिन नये सीजन के पहले-पहले गन्ना मूल्य का भुगतान हो, सरकार का इस पर जोर है, सरकार का पूरा प्रयास रहेगा।

महोदय, मैं प्रदेश के अपने युवाओं को, जिन युवाओं के कारण यह देश एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जिनको हम लोगों ने अब तक रोजगार और नौकरी दी है, जिनके स्वावलम्बन के लिए और जिनके लिए हमने देश और दुनिया का परसेप्शन अच्छा किया है।

यू0पी0 का नौजवान कहीं जायेगा, अब उसे कहीं मुंह छिपाने की नौबत नहीं आयेगी, वह गर्व से कहेगा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के समय में यह नहीं होता था। वह छुपाता था अपने नाम को, यू0पी0 नहीं बताता था, वह दिल्ली बता देता था कहीं और जगह बताता था। नेता प्रतिपक्ष अच्छी तरह जानते हैं और यह सब चीजें उनको मालूम हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं भी जायेगा, दुनिया उनके लिए पलक-पांवड़े बिछा करके बैठी हुई है कि आयेगा उसको हम रोजगार और नौकरी देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार दे रहे हैं और इसीलिए इस अनुपूरक बजट को अपने प्रदेश के उन कोरोना वारियर्स के साथ-साथ अपने प्रदेश के युवाओं को हम समर्पित कर रहे हैं।

नये युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है, समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे हाथ में है। प्रबल फौलाद सच मानो, तुम्हारे हाथ में है, नये युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है, नये युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है।

युवा पीढ़ी के जज्बात को नेता प्रतिपक्ष आप नहीं समझ पाये हैं, क्योंकि आप लोग जब सरकार में थे तो नौकरियों को गिरवी रख दिया और निवेश बंद हो चुका था। दंगे होते थे और नौजवान फंसा दिये जाते थे। उन पर झूठे मुकदमे लाद दिये जाते थे। यू0पी0 में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था और आज क्या है, दंगा मुक्त प्रदेश। इसीलिए हमारी सरकार ने एक निधि का गठन किया है। सरकार के स्तर पर तीन हजार करोड़ रुपये की यह निधि प्रारम्भ हो रही है। एक करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे और उसकी आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। इस निधि में एक प्राविधान होगा कि एम0सी0एस0आर0 से अन्य वित्तीय संस्थाओं से और विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं से भी हम इसमें राशि ले करके एक बड़े कोष का गठन करेंगे। हर नौजवानों के लिए मैं अपने सभी सहयोगी मित्रों से कहूंगा कि जिन लोगों के सहयोग से यह आज घोषणा हो रही है और जिनकी भावनाओं के अनुरूप हो रही है, उनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह युवाओं को पहले ही गलत दिशा में ले जा चुके थे, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लाद चुके थे। दंगे करा करके प्रदेश के निवेश की सम्भावनाओं को ध्वस्त कर चुके थे तो उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन इधर जो बैठे हुए हैं उसमें भी वह लोग सब समझ रहे हैं और उन सभी नौजवानों के लिए हमारी सरकार यदि व्यवस्था कर रही है कि हमारा नौजवान जब किसी कम्पटीशन की तैयारी के लिये जायेगा तो हम भत्ता भी देंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नौजवान को कम से कम तीन प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए भत्ता देने का काम सरकार करेगी। इस एक बड़ी योजना को ले करके तीन हजार करोड़ रुपये का एक कोष इस अनुपूरक बजट में लेने के लिए आये थे जो युवाओं के लिए था इसलिए यह लोग विरोध कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यह युवा विरोधी हैं और दूसरा प्रदेश के अन्दर कितना अच्छा काम किया था निगरानी समितियों ने आंगनबाड़ी, आशा वर्कर

और उन लोगों ने अल्प मानदेय पर मैं देख रहा था विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग कोरोना से संक्रमित थे और मैं स्वयं भी संक्रमित हो चुका था और बहुत सारे लोगों ने तो हिम्मत ही हार दी थी लेकिन तब भी गांव-गांव, घर-घर ये निगरानी समितियां जा रही थीं। उसमें जो बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायक कार्यकत्री, आशा, आशा संगिनी, पी0आर0डी0 जवान, रोजगार सेवक यानी जो अल्प मानदेय पर कार्य करने वाले थे, इन सबके मानदेय पर बढ़ोत्तरी करने का काम सरकार करेगी। महोदय, मुझे एक और चीज यहाँ पर घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों ने इस दौरान तमाम चीजों पर कार्य किया।

डॉ0 संग्राम यादव-

कर्मचारी बहुत नाराज हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

यह तो सब जानते हैं कि किससे नाराज हैं ? जानते हैं, वे जानते हैं। महोदय, कोरोना काल खण्ड के दौरान सभी विपक्षी नेता होम आइसोलेशन में थे। भगवान करे, होम आइसोलेशन में रहें।

(विपक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा यह कहने पर कि हम फील्ड में थे)

अगर खन्ना जी बोल देंगे कि आप लोग फील्ड में थे तो मैं मान जाऊँगा। खन्ना जी, आप क्या मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि ये लोग फील्ड में थे ? देखिये, ये कहते हैं और वे कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग हास्पिटल में थे तो फील्ड में कहाँ रहते ?

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं फील्ड में था।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अब आप अपवाद हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग फील्ड में नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे, भयभीत थे। लेकिन हमारे सरकारी कार्यालय चल रहे थे, सरकारी कामकाज चल रहे थे, सरकारी कार्यक्रम निरन्तर चल रहे थे और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि 01 जुलाई, 2021 से अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान, यह 17 फीसदी जो सम्प्रति था, इसमें 11 फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोत्तरी करते हुए, इसे 28 फीसदी करते हुए 16 लाख सरकारी कर्मचारियों तथा 12 लाख पेंशनर्स को हम लोग प्रदेश शासन की ओर से भत्ते की व्यवस्था देने जा रहे हैं। इसके अलावा चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के भुगतान को ले करके हमने 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और मैंने बता दिया है कि एक्सपोर्ट खुल रहा है, एक्सपोर्ट के खुलने के साथ ही नये सीजन के प्रारम्भ होने के पहले वर्ष 2020-21 तक का गन्ना मूल्य का भुगतान सरकार करा चुकी है। नये सीजन का जो अभी 18-19 फीसदी गन्ना मूल्य बाकी रह गया है, वर्ष 2021-22 का इसका हम नये सीजन के पहले-पहले करा लें, इसके बारे में गन्ना मंत्री की सभी मिलर्स के साथ बैठक सम्पन्न हो

चुकी है और इस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। नये सीजन में सभी चीनी मिलें फिर चलेंगी, किसी भी गन्ना किसान को गन्ना फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शानदार तरीके से सभी चीजें चलेंगी। कोरोना कालखण्ड के कारण समस्याएं हुईं, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ायेंगे। इसलिए इसकी व्यवस्था भी की गई है। अधिवक्ता, हम लोगों ने हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ किया है, कोई कह रहा था कि महिलाओं के लिए क्या किया ? अगर आप जमीन पर होते तो पता होता कि कोरोना काल में जनधन एकाउंटधारी महिलाओं के खाते में पैसा गया था, निराश्रित महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित किसानों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, इन सबके लिए गया था। तीन महीने उनको फ्री में गैस सिलेण्डर भी उपलब्ध कराये गये। इसलिए जमीन पर रहते तो कुछ पता रहता। जमीन पर रहते नहीं, इसलिए जमीन का कोई पता नहीं। महोदय, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अधिवक्ता समुदाय को भी एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। युवा अधिवक्ताओं के लिए हम पहले घोषित कर चुके हैं और ये उन अधिवक्ताओं के लिए जिन्हें सामाजिक सुरक्षा निधि के अन्तर्गत कुल 1.50 लाख रुपये की राशि थी, हम इसको 05 लाख रुपया कर रहे हैं और मैं इसके लिए अपने अधिवक्ता समुदाय का भी अभिनन्दन करता हूँ। निराश्रित गोवंश, वर्ष 2017 से पहले गो-तस्करी चरम पर थी, इल्लीगल स्लॉटर हाउसेज खुलते थे।

एक भी बार नेता प्रतिपक्ष के बयान नहीं आते थे। सहानुभूति उन लोगों की किसके साथ में है हर व्यक्ति इसको जानता है, गौ भक्त बोलने में थोड़ा कोई गौ भक्त हो जाता है। दूध तो कोई भी पी सकता है, पियेगा भी, पीना भी चाहिए और गाय घर में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी रख रहे हैं आप भी रख रहे हैं, रखना भी चाहिए, अन्तर यह है कि मैं गाय का दूध पीता हूँ और आप भैंस का दूध पीते हैं और हमारी सरकार में ही उत्तर प्रदेश में 6 लाख गौवंश निराश्रित गौ-आश्रय स्थल में रह रहे हैं। (विपक्ष के सदस्यों के बीच में टोकाटाकी करने पर) जिस सच्चाई को आप बोल रहे हैं, उसको मैं जानता हूँ और नेता प्रतिपक्ष पहले बोल चुके हैं। उन्होंने पहले कहा कि हम पालते हैं, तो दूध पी करके जानवर को सड़क पर छोड़ भी देते हैं यह भी सच्चाई है (मेजों की थपथपाहट)। महोदय, इसमें तीन प्रकार की स्कीम चल रही है, एक निराश्रित गौ-आश्रय स्थल है और दूसरी स्कीम में किसानों को भी हम लोगों ने चार गौवंश को रखने के लिए अनुमति दी है। प्रदेश में 90 हजार गौवंश इस प्रकार का है, जिसे किसान अपने घर में पाल रहा है। प्रति गौवंश पर 900 रुपये हर महीने उस किसान को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। (विपक्ष की तरफ से किसी को नहीं मिल रहा है के शब्द सुनाई दिये) आप अपने घर में पालिये तो हम आपको उपलब्ध करा देते हैं, डी0बी0टी0 के माध्यम से दे देंगे। पैसा आनलाइन पहुँच जायेगा और तीसरी स्कीम में कुपोषित माताओं को या कुपोषित बच्चों के परिवारीजनों को एक बिआई हुई गाय उपलब्ध करने का काम हो रहा है और यह उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें भी काफी परिवार आच्छादित हुए हैं और इसमें

महिला और बाल विकास विभाग, पशुपालन विभाग के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए भी हमने अनुपूरक बजट में पैसा दिया इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के हित से जुड़ा हुआ है और गौमाता से जुड़ा हुआ है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की नीतियों के विरोधी पहले से रही है। घोषित विरोधी रही है और इसलिए जनता ने इनको चुनाव से खारिज कर दिया, लोक सभा चुनाव में आप दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे न, क्या दुर्गति कर दी जनता ने और इसीलिए मैं यह मानता था कि कम से कम आप कुछ बोलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक स्मारक लखनऊ में हम लोग बनाने जा रहे हैं उसके लिए भी इस बजट में धनराशि की व्यवस्था की है। इस चीज के लिए कम से कम आप धन्यवाद देते। आपने अनुपूरक बजट का विरोध किया इसका मतलब कि आप इस स्मारक का विरोध कर रहे हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत गरीबों के लिए सामुदायिक शौचालय और ओ0डी0एफ0 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास प्रारम्भ हुए हैं, उसके लिए धनराशि का प्राविधान किया गया, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। यह केवल नारी गरिमा का ही प्रतीक नहीं है, यह हमारे लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा की गारंटी भी देने वाला है और इस धनराशि की व्यवस्था इसीलिए की गयी है। अयोध्या और वाराणसी के विकास के लिए भी बजट का प्राविधान रखा गया है। हम जानते हैं कि आप पहले से घोषित विरोधी हैं तो आप इसका समर्थन नहीं करेंगे, समर्थन इधर के ही लोग करेंगे, हमारे पक्ष के लोग पहले से इसका समर्थन कर रहे हैं, तो इन्हीं लोगों के प्रस्ताव पर यह भी किया जा रहा है। संस्कृत के विकास के लिए कार्य हम कर रहे हैं और मंच यह सजाने लग गये हैं, अब जगह-जगह जाकर इन सबको याद आ रही है। आप लोगों ने तो संस्कृत के विद्यालय जान-बूझकर बन्द किये थे। विद्यालय बंद कर दिये, स्कूल बन्द कर दिये उन स्कूलों में नये एडमीशन नहीं होने दिये, उन स्कूलों में नई भर्ती नहीं होने दी।

(नेता प्रतिपक्ष के द्वारा गुम्बद की ओर इशारा करते हुए कहा गया कि मा0 अध्यक्ष जी, कहीं यह गिर न जाये। असत्य सुनते-सुनते कहीं नीचे न धंस जाये।)

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों ने तय किया है कि हर संस्कृत के विद्यालय में जितने भी शिक्षक के पद खाली पड़े हैं उसके लिए हमने जिले के अन्दर भी टीम गठित कर दी है।

प्रबंधक की अध्यक्षता में जिले के अन्दर की टीम तत्काल उन शिक्षकों के मानदेय पर पहले चरण में भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करे और उसमें कहीं कोई कोताही न बरती जाये। जिस पर रोक लगायी थी, उसको हम लोगों ने दरकिनार कर दिया। दूसरा, संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी व्यवस्था, जिसमें उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती थी, उन बच्चों के लिए भी सरकार ने एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है और उसका प्रावधान भी इसमें आज किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जो कार्यक्रम यहाँ पर किये जा

रहे हैं, जो अनुदान आज यहाँ पर हमारे सहयोगी वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किये हैं, मुझे लगता है कि उनको पहले एक बार नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठ जाना चाहिए था और नेता प्रतिपक्ष को वह अपने शाहजहाँपुर की मिठाई खिलाते और नेता प्रतिपक्ष का बाटी-चोखा भी खाते तो अच्छा रहता। कभी बाटी-चोखा आप वित्त मंत्री जी को खिलाया करें जिससे आपके साथ वह बैठकर आपके सुझाव को ले सकें। मैं धन्यवाद दूँगा वित्त मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव, वित्त और वित्त आयुक्त को, वित्त विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारियों को जिन्होंने इन नयी मदों के माध्यम से प्रदेश के अंदर इस नयी सोच को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। आप सबका मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा कि कोरोना कालखण्ड में, कोरोना से बचाव करते हुए इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के साथ-साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उबाऊ, असत्य, सत्य से परे और जनता को भटकाने वाला अपना प्रवचन दिया है, वह बिलकुल तथ्य से परे था। जो हमने सवाल उठाये थे, जो बसपा ने सवाल उठाये थे, जो कांग्रेस ने सवाल उठाये, उसमें एक का भी जवाब मा0 मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया। इतना जरूर इन्होंने शो किया, हमको पहले पता चला कि यह युवा प्रेमी हैं। युवा पर इन्होंने बड़ी कविता कही। इन्होंने न नौकरी दी और कुछ नहीं दिया। उसमें मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जवान हो तो जिन्दगी की जीत पर यकीन कर, जवान हो तो जिन्दगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं बाहर हो तो खींच लाओ जमीन पर, गम के हैं ये चार दिन और सितम के थे हम चार दिन, ये गुजर जायेंगे, ये चले जायेंगे और तुम्हारी जिन्दगी के चाँद आ जायेंगे। आपने कोरोना का आंकड़ा नहीं दिया, आंकड़ा दुनिया का दिया है। बात हो रही है हमारे पिता जी के कितने खेत थे तो हो रहा है कि हमारे नाना जी के इतने खेत थे। दुनिया से लेना-देना नहीं है। हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा ससुर, हमारी बुआ, हमारी माँ, हमारी बहन इस कोरोना काल में आक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, स्ट्रेचर के अभाव में, दवा के अभाव में इतनी जान गयी। केरल में इतनी गयी, महाराष्ट्र में इतनी गयी, हमारे घर में कितनी जान गयी ? मा0 मुख्य मंत्री जी मैं आपको दोषी नहीं मान रहा हूँ, यह महामारी है। गांव के गांव जाकर जरूर पता लगवाइये। गांव के गांव श्मशान बने हुए थे।

वित्त संसदीय, कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल पहले भी काफी देर तक अपनी बात कह चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं, मैं नेता विरोधी दल आपकी बात को मानकर कि जल्दी खत्म करना है लेकिन साहब कहां मानने वाले हैं ? साहब तो कम से कम दो-ढाई घंटा बोल ही दिये। मैं तो आधा

घंटा ही बोला। अगर ये ढाई घंटा बोले हैं तो मैं आधा घंटा बोला था, अब डेढ़ घंटा और बोलूंगा। तब नेता सदन और नेता विरोधी दल का मुकाबला होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, अभी 03 बिल बाकी हैं। विधान परिषद् में भी जाने हैं। नेता विरोधी दल ने यह तय कर रखा है कि वहाँ अटल जी के स्टेडियम में जो आज कार्यक्रम है, उसमें नहीं जाने देंगे। कल हमने पूरे सदन से रिक्वेस्ट किया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से आज सम्मान समारोह है। पूरी दुनिया में जो लोग डंका बजाकर आये हैं, जो लोग हिन्दुस्तान का झंडा फहराकर आये हैं उनका सम्मान होना है। यह सोचा था कि समय से हो जायेगा अभी 03 बिल भी बाकी हैं। अगर आप सहयोग करेंगे तो यह हो जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ। मैं देख रहा था कि आप माननीय मुख्य मंत्री जी से बार-बार कह रहे थे कि समय खत्म हो रहा है। आप कहे कि नहीं, ईमानदारी से बताइये ? ये यही कह रहे थे न कि मैं खत्म कर रहा हूँ और जल्दी-जल्दी में डेढ़ घण्टा ले लिये बाद तक। माननीय अध्यक्ष जी, हम असत्य भाषण सुनने के लिए यहाँ थोड़े ही बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप स्पष्टीकरण पूछ लीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

स्पष्टीकरण तो मैंने पहले ही कहा कि बताइये कि आक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे तो केरल में इतने लोग मरे। मैंने पूछा कि वेंटीलेटर की कमी से कितने लोग मरे तो महाराष्ट्र में इतने लोग मरे। मैंने पूछा कि बेड के अभाव में कितने लोग मरे तो बंगाल में इतने लोग मरे, इजरायल में इतने लोग मरे। अरे कहाँ कितने मरे, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारी माँ, हमारी बुआ, हमारी बहन कितनी मरीं, आपका आंकड़ा बिलकुल असत्य था, रोजगार का आंकड़ा असत्य, कोरोना का आंकड़ा असत्य और लोगों को राहत देने वाला भी आपका आंकड़ा असत्य, मेरा आंकड़ा सत्य। माननीय अध्यक्ष जी, ये उबाऊ भाषण जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया यह चुनावी भाषण था। मैं पहले ही कह चुका था कि इतना आवास बनाया, इतना शौचालय बनाया, इतना पैसा भेजा, यही मुख्य मंत्री जी कहेंगे और वही कह भी दिया। आप इनका तीन-चार साल का भाषण देख लीजिये वही हमेशा गिनाते हैं, आगे गिनाने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। आवास तो बनाया, जो प्रधानमत्री आवास योजना है वही इन्दिरा आवास योजना पहले थी जिसका नाम बदल करके मुख्य मंत्री आवास योजना हुआ। जब हमारी सरकार थी, अखिलेश यादव जी माननीय मुख्य मंत्री थे तो इन्दिरा आवास का दाम बढ़ा करके उसको लगातार बनवाया, लोहिया आवास कम से कम 10-15-20 लाख लोगों के लिए बनवाया, प्रति आवास साढ़े तीन लाख रुपया दिया। हमने बनाया, जबकि हमारी सरकार केन्द्र

में नहीं थी और न ही केन्द्र से मदद मिलती थी। शौचालय की जो आप बात कर रहे हैं, हमने जब शौचालय बनवाया तब हमारी सरकार केन्द्र में नहीं थी। आज केन्द्र में आपकी सरकार है और आपकी राज्य सरकार भी है आपको अधिक पैसा मिल जाता है। कोई उत्तर प्रदेश के पैसे से नहीं बनवाये हैं, ये केन्द्रीय योजना है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका हो गया ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के सत्य से परे भाषण, प्रवचन और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ठगने का काम, किसानों को ठगने का काम, हर वर्ग, जाति, धर्म को ठगने के लिए जो भाषण दिया है हम इसका विरोध करते हैं और मैं इनके अनुपूरक भाषण, जो चुनावी स्टंट है, इस पर मैं अपना बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या-51 लेते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों की चर्चा में माननीय नेता सदन ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय नेता बसपा ने, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता अपना दल, माननीय नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जिन सभी लोगों ने भाग लिया, उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों की जो जिज्ञासा थी, उस पर माननीय नेता सदन ने अपना उत्तर भाषण किया है। मैं सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ और जो भी बातें, छात्रवृत्ति वाली और पी0आर0डी0 वाली आई हैं, उनको मैं दिखवा लूँगा।

मान्यवर, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस चर्चा को कन्क्लूड किया जाये और इस पर मतदान कराया जाये।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा कन्क्लूड होगी, हमने आपको बुला लिया है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अनुदान संख्या-07, 09, 11, 13 लगायत 15, 19, 24, 26, 35, 39, 41 लगायत 42, 49, 67, 71, 84, 86 तथा 92

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-07, 09, 11, 13 लगायत 15, 19, 24, 26, 35, 39, 41 लगायत 42, 49, 67, 71, 84, 86 तथा 92 के अन्तर्गत कुल रुपये सात हजार दो सौ सत्तर करोड़

चौवालीस लाख बत्तीस हजार (रुपये 7270,44,32,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07, 09, 11, 13 लगायत 15, 19, 24, 26, 35, 39, 41 लगायत 42, 49, 67, 71, 84, 86 तथा 92 के अन्तर्गत कुल रुपये सात हजार दो सौ सत्तर करोड़ चौवालीस लाख बत्तीस हजार (रुपये 7270,44,32,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 3150,01,00,000 रुपये (तीन हजार एक सौ पचास करोड़ एक लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1500,00,00,000 रुपये (एक हजार पांच सौ करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध (कृषि)

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध (कृषि) के अन्तर्गत 66,50,000 रुपये (छियासठ लाख पचास हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 40,62,00,000 रुपये (चालीस करोड़ बासठ लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 263,08,85,000 रुपये (दो सौ तिरसठ करोड़ आठ लाख पचासी हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 300,00,00,000 रुपये (तीन सौ करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,28,38,000 रुपये (एक करोड़ अट्ठाइस लाख अड़तीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 200,00,00,000 रुपये (दो सौ करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस)

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 47,88,00,000 रुपये (सैंतालीस करोड़ अट्ठासी लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 129,78,00,000 रुपये (एक सौ उनतीस करोड़ अठहत्तर लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग

अनुदान संख्या-39-भाषा विज्ञान के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये (दस करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग

अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 300,00,00,000 रुपये (तीन सौ करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 96,84,00,000 रुपये (छियानबे करोड़ चौरासी लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 265,70,46,000 रुपये (दो सौ पैंसठ करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय

अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 10,77,24,000 रुपये (दस करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 154,10,15,000 रुपये (एक सौ चौवन करोड़ दस लाख पन्द्रह हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 249,69,74,000 रुपये (दो सौ उनचास करोड़ उनहत्तर लाख चौहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत 500,00,00,000 रुपये (पांच सौ करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 50,00,00,000 रुपये (पचास करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए

उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021†

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

† दिनांक 27 अगस्त, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021

31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का अनुपूरक) अधिनियम, 2021 कहलायेगा । — संक्षिप्त नाम

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2022 ई. को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 7301,51,58,000 रुपये (रुपये सात हजार तीन सौ एक करोड़ इक्यावन लाख अट्ठावन हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो । — उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2021-2022 के लिए 7301,51,58,000 रुपये का दिया जाना

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं । — विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	300001.00	--	300001.00
		पूंजी :	15000.00	--	15000.00
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	150000.00	1723.95	151723.95
		पूंजी :	--	1354.76	1354.76
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	66.50	--	66.50
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	पूंजी :	4062.00	--	4062.00
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	26308.85	--	26308.85
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	30000.00	--	30000.00
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	128.38	--	128.38
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	पूंजी :	20000.00	--	20000.00
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	4788.00	--	4788.00
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	12978.00	--	12978.00
39	भाषा विभाग	राजस्व :	1000.00	--	1000.00
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	29700.00	--	29700.00
		पूंजी :	300.00	--	300.00
42	न्याय विभाग	राजस्व :	9184.00	--	9184.00
		पूंजी :	500.00	--	500.00
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	26570.46	--	26570.46
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	253.71	--	253.71
		पूंजी :	823.53	--	823.53

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	15410.15	--	15410.15
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	--	28.55	28.55
84	सामान्य प्रशासन विभाग	पूंजी :	24969.74	--	24969.74
86	सूचना विभाग	राजस्व :	50000.00	--	50000.00
92	संस्कृति विभाग	पूंजी :	5000.00	--	5000.00
	योग :	राजस्व :	656389.05	1752.50	658141.55
		पूंजी :	70655.27	1354.76	72010.03
	महायोग :		727044.32	3107.26	730151.58

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक तथा संलग्न अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 की कुल 73 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिनमें सभी माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई हैं।

पहली सूचना श्री विनय शाक्य की कानपुर नगर बादशाहीनाका की सांठगांठ से क्षेत्र कुली बाजार, गुलियाना, बादशाही नाका में संचालित चट्टों के सम्बन्ध में है, **दूसरी सूचना श्री धर्मेन्द्र सिंह शाक्य की** प्रदेश के सहकारिता विभाग के जिला सहकारी बैंकों में कैडर अथारिटी के अधिकारियों की विभिन्न वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है, **तीसरी सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की** जनपद आजमगढ़ के नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध मे है, **चौथी सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की** जनपद वाराणसी, विकास खण्ड हरहुआ अन्तर्गत पूरबपुर रेलवे फाटक से खान पट्टी पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **पांचवीं सूचना डॉ0 अरुण कुमार की** जनपद बरेली में आई0टी0 पार्क (इलेक्ट्रानिक्स) की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, **छठी सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की** भारत-नेपाल सीमा की भूमि पर अवैध कब्जे को मुक्त कराये जाने एवं एकीकृत जाँच केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **सातवीं सूचना श्री नितिन अग्रवाल की** जनपद हरदोई के कृषि विश्वविद्यालय में अध्यापकों एवं स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है, **आठवीं सूचना श्री सुरेन्द्र मैथानी की** जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर अन्तर्गत शहर के बीचो-बीच पड़े पनकी रेलवे स्टेशन को विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में है, **नौवीं सूचना श्री विकास गुप्ता की** जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र अयाहशाह अन्तर्गत गाजीपुर-विजयीपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **दसवीं सूचना डॉ0 डी0सी0 वर्मा की** जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत ग्राम दिनरा मिर्जापुर चौराहे से कस्बा शाही भिटौरा बहेड़ी तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **ग्यारहवीं सूचना श्री काली प्रसाद की** जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के महाल मंझरिया घाघरा नदी पर पीपापुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, **बारहवीं सूचना श्री कैलाश नाथ शुक्ल की** जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर अन्तर्गत हरैया फीडर से चौधरीडीह शिवपुर ललिया मथुरा क्षेत्र तक विद्युत तार जर्जर एवं पुराने होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, **तेरहवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की** जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है**, चौदहवीं सूचना श्री बैजनाथ रावत की** जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोनिकपुर में सैनिक स्कूल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, **पन्द्रहवीं सूचना श्री शीतल पाण्डेय की** जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में आमी नदी पर तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में है, **सोलहवीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी की** जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेवता अन्तर्गत फायर स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **सत्रहवीं सूचना श्री प्रेम नरायण पाण्डेय की** जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज अन्तर्गत ग्राम ऐली परसौली/घाघरा नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **अट्ठारहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की** जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में मनरेगा योजना में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **उन्नीसवीं सूचना**

श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर अन्तर्गत ग्राम नंगला कबूलपुर से मंदिर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **बीसवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की** जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर अन्तर्गत बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **इक्कीसवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की** जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी में रोडवेज बस स्टेशन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, **बाइसवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की** जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मनिहारन अन्तर्गत मिनी स्टेडियम की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, **तेइसवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया की** जनपद बदायूँ के विकास खण्ड दातागंज एवं विकास खण्ड समरेर में कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **चौबीसवीं सूचना श्री राजीव तरारा की** जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत अधिवक्ताओं के स्थायी व पक्के चैम्बर बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, **पच्चीसवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की** राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34(91) का लालकुआं गाजियाबाद से बुलन्दशहर तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **छब्बीसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह की** जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत विकास कार्यों में करोड़ों रुपयों के घोटालों के सम्बन्ध में है, **सत्ताइसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की** जनपद झांसी के मोंठ तहसील में धान की कटाई-मढाई मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, **अट्ठाइसवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की** डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत कर्मियों की वेतन विसंगति दूर कराये जाने के सम्बन्ध में है, **उन्तीसवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की** जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जैतीपुर अन्तर्गत ग्राम परौर एवं ग्राम-सुनौरा रमपुरा तक आवंटित विद्युत उपकेन्द्र को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, **तीसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की** जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सांगीपुर अन्तर्गत घुईसरनाथ धाम में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, **इकतीसवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की** जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज अन्तर्गत महिला चिकित्सालय, सेवरही में समुचित स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, **बत्तीसवीं सूचना श्री विजय कुमार राजभर की** जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों एवं कर्मियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, **तैंतीसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की** जिलाधिकारी कार्यालय सीतापुर में लम्बित शस्त्र लाइसेंस से सम्बन्धित पत्रावलियों का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **चौंतीसवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की** प्रदेश में कोविड-19 के कारण दिवंगत हुए लोगों के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, **पैंतीसवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की** जनपद जौनपुर निवासिनी श्रीमती स्वाती सिंह को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, **छत्तीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र कुमार यादव की** जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत लांव मोड़ से पारा तक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

सैंतीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं नालियों तथा सीवर लाइनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **अड़तीसवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की** जनपद चन्दौली के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **उनतालीसवीं सूचना श्री नफीस अहमद की** प्रदेश के अन्तर्गत आर0टी0ई0 से सम्बन्धित गरीब बच्चों की शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए स्कूलों का बकाया शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, **चालीसवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव की** जनपद बाराबंकी के ग्राम सभा रघई मुबारकपुर के अन्तर्गत बनाई गई सी0सी0 सड़कों में लोक निर्माण विभाग द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **इकतालीसवीं सूचना श्री सुभाष राय की** जनपद अम्बेडकर नगर में वरासत के आधार पर वारिसों के शस्त्र लाइसेंस जारी कराये जाने के सम्बन्ध में है, **बयालीसवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर की** जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज अन्तर्गत ग्राम दौदामऊ में पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **तैंतालीसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की** जनपद बस्ती में गौरव इण्टरप्राइजेज परशुरामपुर एवं अमित ट्रेडर्स बड़े वन बस्ती के द्वारा कृषि विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी बिल वाउचर की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **चौवालीसवीं सूचना डॉ0 विमलेश पासवान की** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्थानान्तरण में हुई अनियमितता की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, **पैंतालीसवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की** जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद अन्तर्गत ग्राम सलेमपुर भट्टा के आबादी भाग में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **छियालीसवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की** जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर-इल्तिफातगंज प्रमुख मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **सैंतालीसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की** जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज में कतिपय ग्रामों के क्षतिग्रस्त मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **अड़तालीसवीं सूचना श्री श्रीकान्त कटियार की** जनपद उन्नाव के नगर पालिका बांगरमऊ में स्व0 पं0 विश्म्भर दयालु त्रिपाठी की स्मृति में पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **उन्चासवीं सूचना श्री श्यामधनी की** परिवहन विभाग, आजमगढ़ में क्षेत्रीय प्रबन्धक की जाँच स्वतंत्र एजेंसी से कराये जाने के सम्बन्ध में है, **पचासवीं सूचना श्री बृजेश रावत की** जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **इक्यावनवीं सूचना श्री विनोद कुमार कटियार की** जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर अन्तर्गत भोगी सागर तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **बावनवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की** जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में औद्योगिक केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, **तिरपनवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की** जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत सलेमपुर पावर हाउस में लगे जर्जर तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में है, **चौवनवीं सूचना श्री दयाराम चौधरी की** जनपद जौनपुर के ग्राम वाहिदपुर

असामाजिक तत्वों द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, **पचपनवीं सूचना श्री बिहारी लाल आर्य की** लखनऊ के जानकीपुरम स्थित पंचवटी पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **छप्पनवीं सूचना श्रीमती गरिमा सिंह की** जनपद अमेठी के विकास खण्ड भादर अन्तर्गत अयोध्या-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से भागीपुर तक मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, **सत्तावनवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की** जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में है, **अट्ठावनवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की** जनपद लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली जर्जर सड़कों के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में है, **उनसठवीं सूचना मोहम्मद फईम इरफान की** जनपद मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी में महिला इंस्पेक्टर की तैनाती तथा पुलिस कर्मियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आवास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **साठवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की** जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **इकसठवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की** जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड निगोहीं के ग्राम बरेचा में कतिपय व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, **बासठवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की** सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा संयुक्त सचिव लेखा पद पर कुछ अधिकारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग में तैनात किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, **तिरसठवीं सूचना कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की,** जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **चौंसठवीं सूचना श्रीमती जय देवी की** जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मलिहाबाद व माल अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में है, **पैंसठवीं सूचना श्री दिनेश चौधरी की** जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत अन्तर्गत चंदवक बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, **छाछठवीं सूचना श्री संजय गर्ग की** वर्ष 2005 से सभी विभागों में स्थायी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना स्थगित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, **सड़सठवीं सूचना श्री गौरव कुमार की** जनपद जौनपुर में ग्राम इजरी (धरहटा) अन्तर्गत शहीद स्व0 जिलाजीत के सम्मान में शासन द्वारा की गई घोषणाओं को सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में है, **अड़सठवीं सूचना श्री सुशील सिंह की** जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सैयदराजा अन्तर्गत कमालपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, **उनहत्तरवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की** बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा किये गये अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, **सत्तरवीं सूचना डॉ0 हरगोविन्द भार्गव की** लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठता क्रम में सहायक अभियंताओं की पदोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में है, **इकहत्तरवीं सूचना पं0 रत्नाकर मिश्र की** जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड कोन के जगापट्टी गाँव में खमरिया टाउन एरिया के गन्दे पानी का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **बहत्तरवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की**-जनपद आजमगढ़ के प्रहलाद नगर कालोनी (सदर तहसील) में जल निकासी हेतु नाली व सीवेज की व्यवस्था कराये जाने के

सम्बन्ध में है तथा **तिहत्तरवीं सूचना श्री राजमणि कोल की** जनपद लखनऊ के ग्राम सरसवां अर्जुनगंज में ग्राम समाज की जमीन व सरकारी नाले पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयी)

कानपुर नगर बादशाहीनाका की सांठगांठ से क्षेत्र कुली बाजार, गुलियाना, बादशाही नाका में संचालित चट्टों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय शाक्य-

[महोदय, अवगत कराना है कि कानपुर नगर के जोन-1 में वार्ड सं0-89 के चेक सं0-76, सब्जी मण्डी, कुली बाजार, गुलियाना, बादशाही नाका में म0नं0 76/228 राजकिशोर यादव उर्फ राजू यादव, मकान सं0-76/228ए, विश्वजीत यादव उर्फ मुन्नू यादव व मकान सं0-76/241 अरविन्द यादव उर्फ चीनी पहलवान के तीनों मकानों में गाय, भैंस के चट्टे बड़े ही वृहद् रूप से संचालित लगातार होते आ रहे हैं। लेकिन नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग के इंस्पेक्टरों (श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी एवं श्री अरविन्द मिश्रा) की इन तीनों चट्टे मालिकों से सांठगांठ होने के कारण ये तीनों चट्टे मालिक नगर निगम की कार्यवाही के समय बच जाते हैं क्योंकि इन इंस्पेक्टरों द्वारा कार्यवाही की सूचना पूर्व में ही इन चट्टे मालिकों को दे दी जाती है। ये चट्टे मालिक दिन में अपने जानवरों को अपने-अपने मकानों से हटा देते हैं और शाम को पुनः फिर लाकर जानवर बांध देते हैं।

महोदय, निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा :-

1-उक्त सभी चट्टा संचालक शाम 06:00 बजे से सुबह 09:00 बजे के बीच में गाय, भैंस का चारा, दुहान करना आदि सरकारी सड़क पर करते हैं, जिससे आम-जनमानस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

2-उक्त सभी चट्टा संचालक गाय, भैंस का गोबन, नाली एवं सीवर लाइनों में बहा रहे हैं, जिस कारण नालियाँ व सीवर लाइनें चोक हो रही हैं, जिसके कारण नवीन पार्क, कुली बाजार के आस-पास जलभराव होने के कारण आम-जनमानस को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

3-उक्त सभी चट्टा संचालकों के कारण क्षेत्र में भीषण गन्दगी व्याप्त हो गई है, हर समय दुर्गन्ध आती रहती है। गन्दगी व दुर्गन्ध के कारण क्षेत्र में महामारी फैलने की आशंका है।

4-उक्त चट्टा संचालक सरकरी सड़क पर कीले गाड़कर गाय, भैंस को बांधते हैं, जिस कारण आम-जनमानस को निकलने में दिक्कतें होती हैं व जानवर हटाने के लिए कहा जाता है तो सभी चट्टा संचालक लड़ाई-झगड़ा करने लगते हैं एवं उक्त मकान के आगे लगी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पानी की टंकी से पीने का पानी भरने में बच्चों, महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

5-उक्त सभी चट्टा संचालक अपने-अपने जानवर 09:00 बजे सुबह से शाम 06:00 बजे के बीच कोपड़गंज स्थित मालगोदाम, गेट नं0-4 के अन्दर पीछे की तरफ बाँध आते हैं, जिस कारण नगर निगम कानपुर दिन के समय कार्यवाही करने आता है तो वहाँ पर जानवर नहीं मिलते हैं। नगर निगम की कार्यवाही से सभी चट्टा मालिक बच निकलते हैं, क्योंकि सभी चट्टा संचालक अपने-अपने जानवरों को 06:00 बजे शाम को अपने घर लाकर बाँध लेते हैं।

6-अवगत कराना है कि दिनांक 24-06-2019 को तत्कालीन नगर निगम कानपुर के पशु चिकित्साधिकारी (डॉ0 अजय कुमार सिंह) द्वारा चट्टा मालिक राजकिशोर यादव उर्फ राजू यादव, म0नं0 76/228, कुली बाजार, गुलियाना, कानपुर के ऊपर 2,86,000/- रुपये का जुर्माना लगाया था जोकि दैनिक समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था लेकिन नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग के इंस्पेक्टरों (राजेन्द्र कुमार तिवारी एवं अरविन्द मिश्रा) की सांठगांठ चट्टा मालिक राजकिशोर यादव उर्फ राजू यादव से होने के कारण उक्त जुर्माने की राशि नगर निगम कोष में जमा नहीं करवाई गई, जिस कारण चट्टे आज तक नहीं हट पा रहे हैं।]

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में नगर निगम कानपुर के पशु चिकित्सा विभाग के इंस्पेक्टरों की जांच के साथ राजकिशोर यादव उर्फ राजू यादव पर दिनांक 24-06-2019 को 2,86,000/- लगाये गये जुर्माने की राशि नगर निगम कोष में जमा न करवाने की जाँच के साथ ही म0नं0 76/228ए एवं 76/241 पर भी भारी जुर्माना लगाने के साथ ही उक्त तीनों मकानों के चट्टे को पूर्ण रूप से हटवाने एवं इन तीनों चट्टा संचालकों पर दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।

प्रदेश के सहकारिता विभाग के जिला सहकारी बैंकों में कैडर अथारिटी के अधिकारियों की विभिन्न वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेन्द्र सिंह शाक्य-

[महोदय, नियम-301 के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना है कि प्रदेश के सहकारिता विभाग के जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत कैडर अथारिटी के कर्मियों के वेतन में निम्नलिखित वेतन विसंगतियां व्याप्त हैं :-

1-सेवा संवर्गों की समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 9/2021/संख्या-2-ई/एम/2009-का-4/2021 एवं समय-समय पर जारी अन्य आदेशों द्वारा जिला सहकारी बैंक के सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं उप महाप्रबन्धक को उ0प्र0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ के महाप्रबन्धक एवं उप महाप्रबन्धक के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत कया गया है, परन्तु उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ को वेतनमान पुनरीक्षित हो चुका है, किन्तु कैडर अधिकारियों के वेतनमान का पुनरीक्षण अभी नहीं किया गया है, जिससे कैडर अधिकारियों में क्षोभ व्याप्त है।

2-इसके अतिरिक्त संवर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा के पत्रांक कैडर (बी)अथारिटी/2012/सी-07, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 द्वारा सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा में उप महाप्रबन्धक पद पर कार्यरत अधिकारियों को निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन दस वर्षीय समयमान वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था है। किन्तु विगत काफी समय में पात्र अधिकारियों को उक्त व्यवस्था का लाभ दिये जाने से वंचित किया जा रहा है।

अतएव नियम-51 के माध्यम से प्रदेश के सहकारिता विभाग के जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत कैडर अथारिटी के अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षित कर उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ के अधिकारियों के समान करने एवं संवर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा के पत्रांक कैडर (बी)अथारिटी/2012/सी-07, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 के क्रम में पात्र अधिकारियों को दस वर्षीय समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अनिल कुमार मौर्य-

[महोदय, नियम-301 के माध्यम से अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ के कार्यालय नगर पालिका परिषद् द्वारा अपने कार्यादेश संख्या-487(7) एवं 487(5) द्वारा राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अन्तर्गत कतिपय कार्यों को शासनादेश संख्या-1090/9-2-97, दिनांक 26-09-1997 के अनुक्रम में कराया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया गया था जिसके क्रम में संबंधित ठेकेदार एवं फर्म द्वारा समयान्तर्गत कार्य का मानक के अनुरूप निष्पादन कर दिया था, किन्तु लगभग दो वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी सम्बन्धित फर्म व ठेकेदार को उनके कार्य के सापेक्ष उनको देय भुगतान नहीं किया गया है, जिससे संबंधित ठेकेदार पर उसके परिवार के भरण-पोषण पर संकट व्याप्त हो चुका है।

अतएव नियम-301 के माध्यम से उपर्युक्त कार्य का भुगतान संबंधित ठेकेदार/फर्म को यथाशीघ्र किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद वाराणसी, विकास खण्ड हरहुआ अन्तर्गत पूरबपुर रेलवे फाटक से खान-पट्टी पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-385, अजगरा, जनपद-वाराणसी में कई वर्षों से उक्त मार्ग ब्लाक हरहुआ के अन्तर्गत पूरबपुर रेलवे फाटक से खान-पट्टी पिच रोड पर बचानी यादव के घर से पासी बस्ती होते हुए तीनघरवा तेजू पहलवान के घर तक लम्बाई 1100 मीटर पिच/सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने हेतु शासन व प्रशासन द्वारा मांग की गयी लेकिन अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है, जबकि यह सड़क कई ग्रामों को जोड़ती है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनपद वाराणसी के 385, अजगरा विधान सभा क्षेत्र के उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली में आई0टी0 पार्क (इलेक्ट्रानिकस) की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अरुण कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद-बरेली कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। यहाँ पर कोई आई0टी0 पार्क (इलेक्ट्रानिक) नहीं है। नोएडा और लखनऊ में आई0टी0 पार्क है जो 250 किमी0 दूर है। यहाँ पर आई0टी0 पार्क बनने से यहाँ के आई0टी0 प्रोफेशनल एवं अन्य जनता जिन्हें रोजगार के लिए बरेली से बाहर जाना पड़ता है, उनका जाना बच जायेगा और बरेली का विकास होगा। बन्द हो चुकी टर्पनटाइन फैक्ट्री की जमीन उपलब्ध है तथा कुछ बात आगे भी बढ़ी थी लेकिन अभी पूरी कार्यवाही नहीं हो पायी है। यदि जनपद बरेली में आई0टी0 पार्क (इलेक्ट्रानिक) बना दिया जाता है तो इस उद्योग के साथ कई और छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और बेरोजगारी की समस्या कम हो जायेगी।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर उचित कार्रवाई किये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ।]

भारत-नेपाल सीमा की भूमि पर अवैध कब्जे को मुक्त कराये जाने एवं एकीकृत जाँच केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

[महोदय, भारत-नेपाल सीमा पर एकीकृत जांच हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र की स्थापना लगभग 5 वर्षों से लम्बित है, जिसेस हमारे राष्ट्र का अहित हो रहा है। हमारे राष्ट्र की तरफ

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से जाने और आने वाले सामानों की आवाजाही में असुविधा, असुरक्षा तमाम प्रकार की लापरवाही होती है जिसको विचारोपरान्त भारत सरकार ने एकीकृत चेकपोस्ट निर्माण हेतु 100 एकड़ से अधिक जमीनों का अधिग्रहण करने की योजना है। उचित मूल्य न मिलने से किसानों की महत्वपूर्ण जमीनें बाजार से कम मूल्य पर सरकार खरीदना चाहती है, जो किसानों को मान्य नहीं है, जिससे यह योजना कई वर्षों से भी लम्बित है। चेकपोस्ट की कार्य योजना के अन्तर्गत तमाम सरकारी जमीनें एवं भू-माफियाओं द्वारा कब्जा की गई जमीन मौजूद है। जिसमें सरकार को कोई मूल्य नहीं देना, परन्तु स्थानीय राजस्व विभाग के मिलीभगत के कारण पूर्ण जमीनों का अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। मैं राष्ट्रहित में इस एकीकृत जांच केन्द्र को स्थापित करने की अविलम्ब मांग करता हूँ, जिससे हमारे देश का हित जुड़ा हुआ है। यह अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की जगह है।

अतः नियम पर चर्चा कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है, तुरन्त चर्चा कराया जाना चाहिए। पुरजोर बल देता हूँ।]

जनपद हरदोई के कृषि विश्वविद्यालय में अध्यापकों एवं स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नितिन अग्रवाल-

[महोदय, जनपद हरदोई में कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण हुए लगभग 05 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तथा 05 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा स्टाफ की तैनाती न होने के कारण शिक्षा सत्र अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

अतः महोदय मैं आपके माध्यम से सदन के भीतर जनपद हरदोई स्थित कृषि विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा स्टाफ की तैनाती कराते हुए कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर अन्तर्गत शहर के बीचो-बीच पड़े पनकी धाम रेलवे स्टेशन को विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

[महोदय, सादर संज्ञान देना चाहता हूँ कि हावड़ा, कानपुर मेन रेल रूट पर कानपुर एक बहुत बड़ा जंक्शन है जिस पर अत्यधिक ट्रेनों का एवं यात्रियों का क्षमता से अधिक भार है, जिसके विकल्प के रूप में उसी मेन रेल रूट पर पनकी धाम स्टेशन है। जिसमें कुछ ट्रेनें तो रुकती हैं। कुछ यात्री भी उतरते हैं, परन्तु यदि और अधिक ट्रेनों को यहाँ पर रोका जाये तो लगभग कानपुर की 8 लाख आबादी को यह एक अतिरिक्त स्टेशन भी मिलेगा और साथ ही अनावश्यक भार से कानपुर सेंटर स्टेशन भी बचेगा। आपसे आग्रह है कि पनकी धाम रेलवे स्टेशन शहर के बीचोबीच में होने के बाद भी आज तक उसमें प्लेटफार्म से बाहर आने के लिये

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एकमात्र खड़ा लोहे का पुल है, जिससे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग आदि पैदल चलकर पार भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए लोग पनकी स्टेशन पर नहीं उतरते हैं, जिसके दृष्टिगत पनकी धाम रेलवे स्टेशन को विकसित कराये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र अयाहशाह अन्तर्गत गाजीपुर-विजयीपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विकास गुप्ता-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-241, अयाहशाह में गाजीपुर-विजयीपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के पुनरीक्षित आगणन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु लम्बित चले आ रहे हैं। जनहित में इस मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक है, जिसके लिए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति होकर धनावंटन किया जाना है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत ग्राम दिनरा मिर्जापुर चौराहे से कस्बा शाही भिटौरा बहेड़ी तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 डी0सी0 वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-119, मीरगंज, जनपद बरेली के अन्तर्गत ग्राम दिनरा-मिर्जापुर चौराहे तक कस्बा शाही भिटौरा बहेड़ी मार्ग (जल भराव के कारण) तक सड़क का चौड़ीकरण कराकर अविलम्ब निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम दिनरा-मिर्जापुर चौराहे तक कस्बा शाही भिटौरा बहेड़ी मार्ग (जल भराव के कारण) तक सड़क का चौड़ीकरण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के महाल मंझरिया घाघरा नदी पर पीपा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली प्रसाद-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में महाल मंझरिया गांव स्थित है। वहाँ लगभग दस हजार एकड़ भूमि कृषि योग्य है। आस-पास के लगभग पचीसों गांव के लोगों की खेती-बारी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किन्तु घाघरा नदी का एक छोटा सा भाग में जल भरे रहने के कारण लोगों को खेती-बारी का कार्य करने में काफी कठिनाई एवं पानी में डूबने से प्रतिवर्ष दुर्घटना होती रहती है। क्षेत्रवासियों द्वारा काफी समय से यहाँ पर पैन्टून पुल बनाये जाने की मांग की जा रही है, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न होने से क्षेत्रवासियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए महाल मंझरिया में घाघरा नदी (सरयू नदी) पर पैन्टून (पीपा) पुल बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर अन्तर्गत हरैया फीडर से चौधरीडीह, शिवपुर, ललिया, मथुरा क्षेत्र तक विद्युत तार जर्जर एवं पुराने होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ शुक्ल-

[मान्यवर, बलरामपुर जनपद के विद्युत वितरण खण्ड तुलसीपुर में हरैया फीडर से चौधरीडीह, शिवपुरा, ललिया, मथुरा क्षेत्र को बिजली आपूर्ति की लाइन जर्जर एवं पुराना होने के कारण लाइन हानि के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान एवं लो-वोल्टेज की गम्भीर समस्या बनी रहती है।

मैं नियम-301 के अन्तर्गत उक्त क्षेत्रों में आने वाली विद्युत आपूर्ति लाइन जो जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण है, बदलकर केबिल लाइन बनाने का अनुरोध अपनी लोकप्रिय सरकार से करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि गन्ना विकास एवं चीनी मिलें गन्ना विभाग द्वारा पूर्व में बनी मार्गों को चिन्हित कर पुनर्निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत मसकनवा-सिकन्दरपुर मार्ग से फुटही बाजार से शीतलगंज होते हुए दरियापुर शीतलगंज ग्रंट से दरियापुर सम्पर्क मार्ग का पुननिर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोनिकपुर में सैनिक स्कूल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बैजनाथ रावत-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोनिकपुर, विकास खण्ड त्रिवेदीगंज के अन्तर्गत काफी सरकारी भूमि खाली पड़ी है जिस

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर बच्चों के लिए एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जा सकती है। इस स्थान पर सैनिक स्कूल हेतु भूमि उपलब्ध है तथा वहीं नवोदय विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय एवं अन्य विद्यालय चल रहे हैं। लखनऊ छोड़ करके आस-पास के जिलों में एक भी सैनिक स्कूल नहीं है। सैनिक स्कूल के खुल जाने से यहाँ के बच्चों में प्रतिभा का विकास हो जायेगा तथा सेना में जाने लायक बच्चे तैयार हो जायेंगे और इस क्षेत्र के बच्चों को देश सेवा का अवसर मिलेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में आमी नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शीतल पाण्डेय-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-324, सहजनवाँ, जनपद गोरखपुर में आमी नदी के किनारे बसे हजारों लोग प्रतिवर्ष तटबन्ध न होने के कारण आमी नदी का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर बसे लोगों के घर, फसल सब कुछ प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाती है। काफी समय से आमी नदी के किनारे तटबन्ध बनाये जाने की मांग की जा रही है, परन्तु अधिकारियों की उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्रवाई न होने से आम जनमानस में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सहजनवाँ में आमी नदी के किनारे बसे हजारों लोगों की सुरक्षा के लिए तटबन्ध बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेवता अन्तर्गत फायर स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्ञान तिवारी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र-150, सेवता में तीन विकास खण्ड रेउसा तथा सकरन के खरौहा में मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के तहत अग्निशमन केन्द्र स्वीकृत हुए 2 वर्ष बीत चुके हैं, जनवरी, 2021 में 2 करोड़ की किस्त भी रिलीज हो चुकी है। कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम है, इसके एमडी और अधिकारियों से कई बार बात किया, परन्तु अभी तक कार्य नहीं शुरू हुआ है। मेरे क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ी के अधिक मकान हैं। प्रतिवर्ष जन हानि और धन हानि अत्यधिक होती है। जनहित में फायर स्टेशन का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराकर सम्पूर्ण कराना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज अन्तर्गत ऐली परसौली/घाघरा नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र 299, तरबगंज, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड बेलसर के ग्राम पंचायत ऐली परसौली के सरयू/घाघरा नदी पर पीपे का पुल बना है। उक्त पीपे के पुल पर कई बार नाव टकराकर डूब जाने से जन हानि हुई तथा लाखों लोगों के आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में ग्राम पंचायत ऐली परसौली के सरयू/घाघरा नदी के कैथी घाट पर सेतु का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम पंचायत ऐली परसौली के सरयू/घाघरा नदी के कैथी घाट पर सेतु का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में मनरेगा योजना में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव की अनेकों ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। विकास खण्ड बल्देव की ग्राम पंचायत दौलतपुर नगला, गुखरौली, ततरौता बांगर, अकोस बांगर एवं कंजौली घाट की ग्राम पंचायतों में सभी नियमों को ताक पर रखते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपलब्ध करायी गयी धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी है। उक्त पांच ग्राम पंचायतों के लिए 305.38 लाख धनराशि व्यय कर ली गयी। मनरेगा के कार्यों में विशेष रूप से पक्के निर्माण में खण्ड विकास अधिकारी बल्देव एवं परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मथुरा इस घोटाले के मुख्य कर्ता-धर्ता हैं। इस सम्बन्ध में कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत के कारण भ्रष्टाचार करके गबन किये गये धन को छिपाया जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय, विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर अन्तर्गत ग्राम नंगला कबूलपुर से मंदिर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र किठौर, जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम नंगला, कबूलपुर से आश्रम व मन्दिर तक मार्ग लम्बाई 2.100 किमी0 अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। यह मार्ग इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग के जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में ग्राम नंगला, कबूलपुर से आश्रम व मंदिर तक मार्ग का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय, विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर अन्तर्गत बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा विधान सभा क्षेत्र 130, बीसलपुर हेतु परिवहन विभाग का राजकीय बस अड्डा निर्माण के लिए घोषणा की, तत्क्रम में बीसलपुर-पूरनपुर मार्ग पर दियोरिया कला में भूमि प्रस्तावित कर बस अड्डा बनाये जाने का सुझाव/प्रस्ताव किया गया, परन्तु अब तक परिवहन विभाग द्वारा राजकीय बस अड्डा उक्त प्रस्तावित स्तर पर निर्माण नहीं कराया गया है। जबकि कथित बस अड्डे प्रस्तावित स्थल पर बना दिया जाना चाहिए था। इस बस अड्डे का निर्माण किया जाना नितान्त अपरिहार्य है ताकि जनसामान्य का आवागमन सुलभ/सम्भव हो सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा हेतु अनुमति प्रदान करने तथा उक्त मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा के क्रम में परिवहन विभाग को राजकीय बस अड्डा बनाये जाने हेतु कार्रवाई भी करने की कृपा करें।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी में रोडवेज बस स्टेशन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-122, फरीदपुर, जनपद बरेली के अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी नगर में रोडवेज बस स्टेशन न होने के कारण नगर एवं आस-पास के लगभग 50 गांवों के लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा होती है। फतेहगंज पूर्वी बरेली, शाहजहाँपुर एवं बदायूँ की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर है। सड़क पर खड़े होकर रोडवेज बसों की प्रतीक्षा करने वाले दर्जनों लोगों की मृत्यु हो जाती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत मिनी स्टेडियम की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में देश व प्रदेश स्तर के खिलाड़ी आते रहे हैं, जो राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करते रहे हैं, परन्तु बावजूद इसके जनपद-सहारनपुर की रामपुर मनिहारन विधान सभा क्षेत्र में कोई मिनी स्टेडियम नहीं है। रामपुर मनिहारन विधान सभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम की स्थापना की जाती है, तो इससे क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं निखर कर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकेंगी। मिनी स्टेडियम हेतु ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध है। जनहित में जनपद-सहारनपुर की रामपुर मनिहारन विधान सभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय, विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बदायूँ के विकास खण्ड दातागंज एवं विकास खण्ड समरेर में कम्युनिटी सेन्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूँ के विकास खण्ड दातागंज एवं विकास खण्ड समरेर में कम्युनिटी सेंटर (मीटिंग हाल) नहीं है, जिससे प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। काफी समय से यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर (मीटिंग हाल) बनाये जाने हेतु शासन एवं प्रशासन को पत्र लिखा गया, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय, विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड दातागंज एवं विकास खण्ड समरेर में कोई कम्युनिटी सेंटर (मीटिंग हाल) बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत अधिवक्ताओं के स्थायी व पक्के चैम्बर बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र धनौरा, जनपद अमरोहा की तहसील धनौरा में अधिवक्ताओं के पास अपने स्थायी व पक्के चैम्बर नहीं हैं, जिस कारण से वादकारियों व अधिवक्ताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में जनपद अमरोहा की तहसील धनौरा में अधिवक्ताओं के स्थायी व पक्के चैम्बर बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय, विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34(91) का लालकुआं-गाजियाबाद से बुलन्दशहर तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34(91) का लालकुआं-गाजियाबाद से बुलन्दशहर तक का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है तथा इसमें जगह-जगह गड्ढे पड़ गये हैं, जिसके कारण इस पर चलने वाले वाहनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा उनमें टूट-फूट का खतरा बन गया है। उक्त मार्ग पर पड़ने वाले टोल पर पूरी वसूली की जा रही है। जनहित में तथा नियमानुसार उक्त सम्पर्क मार्ग का ठीक होना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत विकास कार्यों में करोड़ों रुपयों के घोटालों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि बलिया जिले के बैरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड मुरली छपरा में प्रशासकीय अवधि में खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी तथा सचिव मिलकर दर्जनों गांवों में बिना कार्य कराये करोड़ों रुपये का भुगतान निजी एजेंसियों को कर दिये हैं। स्थानीय और जनपदीय अधिकारियों से शिकायत करने के बाद केवल जांच की सामान्य औपचारिकता पूर्ण करके उनके गबन पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास खण्ड-मुरली छपरा के निम्नांकित ग्राम पंचायतों (1-सोनबरसा, 2-इब्राहिमाबाद, 3-कोड़रहा, 4-मुरली छपरा, 5-चांददियर, 6-दलन छपरा) में प्रशासकीय अवधि में बिना कार्य किये धन का दुरुपयोग किया गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद झांसी के मोंठ तहसील में धान की कटाई-मड़ाई मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ।

जनपद झांसी के मोंठ तहसील में धान की खेती बहुतायत में की जाती है। किसान आगामी रबी फसल की जल्दी तैयारी में धान के अवशेष/पुआल को खेतों में जलाने पर मजबूर हो जाता है। इससे किसान कीट मित्र नष्ट होते हैं एवं जमीन की उर्वराशक्ति घटती है। किसानों के पास धान की कटाई एवं मड़ाई हेतु कोई ऐसा यंत्र उपलब्ध नहीं है जिससे उसकी धान की फसल के अवशेषों को एकत्रित कर सके। यदि किसानों की धान की फसल की कटाई एवं मड़ाई हेतु कोई ऐसा यंत्र विकसित किया जाय जिससे किसान अपनी फसलों के अवशेष/पुआल आदि जलाने पर न मजबूर न हों और अपने खेतों की तैयारी समय पर कर सकें तो किसानों को बहुत लाभ होगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन में लाकर आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत कर्मियों की वेतन विसंगति दूर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता-

[मान्यवर, मैं सदन के सामने एक अविलम्बनीय, लोक हित की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्रवाई की मांग करता हूँ।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में विज्ञप्ति संख्या-289/Bhart/RMLIMS/2009, दिनांक 08-07-2009 के द्वारा टेक्निकल ग्रेड-1 में विज्ञापित कुल 7 पदों के सापेक्ष विधिवत चयनोपरान्त ग्रेड-पे 4200 में मेरिट के अनुसार श्री प्रियरंजन, श्री विनोद कुमार, श्री सुनील मसीह, श्री रविन्द्र कुमार का चयन हुआ था।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संस्थान के आदेश सं0-1098, दिनांक 01-07-2016 को उक्त में श्री प्रियरंजन, श्री विनोद कुमार, श्री सुनील मसीह की पदोन्नति टेक्निकल आफीसर के (ग्रेड-पे 4600) पर हुई।

यह उल्लेखनीय है कि पत्रांक सं0-820/Estb (Gen)/RMLIMS/2016 की चयन सूची में क्रमांक-4 पर अंकित श्री रविन्द्र कुमार आज भी टेक्नीशियन ग्रेड-1 पर है, परन्तु ना जाने किन कारणों से उसे दिनांक 15-06-2015 ग्रेड-पे 4600 व वर्तमान में ग्रेड-पे 4800 वेतन (अधिक) दिया जा रहा है, जबकि शासनादेश के अनुसार सीनियर को जूनियर से कम वेतन नहीं दिया जा सकता।

उपरोक्त वेतन विसंगति के सम्बन्ध में समय-समय पर पदोन्नत कर्मियों में संस्थान व शासन का ध्यान आकृष्ट किया है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अतः मैं सदन से मांग करता हूँ कि उक्त वेतन विसंगति के गम्भीर व शासनादेश विरुद्ध कार्य के संबंध में लम्बे समय से चले आ रहे विवाद को तत्काल समाप्त कर कनिष्ठ कर्मी को देय अधिक वेतनमान की तिथि से वरिष्ठ कर्मियों को भी उस अन्तराल का उच्च वेतनमान प्रदान कर न्याय किया जाये।]

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जैतीपुर अन्तर्गत ग्राम परौर एवं ग्राम-सुनौरा रमपुरा तक आवंटित विद्युत उपकेन्द्र को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा, जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम सुनौरा रमपुरा व विकास खण्ड कलान के ग्राम परौर में 33 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र हेतु जमीन आवंटित हो चुकी है। इस आवंटित जमीन पर 33 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु जिले स्तर व शासन स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों से पत्राचार कई बार कर चुका हूँ, परन्तु अभी तक विद्युत उपकेन्द्र के स्थापना, निर्माण हेतु कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सांगीपुर अन्तर्गत घुईसरनाथ धाम में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[महोदय, तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सांगीपुर के अन्तर्गत सई नदी के पवित्र तट पर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त प्रसिद्ध पर्यटन एवं धार्मिक स्थल बाबा घुईसरनाथ धाम स्थित है। उक्त पावन स्थल पर प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के पवित्र पर्व पर पिछले 22 वर्षों से तीन दिनों तक अनवरत् राष्ट्रीय एकता महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें देश एवं विदेश के ख्याति प्राप्त कलाकार अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। यहाँ आयोजित होने वाला कार्यक्रम रात-दिन अनवरत् तीन दिनों तक चलता रहता है। घुईसरनाथ धाम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता महोत्सव में जनपद प्रतापगढ़ सहित समीपवर्ती जनपदों के कई लाख लोग सम्मिलित होते हैं और बाबा घुईसरनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं।

इसके साथ ही प्रत्येक मंगलवार एवं सोमवार को जनपद प्रतापगढ़ सहित प्रदेश के अन्य जनपदों से लगभग एक लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन एवं जलाभिषेक करने आते हैं। यही नहीं श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को तथा मलमास के महीने में यहाँ पर 3-4 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि उचित पुलिस बल नहीं रहेगा तो कभी भी भगदड़ की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। चूँकि यह शिव मंदिर है, अतः जलाभिषेक करने वालों एवं दर्शनार्थियों की भारी भीड़ में कभी भी भगदड़ हो सकती है।

पर्यटन स्थल घुईसरनाथ धाम के विकास के लिए केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा कई करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है। कभी-कभी यहाँ पर चोरी की घटनाएं हो जाती हैं। अतः हमेशा असुरक्षा बनी रहती है। घुईसरनाथ धाम में पिछले लगभग 25 सालों से अस्थाई रूप से पुलिस चौकी स्थापित है। किन्तु अभी तक यहाँ स्थापित पुलिस चौकी को स्थाई पुलिस चौकी नहीं बनाया गया है। अतः श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों में हमेशा असुरक्षा एवं किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। जनहित में सुरक्षा के दृष्टिकोण से घुईसरनाथ धाम स्थित अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई पुलिस चौकी बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज अन्तर्गत महिला चिकित्सालय, सेवरही में समुचित स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत महिला चिकित्सालय, सेवरही का भवन बनकर तैयार है, जो हमारे विधान सभा क्षेत्र का एकमात्र महिला चिकित्सालय है। यह 30 बेड का अस्पताल है, परन्तु इस महिला चिकित्सालय में अभी तक चिकित्सीय सुविधाओं हेतु न तो एक भी डॉक्टर है, न तो एक भी नर्स, न ही कोई कर्मचारी है, जिससे क्षेत्रीय जनता इस चिकित्सालय की सेवाओं से वंचित है। इस सन्दर्भ में कई बार शासन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को पत्र लिखे गये एवं कई बार प्रश्न को सदन में उठाया गया, किन्तु अभी तक कोई हल नहीं प्राप्त हुआ। जिस कारण जनमानस को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सेवाएं सुचारु रूप से नहीं प्राप्त हो पाती हैं।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल महिला चिकित्सालय, सेवरही में समुचित स्टाफ की नियुक्ति किये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों एवं कर्मियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार राजभर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात चिकित्सकों द्वारा वहाँ की जनता को सरकारी दवायें उपलब्ध न कराकर चिन्हित बाहरी दवाखानों से दवा खरीदे जाने हेतु मजबूर किया जा रहा है एवं तैनात चिकित्सकों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में प्राइवेट क्लीनिकों का संचालन भी किया जा रहा है जिससे वहाँ की जनता को सरकारी समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर सरकारी चिकित्सकों को प्राइवेट क्लीनिक में प्रैक्टिस न किये जाने के संबंध में दशा-निर्देश जारी किये जाते हैं, जिनकी अवहेलना लगातार की जा रही है, जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पूर्व में कई बार अवगत कराया गया, परन्तु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के भी मिले होने के कारण दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

अतः मैं सदन के माध्यम से जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों एवं कर्मियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं को रोके जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु सदन से मांग करता हूँ।]

जिलाधिकारी कार्यालय से सीतापुर में लम्बित शस्त्र लाइसेंस से सम्बन्धित पत्रावलियों का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर में शस्त्र लाइसेंस स्थानान्तरण की सैंकड़ों फाइलें व शस्त्र लाइसेंस की नई हजारों की तादात में फाइलें पूर्ण होकर जिलाधिकारी कार्यालय, सीतापुर में लम्बित पड़ी हैं। स्थानान्तरण की फाइलों का निस्तारण न होने से वारिसों को गन हाउसों का लगातार किराया देना पड़ता है। नये शस्त्र के आवेदकों व स्थानान्तरण शस्त्र के आवेदकों को शस्त्र लाइसेंस जारी न होने के कारण जान-माल का खतरा बना हुआ है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में कोविड-19 के कारण दिवंगत हुए लोगों के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रफीक अंसारी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कोविड की दूसरी लहर में लोगों की मृत्यु हुई है तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता सरकार द्वारा नहीं दी गई है, जिससे इनका परिवार भुखमरी की कगार पर है। उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारजनों को पेंशन/मुआवजा दिया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः जनहित के इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पीड़ितों को मुआवजा/पेंशन दिलाये जाने की मांग सरकार से करता हूँ।]

जनपद जौनपुर निवासिनी श्रीमती स्वाती सिंह को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। श्रीमती स्वाती सिंह पत्नी विवेक सिंह निवासिनी-ओम शांति विला, 37, जी0जी0 दीनदयाल कालोनी, जनपद जौनपुर के साथ इनके पति विवेक सिंह और ननद सुनीता सिंह और सुनीता सिंह के लड़के अभिनव सिंह द्वारा घटित घटना के संबंध में दिनांक 21-02-2021 को पंजीकृत अ0सं0-82/21 धारा-323, 506, 376, 120बी भा0दं0वि0 के अन्तर्गत थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी में पीड़िता का बयान भी न्यायालय में पुलिस ने अंकित कराया है, परन्तु आज तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी थाना बड़ागांव की पुलिस द्वारा नहीं की गयी है। अभियुक्तगणों के प्रभाव में आकर स्थानीय पुलिस निष्पक्ष विवेचना नहीं कर रही है। पीड़िता को बराबर सुलह-समझौता करने के लिए हत्या करने की धमकी भी दी जा रही है। यह एक गम्भीर विषय है, इसकी निष्पक्ष विवेचना पुलिस के किसी उच्चाधिकारी से कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः मैं मा0 सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पंजीकृत अ0सं0-82/21 धारा-323, 506, 376, 120बी भा0दं0वि0 थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी की निष्पक्ष विवेचना पुलिस के किसी उच्चाधिकारी से कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत लांव मोड़ से पारा तक मार्गो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत लांव मोड़ से पारा तक एवं जयन्तीदासपुर से रायपुर तक। यह मार्ग बहुत ही जर्जर हो गया है जो आम आदमी को आने-जाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़कों का निर्माण किये जाने की मांग करता हूँ।]

नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं नालियों तथा सीवर लाइनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ के अन्तर्गत विभिन्न सड़कें क्षतिग्रस्त हैं तथा नाला व नालियां तथा सीवर लाइन खराब होने के कारण क्षेत्रीय जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे दलालघाट व मोहल्ला कोट होते हुए हर्रा की चुंगी तक जो नगर पालिका की सड़क है, पुरानी कोतवाली चौक से दलालघाट तक, बवाली मोड़ से होते हुए सब्जी मण्डी तक, पाण्डेय बाजार होते हुए हीरा पट्टी से बिलरियागंज पिच रोड तक आदि सड़कें बहुत ही खराब हो गयी हैं, जो नगर पालिका की सड़के हैं। आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है तथा बरसात के दिनों में सड़कें खराब होने के कारण पानी भर जाता है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ के अन्तर्गत नालियां खराब हो गयी हैं, सीवर लाइन ठीक से काम नहीं कर रही है। ओवरफ्लो होकर सीवर का पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे गन्दगी फैल रही है, जिससे महामारी फैलने की आशंका बनी हुई है। इन सब परेशानियों के कारण स्थानीय जनता में रोष की भावना व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व एवं जनहित के विषय पर उपरोक्त सभी सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों को ठीक कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद-चन्दौली के अन्तर्गत चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर घाट सम्पर्क

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्ग, भुपौली-चहनियाँ मार्ग, सकलडीहा-कमालपुर अमड़ा मार्ग, अलीनगर-सकलडीहा मार्ग, चन्दौली-कैली मार्ग, पड़ाव-पचफेड़वा मार्ग, पड़ाव-भुपौली मार्ग इत्यादि सम्पर्क मार्ग जो जनपद के बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग हैं, जो वर्तमान समय में पूरी तरह से गड्ढायुक्त हो चुका है। जिलाधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों के पत्र के माध्यम से व धरना-प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराने का काम किया गया, परन्तु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गड्ढे ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, जिससे आम जनता को आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़कों का निर्माण किये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के अन्तर्गत आर0टी0ई0 से सम्बन्धित गरीब बच्चों की शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए स्कूलों का बकाया शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (पी0आई0ई0) 2009 के अन्तर्गत गरीब बच्चों को प्री-प्राइमरी से कक्षा-8 तक के बच्चों को पब्लिक स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। (आर0टी0ई0) के बच्चों के कापी, किताब, ड्रेस के 5 हजार प्रतिवर्ष अभिभावकों के खाते में भुगतान किया जाता है तथा स्कूलों को शुल्क प्रतिपूर्ति 5 हजार प्रतिवर्ष 2010 से 2019, 2020 तक दिया गया है। सत्र 2020-21 में आनलाइन कक्षाएं संचालित करने के बावजूद भी कुछ अभिभावकों का भुगतान हुआ, कुछ का बाकी है तथा स्कूलों का शुल्क प्रतिपूर्ति पूरे प्रदेश में बकाया है, जिससे गरीब बच्चों की शिक्षा सत्र 2021-22 में बाधित हो रही है। (आर0टी0ई0) के बच्चों का प्रवेश लेने में पब्लिक स्कूल वाले आनाकानी कर रहे हैं, बकाया के कारण गरीब बच्चों की शिक्षा अधर में दिख रही है।

अतः जनहित के इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकष्ट कराते हुए गरीब बच्चों की शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल सम्पूर्ण प्रदेश के स्कूलों की बकाया शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बाराबंकी के ग्राम सभा रघई मुबारकपुर के अन्तर्गत बनाई गई सी0सी0 सड़कों में लोक निर्माण विभाग द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज सिंह उर्फ सुरेश यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत बाराबंकी के ग्राम सभा रघई, मुबारकपुर, गदिया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इत्यादि गांव में जो लोक निर्माण विभाग खण्ड-3 द्वारा बनाई गयी सी0सी0 सड़कों में मानक को दरकिनार किया गया है और मनमाने तरीके से कार्य को कराया गया है। उपरोक्त मार्गों की जांच कराकर कार्रवाई कराये जाने की आवश्यकता है और उक्त कार्य में दोषी पाये जाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना भी आवश्यक है। यह प्रकरण जनहित से जुड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु मांग सरकार से करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकर नगर में वरासत के आधार पर वारिसों के शस्त्र लाइसेंस जारी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष राय-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद अम्बेडकर नगर में वरासत के आधार पर शस्त्र लाइसेंस की हजारों पत्रावली सभी औपचारिकताएं पूर्ण होकर जिलाधिकारी कार्यालय में लम्बित हैं। वारिसों को शस्त्र का गन की दुकान पर भारी मात्रा में किराया देना पड़ रहा है तथा शस्त्र लाइसेंस न मिलने के कारण उनकी जान-माल का खतरा भी बना रहता है। यह एक गम्भीर विषय है, वरासत के आधार पर वारिसों के शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल वरासत के आधार पर वारिसों के शस्त्र लाइसेंस जारी कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज अन्तर्गत ग्राम दौदामऊ में पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ, विकास खण्ड गोसाईगंज के कोरियानी नाले पर ग्राम दौदामऊ में बना पुराना पुल टूट गया है, जिससे ग्राम फरीदपुर के लोगों को आवागमन में काफी असुविधा होती है। जनहित में उक्त पुल का नव निर्माण/मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त पुल का नव निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती में गौरव इण्टरप्राइजेज परशुरामपुर एवं अमित ट्रेडर्स बड़े वन बस्ती के द्वारा कृषि विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी बिल वाउचर की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय, आपके माध्यम से अवगत कराना है कि जनपद बस्ती के कृषि विभाग में किसानों के हित में सरकार की महत्वाकांक्षी कृषि यंत्रीकरण योजना एवं कस्टम हायरिंग के अन्तर्गत कृषि उपकरणों के खरीद के लिए जनपद बस्ती में गौरव इण्टरप्राइजेज, परशुरामपुर एवं अमित ट्रेडर्स बड़े वन बस्ती के द्वारा कृषि विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी बिल वाउचर लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है।

उक्त फर्जीवाड़े के सम्बन्ध में मुझे अवगत कराया गया कि उक्त कृषि निदेशक, बस्ती के कार्यालय में तैनात कृषि यंत्रीकरण योजना के पटल सहायक श्री संकटहरण पाण्डेय फर्जीवाड़े के मुख्य मुखिया हैं। धन उगाही का कार्य भी श्री पाण्डेय के द्वारा ही सम्पन्न कराया जाता है। मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि श्री पाण्डेय जी विगत कई वर्षों से एक ही पटल पर नियुक्त हैं। उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी तथा विभागीय अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है जिस पर जनपद बस्ती में कृषि यंत्रीकरण योजना के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार पर कृषि निदेशक, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 03-03-2021 के द्वारा प्रकरण की जांच हेतु उप निदेशक, कृषि गोरखपुर मण्डल की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जाँच कमेटी गठित कर जाँच के लिए आदेशित किया गया तथा कृषियंत्रीकरण पटल सहायक श्री संकटहरण पाण्डेय को भी 26 जुलाई, 2021 को जनपद बलरामपुर के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया, परन्तु उप निदेशक कृषि, बस्ती के द्वारा श्री पाण्डेय को शासनादेश की उपेक्षा करते हुए कार्यमुक्त नहीं किया गया।

प्रकरण की गंभीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ कृषि यंत्रीकरण योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जाँच की कार्यवाही चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कृषि विभाग द्वारा फर्जीवाड़े में लिप्त फर्मों के फर्जी बिल वाउचर पर करोड़ों का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें पटल सहायक श्री संकटहरण पाण्डेय तथा उप निदेशक, कृषि, बस्ती के मिलीभगत से सरकारी धन का बन्दरबांट किया जा रहा है। प्रकरण किसानहित से सम्बन्धित एवं अति महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्थानान्तरण में हुई अनियमितता की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 विमलेश पासवान-

[महोदय, शासन द्वारा कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण नीति बनाई गई है। कार्यरत समय के अनुसार उनका स्थानान्तरण किया जाता है, परन्तु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पद स्वीकृत न होने की दशा में भी वरिष्ठ का स्थानान्तरण कर दिया गया। जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत लखनऊ के ठाकुरगंज चिकित्सालय में कार्यरत वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन श्री राजेन्द्र सिंह का महानिदेशालय स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जनपद कौशाम्बी में स्थानान्तरण कर दिया गया परन्तु वहाँ पर वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन का पद सृजित न होने के कारण कौशाम्बी के चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशालय को अवगत कराने के बाद भी वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन का अन्यत्र समायोजन नहीं किया गया, जिससे उन्हें मार्च, 2020 से नवम्बर, 2020 तक प्रतीक्षारत रखा गया और उक्त 9 माह के अवधि का वेतन भी नहीं दिया गया, जिसके कारण इन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाये और वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन राजेन्द्र सिंह का मार्च, 2020 से नवम्बर, 2020 प्रतीक्षारत् अवधि का वेतन दिलाया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए 9 माह का वेतन अविलम्ब दिलाये जाने हेतु कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद अन्तर्गत ग्राम सलेमपुर भट्टा के आबादी भाग में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम सलेमपुर भट्टा का सम्पर्क मार्ग आबादी भाग में अत्यन्त खराब अवस्था में है। जिसकी लम्बाई 0.400 किमी0 है तथा मार्ग में पानी भरा होने से आवागमन प्रभावित है। यह मार्ग ग्राम खिन्नी गोपालपुर को जोड़ता है। आस-पास के दर्जनों गांवों के ग्रामवासियों का मार्ग से प्रतिदिन आवागमन है। मार्ग में गहरे गड्ढे हो जाने से ग्रामवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त मार्ग काफी समय से नहीं बन पाया है।

अतः उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मैं सदन में वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर-इल्तिफातगंज प्रमुख मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा-

[महोदय, अकबरपुर-इल्तिफातगंज मार्ग जोकि जिला अम्बेडकरनगर का प्रमुख मार्ग है तथा फैजाबाद-आजमगढ़ राज्य मार्ग जो मया-टाण्डा राज्य मार्ग को जोड़ता है, उक्त मार्ग पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में बड़े वाहनों एवं छोटे वाहनों का आवागमन होता है।

उक्त मार्ग अत्यधिक जर्जर हो गया है, केदार नगर बाजार में पानी का भराव बना रहता है, आम जनता ने उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण किये जाने की मांग की है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज में कतिपय ग्रामों के क्षतिग्रस्त मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन-

[महोदय, आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

1-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम कटौली में मो0 मोअज्जम के घर से मो0 तनवीर के घर तक सड़कों का नव निर्माण कार्य।

2-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम फखरुद्दीनपुर में पोखरे के पास मन्दिर से प्याजू राजभर बस्ती तक सड़क का नव निर्माण कार्य।

3-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम सराय मारूफ के फिरतूराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल से श्याम सुन्दर पाण्डेय के खेत होते हुए हाई-वे पर रामधनी गौड़ के घर तक सड़क का नव निर्माण कार्य।

4-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम माधोपुर-धरांग मार्ग से अनुसूचित बस्ती के हरिराम के घर होते हुए राजाराम के घर होते हुए पिच मार्ग का नव निर्माण कार्य।

5-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम बेइली में राजाराम यादव की दुकान से कर्महीं अनुसूचित बस्ती होते हुए मूलचन्द्र गुप्ता के घर तक सड़क का नव निर्माण कार्य।

6-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम रेवसा में गांगी नदी पुल से कैलाश यादव के घर के तरफ सड़क का नव निर्माण कार्य।

7-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम गिरधरपुर में आजमगढ़-वाराणसी मार्ग से चौकी देवगांव अनुसूचित बस्ती तक सड़क का नव निर्माण कार्य।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

8-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम कस्बा देवगांव के धीरेन्द्र गुप्ता के मकान से पूर्व प्रधान कैलाश गुप्ता के घर तक सड़क का नव निर्माण कार्य।

9-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम देवगांव-बसही मार्ग से नहर की पटरी पर मिर्जापुर की तरफ सड़क का नव निर्माण कार्य।

10-विकास खण्ड-लालगंज के ग्राम बरहती से गुलरिया में गुड्डू यादव के घर तक सड़क का नव निर्माण कार्य।

उक्त सड़कों का नव निर्माण कार्य न होने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्गों के निर्माण हेतु मेरे द्वारा सम्बन्धित विभाग को अनेकों बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके कारण आम जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के नगर पालिका बांगरमऊ में स्व0 पं0 विश्म्भर दयालु त्रिपाठी की स्मृति में पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीकान्त कटियार-

[मान्यवर, कृपया विधान सभा क्षेत्र-162, बांगरमऊ जनपद उन्नाव के अन्तर्गत नगर पालिका, बांगरमऊ में स्थित बोधेश्वर मन्दिर के पास स्व0 पंडित विशम्भर दयालु त्रिपाठी (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) भारतीय संविधान सभा के सदस्य, राजनीतिज्ञ, विद्वान तथा पहली लोक सभा के सदस्य उन्नाव, संसदीय क्षेत्र एवं संस्थापक डी0एस0एन0पी0जी0 कालेज, उन्नाव, बी0डी0टी0 इण्टर कालेज मियांगंज, उन्नाव। इनका जन्म स्थान बांगरमऊ है। इनकी स्मृति में इनके पैतृक आवास को सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर स्व0 पंडित विशम्भर दयालु त्रिपाठी जी की स्मृति में पार्क का निर्माण कराया जाना लोक महत्व का विषय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर नगर पालिका, बांगरमऊ में स्व0 पंडित विशम्भर दयालु त्रिपाठी जी का पार्क स्थापित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

परिवहन विभाग, आजमगढ़ में क्षेत्रीय प्रबन्धक की जाँच स्वतंत्र एजेंसी से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम धनी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर श्री अतुल कुमार त्रिपाठी, जोकि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्तमान समय में आजमगढ़ क्षेत्र में तैनात हैं। श्री त्रिपाठी पूर्व में अलीगढ़ क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर रहते हुए नियम विरुद्ध कार्य करने के कारण विभाग द्वारा निलम्बित किये जा चुके हैं, किन्तु अपने प्रभाव के कारण षडयंत्र करके बच जाते हैं तथा झांसी एवं नोएडा में क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर रहते हुए भी इनके द्वारा घोर भ्रष्टाचार किया गया था, इनके सभी कार्यों की जांच हुई लेकिन इनके राजनीतिक प्रभाव के चलते विभाग के अधिकारियों द्वारा इन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है, जिस कारण इनके हौसले बुलन्द रहते हैं एवं वर्तमान में जनपद आजमगढ़ क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर रहते हुए आये दिन कर्मचारियों को परेशान करने के साथ ही निगम को अहित पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जिस कारण संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही आम-जनमानस में भी सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आजमगढ़ क्षेत्र में कार्यरत श्री अतुल कुमार त्रिपाठी, क्षेत्रीय प्रबन्धक के खिलाफ हुई सभी पूर्व जांचों की पुनः जाँच किसी स्वतंत्र एजेंसी से शीघ्र कराकर कठोर कार्यवाही कराये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार-

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मोहान, जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत वि0ख0-हसनगंज के ग्राम-जवाहर मजरा भरहा, समदपुर भौला वाकीपुर तक एवं वि0ख0-नवाबगंज में माँ कुसुम्भी देवी मार्ग, रेलवे फाटक से मकूर ग्राम सभा तक की सड़कें बिलकुल कच्ची हैं। जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं। बरसात के दिनों में इन सड़कों पर पैदल चलना दूभर होता है। उक्त सड़कों का नव निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इस लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए उपरोक्त सड़कों का नव निर्माण कराने के आदेश देने का कष्ट करें।]

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर अन्तर्गत भोगी सागर तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कटियार-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत भोगी सागर तालाब लगभग 20 एकड़ है, जोकि भोगनीपुर के मेन चौराहे पर स्थित है। यह लखनऊ से झांसी और दिल्ली से कोलकाता जाने वाले सड़कों के मुख्य केन्द्र पर स्थित है। यह प्राकृतिक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रूप से बड़ा ही सौन्दर्यपूर्ण है। यहाँ पर जाड़े के दिनों में बाहरी चिड़ियाँ भी आती हैं। इस तालाब के सौन्दर्यीकरण के लिए बहुत समय पहले से कई बार लिखा जा चुका है। यदि इस स्थान का सौन्दर्यीकरण हो जाये तो दिल्ली से कोलकाता एवं लखनऊ से झांसी गुजरने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा दर्शनीय पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित हो सकता है।

इस तालाब के सौन्दर्यीकरण और पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने का अनुरोध शासन स्तर पर कर चुके हैं, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। यह बहुत ही जन महत्व का मामला है।

आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के इस प्रकरण को स्वीकार करते हुए भोगी सागर तालाब का सौन्दर्यीकरण के बारे में कार्रवाई के आदेश देने का कष्ट करें।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में औद्योगिक केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के ग्राम बछुआर में मिनी औद्योगिक केन्द्र के नाम भूमि उपलब्ध है जिसका गाटा संख्या-346 है। यह भूमि अमूल दूध प्लांट व अन्य मिनी औद्योगिक केन्द्र के लिए उपयुक्त है। हमारे यहाँ दुधारू गोवंशीय पशु लगभग 22 हजार तथा दुधारू महीष वंशीय पशु लगभग 24 हजार हैं। हमारे यहाँ कुल दुग्ध उत्पादन 1.5 लाख लीटर रोजाना होता है। आस-पास के क्षेत्रों से भी काफी मात्रा में दुग्ध उत्पादन हो जायेगा, जिससे किसानों की आय दुगुनी होगी व रोजगार सृजन होगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत सलेमपुर पावर हाउस में लगे जर्जर तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत ग्राम सभा सलेमपुर में एक विद्युत स्टेशन कार्यरत है, परन्तु यहाँ से निकली 1100 वोल्ट की समस्त लाइन वर्षों पुरानी होने की वजह से जर्जर अवस्था में है। यही नहीं, रसड़ा से नगरा और सलेमपुर पावर हाउस तक लगे 3300 के0वी0 के सभी तार जर्जर अवस्था में होने के कारण प्रायः या यह समझिये लगभग हमेशा अनुरक्षण के इंतजार में रहते हैं और इसी वजह से इस क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था हमेशा ध्वस्त रहती है। इतने पुराने जर्जर तार की वजह से अनुरक्षण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होने के बावजूद भी फौरी राहत के अलावा अन्य कुछ हासिल नहीं होता और यह समस्या का स्थायी समाधान भी नहीं है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के सलेमपुर पावर हाउस में विद्युत के गम्भीर संकट को देखते हुए यहाँ पर लगे समस्त 1100 वोल्ट एवं 3300 के0वी0 के सभी जर्जर तार बदले जाने हेतु शासन से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के ग्राम वादिपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दयाराम चौधरी-

[मान्यवर, कुछ विशेष वर्ग, जाति के लोगों द्वारा डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए भूमिधारी भूमि पर किसी सक्षम अधिकारी के परमीशन से जबरदस्ती करके अवैध रूप से परेशान किया जा रहा है। ऐसे प्रकरण उ0प्र0 में कई स्थानों पर देखने को मिले हैं। जैसे कि श्री उग्रसेन सिंह पुत्र स्व0 चन्दा सिंह रामनगर भड़सरा लाइन बाजार कंचनगांव रोड, जौनपुर ग्राम वादिपुर (दक्षिणी) परगना-अवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर के आ0नं0-270, 271, 272, 273, 274 का बैदार है, किन्तु कुछ असामाजिक तत्व उसमें विगत दिनों रात्रि में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति रखकर कब्जा कर रहे हैं। मना करने पर अनुसूचित जाति का लाभ लेकर हरिजन एक्ट का मुकदमा लगाने की धमकी देकर परेशान कर रहे हैं। इसकी शिकायत जिलाधिकारी, तहसीलदार से करने के बाद भी कोई कार्रवाई न किये जाने से परेशान हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

लखनऊ के जानकीपुरम स्थित पंचवटी पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिहारी लाल आर्य-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि लखनऊ के सेक्टर-एच, जानकीपुरम स्थित पंचवटी पार्क की क्षतिग्रस्त चहारदीवारी की मरम्मत, सौन्दर्यीकरण, बच्चों के खेलने हेतु झूला आदि एवं पार्क हेतु एक स्थायी माली की नियुक्ति कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस गम्भीर विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अमेठी के विकास खण्ड भादर अन्तर्गत अयोध्या-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से भागीपुर तक मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती गरिमा सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ। जनपद-अमेठी के विकास खण्ड भादर के अन्तर्गत स्थित अयोध्या-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से भागीपुर गाँव तक निर्मित सड़क जिसकी दूरी लगभग 5 कि0मी0 है, की हालत अत्यन्त ही जर्जर हो चुकी है, जिस पर आवागमन करना दूभर हो गया है। उक्त मार्ग अमेठी विधान सभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसका जीर्णोद्धार अतिशीघ्र होना अति आवश्यक है।

मैं सदन के माध्यम से जनपद-अमेठी के विकास खण्ड भादर के अन्तर्गत स्थित अयोध्या-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से भागीपुर गाँव तक निर्मित सड़क जिसकी दूरी लगभग 5 कि0मी0 है, का जीर्णोद्धार/विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

[मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 पर स्थित हाटा में बसें राजमार्ग पर ही रुकती हैं तथा यात्री भी सड़क पर बसों की प्रतीक्षा करते हैं। आयेदिन दुर्घटनाएं होती हैं। जनपद कुशीनगर के हाटा में बस अड्डे के निर्माण की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। जमीन भी उपलब्ध है। सरकार की सैद्धांतिक सहमति है। किन्तु खेद है कि परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित उक्त बस अड्डे का निर्माण कब तक होगा ? होगा या नहीं ? यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा। इस विषय में मैंने स्वयं अनेक पत्र दिये, उच्चाधिकारियों से कई बार मिला, किन्तु नतीजा शून्य है। विभाग द्वारा कार्य को निरन्तर टालते रहने तथा अनावश्यक विलम्ब के चलते सरकार की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जनहित में प्रस्तावित उपर्युक्त बस अड्डे के निर्माण को लेकर परिवहन विभाग द्वारा वस्तुस्थिति से स्पष्ट किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के तहत लोक महत्व के इस विषय पर सम्मानित सदन का ध्यानाकर्षण करते हुए जनपद कुशीनगर के हाटा में बस अडड्ा निर्माण की कार्रवाई तत्काल पूरी कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली जर्जर सड़कों के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[मान्यवर, नगर निगम, लखनऊ द्वारा लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को हस्तान्तरित राजधानी लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख सड़कें अत्यन्त जर्जर व खस्ताहाल हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सड़कों के बीच गड्ढों के चलते आयेदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं तथा लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जनता में असंतोष व्याप्त है।

उपर्युक्त सड़कों के जीर्णोद्धार हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया था, किन्तु शासन में लम्बित होने के कारण अभी तक जीर्णोद्धार का कार्य आरम्भ नहीं हो सका है। जनहित में उक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए सड़कों की सुधि लेना अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए जनपद लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली जर्जर सड़कों के तत्काल जीर्णोद्धार करवाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी में महिला इंस्पेक्टर की तैनाती तथा पुलिस कर्मियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आवास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 फईम इरफान-

[मान्यवर, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी में महिलाओं से जुड़े कई मामले आते हैं, मगर अभी तक कोतवाली बिलारी में महिला इंस्पेक्टर की तैनाती नहीं की गई है, साथ ही महिलाओं को बैठाने के लिए कोई स्थान कोतवाली बिलारी में नहीं है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों, कोतवाली प्रभारी और सर्किल बिलारी के सीओ के आवास बिलारी में नहीं हैं, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों को अपना कीमती समय सफर में व्यतीत करना पड़ता है। इसके अलावा कैदियों को बैठाने के लिए बैरक भी नहीं है। इस सम्बन्ध में कई बार मांग भी की जा चुकी है, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तहसील बिलारी, जिला-मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी में महिला इंस्पेक्टर की तैनाती, पुलिस कर्मियों व प्रशासनिक अधिकारियों के रहने के लिए आवास, कैदियों को बैठाने के लिए बैरक बनवाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[मान्यवर,

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (किमी0)
1	बरौली-श्यामपुर मार्ग से पोकरगढ़ी मार्ग	0.750
2	साधु आश्रम छलेसर मार्ग से नारौली मार्ग	0.700
3	गोधा रोड पर गैमड़ी चौराहे से मुजफ्फरा राजवाह तक	0.900
4	जाटवो के नगला से नागौला मार्ग	1.000
5	ग्राम साथा से मीरपुर का बड़ा नगला	1.000
6	ग्राम गोरना रसीदपुर से देवपुर तक	0.900
7	जी0टी0 रोड मार्ग से रुस्तमपुर ढोला मार्ग	1.000
8	अतरौली गोधा से सिखरना मार्ग	1.000
9	दौरऊ से चांदपुर मार्ग	1.000
10	अलीगढ़-बरौली-सिकन्दरपुर कोटा मार्ग से पिपलौठ गोकुलपुर मार्ग	1.000
11	अलीगढ़-रामघाट मार्ग के किमी0 11 नहर के रजवाहे से बरानदी सम्पर्क मार्ग	0.060
12	छिडावली सम्पर्क मार्ग	0.980
13	साधु आश्रम-पनैठी मार्ग से भवनगढ़ी मार्ग	1.000
14	हरदुआगंज-जलाली मार्ग किमी0 2 से हरदुआ मार्ग	0.800
15	साधु आश्रम-कासिमपुर मार्ग के किमी0 3 से उखलाना मार्ग	0.300
16	साधु आश्रम-पनैठी मार्ग से समस्तपुर माछुआ मार्ग	0.200
17	अलीगढ़-रामघाट मार्ग के किमी0 17 से भवनगढ़ी मार्ग	1.36
18	अंडला-ककोला, जी0टी0 रोड से सुजापुर मार्ग	1.300
19	तालिबनगर-सिखरना मार्ग से मुजफ्फरा मार्ग	0.250
20	काजिमपुर से मवान मार्ग	1.500

क्षेत्रीय जनता इन मार्गों की मरम्मत की मांग कर रही है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में जनपद अलीगढ़ में उक्त वर्णित मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड निगोहीं के ग्राम बरेचा में कतिपय व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड-निगोही के ग्राम-बरैंचा में 1-श्री धर्मपाल पुत्र केदार, 2-श्री गिरीश पुत्र जौहरी, 3-श्रीमती अनीता देवी पत्नी बिजेन्द्र, 4-श्री लाल बहादुर पुत्र दीनानाथ, 5-श्री छत्रपाल पुत्र खेमकरण, 6-श्री ओमकार पुत्र खेवराज, 7-श्री लालजीत पुत्र माधव, 8-श्री रामदास पुत्र झम्मन, 9-श्री राममूर्ति पुत्र खेवराज, 10-श्री रक्षपाल पुत्र केदार, 11-श्री प्रेमपाल पुत्र उधव, 12-श्री खुशीराम पुत्र रामेश्वर, 13-श्री रवेन्द्र पुत्र रामप्रेम, 14-श्री सत्यपाल पुत्र लीलाराम, 15-श्री राजेन्द्र पुत्र हेमराज, 16-श्री सुरेन्द्र पुत्र विद्याराम, 17-श्रीपाल पुत्र केदार, 18-श्री राममूर्ति पुत्र गिन्दर, 19-श्री बलराम पुत्र नेपाल, 20-श्री जितेन्द्र पुत्र जवाहर, 21-श्रीमती रामबेटी पत्नी स्व0 बेचे, 22-श्रीमती रामबेटी पत्नी महेश, 23-श्री दीपू प्रजापति पुत्र राम दिनेश, 24-श्री राजवीर वर्मा पुत्र दीनानाथ, 25-श्री रघुवीर वर्मा पुत्र खेवराज, 26-श्री रामफूल वर्मा पुत्र लाखन, 27-श्री जगतराम पुत्र लाखन, 28-श्री ओमपाल पुत्र उद्यौं, 29-श्री अनुज एवं 30-श्रीमती अनीता तथा बहुत अन्य ग्रामवासियों को पात्रता होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है। पूरे के पूरे गांव को इस योजना से वंचित कर दिया गया है और किसी का भी नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित नहीं किया गया है। जबकि उपर्युक्त 30 व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य बहुत से लोग इन आवासों हेतु पात्रता रखते हैं (उक्त 30 व्यक्तियों के कच्चे झोपड़ों के फोटोग्राफ्स संलग्न)। उक्त आवासीय योजना में इस ग्राम के निवासियों में से किसी को भी कोई आवास आवंटित नहीं किया गया है अर्थात् जारी सूची में इस गांव को पात्रता होने के बावजूद शून्य कर दिया गया है। सम्बन्धित अधिकारियों का यह कृत्य सरकार की मंशा के बिलकुल विपरीत है। उक्त ग्राम में इतने अधिक पात्र होने के बावजूद केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाना सम्बन्धित अधिकारियों की कार्यकुशलता, संवेदनशीलता एवं कार्य पद्धति पर प्रश्नचिन्ह लगाता है, जिसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

जनहित में गाम-बरैंचा, विकास खण्ड-निगोही, जनपद-शाहजहाँपुर के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाये जाने तथा मामले की जाँच करवा कर इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा संयुक्त सचिव लेखा पद पर कुछ अधिकारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग में तैनात किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा संयुक्त सचिव (लेखा) के कुछ पद उन विभागों हेतु सृजित किये हैं, जहाँ कार्य अधिक है। उक्त पदों का आवंटन सचिवालय प्रशासन विभाग के शासनादेश दिनांक 08-12-2017 द्वारा किया गया है। उक्त शासनादेश का घोर उल्लंघन कर संयुक्त सचिव (लेखा) के कुछ अधिकारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग में तैनात किया गया है, जबकि राज्य सम्पत्ति विभाग में संयुक्त सचिव (लेखा) के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और ना ही संयुक्त सचिव (लेखा) का कोई पद सृजित है। इस प्रकार उक्त अधिकारियों के वेतन/भत्तों पर लाखों रुपये का अपव्यय किया जा रहा है जोकि सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि जिन विभागों हेतु पद सृजित हैं, वहाँ पद रिक्त हैं तथा राजकीय कार्य अवरुद्ध होने के कारण अधिकारियों व कर्मचारियों को कठिनाइयों का घोर सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सदन में इस लोक महत्व के विषय की गम्भीर स्थिति पर अविलम्बनीय चर्चा कराने की कृपा करें।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुँवर नरेन्द्र पाल सिंह-

[महोदय, निवेदन है कि 220, कालपी विधान सभा क्षेत्र के निम्न कार्य करवाने की आवश्यकता है :-

1-ग्राम सींगेपुर से अटराकलां मार्ग तक 02 कि0मी0, वि0ख0 महेवा।

2-ग्राम कोड़ा किर्राही से जरारा मार्ग तक 01 कि0मी0, वि0ख0 महेवा।

3-कालपी में चौरासी गुम्मज से करबला रोड तक 1.5 कि0मी0, वि0ख0 महेवा।

यह मार्ग पुराना है। वर्तमान में उखड़ जाने के कारण बन्द हो गया है।

मान्यवर, उक्त मार्ग बनवाने की कृपा करें।]

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मलिहाबाद व माल अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जयदेवी-

[मान्यवर, सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड मलिहाबाद व माल के ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई हेतु नलकूपों की आवश्यकता है, जिससे किसानों को पानी सिंचाई हेतु मिल सके। जिनका विवरण निम्नवत् है :-

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-ग्राम बक्खा खेड़ा का मजरा थरी

2-ग्राम मुजासा में गोविन्द प्रसाद रावत पुत्र श्री गया प्रसाद के बाग में

3-दिघारा

4-रायपुर

5-उमरावल में झब्बाखेरा

6-सैथन खेड़ा का मजरा गदहौं

7-बरौंकी

8-बीरपुर माल

9-देवरी भारत राकेश सिंह के खेत में

10-बसंतपुर

11-मवई में सरोज सिंह के खेत में

12-निकरोजपुर में गांव के पश्चिम में

13-रनीपारा बुद्धीलाल के खेत में

14-देवरी गजा कुंवरपाल सिंह के खेत में

अतः सदन से अनुरोध करना है कि किसानों की असिंचित भूमि तक पानी पहुँचाने के लिए जनहित में नलकूप लगवाने हेतु सूचना ग्राह्य करने की कृपा करें। क्षेत्र की जनता और स्वयं सदन की आभारी रहूँगी।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत अन्तर्गत चंदवक बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चौधरी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केराकत के प्रमुख बाजारों में से चंदवक बाजार एक है। यह वाराणसी-आजमगढ़ के मुख्य मार्ग पर स्थित तथा विधान सभा क्षेत्र के एक तिहाई आबादी को प्रभावित करने वाला प्रमुख बाजार भी है।

मान्यवर, जनता की बहुत दिनों से मांग है कि इस बाजार को नगर पंचायत बनाया जाये, जिससे कि इस बाजार को नगर के रूप में विकसित करने के लिए बल मिल सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस गम्भीर विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए चंदवक बाजार को नगर पंचायत बनाने की मांग करता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्ष 2005 से सभी विभागों में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना स्थगित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 से सभी सरकारी विभागों में कार्यरत स्थाई कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को स्थगित कर दिया गया था। इससे समस्त स्थाई कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है तथा इसकी बहाली के लिए लगातार अपने-अपने संगठनों के माध्यम से धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रहे हैं। परन्तु मौजूदा सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए पुरानी पेंशन बहाल किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद जौनपुर में ग्राम इजरी (धरहरा) अन्तर्गत शहीद स्व0 जिलाजीत के सम्मान में शासन द्वारा की गई घोषणाओं को सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरव कुमार-

[मान्यवर, जनपद जौनपुर में गत वर्ष 12 अगस्त को ग्राम इजरी (धरहरा) सिरकोनी ग्राम के शहीद स्व0 जिलाजीत यादव के सम्मान में शासन द्वारा घोषणाएं की गयी थीं कि शहीद जिलाजीत यादव के किसी परिवारजन को मृतक आश्रित कोटे के रूप में नौकरी दी जायेगी, गांव के शहीद के नाम पर गेट बनवाया जायेगा, सिरकोनी व बिशुनपुर मार्ग का नाम बदलकर शहीद जिलाजीत के नाम पर रखा जायेगा तथा उनके नाम पर पार्क व घर तक सड़क बनवायी जायेगी, परन्तु अभी तक घोषित कोई कार्य नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय वासियों में रोष है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अविलम्ब शासन द्वारा घोषित उक्त कार्य को यथाशीघ्र सम्पादित कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सैयदराजा अन्तर्गत कमालपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुशील सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-382, सैयदराजा, ब्लाक थानापुर-कमालपुर, जनपद चंदौली के अन्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं होने की वजह से छात्राओं को उच्च शिक्षा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा किये गये अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बहोरन लाल मौर्य-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद बरेली के अन्तर्गत तहसील बरेली में बी0डी0ए0 बरेली द्वारा डोहरा रोड रामगंगा कालोनी विकसित किये जाने के नाम पर ग्राम बिचपुरी, चन्द्रपुर, डोहरा, डोहरिया, पहाड़गंज, कलारी, रामनगर आदि गाँवों में 20 वर्ष से भी अधिक वर्षों से अत्यन्त गरीब किसान निवास कर रहे हैं, जिन्हें अवैध रूप से हटाया जा रहा है, जिससे इनके सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया है। यह गरीब लोगों एवं किसानों के हितों पर कुठाराघात है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गरीब एवं किसानों को उक्त स्थान से न हटाया जाये तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठता क्रम में सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं के अभाव में सड़कों का निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, सुचारु रूप से रख-रखाव निर्माण/मरम्मत कार्य में तेजी से कार्य न होने के कारण प्रदेश की सड़कों की हालत बहुत ही खराब स्थिति में है, जिससे प्रदेश के निवासियों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किन्तु अभी तक सम्बन्धित विभाग द्वारा सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर पदोन्नति नहीं की जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त विभाग के वरिष्ठता क्रम में सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति किये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मिरजापुर के विकास खण्ड कोन के जगापट्टी गाँव में खमरिया टाउन एरिया के गन्दे पानी का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

पं0 रत्नाकर मिश्र-

[मान्यवर, जनपद मीरजापुर की विधान सभा क्षेत्र-396, के विकास खण्ड कोन ब्लाक के जगापट्टी गांव में खमरिया टाउन एरिया का गन्दा पानी आने के कारण से पूरे क्षेत्र की कृषि भूमि नष्ट हो रही है एवं नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। दोनों क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति है। कभी भी यह स्थिति विकराल रूप ले सकती है।

खमरिया टाउन एरिया के गन्दे पानी का निस्तारण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है, जिससे जगापट्टी गांव के लोगों को गन्दे पानी से निजात मिले एवं भविष्य में होने वाले संघर्ष को रोका जा सके।

आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर जनपद मिरजापुर के खमरिया टाउन एरिया के गन्दे पानी का निस्तारण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के प्रहलाद नगर कालोनी (सदर तहसील) में जल निकासी हेतु नाली व सीवेज की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चन्द्र शर्मा-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2000 में प्रहलाद नगर कालोनी, करतालपुर में बना व बसा। यह कालोनी आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आती है। प्रहलाद नगर कालोनी में लगभग 300 मकान बने हुए हैं। कालोनी में नाली व जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण कालोनी में अक्सर नाली के गन्दे पानी से जल भराव की समस्या बनी रहती है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए जनपद आजमगढ़ के प्रहलाद नगर कालोनी में जल निकासी हेतु नाली व सीवेज की व्यवस्था कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के ग्राम सरसवां अर्जुनगंज में ग्राम समाज की जमीन व सरकारी नाले पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजमणि कोल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम सरसवां अर्जुनगंज में ग्राम समाज की जमीन व सरकारी नाले पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। जहाँ पर कब्जे हो रहे हैं उनका बिन्दुवार विवरण निम्नलिखित है :-

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-ग्राम सरसवां अर्जुनगंज में साईदाता रोड से होता हुआ एक सरकारी नाला जिसकी चौड़ाई 50 फिट है, चकबन्दी के पूर्व से सरकारी अभिलेखों में दर्ज है तथा मौके पर भी उपलब्ध है। इस नाले के पास किसान व प्रापर्टी डीलर मिलकर प्लाटिंग करा रहे हैं। किसान व प्रापर्टी डीलर मिलकर ग्राम समाज की जमीन व सरकारी नाले की जमीन को भी बराबर करके अवैध रूप से कब्जा कर ले रहे हैं। पूरे सरसवां गांव के पानी के निकास का एकमात्र यही सरकारी नाला ही साधन है। यदि उस पर हो रहे अवैध कब्जे को रोका नहीं गया तो गत भविष्य में जल भराव की विकराल समस्या सामने आ जायेगी। गांव वासियों का जीना मुश्किल हो जायेगा।

2-सरसवां गांव के निवासी सरवन लाल पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद प्रापर्टी डीलर के साथ मिलकर अपनी भूमि खसरा सं0-760 के पास सरकारी नाले की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उसे प्लाटिंग करके फर्जी तरीके से सरकारी नाले की जमीन को खरीदा-बेचा जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रापर्टी डीलर व किसान जोकि सरकारी नाले व ग्राम समाज की सरकारी जमीन को अवैध कब्जा करा रहे हैं उनके खिलाफ मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

[01:59] उ0प्र0 विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 39वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2018-2019†

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन लिमिटेड की 39वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2018-2019 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) (बी) की अपेक्षानुसार टिप्पणी सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

(इसी मध्य अपराह्न 02 बजे अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ का वर्ष 2013-2014 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा (लेखा परिशिष्ट)†

खादी ग्रामोद्योग मंत्री (डॉ0 सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ का वर्ष 2013-2014 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा (लेखा परिशिष्ट) को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा-30 की उपधारा(5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 के अधीन गठित) के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2020-2021†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 के अधीन गठित) के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2020-2021 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा-28 की उपधारा(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

[02:02] वर्ष 2019-2020 का सचिवालय प्रशासन विभाग का सैंतालीसवां प्रतिवेदन†

श्री दिनेश खटीक-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वर्ष (2019-2020) का सचिवालय प्रशासन विभाग का सैंतालीसवां प्रतिवेदन जो श्री मुन्ना लाल, अग्निशमन अधिकारी, श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को पदोन्नति करने विषयक प्रकरण एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति कराने विषयक प्रकरण पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

वर्ष (2019-2020) का उच्च शिक्षा विभाग का अड़तालीसवां प्रतिवेदन†

श्री दिनेश खटीक-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वर्ष (2019-2020) का उच्च शिक्षा विभाग का अड़तालीसवां प्रतिवेदन जो ''गोविन्द बल्लभ पंत महाविद्यालय, प्रतापगंज, जौनपुर में प्रबंधतंत्र द्वारा नियुक्त दो प्रधान अध्यापकों की वैधता तथा भुगतान में न्यायोचित कार्रवाई न कर गलत आरोप लगाकर प्रताड़ित किये जाने से सम्बन्धित श्रीमती राखी सोनकर पत्नी श्री अनिल कुमार सोनकर, निवासी बैरहना, प्रयागराज के प्रार्थना-पत्र पर कार्रवाई न किये जाने विषयक एवं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा विज्ञापित पदों पर सीटों में कमी करने एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में आरक्षण कोटा पूर्ण करने के विषयक प्रकरण'' पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

कार्य-सूची की सभी याचिकाओं को प्रस्तुत किया हुआ माने जाने के सम्बन्ध में

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मद सं0-9 से मद सं0-46 तक याचिकाएं प्रस्तुत की जानी हैं। इसमें मेरा अनुरोध है कि सम्बन्धित माननीय सदस्यों की उपस्थिति को देख लें और उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाओं को प्रस्तुत मान लिया जाय।

---

† छापा नहीं गया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य एक याचिका पढ़ लें और शेष को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, समय कम है, तीन बजे कार्यक्रम शुरू हो जायेगा। इसलिए अनुरोध है कि सभी की उपस्थिति को देख लें और उनकी याचिकाओं को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। मद सं0-9 से मद सं0-46 तक सभी माननीय सदस्यों की याचिकाओं को प्रस्तुत माना गया।

(प्रस्तुत मानी गईं याचिकायें संलग्न हैं)

[02:06] श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

1-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के ग्राम बहाई से नया का पुरवा सम्पर्क मार्ग व मथना नाला पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के अन्तर्गत ग्राम निसगर से मरघटी का पुरवा कोटिया एहतमाली में श्मशान घाट तक सम्पर्क मार्ग पर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की हस्ताक्षरित याचिका,

3-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के अन्तर्गत सरेनी गोली काण्ड में शहीद औदान सिंह के गांव को जाने वाली सड़क व पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुमकुम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की हस्ताक्षरित याचिका,

4-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के ग्राम पूरे जहान का पुरवा ग्राम सभा बहाई से सम्पर्क मार्ग में मथना नाला पर लघु सेतु एवं सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका, तथा

5-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के भूपगंज छिवलहा से बेनामी माधवगंज वाया हीरालाल का पुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लकी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

† छापी नहीं गयीं।

श्री श्याम धनी, सदस्य विधान सभा की जनपद सिद्धार्थ नगर एवं जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक-एक याचिका†

1-जनपद सिद्धार्थ नगर के बालगृह बालक बर्डपुर नं0-13 मधुबेनिया चौराहा, लुम्बिनी रोड हेतु वर्ष 2019-2020 के अवशेष 09 माह का वित्तीय स्वीकृत बजट आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्जुन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थ नगर की याचिका, तथा

2-जनपद कुशीनगर में बैनामे की भूमि को गलत रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किये जाने विषयक श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री कारिंदा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित 05 याचिकायें†

1-जनपद मथुरा के गोवर्धन परिक्रमा मार्ग व बाईपास के मध्य सर्विस लेन के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री हरभान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

2-जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के अन्तर्गत राधा कुण्ड में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

3-जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के अन्तर्गत हर घर जल योजना के क्रियान्वन एवं स्थापना के सम्बन्ध में श्री ज्ञानेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

4-जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के अन्तर्गत खेल स्टेडियम की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका तथा

5-जनपद मथुरा के गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण सौ शैय्या की तर्ज पर कराने के सम्बन्ध में श्री परशुराम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से संबंधित याचिका†

जनपद महोबा के ब्लाक चरखारी में 132 के0वी0 पावर हाउस के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गई।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से संबंधित 04 याचिकाएं†

1-जनपद उन्नाव के कुटीवीर बाबा, अजयपुर, असोहा में सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य तथा निरीक्षण भवन बनवाने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम काशीखेड़ा से चकभगन खेड़ा तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के ग्राम कंदरपुर में होम्योपैथिक अस्पताल स्थापित कराने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

4-जनपद उन्नाव ग्राम पंचायत असोहा में आश्रम पद्धति स्कूल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से संबंधित 13 याचिकाएं†

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज की ग्राम सभा बरहा कलां में अम्बेडकर पार्क की स्थापना हेतु श्री प्रवीण कुमार रावत व अन्य निवासीगण ग्राम बरकला, जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम अतहा पावा रोड से दवगनमऊ होते हुए मिर्जापुर के जूनियर हाई स्कूल तक लगभग 02 कि0मी0 सड़क का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री दिलीप मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर किसानों की सिंचाई हेतु सरकारी ट्यूबवेल का अधिष्ठापन कराये जाने के संबंध में श्री प्रवीन कुमार रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत बांगरमऊ रोड पर बाबाखेड़ा से बरहाकला तक लगभग एक किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री प्रवीन कुमार रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा रायपुरगढ़ी में आवास विहीन लाभार्थियों का चयन करके लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराये जाने के संबंध में श्री संतराम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

6-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में लोक निर्माण विभाग के द्वारा कतिपय मार्गों के नव निर्माण तथा मरम्मत कार्य कराये जाने के संबंध में श्री राम कुमार गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

7-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में जिला पंचायत उन्नाव द्वारा सड़कों का नवीनीकरण, मरम्मत, सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री राम कुमार गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

8-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण दूषित पेयजल की समस्या के निदान हेतु पानी की टंकी मिनी पेयजल (टी0टी0एस0पी0) का अधिष्ठापन कराये जाने के संबंध में श्री राकेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

9-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के विकास खण्ड नवाबगंज में ग्राम सभा बिरसिंहपुर एवं राजयपुरगढ़ी के प्राथमिक विद्यालय तथा जूनियर विद्यालय में छात्र-छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर तथा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री सुधीर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

10-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के कतिपय प्राथमिक विद्यालय में फर्नीचर व बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अन्नू गुरू व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

11-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माखी में मानव संसाधन, चिकित्सा सेवाएं, औषधि एवं उपचार पैथोलॉजिकल सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में श्री सुधीर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

12-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर राजकीय इंटर कालेज की स्थापना कराये जाने के संबंध में श्री सुधीर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

13-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु समाज कल्याण विभाग से इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री महेश चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिकायें प्रस्तुत की हुयी मानी गयी।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 01 याचिका, जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 01 याचिका, जनपद सिद्धार्थ नगर से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद बरेली से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

1-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महमूदाबाद के ग्राम गंगेलापुरवा में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रार्थिनी के परिवार का नाम अभिलेखों में दर्ज किये जाने के संबंध में श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव, निवासी जनपद सीतापुर की याचिका,

2-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-377 जहुराबाद में गौरा तियरा सम्पर्क मार्ग से पहाड़पुर होते हुए कोटिया सम्पर्क मार्ग व अन्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री सुदर्शन सिंह, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद सिद्धार्थ नगर के ब्लाक भनवापुर के ग्राम धनोहरी में प्रार्थिनी श्रीमती विद्यावती को निःशुल्क आवास आवंटित कराये जाने के संबंध में श्री राजेन्द्र गंगवार व अन्य निवासी, जनपद सिद्धार्थ नगर की याचिका,

4-जनपद व तहसील बरेली में बरेली-नैनीताल मार्ग से बिचपुरी तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राजेन्द्र गंगवार व अन्य निवासीगण, जनपद बरेली की याचिका,

5-जनपद व तहसील बरेली में पीपलसाना चौधरी से देवरनियां नदी तक पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री महेश शर्मा व अन्य निवासीगण, जनपद बरेली की याचिका,

6-जनपद व तहसील बरेली में रहपुरा करीमबक्श मार्डन विलेज ग्राम सभा घंघोरा पिपरिया के मध्य देवरनियां नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

7-जनपद व तहसील बरेली में मैमोर से ढकिया तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री परमानन्द मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिकायें प्रस्तुत की हुयी मानी गयी।

श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद संभल से संबंधित 03 याचिकाएं एवं जनपद मुरादाबाद से संबंधित 28 याचिकाएं†

1-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्राम राजथल में संतराम के मकान से प्रेमपाल के मकान तक लगभग 200 मीटर सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के ग्राम स्योडारा में बिजली घर से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बेरनी के शिव मंदिर तक लगभग 04 किमी0 सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री विकास पुत्र हरिओम, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के ग्राम अमरपुरकाशी में सतपाल के मकान से शिव मंदिर तक लगभग 130 मीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजयपाल, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद सम्भल के तहसील चंदौसी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम भगतपुर मिर्जा में प्रमोद के मकान से उमेश दिवाकर के मकान से होते हुए बॉबी के मकान तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संवित यादव, निवासी जनपद सम्भल की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद मुरादाबाद में सम्पन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के परिसीमन/पुनर्गठन एवं आरक्षण आदि कार्य में जिला स्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच के दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई कराने के सम्बन्ध में श्री मुहम्मद उस्मान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

6-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम गौराशाहगढ़ में महेश मास्टर के खेत से ब्रम्हचारी के मकान तक सड़क लगभग 01 कि0मी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रम्हचारी, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

7-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम रुस्तमनगर सहसपुर से थांवला तक लगभग 1.5 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रेहान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

8-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम गौराशाहगढ़ की पुलिया से स्योडारा रीठ सम्पर्क मार्ग तक लगभग 02 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

9-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम देवरी में खानपुर लिंक मार्ग तक लगभग 150 मीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीलम यादव पुत्र करन सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

10-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम पीपली में केदार के खेत से अंजार के खेत तक लगभग 350 मीटर सड़क का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

11-जनपद मुरादाबाद की तहसील व विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्राम नगला नस्सू थांवला करसरा सम्पर्क मार्ग तक लगभग 01 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री भूरे यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

12-जनपद मुरादाबाद की तहसील व विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्राम गौराशाहगढ़ में बृजपाल के मकान से सुभाष के मकान तक लगभग 500 मीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री आराम सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

13-जनपद मुरादाबाद की तहसील व विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्राम थांवला से ग्राम मनकुला तक लगभग 01 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीस, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

14-जनपद मुरादाबाद की तहसील व विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्राम नमैनी गद्दी के चौराहे से अल्लीपुर स्योडारा मार्ग तक लगभग 2.5 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बसर मलिक, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

15-जनपद सम्भल के तहसील चंदौसी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम खनूपुरा में धीरेन्द्र के मकान से रामवीर के मकान तक लगभग 300 मीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव यादव, निवासी जनपद सम्भल की याचिका,

16-जनपद संभल के तहसील चंदौसी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम मैथरा में सोमपाल के मकान से ओमपाल के मकान तक लगभग 180 मीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र यादव, निवासी जनपद सम्भल की याचिका,

17-जनपद मुरादाबाद की तहसील व विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्राम बेहटा सरथल में जूनियर हाई स्कूल में कर्बला तक लगभग 01 कि0मी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हसनैन, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

18-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम मुहम्मदपुर इब्राहीमपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुहम्मद सुलेमान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

19-जनपद मुरादाबाद की तहसील व विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्राम नया गांव से मंगूपुरा तक लगभग 01 कि0मी0 सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मित्रपाल, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

20-जनपद मुरादाबाद सहित पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव 2021 में नवगठन के उपरान्त बनी सभी नई ग्राम पंचायतों के ग्राम निधि खातों में लेन-देन आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री माजिद हुसैन, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

21-जनपद मुरादाबाद की तहसील चंदौसी व विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्राम लच्छमपुर में मदनलाल के मकान से अमरपाल के मकान तक लगभग 100 मीटर सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जीतेन्द्र, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

22-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम मुहम्मदपुर इब्राहीमपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-509 पर बने टोल प्लाजा के सीमावर्ती खेतों तक जाने के लिए सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खालिद हुसैन, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

23-जनपद मुरादाबाद की तहसील व विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्राम नरसरा से डारनी बिलारी सम्पर्क मार्ग तक लगभग 1.5 कि0मी0 सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डालचंद, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

24-जनपद मुरादाबाद के ब्लाक बिलारी के ग्राम पंचायत इब्राहीमपुर समेत प्रदेश भर की पंचायतों की मतदाता सूची को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 1994 के बिन्दु 21 के अनुरूप वर्तमान वास्तविक भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अद्यतन करने के सम्बन्ध में श्री मो0 उस्मान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

25-जनपद व जिला पंचायत मुरादाबाद के वार्ड संख्या-27 का पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए नियम विरुद्ध किया गया आरक्षण निरस्त करने के सम्बन्ध में श्रीमती अफरोज खान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

26-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास कुमार, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

27-जनपद व जिला पंचायत मुरादाबाद के वार्ड संख्या-28 के पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए नियम विरुद्ध किया गया आरक्षण निरस्त करने के सम्बन्ध में श्रीमती फरहीन जहां, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

28-जनपद मुरादाबाद के ब्लाक बिलारी के ग्राम पंचायत व राजस्व ग्राम थांवला के कतिपय वार्ड संख्या में मतदाता सूची को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 1994 के बिन्दु 21 के अनुरूप वर्तमान वास्तविक भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अद्यतन करने के सम्बन्ध में श्री मो0 उस्मान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

29-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नरसरा से ग्राम करसरा तक लगभग 800 मीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

30-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्राम इब्राहीमपुर मिर्जा में अशफाक के मकान से जूनियर हाई स्कूल तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शमीम अहमद, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

31-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के ग्राम धर्मपुर कलां में रामगोपाल के मकान से कब्रिस्तान तक लगभग 300 मीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री वाजिद खां, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से संबंधित 01 याचिका एवं जनपद रायबरेली से संबंधित 16 याचिकाएं†

1-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ में जगतपुर रोड से श्री मायादीन के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री रामसेवक वर्मा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर के ग्राम सिंहापुर भटौली में नलकूप स्थापित किये जाने के संबंध में श्री शिव प्रसाद पासी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर के ग्राम उण्डवा में नलकूप बनवाये जाने के संबंध में श्री दर्शन पासी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-उ0प्र0 शासन के गृह विभाग के विभिन्न अनुभागों में हो रही अनियमितताओं की जांच व कार्रवाई किये जाने के संबंध में श्री सुभाष चन्द्र दीक्षित एडवोकेट, निवासी जनपद कानपुर की याचिका,

5-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर के ग्राम उण्डवा में शारदा सहायक नहर से सिंहापुर भटौली तक नहर की सफाई कराये जाने के संबंध में श्री वीरेन्द्र यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका

6-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार एवं जगतपुर में कतिपय सड़क मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री मुन्ना मिश्रा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका

7-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर के ग्राम मैनहा से ग्राम भीख तक 5 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री रमेश मिश्रा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

8-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां के ग्राम गंगेहरा गुलालगंज स्थित नाले की सफाई कराये जाने के संबंध में श्री अजय मिश्रा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

9-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर के ग्राम जमोड़ी माइनर व जमोड़ी नाला के पास एक्वाडेक बनाये जाने के संबंध में श्री गोविन्द अग्निहोत्री, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

10-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ के ग्राम ओसाह में श्रीमती ममता उचित दर विक्रेता के विरुद्ध कूट रचित करके अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के संबंध में श्री मनोज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

11-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ में ग्राम पखरौली, दीनगंज एवं सलेमपुर में बारात घर बनाये जाने के संबंध में श्री नीरज यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

12-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर के ग्राम उण्डवा में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री दर्शन पासी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

13-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर में जगतपुर शारदा सहायक नहर के बगल से भीख तक रोड एवं कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री मुन्ना मिश्र, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

14-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर में लल्ली की चक्की चौराहे से भूतेश्वर मंदिर तक एवं कतिपय अन्य सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री बलराम यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

15-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर में जगतपुर फक्कड़दास की कुटी के बगल से सरांय श्रीबक्श होते हुए लखनऊ-इलाहाबाद मार्ग एवं कतिपय अन्य सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री अर्जुन सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

16-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर के ग्राम बैरीहार, टांघन, मुतवल्लीपुर मजरे कजियाना में बारात घर का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री करन बहादुर सिंह, जनपद रायबरेली की याचिका तथा

17-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर के ग्राम दौलतपुर उण्डवा सम्पर्क मागर्क से शिवशंकर तिवारी के घर के बगल से नहर पटरी होते हुए शंकरपुर पक्की सड़क तक नयी सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री बृजेश त्रिपाठी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिकायें प्रस्तुत की हुयी मानी गयी।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से संबंधित 15 याचिकाएं†

1-जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत रानीपुरा को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के संबंध में श्री भूपेन्द्र चंदेल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत परावर से अतरौली सम्पर्क मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री महादेव व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत हरौली से गढ़ा सम्पर्क मार्ग तक क्षतिग्रस्त भाग में सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री शिवम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत मीगनी सम्पर्क मार्ग पर भगवानपुरा में क्षतिग्रस्त भाग में सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री राघवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

5-जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत सजैरा से मृगा नदी रपटा तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के संबंध में श्री गुलाब सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका

6- जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत गोपालपुरा से कुरतला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री शैलेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

7-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत गोहन से वाया ऊमरी रामपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में श्री मनोज तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

8-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत बंगरा से नावली, परावर लगामपुरा मध्य प्रदेश सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में श्री राम बिहारी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

9-जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत कोंच नदीगांव मार्ग से कैलिया खुर्द सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री रवि व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

10-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत ईंटों से अजीतपुर सम्पर्क मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया का नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री योगेश त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

11-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ से अमखेड़ा मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में श्री राघवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

12-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत जगम्मनपुर से वाया उदोतपुरा-छौना मानपुरा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री पवन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

13-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत जगम्मनपुर से भिटौरा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री राहुल सिंह, निवासी ग्राम भिटौरा जनपद जालौन व अन्य की याचिका,

14-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत रामपुरा रोड से हनुमानगढ़ी, पूरनपुरा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री लोकेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण ग्राम पूरनपुरा, जनपद जालौन की याचिका तथा

15-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत विजदुआ से माधौगढ़ ऊमरी रोड के मध्य क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री कमलेश राठौर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से संबंधित याचिका†

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर (हरिहर नगर) में ए0के0 मैरिज लॉन से श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता के मकान तक सड़क के निर्माण के संबंध में श्री सन्दीप कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गई।

† छापी नहीं गयी।

श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से संबंधित 07 याचिकाएं एवं जनपद लखनऊ से संबंधित 01 याचिका†

1-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर में मुगल मार्ग से ढिचकी बहेरी मार्ग व अन्य मार्गों का यथाशीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

2-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर कानपुर देहात में चौकी से कछगांव मार्ग व अन्य मार्गों का यथाशीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

3-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर कानपुर देहात में बम्हरौली देवराहट मार्ग से सिमारिया मार्ग व अन्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार सचान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

4-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर में नेरा कृपालपुर से नन्हुआपार तक व अन्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार सचान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

5-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर में गंगरौली से मनेथु मार्ग व अन्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष वाजपेयी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

6-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के अन्तर्गत ग्राम कठेठी, मलासा, बरौली व दौलतपुर में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका

7-जनपद लखनऊ के मो0 छोटा भरवारा, भरवारा स्टेट, विज्ञान खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में श्री रामगोपाल के घर से श्री दिनेश के घर तक 50.00 मीटर लम्बी गली की रोड व नाली बनवाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश यादव व अन्य निवासीगण मो0 छोटा भरवारा, भरवारा स्टेट, विज्ञान खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ की याचिका तथा

8-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड अमरौधा में ग्राम पंचायत सुजौर, टेउगा, देवराहट एवं श्याम सुन्दरपुर में पंचायत घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रेश तिवारी, निवासी ग्राम बरौली, भोगनीपुर, कानपुर देहात व अन्य की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्ध नगर से संबंधित 21 याचिकाएं†

1-नोएडा के ग्राम छिजारसी गांव से श्मशान घाट तक 500 मीटर सड़क निर्माण के संबंध में श्री मुक्ता नन्द शर्मा व अन्य निवासीगण ग्राम छिजारसी, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-नोएडा के ग्राम छिजारसी गांव में एस0सी0 बस्ती में आर0सी0सी0 रोड के निर्माण के संबंध में श्री राकेश कुमार व अन्य निवासीगण ग्राम छिजारसी, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

3-ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यतेन्द्र नागर इन्क्लेव के सामने लगभग 12 मीटर चौड़े नाले के ऊपर पुलिया निर्माण के संबंध में श्री हितेश चौहान व अन्य निवासीगण राइजिंग होम अपार्टमेंट, सेक्टर-53, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

4-नोएडा के राइजिंग होम्स, सेक्टर-53 में मुख्य मार्ग पर बिजली घर से सोसाइटी तक सड़क निर्माण के संबंध में श्री हितेश चौहान व अन्य निवासीगण राइजिंग होम अपार्टमेंट, सेक्टर-53, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

5-नोएडा के सोरखा जाहिदाबाद गांव में सड़क व सीवर लाइन निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

6-नोएडा के सदरसराय कालोनी में बिजली से संबंधित कार्यों को कराने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी पठवाल व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

7-नोएडा निठारी व इलाहबास राजकीय विद्यालयों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में श्री विमलेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

8-नोएडा में बहलोलपुर से ककराला कालोनी तक पुस्ता रोड का मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में श्री गौतम शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

9-नोएडा के गांव बरौला की पुरानी कश्यप और राजपूत कालोनी में विकास कार्यों के सम्बन्ध में श्री बाबू राम कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

10-नोएडा सेक्टर-48 एवं सेक्टर-108 में सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में श्री विनोद शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

11-जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्राम सलारपुर में कालका इन्क्लेव कालोनी में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में श्री कन्हैया सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

12-नोएडा विकास प्राधिकरण के श्रमिकों के लिए आवास योजनान्तर्गत नोएडा में विभिन्न 5 स्थानों पर सेक्टर-66, 93, 93(2), 110, 122 में लगे विद्युत पैनलों को बदलने के सम्बन्ध में श्री मदन राय व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

13-नोएडा की विभिन्न अविकसित कालोनियों में प्रमुख मार्गों बरौला हिण्डन विहार में गली नं0-17 लगभग 700 मीटर व अन्य मार्गों में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार झा व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

14-नोएडा में गांवों के आस-पास अविकसित कालोनियों में विकास कार्य के संदर्भ में श्री मनोज उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्राम अगाहपुर में श्मशान घाट/मरघट की चहारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

15-नोएडा के ग्राम सदरपुर में मुख्य सड़क एवं अन्य गलियों में आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश चौहान व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

16-नोएडा के बरौला गांव में हिण्डन विहार एवं शताब्दी इन्क्लेव कालोनी में पानी की सप्लाई जोड़ने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द कोरंगा व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

17-नोएडा में पुराना हेबतपुर, यूसुफपुर चक्साहबेरी व तिगड़ी तथा गढ़ी चौखण्डी, एफ0एन0जी0 के बीच हिण्डन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रिजेश व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

18-नोएडा के ग्राम जलपुरा एवं फेज-2 नोएडा के बीच पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंगनू झा व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

19- नोएडा के ग्राम सलारपुर में डबल स्टोरी बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका,

20- नोएडा के सेक्टर-79 में स्पोर्ट्स सिटी और आवासीय घरों की रजिस्ट्री कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संवरजीत सिंह दसौंदी व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका तथा

21- नोएडा में गांवों के आस-पास अविकसित कालोनियों में विकास कार्य के संदर्भ में श्री मनोज उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिकाए प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री पंकज गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से संबंधित याचिका†

वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से आडिट की पूर्व व्यवस्था बहाल किये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकनाथ, निवासी जनपद कानपुर की याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गई।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से संबंधित 05 याचिकाएं†

1-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर के अन्तर्गत सरयू नदी के कैथी घाट पर पीपे के पुल के स्थान पर आर0सी0सी0 (स्थायी) सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह पिंटू व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका

† छापी नहीं गयी।

2-जनपद गोण्डा की तहसील व विकास खण्ड तरबगंज कमे सी0बी0एन0 मार्ग से थाना मोड़, तरबगंज से अमदही बन्धा तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील के विकास खण्ड वजीरगंज की ग्राम पंचायत परसिया के तरबगंज-नवाबगंज मार्ग से नयपुर होते हुए लौवाबीपुर सम्पर्क मार्ग तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीनिवास पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा कोडर में स्थित महर्षि पतंजलि जन्म स्थली को पर्यटन स्थल के रूप में सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका, तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा चंदापुर में स्थित चंदेश्वरनाथ महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंडित मदनमोहन शास्त्री व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से संबंधित याचिका†

जनपद गोरखपुर के चरगावां स्थित रेल विहार कालोनी, फेज-1 में सीवर कनेक्शन का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री दीप नारायण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गई।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से संबंधित 10 याचिकाएं†

1-जनपद उन्नाव के ग्राम दबौली शिवराजपुर मार्ग पर गंगा कटान के रोकथाम हेतु पत्थर से पटरी बांध निर्माण के संबंध में श्री लक्ष्मी नारायण निषाद, ग्राम प्रधान गडाई व अन्य की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के ग्राम व पोस्ट रूरी सादिकपुर, विकास खण्ड गंज मुरादाबाद में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के संबंध में श्री राकेश कुमार, पूर्व प्रधान, निवासी रूरी सादिकपुर, निवासी ग्राम व पोस्ट रूरी, सादिकपुर व अन्य की याचिका,

3-जनपद उन्नाव की नगर पालिका बांगरमऊ में वृहद् गौशाला निर्माण के संबंध में श्री गिरीश वर्मा, जिला व्यवस्था प्रमुख भाजपा, निवासी बांगरमऊ, जनपद उन्नाव व अन्य की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के ग्राम अटवा, पोस्ट अटवा बैक, विकास खण्ड गंजमुरादाबाद में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के संबंध में श्री शैलेश कुमार व अन्य निवासीगण ग्राम अटवा, पोस्ट अटवा बैक की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

5-जनपद उन्नाव के ग्राम खानपुर कुरौली, विकास खण्ड फतेहपुर चौरासी में कल्याण नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री गोविन्द पाण्डे, प्रधान निवासी ग्राम प्रधान खानपुर कुरौली व अन्य की याचिका,

6-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ नगर पंचायत गंजमुरादाबाद में बाल विकास परियोजना भवन निर्माण के संबंध में श्री राम नरेश कुशवाहा व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

7-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम रतईपुरवा मजरा भिखारीपुर पतसिया में गंगा सोतवा पर पुलिया निर्माण के संबंध में श्री ललित निषाद व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

8-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम गहरपुरवा मजरा सिरधरपुर में पुलिया निर्माण के संबंध में श्री ललित निषाद व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

9-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम नगरा से झरतेरवा तक सड़क निर्माण के संबंध में श्री मुकेश लाल व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका, तथा

10-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम भगवन्तपुर मजरा भिखारीपुर पतसिया में गंगा सोतवा पर पुल निर्माण के संबंध में श्री ललित निषाद व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से संबंधित 01 याचिका, जनपद बस्ती से संबंधित 01 याचिका एवं जनपद श्रावस्ती से संबंधित 09 याचिकाएं†

1-जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत नगर पंचायत इकौना के बीच बाजार की मुख्य सड़क के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के संबंध में श्री अश्वनी कुमार व अन्य निवासीगण, जनपद श्रावस्ती की याचिका,

2-जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत कटरा लाल बोझी मुख्य सड़क के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के संबंध में श्री सच्चिदानंद व अन्य निवासीगण, जनपद श्रावस्ती की याचिका,

3-जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत नगर पंचायत इकौना में जल निकासी हेतु नालों का नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री विवेक कुमार सोनी व अन्य निवासीगण, जनपद श्रावस्ती की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड इकौना के क्षेत्र सिसवारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के संबंध में श्री बब्लू यादव व अन्य निवासीगण, जनपद श्रावस्ती की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के नगर पंचायत अचलगंज में नाले का नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री आनन्द अवस्थी व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

6-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के अन्तर्गत राप्ती नदी पर कटरा-मथुरा घाट मार्ग, इकौना-ककरा-लक्ष्मनपुर मार्ग, गिलौला-सिसवारा घाट मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री पुल्लुर निषाद व अन्य निवासीगण, जनपद श्रावस्ती की याचिका,

7-जनपद बस्ती के ग्राम हबेलियाखास में फोर लाइन के पास बड़ेबन से गांव हबेलियाखास के ओम प्रकाश वर्मा के घर तक सड़क नवनिर्माण कराये जाने के संबंध में श्री ओम प्रकाश वर्मा, निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

8-जनपद श्रावस्ती के गिलौला कस्बा में बाईपास के निर्माण के संबंध में श्री संतोष कुमार पाठक व अन्य निवासीगण, जनपद श्रावस्ती की याचिका,

9-जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत नगर विकास खण्ड इकौना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बेड की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में श्री कमलाकान्त तिवारी व अन्य निवासीगण, जनपद श्रावस्ती की याचिका,

10-जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड गिलौला के क्षेत्र चन्द्रखा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के संबंध में श्री कमलाकान्त तिवारी व अन्य निवासीगण, जनपद श्रावस्ती की याचिका तथा

11-जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड इकौना में ऑडीटोरियम तथा कम्युनिटी सेन्टर बनाये जाने के संबंध में श्री हरिद्वार पाण्डेय व अन्य निवासीगण, जनपद श्रावस्ती की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री राम चन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से संबंधित 16 याचिकाएं†

1-जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में घाघरा नदी के कैंथी घाट पर महंगपुरवा के पास पीपे के पुल की जगह पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री शिव कुमार पाठक व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

2-जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली के विकास खण्ड रुदौली में ग्राम पंचायत अमहेटा में राम बाबा आश्रम का स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में श्री बलवंत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली के विकास खण्ड रुदौली में ग्राम पंचायत सरैठा में खाकीदास आश्रम स्थल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में श्री अमरेश कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

4-जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली के विकास खण्ड मवई में ग्राम पंचायत बरौली में निर्मलदास आश्रम का स्थल विकास कराये जाने के संबंध में श्री विजय कुमार गोस्वामी व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

5-जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली में गोमती तट के किनारे स्थित सत्यनामी तपोभूमि आश्रम का विकास कराये जाने के संबंध में श्री अविनाश यादव व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

6-जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली के विकास खण्ड मवई में ग्राम पंचायत सेवडहरा जुनेदपुर में स्थापित वेदमुनि महाराज आश्रम का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में श्री राम सजीवन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

7-जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली के विकास खण्ड मवई में ग्राम पंचायत गनेशपुर में स्थित मेधा ऋषि आश्रम का विकास कराये जाने के संबंध में श्री प्रताप नारायण पाठक व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

8-जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली के विकास खण्ड मवई में ग्राम पंचायत उमापुर में स्थित सत्यनामी पीठ का विकास कराये जाने के संबंध में श्री देवता यादव व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

9-जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली के विकास खण्ड मवई में ग्राम हरचनपुर में स्थित सत्यनामी पीठ का विकास कराये जाने के संबंध में श्री राधेश्याम यादव व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

10-जनपद अयोध्या की विकास खण्ड मिल्कीपुर में ग्राम पंचायत सराय नामू में गोवर्धन आश्रम का विकास व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में श्री कमलेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

11-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड रुदौली में ग्राम पंचायत ममरेजनगर हाता में महाराजा फलाहारी आश्रम स्थल का विकास कराये जाने के संबंध में श्री सतगुरू यादव व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

12-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड रुदौली में राम अचल नगर, शुजागंज, पक्का तालाब पर स्थल विकास व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में श्री आनन्द गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

13-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड रुदौली के अन्तर्गत मां कामाख्या धाम के स्थल विकास व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में श्री भल्लू सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

14-जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में एन0एच0-28 के किनारे ग्राम पंचायत कुशहरी, तहसील-रुदौली में प्रस्तावित 100 शैय्या ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने के संबंध में श्री चन्द्रिका चौहान व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

15-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड-मवई में गोमती तट पर स्थापित संतोष भारती अमौनी आश्रम के स्थल विकास व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में श्री साहब शरण साहू व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका, तथा

16-जनपद अयोध्या के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के रुदौली नगर में स्थापित पुरानी पी0एच0सी0 की जगह नवीन महिला चिकित्सालय की स्वीकृति कराये जाने के संबंध में श्री दुर्गेश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से संबंधित 09 याचिकाएं†

1-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम ढकिया से नरायनपुर गौटिया तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री महेश पाल व अन्य निवासीगण, जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम पचदियुरा से रुहिला डामर रोड तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री सुधीर कुमार व अन्य निवासीगण, जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक सिधौली के अन्तर्गत ग्राम घूर खेड़ा फीडर पर विद्युत उपखण्ड बनाये जाने के संबंध में श्री निर्मल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक सिधौली के अन्तर्गत ग्राम ढकिया तिवारी से अक्षर धाम मंदिर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री अखिलेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

5-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम विक्रमपुर चकौरा से कुकहा महमूदपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री सुनील पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

6-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक तिलहर के अन्तर्गत ग्राम हरभानपुर डामर रोड से शेरगढ़ तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री धर्म पाल व अन्य निवासीगण, जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

7-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत डंडिया बाजार मरक्का डामर रोड से चौढेरा चौढेरी सम्पर्क मार्ग तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री ओमपाल मौर्या व अन्य निवासीगण, जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

8-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक तिलहर के अन्तर्गत रानीखिरिया से बथुई अक्का तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण, जनपद शाहजहाँपुर की याचिका, तथा

9-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम रटी डामर रोड से प्राथमिक विद्यालय तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री सुरेश पाल व अन्य निवासीगण, जनपद शाहजहाँपुर की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ से संबंधित 07 याचिकाएं†

1-जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत ग्राम नवादा बदन में प्राथमिक विद्यालय के निर्माण के संबंध में श्री शिव प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका,

2-जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत ग्राम सिमरिया देंदू में जूनियर एवं प्राथमिक विद्यालय के निर्माण के संबंध में श्री ओम पाल कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका,

3-जनपद बदायूँ के विकास खण्ड समरेर, दातागंज, म्याऊं, उसावां स्थित सी0एच0सी0 केन्द्रों पर स्टाफ की नियुक्ति कर सुचारु रूप से चलाये जाने के संबंध में श्री बिजराम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका,

4-जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत ग्राम अहमदनगर रुखाड़ा में स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर स्टाफ की नियुक्ति कर सुचारु रूप से चलाये जाने के संबंध में श्री विकास सागर व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका,

5-जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत ग्राम रायपुर धीरपुर से ग्राम गड़ा होते हुए सिमरिया तक लगभग 3 किमी0 डामर रोड के निर्माण के संबंध में श्री ओम देव कश्यप प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

6-जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अंतर्गत ग्राम समरेर में आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री श्याम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका तथा

7-जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत विकास खण्ड समरेर, दातागंज, म्याऊं, उसावां के अन्तर्गत ग्राम डहरपुर, सुखौरा, हजरतपुर एवं ग्राम सराय पिपरिया में बिजली उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री विशाल गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिकायें प्रस्तुत की हुयी मानी गयी।

श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से संबंधित 02 याचिकाएं†

1-जनपद व विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु कुशीनगर उपकेन्द्र पर स्थापित जर्जर पैनल बदल कर उपकेन्द्र की 33 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराये जाने के संबंध में श्री ओम प्रकाश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका, तथा

2-जनपद व विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत हेतिमपुर, पकड़ीहवा, चकदेईया, मंलपुर, पिपराझाम, बनवारी टोला, सीसई, कुडवा, गुरमिया, अंध्या, खदही, बरवा बाजार चौराहों में सोलर हाईमास्क लगाये जाने के संबंध में श्री विनय ठाकुर व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री ज्ञान तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से संबंधित 02 याचिकाएं†

1-जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता में रेउसा को तहसील व पुलिस सर्किल आफिस बनाये जाने के संबंध में श्री रमेश चन्द्र अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका, तथा

2-जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता में विकास खण्ड बिसवां के अन्तर्गत चौका नदी पर रपटा पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री ब्रम्हादीन पाल व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से संबंधित 04 याचिकाएं†

1-जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के सोनहा से शिवाघाट जाने वाले मार्ग की मरम्मत व चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में श्री विपिन जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत भानपुर-रुधौली मार्ग पर खैरा मझौआ धोषण होते हुए कंचनपुर तक जाने वाले मार्ग (लम्बाई

† छापी नहीं गयीं।

10.00 कि0मी0) का निर्माण व मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री अनिल श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती की तहसील भानपुर के ग्राम उकड़ा भैसइया मार्ग से बाराकोनी, चिरैया सम्पर्क मार्ग (03 कि0मी0) जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री रामप्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका, तथा

4-जनपद बस्ती की तहसील रुधौली के ग्राम मुडियार चौराहे से बखरिया जाने वाला क्षतिग्रस्त मार्ग (15 कि0मी0) का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अरविन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री सुभाष पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से संबंधित 04 याचिकाएं†

1-जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत बडनपुर मुतुर्जिपुर के बीच में नहर पर पुलिया निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री चन्द्रदेव यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

2-जनपद गाजीपुर में एन0एच0-29 के बगल में गंगा तट पर औरिहार, बराह रूप मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं स्ट्रीट लाइट लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

3-जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर नगर पंचायत में राजकीय बालिका इंटर कालेज सैदपुर का जीर्णोद्धार के संबंध में श्री बृजेश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका, तथा

4-जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर विधान सभा क्षेत्र के पहाड़पुर कुर्वानसराय मार्ग में तुरना नहर की पुलिया की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री मोतीचन्द पासी व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री सुभाष राय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से संबंधित 10 याचिकाएं†

1-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भियांव में ग्राम हाफिजपुर से बीबीपुर होते हुए करीमनगर को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के संबंध में श्री राम प्रताप यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भियांव में ग्राम भीखपुर से विहजादपुर मार्ग को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के संबंध में श्री इन्द्रश्याम यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जलालपुर में रामगढ़ रोड से नत्थूपुर लौधना तक सड़क को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने व नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री श्याम लाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जलालपुर में ग्राम बिसिया से मलूकपुर को मुख्य मार्ग से जोड़ने व नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री मंशाराम यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

5-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भियांव में दौलताबाद से कादीपुर सम्पर्क मार्ग को जोड़ने व नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री रामसचेत चौहान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

6-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जलालपुर में ग्राम हाजीपुर विवेक यादव के पुरवे को मुख्य मार्ग से जोड़ने व नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री विवेक यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

7-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भियांव में ग्राम बीबीपुर को मुख्य मार्ग से जोड़ने व नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री लालचन्द गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

8-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जलालपुर में ग्राम जिरबइया (भस्मा) को मुख्य मार्ग से जोड़ने व नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री चन्द्र प्रकाश चौहान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

9-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भियांव में ग्राम नसीरपुर दलित बस्ती (चैनपुर) को मुख्य मार्ग से जोड़ने व नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री शिव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका, तथा

10-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भियांव में ग्राम एकडल्ला (मुण्डेहरा) को मुख्य मार्ग से जोड़ने व नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री शिव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से संबंधित 06 याचिकाएं†

1-जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम भटीपुरा नंगलामल मिल मार्ग से नंगलामल जाने वाले रास्ते पर छोईया पुल की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री लाला राजाराम व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

2-जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम डरिया बाईपास तिमराज सिंह के मकान से हसनपुर मार्ग तक रास्ते की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री दीपक शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

3-जनपद मेरठ की तहसील सदर के ग्राम बड़ला कैथवाल में राकेश तोमर के मकान से धर्मवीर की ट्यूबवेल तक लम्बाई लगभग 200 मीटर रास्ते पर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री ओमपाल व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद मेरठ की तहसील सदर के ग्राम मढ़ैया में उल्धन मार्ग से मढ़ैया तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री मदन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

5-जनपद मेरठ की तहसील सदर के ग्राम जिसौरा में जिसौरा मार्ग से नाले की पटरी तक के मार्ग की लम्बाई लगभग 1500 मीटर की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री संदीप शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका तथा

6-जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम भटीपुरा नंगलामल में भटीपुरा नंगलामल मिल मार्ग से नंगलामल जाने वाले रास्ते पर छोईया पुल की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री दीपक काजला व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री उपेन्द्र नाथ पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से संबंधित याचिका†

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र व नगर पालिका परिषद् घाटमपुर में जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में श्री सीपू सक्सेना व अन्य निवासीगण, जनपद कानपुर की याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गई।

श्री बिरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से संबंधित 06 याचिकाएं††

1-जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन में राजकीय इंटर कालेज के निर्माण हेतु श्री चेतन माहौर व अन्य निवासीगण ब्लाक हसायन जिला हाथरस की याचिका,

2-जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन में माँ श्यामपुर वाली माता जी के मंदिर का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चेतन माहोर व अन्य निवासीगण ब्लाक हसायन, जिला हाथरस की याचिका,

3-जनपद हाथरस के ब्लाक सिकन्दरा राऊ से ग्राम अगसौली से रतनपुर मार्ग (लम्बाई 1.5 कि0मी0) का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

4-जनपद हाथरस के ग्राम नगला भुस के तिराहे पर वीर शिरोमणि महाराजा प्रताप की प्रतिमा की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 अर्जुन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

5-जनपद हाथरस के ब्लाक मुरसान के ग्राम हीरागढ़ी पर गिजरौली रजवाहा पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापी नहीं गयीं।

6-जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन में ग्राम अल्लेदीनपुर से जमालपुर बार्डर तक लम्बाई 800 मीटर सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से संबंधित 01 याचिका एवं जनपद आजमगढ़ से संबंधित 01 याचिका†

1-जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोपालपुर में वाराणसी-गाजीपुर हाई-वे से ग्राम सभा में जाने वाली जर्जर लिंक रोड की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री सिद्धांत तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका, तथा

2-जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम मंजीर पट्टी में पक्का नाला बनवाये जाने के संबंध में श्री मामून रसीद व अन्य निवासीगण ग्राम मंजीर पट्टी ब्लाक मिर्जापुर, जनपद आजमगढ़ की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से संबंधित 01 याचिका एवं जनपद सीतापुर से संबंधित 01 याचिका†

1-जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा, ब्लाक खुनियांव क्षेत्र ग्राम नागचौरी में जल निकासी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश पति पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका, तथा

2-जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम गंगेलापुरवा में खम्भों पर स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रितेश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से संबंधित 01 याचिका, जनपद कानपुर से संबंधित 01 याचिका एवं जनपद इटावा से संबंधित 01 याचिका†

1-जनपद लखनऊ में डूडा कालोनी पारा के मकान संख्या-2/5 के बगल में खाली पड़ी जमीन से कचरा हटवाने एवं अवैध कब्जा हटाकर नगर निगम द्वारा अपने कब्जे में लेकर विकास कार्य कराये जाने के विषयक श्रीमती संजू देवी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद कानपुर के बिल्हौर तहसील के ग्राम बहलोलपुर में बिना भूमि मुआवजा व नोटिस के प्रार्थी का ढाबा व फैक्ट्री तोड़े जाने के संबंध में श्री परिमल वाजपेयी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका, तथा

3-जनपद इटावा के जिला समन्वयक मिड-डे मील इटावा का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में श्री दयाराम यादव, निवासी जनपद इटावा की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से संबंधित 09 याचिकाएं†

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत मिझौड़ा, महरुआ मार्ग पर बीरा पट्टी से सूरजगढ़ तक मार्ग (ल0 लगभग 02 किमी0) का लेपन स्तर निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री पप्पू कन्नौजिया व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत मिझौड़ा, महरुआ मार्ग से घरवासपुर होकर खमपुर तक मार्ग (ल0 लगभग 03 किमी0) का लेपन स्तर निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अमर नाथ व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत गाम राम बाबा पिच मार्ग प्रा0पा0 से चन्दापुर, तेजापुर तक सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 2.0 किमी0) का लेपन स्तर निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री शैलेन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत ग्राम आमा से अहरौली तक सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 01 किमी0) का लेपन स्तर निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री गुड्डू अंसारी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत ग्राम टण्डौली में राम कुमार वर्मा के आवास से श्री शारदा प्रसाद वर्मा के आवास तक सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 1.5 किमी0) का लेपन स्तर निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री हरिवंश व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

6-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत खेवार जैनपुर मार्ग से दरवारपुर अयोध्या प्रसाद मिश्रा के घर तक मार्ग (ल0 लगभग 1.5 कि0मी0) का लेपन स्तर निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम जन्म वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

7-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत ग्राम रुस्तमपुर मनोज वर्मा के चक से श्री हरीलाल वर्मा के चक तक सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 01 किमी0) का लेपन स्तर निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राहुल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

8-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत ग्राम सिंगरा पक्की सड़क से ललई दुबे के पुरवा तक सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 01 किमी0) का लेपन स्तर निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका, तथा

9-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत ग्राम सिंगवन पुरुषोत्तम पट्टी में मौलाना सकील अहमद के आवास से मदरसा नाले तक सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 1 किमी0) का लेपन स्तर निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से संबंधित 05 याचिकाएं†

1-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर रनियां के अन्तर्गत ककरदी से अंधियावर तक लगभग डेढ़ किलोमीटर तक जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राहुल तिवारी, निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका,

2-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर रनियां के अन्तर्गत मैथा शिवली रोड से होते हुए योगेश्वर आश्रम बाघपुर तक लगभग डेढ़ किलोमीटर तक सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री कमल शुक्ला, निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका,

3-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर रनियां में सुनवर्षा से अलियापुर तक लगभग डेढ़ किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अंकित दुबे, निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका,

4-जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर रनियां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ककरमऊ से पंथनगर तक लगभग दो (2.00) किमी0 तक सड़क को परिवर्तन कराकर नयी सड़क बनाये जाने के संबंध में श्री मुरारी गौतम व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका, तथा

5-जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर रनियां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रुरवाहार से बिवाइन तक लगभग डेढ़ किमी0 तक जर्जर सड़को का परिवर्तन कराकर नयी सड़क बनाये जाने के संबंध में श्री महेश रजावत व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से संबंधित 05 याचिकाएं†

1-जनपद अमेठी के विकास खण्ड अमेठी के अन्तर्गत ग्राम सभा नरैनी, पूरे अयोध्या फूलमती देवी स्थान से पूरे वासुदेव राम जानकी मंदिर तक सड़क निर्माण करवाने के संबंध में श्री नवाब सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद अमेठी के विकास खण्ड अमेठी के अन्तर्गत दाडीअहिरन का पुरवा के पुल से मुरारपुर के पुल होते हुए सेवा कबीर बाबा तक पक्की सड़क निर्माण करवाने के संबंध में श्री लाल जी शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका

3-जनपद अमेठी के विकास खण्ड संग्रामपुर के अन्तर्गत बलखरी पिच रोड से नया का पुरवा होते हुए ईश्वरपुर पिच रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री कुदेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका

4-जनपद अमेठी के विकास खण्ड भादर के अन्तर्गत ग्राम सभा भोजपुर श्री सती माता मंदिर से मल्लेपुर गांव तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अनिल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका, तथा

5-जनपद अमेठी के विकास खण्ड भेटुआ के अन्तर्गत ग्राम सभा शिवगढ़ पिच रोड से पूरे गिरधरशाह के पुरवा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री महेश मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से संबंधित 03 याचिकाएं एवं जनपद चन्दौली से संबंधित 01 याचिका†

1-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम मडुआ में श्री किशन के घर से सूबेदार के घर तक नाली (लगभग 120 मीटर) निर्माण कार्य कराने के संबंध में श्री फौदल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम निचला मडुआ में बारात घर का निर्माण कार्य कराने के संबंध में श्री कैलाश चन्द्र निषाद व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नगला निगोती में मजबूर के घर से नगरा वाली माता के पास बनिया के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के संबंध में श्री कैलाश चन्द्र निषाद व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका, तथा

4-जनपद चन्दौली में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री रोहित सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

डॉ0 सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से संबंधित 07 याचिकाएं†

1-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र देवरिया नगर में स्थित राजकीय कस्तूरबा इंटर कालेज के जर्जर भवन को ध्वस्त कराकर नये भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री भूपेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र देवरिया नगर में स्थित बस स्टेशन के पुराने भवन को ध्वस्त कराकर नये भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अखिलेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

3-जनपद देवरिया की तहसील सदर के अन्तर्गत भटवलिया वार्ड-1, निवासी श्री अवधेश सिंह के मकान से चन्द्रा पब्लिक स्कूल (200 मीटर) तक जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

4-जनपद देवरिया की तहसील सदर के ग्राम सभा बेलही तिवारी से ग्राम सभा तेनुही जाने वाली पिच रोड (04 किमी0) तक जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री मारकण्डेय मणि त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

5-जनपद देवरिया की तहसील सदर के अन्तर्गत भटवलिया वार्ड-1, निवासी श्री हरि प्रसाद के मकान से श्री रामकेवल विश्वकर्मा के मकान तक जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री हरि प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

6-जनपद देवरिया की तहसील सदर के अन्तर्गत बरारी ग्राम सभा से छेरिया तक नहर के किनारे से पटरी पिच रोड का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अशोक मणि त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका, तथा

7-जनपद देवरिया की तहसील सदर के अन्तर्गत बेलडरिया तिवारी से जाने वाली पिच रोड का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अनिरुद्ध यादव व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से संबंधित 18 याचिकाएं, जनपद मऊ से संबंधित 01 याचिका, जनपद मिर्जापुर से संबंधित 01 याचिका एवं जनपद सिद्धार्थनगर से संबंधित 02 याचिकाएं†

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम बहादुरपुर से खानपुर नरेली के बीच रोड का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री पप्पू वर्मा व अन्य निवासीगण ग्राम नरेली, रसूलपुर, मीरगंज, जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की ग्राम ढकियाडाम पर क्षतिग्रस्त पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री देवेश गंगवार व अन्य निवासीगण ग्राम ढकियाडाम, मीरगंज, जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम टिटौली सोरहा के बीच रोड का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री रामस्वरूप मौर्य व अन्य निवासीगण ग्राम टिटौली, मीरगंज, जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम परेवा मोहम्मद अली में पश्चिम की ओर नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री लालता प्रसाद प्रजापति व अन्य निवासीगण ग्राम परेवा, मोहम्मद अली, मीरगंज, जनपद बरेली की याचिका,

5-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम पैगानगरी के उत्तरी व दक्षिणी तालाबों की ओर सुरक्षा दीवारें बनाये जाने के संबंध में श्री हरपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

6-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम धर्मपुरा व कबरा नगरिया के बीच किच्छा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री रामप्रकाश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

7-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम गुगई सिधौली व मासीहाबाद में होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों हेतु नवीन भवन बनाये जाने के संबंध में श्री मुकेश कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

8-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम फिरोजपुर, थानपुर व बसावनपुर को किच्छा नदी से हो रहे कटान की रोकथाम कराये जाने के संबंध में श्री बाबू राम कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

9-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम जौनेर व नरखेड़ा में भाखड़ा नदी से हो रहे कटान की रोकथाम कराये जाने के संबंध में श्री पुष्पेन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

10-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत कस्बा शाही के पश्चिम की ओर किच्छा नदी द्वारा हो रहे कटान की रोकथाम हेतु तटबंध/सुरक्षा दीवार बनाये जाने के संबंध में श्री शुभम शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

11-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम पैगानगरी से ग्राम परौरा तक डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

12-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम परौरा से अनुविश डिग्री कालेज के पास हाई-वे तक रोड का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री हुकुम सिंह गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

13-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम कुल्छा से कस्बा शाही तक रोड का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री लालाराम मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

14-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम दाड़ा से शाहपुर के बीच रोड का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री नरायन दास वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

15-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम पंथरा से अमौर के बीच रोड का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री वीरपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

16-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम बहरोली में हुरहुरी गोरा मार्ग पर नया बाईपास बनाये जाने के संबंध में श्री धर्मवीर मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

17-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम पंथरा व पंथरिया के बीच रोड का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री अजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

18-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम वंशीपुर व परचाई के बीच भाखड़ा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री धर्मवीर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

19-जनपद मऊ की तहसील घोसी के अन्तर्गत मलेरीकोट-पहसा मार्ग पर स्थित लखनी अनुसूचित जाति बस्ती के दक्षिणी छोर के मऊ-बलिया सरहद तक जाने वाले मार्ग की मरम्मत व निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

20-जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवा के अन्तर्गत ग्राम सभा देवपुरा, विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत निवासी श्री रमाशंकर शुक्ल, श्री जटाशंकर शुक्ल एवं श्री जयशंकर शुक्ल की जमीन गाटा संख्या-96 पर हुए अवैध कब्जे को हटाये जाने के संबंध में श्री रमाशंकर शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका,

21-जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज, ब्लाक भनवापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत देवरिया चमन प्राइमरी पाठशाला के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री कृपा शंकर चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका, तथा

22-जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील व नगर पंचायत इटवा के टोला रजपुर डिहवा डॉ0 सलीम गली निकट हरिहर गैस एजेंसी के पास बने प्रार्थी के मकान के ऊपर स्थित 11000 वाट का तार एवं विद्युत पोल को स्थानान्तरित कराये जाने के संबंध में श्री नन्दलाल सोनी व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

[02:07] उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के विशेषाधिकार समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन पर पुनर्विचार का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के विशेषाधिकार समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन जो श्री सलिल विश्नोई, सदस्य,

विधान सभा, उ0प्र0 द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा, जनपद कानपुर नगर तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न से सम्बन्धित था, पर पुनर्विचार किया जाये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जिसको आप पुनर्विचार के लिए कह रहे हैं उसमें यह तो बता दें कि विशेषाधिकार समिति ने क्या रिकमेंड किया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, विशेषाधिकार समिति ने इस मामले में दोषी पाया था और दण्ड भी निर्धारित करने के लिए कहा था। मा0 अधिष्ठाता महोदय, पहले आप प्रश्न उपस्थित कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के विशेषाधिकार समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन जो श्री सलिल विश्नोई, सदस्य, विधान सभा, उ0प्र0 द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा, जनपद कानपुर नगर तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न से सम्बन्धित था, पर पुनर्विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[02:10] उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का नाम-निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा-5 की उपधारा(2) के खण्ड(क) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या मद संख्या-47 में पुनर्विचार के लिए आप कुछ कहेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, पुनर्विचार के लिए हाउस की अनुमति मिल गयी है।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम लोग जल्दबाजी में प्रस्ताव ले लेते हैं। सदन यह जान भी नहीं पाता है कि इसमें क्या है ? सदन के संज्ञान में आना चाहिए कि विशेषाधिकार उच्च समिति है और अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति है। अगर उस समिति के द्वारा कोई रिकमेंडेशन किया गया है, कोई दण्ड निर्धारित किया गया है, तो उस पर पुनर्विचार का कारण सदन के संज्ञान में आना चाहिए। अगर सदस्य उस कारण को नहीं जान पाते हैं, तो निश्चित रूप से ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय होगा।

(इसी मध्य अपराह्न 02 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर क्यों पुनर्विचार कराना चाहते हैं, सदन के संज्ञान में लाना चाहिए। यह अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति है और विशेषाधिकार समिति में वरिष्ठ सदस्य रहते हैं। सरकार का पक्ष भी आता है और सामान्यतः संसदीय कार्य मंत्री भी उस विशेषाधिकार समिति में रहते हैं, तो उन परिस्थितियों में अगर समिति ने कोई रिकमेंडेशन किया है, उस रिकमेंडेशन पर क्यों पुनर्विचार करना चाहते हैं, यह सदन के संज्ञान में आना चाहिए। मान्यवर, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी उसका कारण सदन को अवगत करा दें, जिससे हम उससे भिज्ञ हो सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें, ऐसा आपसे निवेदन है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता जी, ये प्रकरण वर्ष 2002-2007 के बीच की विधान सभा, शायद 14वीं विधान सभा का प्रकरण है। उसमें हमारे एक मा0 सदस्य के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ था और उनकी पिटाई भी हुई थी। उसके परिणामस्वरूप ये विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था। विशेषाधिकार समिति ने साक्ष्य में उनको दोषी पाया था, लेकिन किसी कारणवश दण्ड का निर्धारण नहीं हो पाया था। किसी कारणवश यहीं पर छोड़ दिया गया था या छूट गया था। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर पुनर्विचार कर लिया जाये और आवश्यकता पड़े, तो इसमें लीगल राय भी ले लिया जाय। मैं समझता हूँ कि तभी इसका पटाक्षेप हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राम गोविन्द चौधरी जी, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे ?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर साक्ष्य में पुष्टि हो गयी है, तो दण्ड का निर्धारण होना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, विशेषाधिकार समिति ने बाकायदा साक्ष्य लेकर अपनी फाइंडिंग दी थी कि वे लोग दोषी हैं, लेकिन किसी कारणवश दण्ड का निर्धारण नहीं हो पाया। चूँकि आज यह सदन समाप्त हो रहा है, इसलिए खास तौर पर हम उसको लेकर आये हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हम लोगों के यहाँ 18 अगस्त, 2021 का जो कार्यक्रम भेजा है, उसमें सदन 24 अगस्त, 2021 तक चलाने का है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 चौधरी साहब, आप लोगों को कल कार्य-मंत्रणा समिति में बताया तो गया था।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, हम लोग कल जो कार्य-मंत्रणा में बैठे थे, उसकी कार्य-सूची तो आयी ही नहीं। सदन 24 अगस्त, 2021 तक चलने वाला आया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 चौधरी साहब, हम अभी प्रस्ताव ले आ रहे हैं। आपकी मंशा अभी पूरी कर दे रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

कार्य-सूची में तो राष्ट्रगान नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें जो मद संख्या-47 है जिस पर माननीय वर्मा जी ने भी कुछ कहा है इसमें एडवोकेट जनरल जी से विधिक राय ले लेंगे और फिर जब भी सदन होगा इस विषय पर चर्चा करेंगे।

विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में मेरे द्वारा निर्णय ले लिया गया है और उनमें सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण सूचनाएं अग्राह्य कर दी गयी हैं :-

1-माननीय बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार खनिज अधिकारी, जनपद महोबा के विरुद्ध अभिसूचित सूचना दिनांक 28 सितम्बर, 2020, तथा

2-माननीय नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा डॉ0 सीमा सिंह, प्राचार्य फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय महाविद्यालय, जनपद-सीतापुर के विरुद्ध अभिसूचित दिनांक 16 फरवरी, 2020 उपर्युक्त मामलों में दी गई सूचना दिनांक 19 अगस्त, 2021 के उपवेशन की कार्रवाई का अंग मानी जाएगी।

(निर्णय का प्रारूप संलग्न है)

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार, खनिज अधिकारी, जनपद महोबा के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री शैलेन्द्र कुमार, खनिज अधिकारी, जनपद महोबा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को दी गयी।

मा0 सदस्य द्वारा सूचित किया गया था कि श्री शैलेन्द्र कुमार खनिज अधिकारी, जनपद महोबा को कई बार फोन करने पर भी फोन रिसीव नहीं किया। उक्त के सम्बन्ध में जानकारी करने पर पता चला कि उनकी शिकायत मा0 मुख्य मंत्री से करने पर वह उनका फोन रिसीव नहीं करते हैं तथा मा0 सदस्य के विरुद्ध असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। मा0 सदस्य द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया था।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से श्री शैलेन्द्र कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया कि मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को फोन कर अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में उनके द्वारा मा0 सदस्य को अवगत कराया गया कि अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की जा रही है तथा उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में भी त्वरित कार्रवाई सम्पन्न की जायेगी। मो0 नं0 9415014918 मा0 विधायक जी का है, इस विषय में उनको जानकारी नहीं थी अन्यथा मा0 सदस्य का फोन न उठाने की गलती नहीं कर सकते क्योंकि वह एक राजकीय सेवक हैं तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा की गयी शिकायत सुनने एवं प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करना उनका दायित्व है। वह भविष्य में त्वरित कार्रवाई करते रहेंगे। यदि अंजाने में उनसे कोई चूक हुई हो तो उसके लिए वह क्षमा प्रार्थी हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की सूचना के परिप्रेक्ष्य में भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्पष्टीकरण पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आदेश दिये गये कि वर्तमान संचार क्रान्ति युग में भी श्री शैलेन्द्र कुमार, खनिज अधिकारी, महोबा को क्षेत्रीय विधायक का मो0 नं0 की जानकारी न हो पाना आश्चर्यजनक है एवं स्पष्टीकरण मात्र औपचारिकता प्रतीत होती है, जिसके लिए उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए

ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। दण्ड के विनिश्चय हेतु कार्मिक विभाग का मंतव्य प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया जाये। प्रकरण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा संवीक्षा की गयी कि चूंकि प्रदेश/जनपद/क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों के मो0नं0 सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को परिचालित नहीं किये गये हैं और न ही उनके नम्बर मोबाइल में सेव करने सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में श्री शैलेन्द्र कुमार को मा0 सदस्य के मोबाइल नं0 की जानकारी न होने के कारण उनका फोन रिसीव न किये जाने की घटना हेतु उत्तरदायी ठहराया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। स्थापित व्यवस्थाओं, दिशा-निर्देशों के होने की दशा में ही किसी को उसके उल्लंघन का उत्तरदायी/दोषी माना जा सकता है, जिस पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन से हुई वार्ता के क्रम में संसदीय कार्य विभाग द्वारा अपने शासनादेश के माध्यम से निर्देश दिये गये कि शासन के नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को अपने स्तर से दिशा-निर्देश जारी करें कि वह अपने मोबाइल में अपने जनपद के सभी मा0 सदस्यों के मोबाइल नम्बर सेव करें तथा मा0 सदस्यों द्वारा फोन किये जाने पर तत्काल फोन रिसीव करें, यदि किसी कारण फोन रिसीव न हो पाये तो, समय मिलने पर तत्काल कॉलबैक कर उनके द्वारा जन-समस्याओं के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों, सुझावों का प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निस्ताण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त शासनादेश के अनुपालन कराये जाने हेतु शासकीय पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2021 द्वारा निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के माध्यम से समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

वर्णित स्थिति में शासन द्वारा मा0 सदस्यों के मोबाइल नं0 को सेव करने एवं फोन आने पर कॉल रिसीव करने से संबंधित शासनादेश में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त मा0 सदस्य का सम्पर्क कथित अधिकारी से न होना एक परिस्थितिजन्य कारण था न कि जानबूझ कर किया गया कृत्य जिसके लिए उक्त अधिकारी द्वारा क्षमा भी मांगी गयी है, जिसे देखते हुए प्रकरण में विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता है।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

निर्णय का प्रारूप

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा डॉ0 सीमा सिंह, प्राचार्य, फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय महाविद्यालय, जनपद-सीतापुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत डॉ0 सीमा सिंह,

प्राचार्य, फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय महाविद्यालय, जनपद-सीतापुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना, दिनांक 16 फरवरी, 2020 को दी गयी।

मा0 सदस्य द्वारा सूचित किया गया कि उनके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद के फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय महाविद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन समारोह दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को सम्पन्न हुआ था, जिसमें महमूदाबाद के क्षेत्रीय नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रित किया गया था तथा इस कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण, समापन समारोह दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 को सम्पन्न हुआ था, जिसमें निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को बुलाया गया था। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु न तो उन्हें कोई निमंत्रण भेजा गया और न ही कार्यक्रम से सम्बन्धित कोई सूचना दी गयी जोकि उनके विशेषाधिकार का हनन तथा शासन की नियमावली के विपरीत है।

मा0 सदस्य द्वारा डॉ0 सीमा सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उप मुख्य मंत्री (उच्च शिक्षा) के माध्यम से डॉ0 सीमा सिंह का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

डॉ0 सीमा सिंह द्वारा अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया कि वार्षिक क्रीड़ा समारोह दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 एवं 21 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तावित था, किन्तु साम्प्रदायिक तनाव को देखते हुए कार्यक्रम सम्पन्न नहीं हो सका। अतः अनेक निमंत्रण-पत्रों को बांटा नहीं जा सका। डॉ0 सीमा सिंह द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि मा0 सदस्य के प्रति उनके मन में बेहद सम्मान है। यदि त्रुटिवश मा0 सदस्य की भावनाएं आहत हुई हों, तो उसके लिए वह क्षमा प्रार्थी हैं। भविष्य में मा0 सदस्य के प्रति कभी भी ऐसी पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया गया है।

प्रकरण में आरोपित डॉ0 सीमा सिंह, प्राचार्य, फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय महाविद्यालय का स्पष्टीकरण मा0 सदस्य को भेजकर उनका पक्ष ज्ञात करने हेतु पत्र भेजा गया, परन्तु मा0 सदस्य द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी, जिससे यह मान लिया गया कि मा0 सदस्य उक्त स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की सूचना के परिप्रेक्ष्य में आरोपित अधिकारी के स्पष्टीकरण के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में साम्प्रदायिक तनाव को देखते हुए वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न नहीं हो सका इसलिए अनेक निमंत्रण-पत्रों को बांटा नहीं जा सका। मा0 सदस्य की त्रुटिवश भावनाएं आहत होने के लिए डॉ0 सीमा सिंह द्वारा बिना शर्त क्षमा मांगी गयी है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण का सम्बन्ध न तो सदन से है

और न ही सदन की किसी समिति के कार्य से है। सूचना में उल्लिखित घटना से मा0 सदस्य के किसी विधायी कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है।

वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

लेकिन अध्यक्ष जी, एक परम्परा यह रही है कि विशेषाधिकार की सूचनाओं को सुन लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रमुख सचिव जी, क्या ये विशेषाधिकार की सूचना के जो निर्णय हैं, इससे पहले क्या कभी सुना गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इसका मैं उदाहरण हूँ, जब 1978 में बनारसी दास जी उस आसन पर बैठे थे। तब मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था, तब उन्होंने ऐसे सुना और सुनने के बाद कहा कि हम उस विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

क्या इस मामले को सुना गया था ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इसको आगे बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

इसका मैंने आपरेटिव पार्ट पढ़ा था इसलिए मैंने पूरे निर्णय को पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी। इसमें बताया गया है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से श्री शैलेन्द्र जी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। इसी प्रकार मा0 ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया इनका भी स्पष्टीकरण प्राप्त होगा। अगर इसमें कोई बात हो तो आप जैसा बोलेंगे, वैसा कर लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ठीक है मान्यवर।

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)...

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अनाथालय और अन्य

पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा-5 की उपधारा(2) के खण्ड (क) के अनुसार विधान सभा का निर्वाचन करें।

माननीय अध्यक्ष जी इस पर हमने एक पत्र भेजा है माननीय नेता विरोधी दल के साथ हस्ताक्षर करके, उस पर हमने यह प्रार्थना की है कि उसमें दो लोगों का निर्वाचन किया जाय लेकिन इस पर हमारा प्रस्ताव है कि दो माननीय सदस्यों के मनोनयन के लिए आपको अधिकृत कर दिया जाय और आप ही अपने हिसाब से दो सदस्यों का मनोनयन कर दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल से आपने क्या अपेक्षा की थी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल से यह अपेक्षा की थी कि हम दोनों अपने हस्ताक्षर करके अधिकृत करने का पत्र माननीय अध्यक्ष जी को दे दें और वह दो माननीय सदस्यों का मनोनयन कर दें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, हमसे अपेक्षा किया था कि आपको अधिकृत कर दिया जाय, तो मैंने उस पर तुरन्त दस्तखत कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, इसमें आपने प्रस्ताव कर दिया ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी मान्यवर। आप सदन की सहमति ले लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा-5 की उपधारा(2) के खण्ड (क) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबंधों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहाँ तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त नियंत्रण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर श्री अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त राज्य नियंत्रण बोर्ड में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे''।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021†

उच्च शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्रीमती नीलिमा कटियार)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती नीलिमा कटियार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

उच्च शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्रीमती नीलिमा कटियार)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती नीलिमा कटियार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करती हूँ।

आज सदन में पुरःस्थापित सभी विधेयकों के विचार एवं पारण की मदें, आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

सदन को एक सूचना देनी है। आज दिनांक 19 अगस्त, 2021 को निम्नलिखित जो विधेयक पुरःस्थापित किये गये हैं, उनको उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन

† दिनांक 27 अगस्त, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।।

नियमावली, 1958 से संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए उनके विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायें :-

1-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के अननुमोदन का संकल्प

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का अननुमोदन करता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस अध्यादेश को लाने के कुछ उद्देश्य व कारण थे। मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया कि राज्य विश्वविद्यालय के जो नियम हैं वही निजी विश्वविद्यालयों पर भी लागू करना चाहिए था। आपने निजी विश्वविद्यालयों को छूट दे दिया और राज्य विश्वविद्यालयों को वह छूट नहीं है, जो राज्य के अपने विश्वविद्यालय हैं वही नियम आप यहाँ रखें, तो आपकी बेहतर व्यवस्था होगी। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली राज्य सरकार के अनुमोदन से बनायी जाती है। राज्य सरकार के द्वारा 3 महीने के अन्दर अनुमोदन न किये जाने की स्थिति में प्रथम परिनियमावली राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित हुई समझी जायेगी। निजी विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करने की दृष्टि से उक्त अनुमोदन की प्रक्रिया में विलम्ब का निराकरण करने के उद्देश्य से प्रथम परिनियमावली बनाने की शक्ति आप कार्य-परिषद् को दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप कार्य-परिषद् को केवल निजी विश्वविद्यालय में क्यों दे रहे हैं ? अगर देना होता तो आप राज्य में भी देते, निजी में भी देते। आप राज्य के लिए अलग और निजी के लिए अलग दो पैमाना मत रखिये। आगे चलकर यह विसंगति पैदा करेगा। एक तरीके से दो धाराएं आप चलायेंगे। एक तरफ तो हमारे राज्य के विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और उच्च स्तर के विश्वविद्यालय हैं। हमको यह कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं, वह भी उसी शर्त पर आयें।

आप उनके लिए नियमों में शिथिलता बरत रहे हैं। एक तरफ निजी विश्वविद्यालयों के लिए नियमों में शिथिलता है और राज्य विश्वविद्यालयों के लिए कड़ाई है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस संशोधन पर हम विचार कर लें, आप अध्यादेश को आप वापस ले लीजिये, इस पर चर्चा हो जाये और उसके बाद हम बेहतर अध्यादेश को लायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का अननुमोदन करता है ?

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उज्जवल रमण जी ने जो बात रखी है, उस पर मा0 मंत्री जी की राय जान लीजिये। हो सकता है कि वह अध्यादेश वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

अब मैंने प्रश्न उपस्थित कर दिया है। मा0 नेता विरोधी दल ने उस पर अपना मत दे दिया है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले परिनियमावली राज्य सरकार के पास भेजी जाती थी। तीन महीने में अगर वह नहीं करते हैं, तो अनुमोदित मान ली जाती थी, उसमें भी कुछ कठिनाई नहीं थी। अब केवल कार्य-परिषद् को दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम आगे बढ़ गये हैं। मा0 उज्जवल रमण सिंह जी ने इस पर अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। मैंने मत की घोषणा की थी, तो उस पर मा0 नेता विरोधी दल ने ऊपर हाथ उठाकर हाँ भी कर दिया है। प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्रीमती नीलिमा कटियार)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव कर रही हूँ कि उत्तर उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 12 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची 2, में क्रम संख्या 27 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 27 के पश्चात् नवस्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्याएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात:—

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
28	यूनाईटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	शिवराम दास गुलाटी मेमोरियल ट्रस्ट, प्रयागराज
29	एफ0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	फूलन सिंह जन कल्यान ट्रस्ट, सीतानगर, नगलाभाऊ, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश
30	महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	गुरू श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय समिति, श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर, गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, यूनाईटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, एफ0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश देती है कि मूल **अधिनियम** के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस **अधिनियम** के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती नीलिमा कटियार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव कर रही हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के अननुमोदन का संकल्प

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का अननुमोदन करता है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 जो लाया गया है, इसमें सिर्फ तीन विश्वविद्यालयों के लिए आपने प्रथम सूची से द्वितीय सूची में आपने अनुसूची में रखने का प्राविधान रखा है। मुझे नहीं लगता कि सरकार हड़बड़ी में गड़बड़ी करती रहती है। प्रथम अनुसूची में क्या था द्वितीय अनुसूची में क्या है। प्रथम में आपको क्या फर्क पड़ रहा था द्वितीय को लाने से क्या फर्क पड़ रहा है, उद्देश्य और कारण में कभी पता नहीं चलता है। कहीं पता नहीं चलता कि आप यह संशोधन क्यों ला रहे हैं। आप यह परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, आप द्वितीय में इनको लाकर क्या करना चाहते हैं। इसमें कहीं नहीं पता लग रहा है, मुझे लगता है कि इस बिल में स्पष्टता नहीं है, इसलिए सरकार को इस अध्यादेश को वापस ले लेना चाहिए। स्पष्ट रूप से इसको लाते बेहतर रूप से विचार करके लाते, इस अध्यादेश को मुझे लगता है कि निजी विश्वविद्यालयों को फायदा पहुँचाने के लिए ला रहे हैं। हम यहाँ पर निजी विश्वविद्यालयों को फायदा पहुँचाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। सम्यक् रूप से विचारोपरान्त किसी विधेयक पर विचार करके चर्चा-परिचर्चा करके उस पर राय दें और बेहतर रूप दे सकें और यह भी देखें कि तात्कालिकता के रूप में इसकी जरूरत है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इसे सरकार समझ पा रही है, कहीं न कहीं अधिकारियों द्वारा बनाया गया विधेयक पेश कर देते हैं, उसको पास कर देते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में टिप्पणी होती है कि बिना समझे-बूझे विधेयक पास हो रहे हैं, कहीं न कहीं यह हमारी गरिमा का भी सवाल है यह सम्पूर्ण सदन की गरिमा का सवाल है, मैं सत्ता पक्ष या विपक्ष की गरिमा की बात नहीं कर रहा हूँ, सम्पूर्ण सदन की गरिमा का ख्याल रखते हुए इस पर विचार कर लिया जाय और तब इस अध्यादेश को पास किया जाय।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी अननुमोदन का प्रस्ताव तो कुंवर जी ने रख दिया, मैं एक अलग से बात करना चाहता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली सरकार थी तो हम लोगों ने माननीय अखिलेश जी से आग्रह किया था बलिया के सारे लोगों ने कि देश के महान चिन्तक महान समाजवादी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय बिलिया में बनाया जाय। चन्द्रशेखर जी ने एक बहुत बड़े एरिया में जमीन खरीद करके कुछ एलाट कराकर

वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक बनाने का काम किया था। उसी जमीन पर विश्वविद्यालय खोला गया है और ऐसा विश्वस्त सूत्रों से पता चलता है कि सरकार वहाँ से विश्वविद्यालय हटाना चाहती है। मेरा इतना कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री जी से भी प्रार्थना है कि चन्द्रशेखर जी की आत्मा उस जमीन पर बसती है। वह जाते थे तो वहाँ रुकते थे। सोते थे तो विश्वविद्यालय जहाँ है चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बसन्तपुर में वहीं रहे, चन्द्रशेखर जी की आत्मा को शांति मिलेगी यहाँ से कतई हटाया न जाय। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष, जी नेता प्रतिपक्ष की जो भावना है उसे माननीय मुख्य मंत्री जी तक पहुँचा देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। हम समझते हैं कि इसमें कोई परेशानी होना नहीं चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप मुख्य मंत्री की हैसियत से यहाँ पर बैठे हैं। मेरा इतना कहना है कि जो विश्वविद्यालय चन्द्रशेखर जी के नाम पर है और चन्द्रशेखर जी निर्विवाद नेता थे, देश के महान नेता मा0 अटल बिहारी बाजपेई के घनिष्ठ मित्रों में थे। माननीय आडवाणी जी के घनिष्ठ मित्रों में थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपकी भावना से माननीय मुख्य मंत्री जी को अवगत करा देंगे। हम तो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का अननुमोदन करता है ?

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा हाँ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अननुमोदन पर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा हाँ हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल एक विषय ले आये इस वजह से शायद समझने में थोड़ी विस्मृति हो गयी। अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न को एक बार फिर से प्रस्तुत करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्रीमती नीलिमा कटियार)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि कल जब चित्रकूट और विन्ध्याचल क्षेत्र विकास परिषद् की बात हो रही थी तब हमने माँ शाकुम्भरी देवी विकास परिषद् के लिए सवाल उठाया था। बात केवल इस बात की है कि यही विश्वविद्यालय के लिए जो इससे पहले विधेयक लाया गया और इसे जो पास कराने की बात की गयी 2019 में उसी समय समग्र चर्चा कर ली जाती और इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाता तो दुबारा अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं थी। परन्तु देर आये दुरुस्त आये अब जो माँ शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय के नाम से नामकरण करके विधेयक लाया गया है, हम उसका समर्थन करते हैं और इस बात के लिए इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हम लोगों का जो सुझाव था, उस सुझाव को इन लोगों ने मान लिया है।

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

यह तो पहले ही तय हो गया था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 3 अगस्त, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1–क) के खण्ड (झ) में, शब्द "सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर" के स्थान पर शब्द "माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर" रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का संशोधन

3–मूल अधिनियम की अनुसूची में, उक्त अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या 15 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, शब्द "सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर", के स्थान पर, शब्द "माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर" रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह–प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्रीमती नीलिमा कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का वर्ष 2021 का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-1 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर पर 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन सं0-2 वर्ष 2021

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन सं0-2 वर्ष 2021 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनाएं लेते हैं। आज दिनांक 19-08-2021 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 104 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, हम सभी सूचनाओं को स्वीकार करते हैं।

पहली सूचना डॉ0 हरगोविन्द भार्गव की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन द्वारा वर्तमान प्रधान श्री रमेश कुमार को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में है, **दूसरी सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की** जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में विद्युत उपकेन्द्र पिचरी जलालपुर में विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, **तीसरी सूचना श्री दिनेश चौधरी की** जनपद जौनपुर के ब्लाक सिकरारा में नाले को कब्जामुक्त कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **चौथी सूचना जवाहर लाल राजपूत की** जनपद झांसी के बेतवा नदी पर रुके हुए एरच बांध परियोजना को यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **पांचवी सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य उर्फ पप्पू भइया की** जनपद लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, **छठी सूचना श्री विक्रम सिंह सैनी की** जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र खतौली में मार्ग के लेपन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, **सातवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की** जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में हिंडन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **आठवीं सूचना श्री सुरेन्द्र मैथानी की** जनपद कानपुर के गोविन्द नगर में जर्जर पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **नौवीं सूचना श्री विकास गुप्ता की** जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र अयाहशाह के अन्तर्गत ग्राम सभा नरैनी में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, **दसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल उर्फ कैलाश डेरी वाले की** जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेरठ नगर निगम द्वारा कार्यालय स्थापित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, **ग्यारहवीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी की** यू0पी0 स्टेट एग्रो से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त श्री अनिल कुमार मिश्रा के देयकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, **बारहवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की** जनपद मेरठ के

विधान सभा क्षेत्र किठौर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **तेरहवीं सूचना श्री कैलाश नाथ शुक्ल की** जनपद बलरामपुर के मथुरा बाजार चौराहे से मथुरा घाट तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **चौदहवीं सूचना डॉ0 डी0सी0 वर्मा की** जनपद बरेली के सी0वी0 गंज स्थित सुपीरियर डिस्टिलरी से निकलने वाले अपशिष्ट व विषैले पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, **पन्द्रहवीं सूचना श्री पल्टूराम की** जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड बलरामपुर सदर के गौ-आश्रय केन्द्र संचालकों के मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है, **सोलहवीं सूचना श्री शीतल पाण्डेय की** जनपद गोरखपुर के सहजनवा विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में है, **सत्रहवीं सूचना श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह की** जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत विकास कार्यों में करोड़ों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में है, **अट्ठारहवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह बब्बू ''भइया'' की** जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में है, **उन्नीसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की** जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर में रपटुआ नदी की सिल्ट की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, **बीसवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की** जनपद बरेली के नगर पालिका परिषद फरीदपुर में कम्युनिटी सेन्टर न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, **इक्कीसवीं सूचना श्री प्रेम नारायण पाण्डेय की** जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में पक्के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **बाइसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की** जनपद मथुरा के आवास विकास परिषद् के घोटाले की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **तेइसवीं सूचना श्री राजीव तरारा की** जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **चौबीसवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की** जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में है, **पच्चीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र की** जनपद लखनऊ के निलमथा में पेयजल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है, **छब्बीसवीं सूचना श्री विनय शाक्य की** जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सेवरही, ग्राम जगदीशपुर में शौचालय निर्माण में अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **सत्ताइसवीं सूचना श्री रामफेरन पाण्डेय की** जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना में सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, **अट्ठाइसवीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की** जनपद वाराणसी के ग्राम सभा भोपापुर में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **उन्तीसवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की** जनपद गौतमबुद्धनगर के अग्निशमन अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह को शासकीय हित में हटाये जाने के सम्बन्ध में है, **तीसवीं सूचना श्री प्रभाष कुमार की** जनपद लखनऊ के आई0आई0एम0 रोड अन्तर्गत लगे विद्युत पोलों पर तार बिछाये जाने एवं स्ट्रीट लाइट लगाये जाने के सम्बन्ध में है, **इकतीसवीं सूचना श्री नितिन अग्रवाल की** जनपद हरदोई में बारिश न होने के कारण जिले को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, **बत्तीसवीं**

सूचना श्री बैजनाथ रावत की औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के समूह ग एवं घ के कर्मचारियों की पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में है, **तैंतीसवीं सूचना श्री अजय कुमार सिंह की** उत्तर प्रदेश के पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती की जाँच की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में है, **चौंतीसवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की** जनपद महराजगंज में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हुए घोटालों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **पैंतीसवीं सूचना श्रीमती राजबाला सिंह की** जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, **छत्तीसवीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की** प्रदेश में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, **सैंतीसवीं सूचना श्री श्रीराम सोनकर की** लखनऊ के मोतीनगर से ब्लंट स्क्वायर को जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **अड़तीसवीं सूचना श्री विक्रम सिंह की** जनपद गाजीपुर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, **उन्तालीसवीं सूचना डॉ0 अरुण कुमार की** जनपद बरेली के अन्तर्गत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **चालीसवीं सूचना श्री हरिशंकर माहौर की** चिकित्सा अनुभाग-7 एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में, **इकतालीसवीं सूचना श्री अनिल कुमार की** चिकित्सा विभाग एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **बयालीसवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की** जनपद शाहजहाँपुर के अहन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज के घटिया निर्माण कार्य की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **तैंतालीसवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की** जनपद लखनऊ के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन द्वारा भू-माफियाओं को शरण दिये जाने के सम्बन्ध में है, **चौवालीसवीं सूचना श्रीमती सरिता भदौरिया की** जनपद लखनऊ के पारा हंसखेड़ा में महामारी एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम के सम्बन्ध में है, **पैंतालीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की** जनपद जौनपुर के नगर पंचायत बदलापुर के अन्तर्गत नये परिसीमन के उपरान्त मास्टर डेटा संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में है, **छियालीसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की** प्रदेश में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, **सैंतालीसवीं सूचना मो0 फईम इरफान की** जनपद मुरादाबाद की बिलारी विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, **अड़तालीसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की** जनपद शाहजहाँपुर के तिलहर में कतिपय कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, **उन्चासवीं सूचना श्री हरीराम की** एन0सी0एल0 में कार्यरत गैर-सरकारी संस्थाओं में रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, **पचासवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की** जनपद संतकबीरनगर के निवासी श्री बहरैची की मृत्यु की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **इक्यावनवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की** जनपद अयोध्या के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हुई फसलों की क्षति का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, **बावनवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की** जनपद अम्बेडकर नगर के

मकदूम नगर बाजार, जोत जैना एवं सम्हरिया में फैल रहे प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में है, **तिरपनवीं सूचना मो0 मुजतबा सिद्दीकी की** राजस्व विभाग के चेनमैनों की पदोन्नति के सम्बन्ध में है, **चौवनवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की** जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा में पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, **पचपनवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की** लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **छप्पनवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट की** जनपद लखनऊ के जिला पंचायत निर्वाचन का शपथ ग्रहण न कराये जाने के सम्बन्ध में है, **सत्तावनवी सूचना श्री तसलीम अहमद की** जनपद बिजनौर में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **अट्ठावनवीं सूचना श्री संगीत सिंह सोम की** महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा की जा रही अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **उनसठवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की** जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला में पुलिस प्रशासन की कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में है, **साठवीं सूचना श्री ओमकार सिंह यादव की** जनपद बदायूँ में पुरानी व जर्जर लाइनों को बदले जाने के सम्बन्ध में है, **इकसठवीं सूचना श्री संजय गर्ग की** विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में है, **बासठवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की** सिंचाई विभाग में स्थानान्तरण में की जा रही अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **तिरसठवीं सूचना श्री मोहम्मद असलम ''राईनी'' (एडवोकेट) की** सिविल जज की परीक्षा में ओ0बी0सी0 आरक्षण का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, **चौसठवीं सूचना श्री सुभाष राय की** जनपद मुजफ्फरनगर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, **पैंसठवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह उर्फ सुरेश यादव की** जनपद बाराबंकी में पंचायत विभाग के अधिकारियों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **छाछठवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की** विधान सभा क्षेत्र किसनी, मैनपुरी में अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, **सड़सठवीं सूचना श्री वीरेन्द्र कुमार यादव की** लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में है, **अड़सठवीं सूचना श्री अबरार अहमद की** जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की टी0ए0सी0 जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **उनहत्तरवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की** स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्थानान्तरण नीति में की गयी अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **सत्तरवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की** जनपद लखनऊ के ग्राम व पोस्ट-गोयला, ब्लाक बक्शी का तालाब के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में तैनात श्री सुरेश जायसवाल पर अनुशासनिक कार्यवाही कर स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **इकहत्तरवीं सूचना श्रीमती आराधा मिश्रा 'मोना' की** जनपद प्रतापगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत निर्मित मॉडल स्कूल, सराय निर्भय के निर्माण कार्य की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **बहत्तरवीं सूचना श्री श्रीकान्त कटियार की** उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक के कार्यरत क्लास-3 एवं 4 के

स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **तिहत्तरवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की** जनपद कुशीनगर के तमकुही में कतिपय निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, **चौहत्तरवीं सूचना श्री नरेश सैनी की** जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **पचहत्तरवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की** जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत कतिपय निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, **छिहत्तरवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की** जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बलिया में ग्राम सभा सवरा में देवस्थली के पास नाला अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, **सतहत्तरवीं सूचना श्री अनिल सिंह की** जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, **अटठहत्तरवीं सूचना श्री श्यामधनी की** जनपद सिद्धार्थनगर के बाल गृह बालक हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, **उन्नयासवीं सूचना श्री विनोद कटियार की** जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में है, **अस्सीवीं सूचना श्री बृजेश रावत की** जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **इक्यासीवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की** जनपद कानपुर नगर, ग्राम-बहलोलपुर में बिना भूमि मुआवजा व नोटिस दिये का ढाबा व फैक्ट्री तोड़ने के सम्बन्ध में है, **बयासीवीं सूचना श्री असलम अली की** जनपद हापुड़ में अवैध निर्माण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **तिरासीवीं सूचना श्री बिहारी लाल आर्य की** जनपद कौशाम्बी के नगर पालिका मंझनपुर में मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, **चौरासीवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की** जनपद कुशीनगर के हाटा में सौभाग्य योजना फेज-3 के आधार पर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **पच्चासीवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की** जनपद लखनऊ के अन्तर्गत फैजुल्लागंज आबादी को पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, **छियासीवीं सूचना श्री राजकुमार पाल की** जनपद प्रतापगढ़ में निरीक्षक व उप-निरीक्षक के स्थानान्तरण के उपरान्त भी रिलीव न किये जाने के सम्बन्ध में है, **सत्तासीवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की** जनपद अलीगढ़ में नगर पंचायत जवां, नगर पंचायत बरौली, नगर पंचायत गभाना में जनहित में प्रस्तावित क्षतिग्रस्त मार्ग का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **अट्ठासीवीं सूचना श्रीमती पिंकी सिंह यादव की** जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत ग्राम जलाली के अन्तर्गत स्थित श्री राकेश सिंह गौतम डॉक्टर की दुकान की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, **नवासीवीं सूचना कुंवर रघुराज प्रताप सिंह की** जनपद अलीगढ़ की फ्रंट लाइन वर्कर आंगनबाड़ी कार्यकत्री बालवाड़ी केन्द्र आजमगढ़ शहर की कोविड ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, **नब्बेवीं सूचना श्री योगेश वर्मा की** जनपद फतेहपुर में सफाई कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण न होने के फलस्वरूप उनके द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में असफलता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, **इक्यान्नबेवीं सूचना श्री सुनील कुमार शर्मा की** जनपद बहराइच के ग्राम-श्विहरा, पोस्ट-हुजूरपुर के सम्पर्क मार्ग से श्री तेज बहादुर सिंह के घर तक जाने वाले मार्ग

का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, **बान्नबेवीं सूचना कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की** जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में कतिपय निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, **तिरान्नबेवीं सूचना मो0 रिजवान की** समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक, कार्यालय, लखनऊ में स्थानान्तरण नीति में की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, **चौरान्नबेवीं सूचना श्रीमती जय देवी की** जनपद लखनऊ में फन मॉल के नजदीक स्थित नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर कालोनी में निवासित लोगों की दुर्दशा के सम्बन्ध में है, **पच्चानबेवीं सूचना श्री रामकृष्ण भार्गव की**नैमिष विकास परिषद् के गठन किये जाने के सम्बन्ध में है, **छियान्नबेवीं सूचना श्री गौरव कुमार की** जनपद जौनपुर के ग्राम सभा-गौरवाह के गाटा सं0-1844 मि0 के अन्तर्गत सीमांकित तालाब का कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, **सत्तान्नबेवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की** जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **अट्ठान्नबेवीं सूचना डॉ0 अजय कुमार की** जनपद लखनऊ, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, ग्राम अमौसी में नगर निगम भूमि को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, **निन्यान्नबेवीं सूचना सुशील सिंह की** जनपद चन्दौली, विधान सभा क्षेत्र-382, सैयदराजा के अन्तर्गत विकास खण्ड-बरहनी के अन्तर्गत मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **सौवीं सूचना श्री सरोज सोनकर की** जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, **एक सौ एकवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की** जनपद लखनऊ के आलमबाग स्थित कैलाशपुरी में मृतकों की दैहिक क्रिया किये जाने वाले स्थानों के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, **एक सौ दोवीं सूचना श्री राजकुमार अग्रवाल की** जनपद हरदोई के सण्डीला विधान सभा क्षेत्र के श्री कृष्ण कुमार सिंह को ट्यूबवेल कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में है, **एक सौ तीनवीं सूचना श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी की** आवास विकास परिषद् द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, तथा **एक सौ चारवीं सूचना श्री सूर्यभान सिंह की** जनपद सुल्तानपुर की तहसील व ब्लाक बल्दीराय में रजवहा पर पुलिया का निर्माण सिंचाई विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

जनपद सहारनपुर में जहरीली शराब के सेवन से मृतकों के परिवारीजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद सहारनपुर में जहरीली शराब के सेवन से...

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 1999 (यथा संशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विवेकाधीन कोष से दी जाने वाली आर्थिक सहायता/अनुदान के बारे में प्रत्येक प्रकरण की आवश्यकता, तात्कालिकता एवं औचित्य के आधार पर विचार किया जाता है। प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा तत्समय प्राप्त आख्या के दृष्टिगत 36 मृतकों एवं 10 उपचाराधीन व्यक्तियों में से प्रत्येक मृतक आश्रित को रुपये 02 लाख एवं प्रत्येक उपचाराधीन को रुपये 50 हजार की दर से कुल रुपये 77 लाख की आर्थिक सहायता मुख्य मंत्री कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ-1125/मु0मं0का0-5/2018, दिनांक 13-02-2019 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।]

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। जो जवाब अधिकारियों ने दिया है और उनके माध्यम से यहाँ पर आ गया। मैं समझता हूँ कि शायद सरकार की मंशा ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक घटना जो फरवरी, 2019 में हुई और उसके अन्तर्गत 83 लोगों की विसरा रिपोर्ट आई कि जहरीली शराब के कारण उनकी मृत्यु हुई और उनमें से केवल 36 लोगों को मुआवजा दिया गया। डी0एम0 ने लगातार 6 अनुस्मारक 16-11-2019, 22-01-2020, 29-01-2020, 17-02-2020, 18-03-2020 और 15-07-2020 को दिये। जिस समय यह घटना घटित हुई, उसकी गंभीरता को देखते हुए वहाँ के जो मरीज बेहोश हो रहे थे, आधे से ज्यादा को मेरठ मेडिकल कालेज में शिफ्ट कर दिया गया। मेरठ मेडिकल कालेज से जिनकी विसरा रिपोर्ट गयी वह रिपोर्ट चूंकि बाद में आई इसलिए वे अनुदान से वंचित रह गये। एक ही घटना है, एक ही समय हुई है, उनकी विसरा रिपोर्ट भी है, डी0एम0 साहब शासन को बार-बार लिख रहे हैं और यह सवाल उठाने के पहले भी हमने संसदीय कार्य मंत्री जी से इस बात के लिए अनुरोध किया उसके बाद अगर यह जवाब आये इसकी तात्कालिकता और आवश्यकता उतनी ही है, क्योंकि उसी समय की घटना है। उस तात्कालिकता के आधार पर इस बात को रिजेक्ट कर देना कि 34 को हमने दे दिया बाकी को नहीं देंगे। यह सरकार की नीयत पर सवालिया निशान करता है। इसी के साथ इसे दलित विरोधी कहने के लिए मजबूर करता है। मैं नहीं समझता कि इस बात के लिए सरकार तैयार होगी और मैं आपका संरक्षण चाहते

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुए अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब एक ही घटना है, तो इस बात के लिए निर्देशित किया जाये और भूल सुधार करते हुए बाकी जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को भी मुआवजा देने का प्राविधान जैसा कि डी0एम0 साहब ने बार-बार आग्रह किया, 7-8 रिमाइंडर लिख चुके हैं। हमने खुद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से लिख कर अनुरोध किया, नियम-51 के वक्तव्य में किया और उसके पहले भी किया था। मेरा आपसे यह करबद्ध अनुरोध है कि तमाम गरीब साथी हैं, जिनके परिजन जहरीली शराब से नहीं रहे। वे सब अनाथ जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं और उसके बाद अगर प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह का बर्ताव होगा तो निश्चित रूप से इसका संदेश ठीक नहीं जायेगा। अब हम इससे उच्च कहाँ पर मामले को उठायें ? एक विवाद है, डी0एम0 साहब लिख रहे हैं, विधान सभा में यह मामला उठा, विधान सभा के अन्दर नियम-51 में....

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संजय जी मंत्री भी रहे हैं और जानकार भी हैं। हो सकता है कि कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो हम उससे डिनाई नहीं करते क्योंकि मैं विभाग नहीं देखता हूँ और मेरी जानकारी में इस समय नहीं है कि मैं इसका समुचित उत्तर दे सकूँ। लेकिन अगर एक ही स्ट्रोक में एक ही घटना की प्रवृत्ति है, तो मैं समझता हूँ कि डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिसक्रिमिनेशन एमंग द क्लास तो किसी हालत में नहीं होना चाहिए।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, डी0एम0 का लेटर हम आपको दे देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ठीक है, हम इसको विशेष रूप से दिखवा लेंगे और सम्बन्धित मंत्री जी को और मुख्य मंत्री कार्यालय को भी बता देंगे। जैसी आपने अपेक्षा की है, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामान्यतः ऐसा नहीं होता है।

जनपद हरदोई में निर्मित ट्रामा सेन्टर में चिकित्सकों की नियुक्ति एवं क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य, पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

[आपके द्वारा दी गई उक्त सूचना के संबंध में निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें की आख्या दिनांक 25-03-2021 प्राप्त की गई है, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :-

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-जनपद हरदोई में ट्रामा सेन्टर भवन का निर्माण वर्ष 2016-17 में हुआ था। ट्रामा सेन्टर हरदोई मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरदोई के अधीन संचालित है।

2-उक्त ट्रामा सेन्टर में 06 विशेषज्ञ चिकित्सक (02 एनस्थेटिस्ट, 02 आर्थोसर्जन, 02 जनरल सर्जन), 03 ई0एम0ओ0 सहित कुल चिकित्सकों के 09 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 01 आर्थोसर्जन व 01 जनरल सर्जन कार्यरत हैं एवं जिला चिकित्सालय, हरदोई से 01 एनेस्थेटिस्ट चिकित्सक द्वारा ऑनकाल सेवायें प्रदान की जाती हैं। संबंधित चिकित्सकों द्वारा रोस्टर के हिसाब से कार्य सम्पादित किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में जिला चिकित्सालय के ई0एम0ओ0 द्वारा कार्य किया जाता है।

3-पैरामेडिकल स्टाफ के अन्तर्गत 15 स्टाफ नर्स, 03 ओ0टी0 टेक्नीशियन, 03 एक्स-रे टेक्नीशियन व 03 लैब टेक्नीशियन सहित कुल 23 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 03 एक्स-रे टेक्नीशियन व 01 लैब टेक्नीशियन कार्यरत हैं। जिला चिकित्सालय, हरदोई से सम्बद्ध 02 स्टाफ नर्सों द्वारा ट्रामा सेन्टर पर कार्य किया जाता है।

4-एक्स-रे मशीन की अभी स्थापना न होने के दृष्टिगत कार्यरत एक्स-रे टेक्नीशियन की सेवायें जिला चिकित्सालय, हरदोई में स्थापित एक्स-रे मशीन व अल्ट्रासाउण्ड पर सेवायें दी जाती हैं। लैब टेक्नीशियन द्वारा लैब की सभी प्रकार की जाँचें सम्पादित की जाती हैं। चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत 09 नर्सिंग असिस्टेंट व 09 एम0टी0डब्लू0 के पद स्वीकृत व कार्यरत हैं। ट्रामा सेन्टर में जो सेवायें उपलब्ध नहीं हैं, वह समस्त सेवायें जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें।]

श्री नितिन अग्रवाल-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछ लेता हूँ क्योंकि माननीय मंत्री जी तो हैं नहीं। जो जवाब आया है 5 वर्ष हो गये हैं ट्रामा सेन्टर हरदोई में निर्मित किये हुए और मैं करीब-करीब हर सदन में इसको उठाता हूँ क्योंकि यह मेरी विधान सभा क्षेत्र में है, मेरे शहर में है। मैं खुद देख रहा हूँ कि ट्रामा सेन्टर संचालित नहीं है। केवल 5 कारण हैं वहाँ न एनेस्थेटिस्ट है न आर्थोपैडिक सर्जन है। वहाँ नर्सिंग स्टाफ भी तैनात नहीं है और (ई0एम0ओ0) इमरजेंसी मेडिकल आफिसर्स भी नहीं है। पहले एक एनेस्थेटिस्ट था लेकिन उसका भी ट्रांसफर हो गया, वहाँ पर आर्थोपैडिक सर्जन तो कभी आया ही नहीं। मेरा आपसे केवल एक अनुरोध है क्योंकि 5 वर्ष काफी लम्बा समय हो गया ट्रामा सेन्टर संचालित नहीं है।

जवाब में यह आया है कि वहाँ पर ट्रामा सेन्टर संचालित है। यह अधिकारियों ने भी बता दिया है कि ट्रामा सेन्टर में आर्थोपैडिक सर्जन और एनेस्थेटिस्ट की भर्ती हो गयी है। लेकिन यह सत्य नहीं है। आप इसकी जाँच करा लीजिये। अगर ये वहाँ पर हो या ट्रामा सेन्टर संचालित हो। अगर ट्रामा सेन्टर संचालित नहीं है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप

उसको शुरू करा दें क्योंकि मैंने आज न्यूज़ पेपर में पढ़ा था कि अभी पब्लिक सर्विस कमीशन से एनेस्थेटिस्ट और पीडियाट्रिशन डॉक्टर मिले हैं। कृपया करके आप ट्रामा सेन्टर की बची हुई चीजें पूरा करा दीजिये जिससे कि ट्रामा सेन्टर की शुरुआत हो जाये। जहाँ पर यह बना है उस रोड को नेशनल स्टेट हाई-वे भी घोषित कर दिया है। हैवी ट्रैफिक होने की वजह से वहाँ बहुत एक्सीडेन्टल केस होते हैं, जिनका उपचार हरदोई न होकर लखनऊ में होता है। अगर प्रारम्भिक उपचार उनको हरदोई के ट्रामा सेन्टर में मिल जाये तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि आप आज आश्वासन दें कि हरदोई वाला ट्रामा सेन्टर जल्द ही शुरू कर दिया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब ट्रामा सेन्टर बना है, तो निश्चित रूप से संचालित होना चाहिए। अगर कोई कमी है, तो पूरा करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है यह निस्तारित हो गया है।

सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय।

चिरागों को आँखों में महफूज रखना, सफर में न जाने कहाँ रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

किसी मजलूम के हक को दिला देना बगावत है, किसी इंसान को इंशा बता देना बगावत है, तो मैं भी एक बागी हूँ और बगावत काम है मेरा मिटा दूँ जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा।

श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मुखालिफत से शख्सियत संवरती है और मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष महोदय, बिकरू काण्ड की रिपोर्ट आयी है, इसको पटल पर रखे जाने की मद कार्य सूची में सम्मिलित नहीं थी। यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट है इसको सदन के पटल पर रखा जाना आवश्यक है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अनिश्चितकाल के लिए उठने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में इसे प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जनपद कानपुर नगर के बिकरू में दिनांक 03-07-2020 की रात में पुलिस कर्मियों की जघन्य हत्या की घटना की जाँच रिपोर्ट जो अभी-अभी प्राप्त हुई है, सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उससे क्या यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

बिकरू काण्ड की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद कानपुर नगर के ग्राम बिकरू में दिनांक 02-07-2020, 03-07-2020 की रात्रि में 08 पुलिस कर्मियों की जघन्य हत्या एवं तत्पश्चात् उक्त घटना में संलिप्त अपराधियों के मुठभेड़ में मारे जाने तथा गिरफ्तारी एवं अन्य घटनाओं की जाँच हेतु गठित माननीय न्यायमूर्ति डॉ0 बी0एस0 चौहान (माननीय पूर्व न्यायाधीश, माननीय उच्चतम न्यायालय) की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय जाँच आयोग की रिपोर्ट (11-04-2021) तथा दस्तावेजी सामग्री (भाग-2) सहित को जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन के स्थगन का जो प्रस्ताव रखा है मैं इसके पहले एक पंक्ति में इस आदरणीय सदन के माननीय नेता प्रतिपक्ष, बहुजन समाज पार्टी के माननीय नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांगेस के माननीय नेता, अपना दल की माननीय नेता, सुहेलदेव राजभर पार्टी के माननीय नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सभी दलीय नेताओं को उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं और जो माननीय मंत्रीगण हैं उन्होंने इस छोटे से सत्र में उल्लेखनीय सहायता दी है और मुझे अपना काम करने में जैसी सहायता मिली है, मैं उसके प्रति अभिभूत हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। अब मैं संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा लाये गये प्रस्ताव पर प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंग।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधि तरंग।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे,
गाहे तव जय गाथा।
जन-गण मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय, जय हे।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराहन 02 बजकर 51 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 19 अगस्त, 2021

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-02 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 7 पर।)

खाद्यान्न एवं फल सब्जी मण्डियों का विवरण

क्रमांक	सम्भाग का नाम	व्यापार की स्थिति			व्यापार स्थानान्तरित है अथवा नहीं
		केवल खाद्यान्न	केवल फल व सब्जी	दोनों	
1	2	3	4	5	6
1	मेरठ	19	20	18	21
2	सहारनपुर	11	15	11	11
3	आगरा	16	12	12	15
4	मुरादाबाद	18	18	18	18
5	बरेली	17	14	14	17
6	लखनऊ	23	22	19	22
7	झाँसी	25	26	09	26
8	प्रयागराज	07	07	01	12
9	अयोध्या	10	11	07	14
10	वाराणसी	02	04	01	07
11	आजमगढ़	0	05	0	05
12	बस्ती	07	06	06	07
13	कानपुर	18	12	12	18
14	गोरखपुर	07	07	05	07
15	मिर्जापुर	0	05	0	05
16	अलीगढ़	09	10	09	10
कुल योग		189	194	142	215

कुल निर्मित 220 मण्डियों में से निम्न 05 मण्डी समितियों में व्यापार स्थानान्तरित नहीं है।

क्रमांक	सम्भाग का नाम	मण्डी का नाम
1	गोरखपुर	घोरी-घोरा
2	अयोध्या	मिल्हीपूरवा
3	अयोध्या	रिसिया
4	प्रयागराज	भरवारी
5	सहारनपुर	सुल्तानपुर चिलकाना

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-15 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 17 पर।)

संख्या-13/2021/251/18-2-2021-19(1)/21

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1-आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 17 मई, 2021

विषय- "उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना" प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोविड-19 महामारी की व्यापकता एवं इससे निपटने के लिए प्रदेश ही नहीं सम्पूर्ण भारत वर्ष में मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक सहायक मेडिकल सामग्री यथा PSA Based/LMO Based Medical Oxygen Plant, Oxygen Cylinders, Regulators, Ventillators, Cryogenic Tankers, Hospitals Beds आदि की आवश्यकता में काफी वृद्धि हुई है। साथ ही, इन मेडिकल सामग्री की संबंधित को समयबद्ध रूप से आपूर्ति किया जाना भी अतिआवश्यक है । अतः महामारी की व्यापकता को देखते हुए short term उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश में ही कोविड से संबंधित आवश्यक मेडिकल सामग्री (Covid Related Essential Medical Goods) के विनिर्माण की तत्काल आवश्यकता है । अतः उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु "उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना" प्रख्यापित करने का मुझे निदेश हुआ है जिसके घटक निम्नवत है :-

1- योजना वर्तमान में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों एवं नवीन स्थापित होने वाली ऐसी औद्योगिक इकाईयों हेतु प्रभावी होगी, जो कोविड से संबंधित आवश्यक मेडिकल सामग्री हेतु अधिसूचित (Covid Related Essential Medical Goods) अपनी वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने अथवा इस क्षेत्र में नवीन इकाई स्थापित करने हेतु इच्छुक हैं ।

2- योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी होगी ।

3- यह योजना शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष तक प्रभाव में रहेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- योजना कोविड से संबंधित आवश्यक मेडिकल सामग्री हेतु अधिसूचित(Covid Related Notified Essential Medical Goods) से सम्बंधित इकाईयों हेतु ही प्रभावी होगी।

5- पात्रता हेतु Plant, Machinery, Equipment में पूंजी निवेश की न्यूनतम सीमा रु0 20 लाख होगी ।

6- पात्र इकाई को विभिन्न विभागों से सम्बंधित इकाई स्थापना एवं संचालन में आवश्यक समस्त प्रकार की स्वीकृतियां/अनापत्तियाँ इत्यादि "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम, 2020" के अंतर्गत 72 घंटे की अवधि में प्रदान किये जा सकेंगे। प्रदूषण नियंत्रण विभाग, Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO), Drug Control Organization (Medical and Health Department) के केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत आच्छादित स्वीकृतियां/अनापत्तियाँ आदि प्रदान करवाने हेतु fast track mode में सहायता प्रदान की जायेगी ।

7- पात्र इकाईयों को योजनान्तर्गत निम्नवत लाभ प्रदान किया जायेगा :-

(1) इस निमित्त पात्र इकाई को Plant, Machinery, Equipment के स्थापनार्थ हुए व्यय का 25 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रू0 10 करोड़, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता पूंजी उपादान (capital subsidy) के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी । यह प्रतिपूर्ति विभाग में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत ही किया जायेगा। इसके लिए प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही कोविड जनित परिस्थितियों से निपटने के लिये पर्याप्त संसाधन की उपलब्धता बनी रहे, इस हेतु प्रस्तावित योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सेक्टर्स में संचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से डबटेलिंग की जायेगी।

(2) CGT-MSE योजना के अंतर्गत आच्छादन हेतु लाभार्थी इकाई द्वारा भुगतान की गयी फीस की प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन की जायेगी ।

(3) उक्त वित्तीय सहायता इकाई के कार्यरत (Operational) होने के उपरान्त इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए दावे के सापेक्ष प्रदान की जायेगी ।

8- योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र इकाई को निम्नवत आवेदन करना होगा:-.

(1) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक इकाई द्वारा किसी Scheduled Commercial Bank अथवा SIDBI में आवेदन करना होगा ।

(2) Scheduled Commercial Bank अथवा SIDBI, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्राप्त आवेदनों के परिक्षण के उपरान्त आवेदन पत्रों को अपने जनपदीय कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को अग्रसारित किया जाएगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वैब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) Scheduled Commercial Bank अथवा SIDBI द्वारा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को अग्रसारित आवेदन पत्र में मुख्यतय: निम्न सूचनाओं का उल्लेख करना अनिवार्य होगा:-

(1) इकाई द्वारा प्रस्तावित गतिविधि का वर्णन करते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ।

(2) योजना के अंतर्गत उद्देश्य पूर्ति हेतु इकाई द्वारा वांछित कुल ऋण धनराशि।

9- उपायुक्त उद्योग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रारम्भिक परिक्षण के उपरान्त आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुमोदन हेतु गठित समिति (Approval Committee) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा अनुमोदन हेतु गठित समिति (Approval Committee) के सदस्य/सचिव के रूप में कार्य संपादित किया जाएगा । अनुमोदन हेतु गठित समिति (Approval Committee) से संस्तुत आवेदन पत्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश को अग्रसारित किये जायेंगे तथा इस सम्बन्ध में बैंक/ SIDBI द्वारा अप्रेजल रिपोर्ट को आधार मानकर परीक्षण किया जायेगा ।

10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में शासन स्तर पर एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) का गठन किया जाएगा। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उक्त समिति (Committee) के सदस्य/सचिव होंगे, जिनके द्वारा अन्तिम अनुमोदन (Final Approval) हेतु आवेदनों को कार्यकारी समिति (Executive Committee) को अग्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर अन्तिम अनुमोदन (Final Approval) हेतु कार्यकारी समिति (Executive Committee) का निर्णय अंतिम होगा ।

11- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग होगा।

12- इकाई द्वारा उपादान हेतु किये गए दावे सम्बंधित जनपद के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में प्रस्तुत किये जायेंगे। उपायुक्त उद्योग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षण के उपरान्त दावे आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किये जायेंगे, जिनके द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु शासन से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

13- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा संभावित उद्यमियों के मध्य योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिक से अधिक संख्या में उद्यमी योजना के अंतर्गत बैंकों/ SIDBI में आवेदन करें ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14- प्रदेश के अस्पतालों में कोविड सम्बन्धी सुविधायें यथा ऑक्सीजन प्लांट आदि स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों एवं अस्पतालों के मध्य समन्वय हेतु विभाग द्वारा प्रदेश एवं जनपद स्तर पर फैसिलीटेशन का कार्य किया जाएगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि अस्पतालों में 20 वर्ष की आपूर्ति का अनुश्रवण नियमानुसार कराया जायेगा ।

15- स्वास्थ्य विभाग योजना के अंतर्गत कोविड से सम्बन्धित आवश्यक मेडिकल सामग्री (Covid Related Essential Medical Goods) को समय.समय पर अधिसूचित (Notify) करेगा ।

16- यदि इकाई द्वारा इस योजना के अंतर्गत अनुमन्य मदों में राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की किसी अन्य योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किया गया है, तो इकाई इसी मद में इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी। ऐसे लाभ जो इस योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं, उन लाभों/सुविधाओं हेतु इकाई प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार की अन्य योजनाओं/नीतियों के अंतर्गत आवेदन कर सकती है ।

17- योजना के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर प्राधिकार समिति (Empowered Committee) गठित होगी, जो आवश्यकतानुसार समय-समय पर योजना में संशोधन करने हेतु अधिकृत होगी।

अत: अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-13/2021/251(1)/18-2-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त संयुक्त आयुक्त उदयोग/जिला उदयोग एवं उदयम प्रोत्साहन केन्द्र, उ0प्र0।
(4) समस्त उपायुक्त उदयोग, जिला उदयोग एवं उदयम प्रोत्साहन केन्द्र, उ0प्र0।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 27 पर।)

31	बेगूसराय	श्री भगवान	श्री मुखा राम	ग्राम बिरमुरी पश्चिम पो0–गोदकिया बेगूसराय पोलीमेर।	√		64	07.09.2019	-	-	07.09.2019	निवासरत	नहीं	समय	
32	बेगूसराय	श्री भोरी मंडल	श्री सोरिलाल	ग्राम खोका बेगूसराय पोलीमेर।	√		61	12.09.2019	-	-	12.09.2019	निवासरत	नहीं	समय	
33	बेगूसराय	श्री बिहारी साह	श्री रामखेलावन	ग्राम खरगपुर पूर्व पो0–पर्रेर बेगूसराय पोलीमेर।	√		01.01.1953	12.09.2019	-	-	12.09.2019	निवासरत	नहीं	समय	
34	बेगूसराय	श्री भालू राम	श्री रामाशंकर	ग्राम जलालेरी बेगूसराय पोलीमेर।	√		64	29.09.2019	-	-	29.09.2019	निवासरत	नहीं	समय	
35	बेगूसराय	श्रीमती बिंदा देवी	श्री भगुराम	ग्राम जलालेरी बेगूसराय पोलीमेर।		√	64	03.10.2019	-	-	03.10.2019	निवासरत	नहीं	समय	
36	बेगूसराय	श्रीमती मोहनी देवी	श्री डुंडेल मौ0	ग्राम बखरेता मलपतलखिया बेगूसराय पोलीमेर।		√	64	03.10.2019	-	-	03.10.2019	निवासरत	नहीं	समय	
37	बेगूसराय	श्री परमेश्वर सहनी	श्री मनीषिस	ग्राम दक्षिणा पो0–हरिया रानीर बेगूसराय पोलीमेर	√		67	23.10.2019	-	-	23.10.2019	निवासरत	नहीं	समय	
38	बेगूसराय	श्री डुंडेल मौ0	श्री संकर साह	ग्राम बखरेता पश्चिम मलपतलखिया बेगूसराय पोलीमेर।	√		69	30.10.2019	-	-	30.10.2019	निवासरत	नहीं	समय	
39	बेगूसराय	श्रीमती फोलमती	श्री मंगरी सहनय	ग्राम नवलिया बरला बेगूसराय पोलीमेर।		√	70	15.11.2019	-	-	15.11.2019	निवासरत	नहीं	समय	
40	बेगूसराय	श्रीमती सकुन्तला	श्री मुन्ना	ग्राम खरगपुर उर्फ बेगूसराय बिलवरी बेगूसराय पोलीमेर।		√	64	15.11.2019	-	-	15.11.2019	निवासरत	नहीं	समय	
41	बेगूसराय	श्रीमती सर्वरती देवी	श्री रमनी एसाद	दिलावर पो0–पुरुषार्थ बेगूसराय पोलीमेर।		√	68	07.12.2019	-	-	07.12.2019	निवासरत	नहीं	समय	
42	बेगूसराय	श्रीमती सुरता देवी	श्री मुरलन्द	बखेड़ुर थर्ड बेगूसराय पोलीमेर।		√	63	23.10.2020	-	-	23.10.2020	निवासरत	नहीं	समय	
43	बेगूसराय	श्रीमती बेचनी	श्री रामनाथ	मुखिया पो0–बीरुआ रानीकिला बेगूसराय पोलीमेर।		√	66	23.10.2020	-	-	23.10.2020	निवासरत	नहीं	समय	
44	बेगूसराय	श्रीमती सुखरा	श्री रिसाही सहनी	ग्राम बोधी हरनिया पश्चिमी बेगूसराय पोलीमेर।		√	67	23.10.2020	-	-	23.10.2020	निवासरत	नहीं	समय	
45	बेगूसराय	श्री मुखलाल	श्री मुखलाल	बखेड़ुर पश्चिम बेगूसराय पोलीमेर	√		68	23.10.2020	-	-	23.10.2020	निवासरत	नहीं	समय	
46	बेगूसराय	श्री चन्दा सिंह	श्री देवा सिंह	ग्राम आजमपुर बखेरिया बेगूसराय पोलीमेर।	√		70	23.10.2020	-	-	23.10.2020	निवासरत	नहीं	समय	
47	बरौनिया	श्री मन्नूलाल	श्री उमाशंकर साह	ग्राम पोहेरिया बिहत बरौनी	√		70	23.10.2020	-	-	23.10.2020	निवासरत	नहीं	समय	
48	बेगूसराय	श्री अमेरिकास	श्री हरीशिस	ग्राम जलालेरी पश्चिमी बेगूसराय पोलीमेर।	√		64	23.12.2020	-	-	23.12.2020	निवासरत	नहीं	समय	
49	बेगूसराय	श्रीमती मनुही देवी	श्री लखन कमत	जोकिया कब्जासपुर बेगूसराय पोलीमेर।		√	69	02.03.2021	-	-	01.03.2021	निवासरत	नहीं	समय	
50	बेगूसराय	श्री मंगरी एसाद	श्री नन्हे साह	बेगूसराय पोलीमेर	√		75	04.03.2021	-	-	04.03.2021	निवासरत	नहीं	समय	
51	बेगूसराय	श्री कमलेर सिंह	श्री गिन्नु सिंह	बेगूसराय अतिरिक्त एवम पोलीमेर	√		82	09.04.2021	-	-	09.04.2021	निवासरत	नहीं	समय	
52	बेगूसराय	श्री पैकलाल	श्री पोकर साह	जोकीपुर पश्चिम बेगूसराय पोलीमेर	√		71	23.04.2021	-	-	23.04.2021	निवासरत	नहीं	समय	
53	सिवहर	श्री गणेशजु	श्री रिखनी	सेमरगुर सिवहर मालकौंपुर	√		01.01.1955	05.06.2021	-	-	05.06.2021	निवासरत	नहीं	समय	
54	बेगूसराय	श्री गणेशए	श्री मुखनंदी	ग्राम कब्जासर्वर उर्फ बखेरा बेगूसराय पोलीमेर	√		06.08.1950	06.06.2021	-	-	06.06.2021	निवासरत	नहीं	समय	
55	बेगूसराय	श्री गजाधलाल	श्री बाबूलाल	ग्राम बखुर बेगूसराय पोलीमेर	√		01.01.1940	07.06.2021	-	-	07.06.2021	निवासरत	नहीं	समय	
56	सिवहर	श्री सिवना	श्री लोचेरना	ग्राम उमरबाना पिपरण मालकौंपुर	√		01.01.1956	08.06.2021	-	-	08.06.2021	निवासरत	नहीं	समय	
57	बेगूसराय	श्री अमेरिकास	श्री अमेरिकास	मोहबला बहेल एवम बेगूसराय पोलीमेर	√		01.01.1950	01.07.2021	-	-	01.07.2021	निवासरत	नहीं	समय	
58	बेगूसराय	श्री कन्हाय	श्री सुधेर	बिरमुरी पश्चिम पो0–गोदकिया पोलीमेर	√		01.01.1940	01.07.2021	-	-	01.07.2021	निवासरत	नहीं	समय	

प्रारूप-1

[ध्यान रखा जाए कि कोष्ठक नागरिकों का सदस्य चयन तथा कम्पनी नियमावली 2014 के अनुसार स्थानीय/संचालित मुद्राओं में आवंटित शुद्ध/मुद्राओं से संबंधित विवरण]

संस्था का नाम : कूर्मा सैनिटेशिल एण्ड वेस्टकंवर सोसायटी 231,मुंडपुर ग्रेन मेकेनिटल इंडीमिनिस कॉर्पोरेशन लीमि.टी. करनाल रोड—नई दिल्ली

संचालित मुद्राओं का पूर्ण पता : आवासीय मुद्राओं —ग्राम गणेशत पकौड़ा बरेलपुर (दीलतीपीए)

क्रमांक	संचालित का नाम	प्रवर्तित शुद्ध/मुद्रा का पूरा पता	प्रवर्तित संस्था का नाम	पता,ग्राम मुख्य डाक	दिन		आयु/ जानकारी	आवंटन की तिथि	अभिलेख/अन्य के प्रमाण संबंधी हस्ता. की गई/ नियुक्ति	संस्था से नियत पी.ए. अधिकार की संख्या/ नियुक्ति	स्थानांतर कब से नियमानुसार है	पर्यवेक्षण के उपकरण की स्थिति	किसी स्थानीय नियुक्ति से प्रतिनिधि के अवसर की	कौनसी का विवरण	अन्य जानकारियां
					पूर्ण	पहिला									
1	2	3	4		6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्री दीपक	श्री ओमप्रकाश	मौ0—416 बड़ी घबनपुरी मलखड़ुर जिला बरेली		√		32	27.04.2019	-	-	27.04.2019	नियमसत	हाँ	मासिक रोगी	
2	श्री कृष्ण लाल शर्मा	श्रीमती शांति (पत्नी)	ग्राम गल्ला सिरखपुर लाल कुर्ती कछपुर उद्यमसिंह नगर		√		45	27.04.2019	-	-	27.04.2019	नियमसत	हाँ	मासिक रोगी	
3	श्री अनुमोल सचदेवा	श्रीमती गीता गुलाटी (बहन)	मौहल्ला 598/8 कम्पनी बाग जिला बरेली		√		39	27.04.2019	-	-	27.04.2019	नियमसत	हाँ	मासिक रोगी	

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-43 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 43 पर।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2021 के प्रथम गुरूवार के लिये निर्धारित श्री चेतराम, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-43 के अर्न्तगत अपेक्षित सूचना के उत्तरालेख्य की अनुपूरक सामग्री

जनपद शाहजहॉपुर स्थित पुवांया विधान सभा क्षेत्र में देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर दुकानों के लाइसेंसधारियों के नाम व पते की सूची			
क0सं0	शाप आई.डी.	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम व पता
देशी शराब			
1	4147	पुवायां (राजीव चौक पुवायां से 250 मी0 की परिधि में)	सुमित्रा जायसवाल पत्नी सत्य प्रकाश जायसवाल नि0 2/205 ए0पी0सेन रोड़ गोल्डेन स्काई होटल के सामने हुसैनगंज लखनऊ
2	4259	पुवायां द्वितीय (निकट जेवा मोड़)	सतवन्त सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी- बहादुरपुर पोस्ट गंगसरा जिला शाहजहाँपुर
3	4260	बड़ागॉव	सुनीता जायसवाल पत्नी मिथलेश कुमार जायसवाल नि0-शास्त्रीनगर फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव।
4	4261	गंगसरा	शशी जायसवाल पत्नी राजेश जायसवाल निवासी-243/25 बाग लालजी यहियागंज जिला लखनऊ
5	4262	नवाबपुर गंगा	श्रीमती सुमन राठौर पत्नी अरविन्द सिंह, नि0 97ए निकट सरकारी अस्पताल तुलसीनगर, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
6	4263	मझिगवां	सोमपाल गोस्वामी पुत्र रामभरोसे लाल, नि0 बरसियॉ, थाना व तह0 बीसलपुर, जनपद पीलीभीत।
7	4264	नाहिल	सरोजनी देवी पत्नी स्व0 रामकरन, नि0- ग्रा0 व पो0 ऐन, बन्थरा, सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ।
8	4265	खुटार (बण्डा चौराहे से 300 मी0 की परिधि में)	गुरूदीप सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी बहादुरपुर पोस्ट गंगसरा जिला शाहजहाँपुर।
9	4267	कजरी	किरण वर्मा पत्नी श्री राजेश वर्मा नि0मो0 नरायनपुर खास, थाना खुटार, तहसील पुवायां, शाहजहॉपुर
10	4269	बण्डा	हरवंश सिंह पुत्र श्री कमेक्कर सिंह निवासी सिकन्दरपुर पोस्ता रौतापुर थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर।
11	4270	नवाबपुर	आशा गुप्ता पत्नि सर्वेश कुमार गुप्ता नि0 164 हुण्डालखेल निकट अम्बा टाकीज, जनपद शाहजहाँपुर।
12	4272	रामपुर कलां	सुनीता जायसवाल पत्नी मिथलेश कुमार जायसवाल नि0-शास्त्रीनगर फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव।
13	4273	जेबा	गुरूदीप सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी बहादुरपुर पोस्ट गंगसरा जिला शाहजहाँपुर।
14	4275	चॉदपुर	सोमपाल गोस्वामी पुत्र रामभरोसे लाल, नि0 बरसियॉ, थान व तह0 बीसलपुर, जनपद पीलीभीत।
15	4276	ईटौली	सौरभ गुप्ता पुत्र राजेश कुमार गुप्ता निवासी तिराहा बाजा पुवायां शाहजहाँपुर।

16	4279	दलेलापुर	अनूप कटियार पुत्र काशीनाथ कटियार, नि0 पूरनपुर रोड, बण्डा, तह0 पुवायाँ, जिला शाहजहाँपुर
17	4283	बितौनी	सौरभ गुप्ता पुत्र राजेश कुमार गुप्ता निवासी तिराहा बाजार पुवायां शाहजहाँपुर।
18	4284	चन्दुआपुर	महाबीर सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट सतवां बुर्जुग शाहजहाँपुर।
19	4286	नवीची	सत्येन्द्र पाल सिंह पुत्र कामता प्रसाद निवासी रसूलपुर बुर्जुग थाना बण्डा शाहजहाँपुर।
20	4287	पटई–ए	दीपक कुमार पुत्र राजकुमार निवासी तिराहा बाजार पुवाया, शाहजहाँपुर।
21	4288	खमरिया–प्रथम	सत्येन्द्र पाल सिंह पुत्र कामता प्रसाद निवासी रसूलपुर बुर्जुग थाना बण्डा शाहजहाँपुर।
22	4291	गोला रोड़ खुटार (निकट रसवा कलां मोड़ खुटार)	इरमनाथ सिद्धिकी पत्नी जमाल अहमद सिद्धिकी निवासी चौधरी कालोनी, गौजा जाली उत्तर बरेली रोड हल्क्षनी नैनीताल।
23	4294	बिराहिमपुर	सरोजनी देवी पत्नी स्व0 रामकरन, नि0– ग्रा0 व पो0 ऐन, बन्थरा, सरोजनीनगर, जिला–लखनऊ।
24	4299	ढका धनश्याम	जितेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र पुत्तूलाल वर्मा निवासी ग्राम तिहार इंजनपुर पोस्ट तेन्दुआ नगरीया तह0 पुवाया शाहजहाँपुर।
25	4300	गुटैया	सतवन्त सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी– बहादुरपुर पोस्ट गंगसरा जिला शाहजहाँपुर
26	4301	ररूआ	सुखपाल सिंह बलवेन्दर सिंह निवासी ग्राम लुकमानपुर पोस्ट बण्डा तह0 पुवायां शाहजहाँपुर।
27	4303	पसियापुर (पसियापुर से सिघापुर कुलसण्डा मार्ग पर)	गुरूप्रीत सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह निवासी खन्ना जिला लुधियाना।
28	4304	विरहमपुर	मुन्नीदेवी पत्नी स्व0 पुत्तूलाल निवासी तिहार इंजनपुर पोस्ट तेन्दुआ नगरीया तह0 पुवायां जिला शाहजहाँपुर।
29	4305	नाहिल रोड़ (मण्डी समिति से नाहिल मार्ग पर)	राम नरेश सिंह पुत्र नन्दलाल सिंह निवासी खुर्रमपुर पोस्ट मवई पंडियाना जिला लखनऊ।
30	33863	तिकुनिया–बी (तिकुनिया मोड़ से थाना खुटार के मध्य)	सरनाम सिंह पुत्र भगवानदास निवासी नरौठा हन्सराम पोस्ट खास थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
31	35376	खुटार (तिकुनिया रोड़ निकट होण्डा एजेन्सी)	सीमा पत्नी मुकेश जायसवाल निवासी तलैया गुन्नू मियां उन्नाव बागरमऊ उन्नावं

विदेशी मदिरा			
1	4250	पुवायां (राजीव चौक से 250 मी0 की परिधि में)	दलजीत सिंह बग्घा पुत्र हरभजन सिंह बग्घा, नि0 बाजपेई कालोनी, जिला–लखीमपुर खीरी।
2	4251	खुटार (बण्डा चौराहे से 300 मी0 की परिधि में)	सरनाम सिंह पुत्र भगवान दास नि0 नरौठा हंसराम, तह0 पुवायाँ, थाना खुटार, जनपद शाहजहाँपुर
3	4252	बन्डा	सुमन मिश्रा पत्नी संजय कुमार मिश्रा नि0 ग्रा0 बाजपुर केशरी पो0 रनमस्तपुर, तह0 पुवायाँ, जिला शाहजहाँपुर।
4	4254	गंगसरा	शैलेश कुमार वैश्य पुत्र राजेश कुमार वैश्य, नि0 ग्रा0 व पो0 बडागाँव, तह0 पुवायाँ, जिला–शाहजहाँपुर।
5	4255	गोला रोड़ खुटार (निकट रसवा कला मोड)	अलका जायसवाल पत्नी शान्ता प्रसाद जायसवाल, नि0– कृष्णबिहार, मल्ली बमोरी, दो नहरिया, हल्द्वानी।

6	4256	रामपुर कलां	मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र शिवशरण लाल नि0 सवाजपुर, जनपद हरदोई।
7	4257	दलेलापुर	अनूप कटियार पुत्र काशी नाथ कटियार नि0 पूरनपुर रोड, बण्डा, जिला शाहजहाँपुर।
8	4258	मकसूदापुर	मुकेश सक्सेना पुत्र राम स्वरूप, नि0 माही आटो मोबाइल्स टीवीएस गोला रोड बिलसण्डा, बीसलपुर, जिला–शाहजहाँपुर।

		बीयर	
1	4249	गंगसरा	अल्का जायसवाल पत्नी संजय जायसवाल नि0 कानून गोयान नि0पीपल टी कस्वा बनथरा त0फरीदपुर जिला बरेली
2	4247	बण्डा	बांके लाल पुत्र बाबूराम, नि0– ग्रा0 रामपुर हीरा पो0 दलेलापुर, थाना बण्डा, जिला–शाहजहाँपुर।
3	4244	पुवायॉ (राजीव चौक)	रिचिन कुमार गुप्ता पुत्र दिलीप कुमार गुप्ता, नि0– नियर पुराना एस0बी0आई0 अशरफ टोला सन्डीला, जिला–हरदोई।
4	4246	खुटार(बण्डा चौराहे से 300 मी0 की परिधि में)	श्री अमीन खाँ पुत्र राजू खाँ, नि0– ई–5 मानसरोवर गार्डन ग्रीन पार्क, जिला–बरेली।

13.08.2021

(हरिश्चन्द्र)
अपर आबकारी आयुक्त,
(लाइसेसिंग एवं औद्योगिक विकास)

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-52 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 47 पर।)

संलग्नक 'क'

वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2018 में प्राप्त, स्वीकृत तथा अस्वीकृत प्रस्तावों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2020-21

क्र0 स0	आवेदक का नाम	आवेदन की तिथि	परियोजना क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रस्तावित परियोजना लागत रू0 (करोड़ में)	स्थल	स्वीकृत/अस्वीकृत के कारण
1.	मैसर्स नानक लॉजिस्टिक्स प्रा0 लि0	28.10.2020	20.00	85.35	लखनऊ	प्राधिकार प्राप्त समिति की स्वीकृति के उपरान्त लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनॉक 30.12.2020 को निर्गत एवं निर्माण कार्य पूर्ण।
2.	मैसर्स बी0जी0 लिंक इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी	15.02.2021	11.00	52.92	लखनऊ	प्राधिकार प्राप्त समिति की आगामी बैठक में रखने हेतु पत्र संख्या 150/यूपीसीडा/परियोजना दिनॉक 09.08.2021 से शासन को प्रेषित।
3.	मैसर्स इ स्पेश लि0	24.03.2021	20.00	61.14	लखनऊ	• 5.26 हेक्टेयर क्षेत्र का मानचित्र पूर्व में ही स्वीकृत जिसका आदेदन वर्ष 2017 में होने व प्रभावी तिथि (दिनॉक 27.02.2018) से पूर्व होने पर कार्यवृत्त दिनॉक 15.01.2021 के अन्तर्गत अर्हता की श्रेणी में नहीं। • उपरोक्त कमियों के निराकरण हेतु प्रकरण आवेदक स्तर पर लम्बित।
4.	अल रेयान अल रूसन इंटरनैशल प्रोपराइटर श्री ताहीद अहमद,	19.01.2021	60.00	800.00	लखनऊ	प्रारम्भिक परीक्षण में प्रपत्र पूर्ण न पाये जाने के कारण अस्वीकार :- • प्रोपराइटरशिप का कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं। • भूमि का स्वामित्व आवेदक के नाम में होने का कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं। • परियोजना का कोई विवरण उपलब्ध नहीं, कि किन मदों पर रू0 800 करोड़ खर्च होगा। • परियोजना में मॉगी गयी छूटों की गणना का विवरण उपलब्ध नहीं।
5.	मैसर्स के0ए0आई0 वेयरहाउसिंग प्रा0 लि0	27.02.2021	0.1447	4.00	लखनऊ	प्रारम्भिक परीक्षण में प्रपत्र पूर्ण न पाये जाने के कारण अस्वीकार :- • परियोजना क्षेत्रफल 20000 वर्गफीट से कम 6300 वर्गफीट प्रस्तावित है। • प्रस्तावित पूँजी निवेश रू0 15.00 करोड़ से कम रू0 4.00 करोड़।

16.8.2021

वित्तीय वर्ष 2021–22

क्र0 सं0	आवेदक का नाम	आवेदन की तिथि	परियोजना क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रस्तावित परियोजना लागत रू0 (करोड़ में)	स्थल	स्वीकृत/अस्वीकृत के कारण
1.	श्रीमती अमृत कौर	24.04.2021 एवं 06.08.2021	3.00	31.47	लखनऊ	प्राधिकार प्राप्त समिति की आगामी बैठक में संस्तुति सहित लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत करने की स्वीकृति हेतु पत्र संख्या 150/यूपीसीडा/परियोजना दिनांक 09.08.2021 से शासन को प्रेषित।
2.	मैसर्स निरपुरिया इन्टरप्राइजेज	10.07.2021	2.75	25.57	लखनऊ	
3.	मैसर्स नानक लॉजिस्टिक्स प्रा0 लि0	06.08.2021	9.70	31.00	लखनऊ	निम्न कमियों के निराकरण हेतु आवेदक स्तर पर लम्बित :– • परियोजना का सजरा मैप पर मानचित्र प्राप्त नहीं। • पूँजी निवेश की प्रस्तावित धनराशि प्रार्थना पत्र व परियोजना रिपोर्ट में भिन्न होने के कारण स्पष्टता अपेक्षित। • पूँजी निवेश का मदवार विवरण एवं पूँजी निवेश के स्रोत्र का विवरण अपेक्षित।
4.	मैसर्स जी सी एस इन्टरप्राइजेज	06.08.2021	2.70	25.50	लखनऊ	निम्न कमियों के निराकरण हेतु आवेदक स्तर पर लम्बित :– • परियोजना का सजरा मैप पर मानचित्र प्राप्त नहीं। • परियोजना क्षेत्र की प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल एवं स्वामित्व के प्रपत्र के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल में 1207.77 वर्गफीट का अन्तर कारण अपेक्षित। • परियोजना में पूँजी निवेश का मदवार विवरण अपेक्षित।
5.	मैसर्स रेस्तीप्रोकल इण्डस्ट्रीय पार्क	28.07.2021	39.00	64.79	लखनऊ	निम्न कमियों के निराकरण हेतु आवेदक स्तर पर लम्बित :– • परियोजना की प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व 357254.08 वर्गफीट के प्रपत्र उपलब्ध नहीं। • साझेदारी फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र अपेक्षित। • पिछले चार वर्ष का तुलन पत्र अपेक्षित।
6	मैसर्स वासकॉन इर्स्पसेज प्रोपराइटरशिप	05.05.2021	1.00	15.00	लखनऊ	निम्न कमियों के निराकरण हेतु आवेदक स्तर पर लम्बित :– • कोल्ड चेन परियोजना रिपोर्ट में ट्रांसपोटेशन एवं कारगो संरक्षण का प्राविधान नहीं। परियोजना रिपोर्ट पुनरीक्षित करना होगा। • प्रस्तावित स्थल का भू उपयोग बस स्टैण्ड लीडा के महायोजना में होने के दृष्टिगत कोल्ड स्टोरेज/कोल्ड चेन अनुमन्यता नहीं।

16.8.2021

	मैसर्स एस.सी.आर.सी. स्टोन मिल साझेदारी फर्म	20.04.2021	2.00	28.00	लखनऊ	निम्न कमियों के निराकरण हेतु आवेदक स्तर पर लम्बित :- • परियोजना भूमि का क्षेत्रफल 1.00 लाख वर्गफीट (मानक) से कम। • संयुक्त भूमि में आवेदक के अंश का चिन्हांकन मानचित्र पर उपलब्ध नहीं। • सजरा मैप पर मानचित्र नहीं। • स्वामित्व सम्बन्धी विक्रय प्रपत्र उपलब्ध नहीं। • प्रस्तावित पूँजी निवेश का मदवार विवरण नहीं।
8.	मैसर्स शिवा वेयरहाउस प्रोप्राइटरशिप फर्म	07.05.2021	3.00	32.00.	लखनऊ	निम्न कमियों के निराकरण हेतु आवेदक स्तर पर लम्बित :- • परियोजना भूमि का स्वामित्व पाँच व्यक्तियों के नाम। • परियोजना का सजरा मैप पर नक्शा अप्राप्त। • प्रस्तावित पूँजी निवेश का मदवार विवरण नहीं। • संयुक्त भूमि में आवेदक के अंश का चिन्हांकन मानचित्र पर उपलब्ध नहीं। • ऋण आहरण एवं देय ब्याज का विवरण नहीं।

18.8.2021

पी0एस0यू0पी0-एल0-94 विधान सभा (151)-07-06-2022-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।